https://www.pdfnotes.co/

ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

उड़ान

प्रिलिम्स वाला स्टैटिक

प्रिलिम्स-2024

आधुनिक भारत

क्विक एवं कॉम्प्रिहेन्सिव रिवीज़न सीरीज़

https://www.pdfnotes.co/

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH

उड़ान

प्रिलिम्स वाला (स्टैटिक)

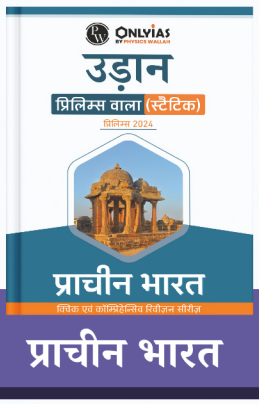

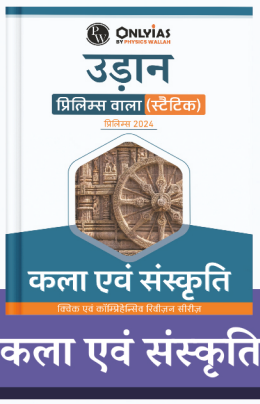

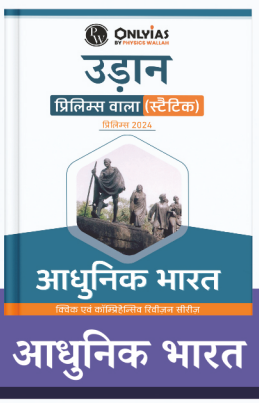

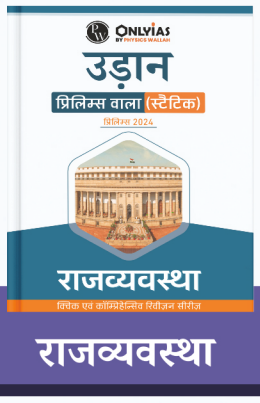

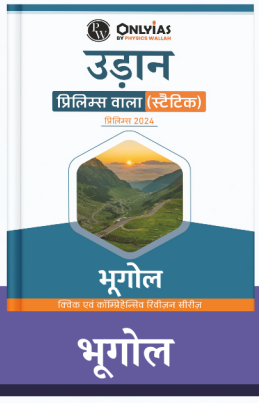

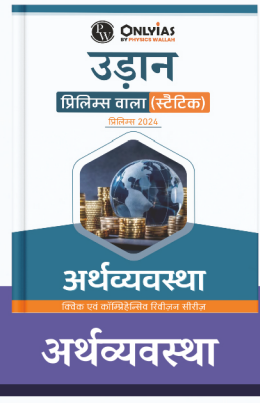

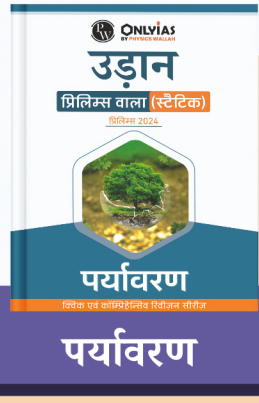

SCAN THE QR CODE TO GET FREE PDF

All Content Available in Hindi and English

Karol Bagh Centre: 4B, Pusa Road, New Delhi 110005

https://www.pdfnotes.co/

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH

उड़ान

प्रिलिम्स वाला (स्टैटिक)

प्रिलिम्स-2024

आधुनिक भारत

क्विक एवं कॉम्प्रिहेन्सिव रिवीज़न सीरीज़

https://www.pdfnotes.co/

भूमिका

प्रिय अभ्यर्थियों,

यह सर्वज्ञात है कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में प्रिलिम्स परीक्षा एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। यद्यपि अंतिम चयन में प्रिलिम्स के अंक नहीं जुड़ते परंतु प्रिलिम्स का दरवाजा पार किए बगैर आप मुख्य परीक्षा तक पहुँच भी नहीं सकते। ऐसा कहा जा सकता है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में अर्ह होने के लिए स्नातक की शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ प्रिलिम्स परीक्षा का पास करना भी आवश्यक है।

कहने के लिए तो यह परीक्षा आपकी आधारभूत समझ की परख करती है परंतु यह आधारभूत समझ बहुस्तरीय होती है। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप, उसकी गहनता तथा नियत समय सीमा में उसे हल करने की बाध्यता इसे और जटिल बनाती है। इस परीक्षा का कोई एक पैटर्न तय नहीं किया जा सकता है। अमूमन हर वर्ष आयोग अपने नवाचारी प्रयोगों से इसके स्वरूप को अद्यतित करता रहता है। फिर भी पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों का आकलन करने से विषय संबंधी एक सामान्य निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है। यह पुस्तक उन्हीं सामान्य निष्कर्षों का निचोड़ है।

पिछले 10-15 वर्षों के प्रिलिम्स परीक्षा के प्रश्नों का आकलन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सिविल सेवा के पाठ्यक्रम के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से प्रश्नों के पूछे जाने की बारंबारता अधिक है जबकि कुछ टॉपिक्स से बहुत कम या नहीं के बराबर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा आयोग कई बार सीधे पाठ्यक्रम के टॉपिक से प्रश्न न पूछकर उसके पीछे की गहरी अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछता है। ऐसे टॉपिक्स, जो अक्सर न्यूज में रहे हैं उनसे जुड़े स्टैटिक हिस्सों को आधार बनाकर भी प्रश्न पूछता है। ऐसे में आवश्यक होता है कि प्रिलिम्स से पहले हर विषय से संबंधित ऐसे टॉपिक्स की बुनियादी समझ तैयार की जा सके जिनसे प्रिलिम्स के प्रश्नों को हल करना आसान हो सके। इसके अतिरिक्त प्रिलिम्स परीक्षा से पहले सभी विषयों के महत्त्वपूर्ण टॉपिक्स का एक साथ रिवीजन भी आसान नहीं होता। 2 घंटे की परीक्षा में सामान्य अध्ययन तथा करेंट अफेयर्स से संबंधित सभी टॉपिक्स को एक साथ स्मृति में रखना जटिल तो है ही।

इन सभी जटिलताओं को देखते हुए हमने 'प्रिलिम्स वाला स्टैटिक' के नाम से एक सीरीज तैयार की है। इस सीरीज में प्रिलिम्स से संबंधित स्टैटिक विषयों पर अलग-अलग बुकलेट्स प्रकाशित की जा रही है। यह सीरीज प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम तथा पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के गहन विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। यह पूरी सीरीज योग्य तथा अनुभवी विशषज्ञों की टीम द्वारा किए गए गहन शोध का निचोड़ है। इससे जुड़े सभी सदस्यों को कई प्रिलिम्स तथा मुख्य परीक्षा पास करने का अनुभव है तथा उन्होंने इस परीक्षा को निजी तौर पर गहराई से समझा है। यह पुस्तक बहुत बोझिल न हो और इसमें सभी महत्त्वपूर्ण टॉपिक्स का समावेश भी हो सके, यह भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसमें शामिल एक एक टॉपिक का चयन उसकी महत्ता पर गहन चर्चाओं के बाद किया गया है। अब आपको पुस्तक सौंपते हुए हम आशा कर रहे हैं कि यह पुस्तक आपकी तैयारी को आसान करेगी।

उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी प्रिलिम्स परीक्षा की तैयारी में सहयोगी साबित होगी। आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

शुभकामनाएँ

पुस्तक की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- प्रिलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण टॉपिक्स का समावेश
- टॉपिक्स का बिंदुवार प्रस्तुतीकरण
- उपयोगी चित्र, ग्राफ, टेबल तथा माइंड मैप द्वारा विषयों की सरल स्वरूप में प्रस्तुति
- पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित टॉपिक्स का समावेश
- अत्यंत जरूरी की-वर्ड्स को विशेष रूप से दर्शाना

https://www.pdfnotes.co/

https://www.pdfnotes.co/

विषय सूची

1. भारत में यूरोपियों का आगमन 1

- डच निवासी 3
- अंग्रेजी 3
- डेन (डेनमार्क) 4
- ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत 5
- क्षेत्रीय राज्यों का उदय 6
- क्षेत्रीय राज्यों की प्रमुख विशेषताएँ 7
- भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण 7
- कंपनी के विरुद्ध मैसूर का प्रतिरोध 9
- सर्वोच्चता के लिए आंग्ल-मराठा संघर्ष 10
- सिंध की विजय 10
- पंजाब विजय 11
- प्रशासनिक नीति के माध्यम से ब्रिटिश सर्वोपरिता का विस्तार 12
- ब्रिटिश भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध 13
- नागरिक विद्रोह रिक विद्रोह 15

2. 1857 से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह 15

- अन्य नागरिक विद्रोह 16
- आदिवासी विद्रोह 17

3. 1857 का विद्रोह 21

- शुरुआत 21
- विद्रोह के कारण 21
- विद्रोह का प्रसार 21
- विद्रोह का विश्लेषण 22

4. सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन 24

- परिचय 24
- महिलाओं की स्थिति में सुधार 24
- जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष (व्यक्तित्व और संगठन) 26
- रामकृष्ण आंदोलन (रामकृष्ण परमहंस) 29
- मंदिर प्रवेश आंदोलन (1924, 1931, 1936, 1938) 31

5. भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरूआत 33

- आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रेरित करने वाले कारक 33
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले राजनीतिक संघ 33

6. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (स्थापना और नरमपंथी चरण) 35

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 35
- प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष 35
- नरमपंथी चरण (1885-1905) 35
- नरमपंथी नेताओं की प्रमुख माँगें 35

7. उग्र-राष्ट्रवाद का युग (1905-18) 37

- उग्र-राष्ट्रवाद के उदय के कारक 37
- स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन (1903-1905) 37
- आंदोलन का प्रसार और कांग्रेस की स्थिति 38
- उदारवादी बनाम उग्रवादी विचार 38
- सूरत विभाजन 39
- मॉर्ले-मिंटो सुधार (भारतीय परिषद अधिनियम 1909) 39
- भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय 40
- भारत और विदेशों के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ 40

8. प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया 43

- होम रूल आंदोलन 43

9. गांधीजी का उद्भव (उदय) 46

- दक्षिण अफ्रीका प्रकरण (1893-1914) 46
- भारत में गांधीजी का आगमन 46
- रौलेट एक्ट 47
- जलियांवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल, 1919) 47

10. खिलाफत और असहयोग आंदोलन 49

- पृष्ठभूमि 49
- खिलाफत कमेटी का गठन 49
- उग्रवाद की ओर बदलाव 49
- गांधीजी की भागीदारी 49
- कांग्रेस का रुख और मुस्लिम लीग का समर्थन 49
- ख़िलाफ़त और असहयोग आंदोलन 49
- सरकार की प्रतिक्रिया 50
- आंदोलन का अंतिम चरण 50
- घटना पर विविध विचार 50

11. स्वराज्यवादियों, समाजवादी विचारों और क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय 52

- स्वराज्यवादी और यथास्तितिवादी (नो-चेंजर्स) 52
- 1920 के दशक में भारत में नई शक्तियों का उदय 53
- विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ 53

12. साइमन आयोग और नेहरू रिपोर्ट 56

- साइमन आयोग 56

https://www.pdfnotes.co/

- नेहरु रिपोर्ट 57
- मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रियाएँ 57

13. सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन 59

- सविनय अवज्ञा आंदोलन 60
- गोलमेज सम्मेलन 62
- गांधीजी का हरिजन अभियान और जाति व्यवस्था पर विचार 64
- गांधी और अंबेडकर के बीच वैचारिक अंतर और समानताएँ 64

14. सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी 66

- पहले चरण की बहस 66
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 67
- कांग्रेस के भीतर दूसरे चरण की बहस 68

15. द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया 70

- संघर्ष की पद्धति पर कांग्रेस का संकटकाल 70
- अगस्त प्रस्ताव (अगस्त 1940) 72
- व्यक्तिगत सत्याग्रह 72
- क्रिप्स मिशन (मार्च 1942) 73

16. भारत छोड़ो आंदोलन, पाकिस्तान की माँग और आईएनए 75

- भारत छोड़ो आंदोलन 75
- संवैधानिक संकट को हल करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास 76
- सुभाष चंद्र बोस 77
- आजाद हिंद फौज (आईएनए) 77

17. युद्धोत्तर राष्ट्रीय परिदृश्य 79

- सरकार के रवैये में बदलाव 79
- चुनाव परिणाम 80
- कैबिनेट मिशन 80
- अंतरिम सरकार 81
- भारत में सांप्रदायिकता का उद्भव और प्रसार 82

18. विभाजन के साथ स्वतंत्रता 83

- एटली का वक्तव्य (फरवरी 20, 1947) 83
- कांग्रेस की स्वीकृति 83
- वायसराय के रूप में माउंटबेटन 83
- डोमिनियन स्टेटस एवं विभाजन योजना की स्वीकृति 84
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 84
- राज्यों का एकीकरण 84

19. भारत में ब्रिटिश शासन 85

- प्रशासन 85
- भारत में सिविल सेवाओं का विकास 88
- भारत में पूर्व-औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था 89
- 1857 से पहले की सैन्य संरचना 89
- पूर्व-औपनिवेशिक न्यायिक प्रणाली 90
- प्रशासनिक परिवर्तन की उत्पत्ति (1857 के बाद) 90
- भारतीय राज्यों का विकास 92

20. भारत में ब्रिटिश नीतियाँ 94

- वर्ष 1858 के बाद प्रशासनिक नीतियाँ 94
- श्रम का विधान 94
- ब्रिटिश नीतियों का कृषि प्रभाव 94
- वर्ष 1813 तक ब्रिटिश सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति 96

21. भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव 98

- औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादियों द्वारा आलोचना 98
- उपनिवेशवाद के चरण 99

22. भारतीय प्रेस की ऐतिहासिक यात्रा 101

- परिचय 101

23. औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास 104

24. औपनिवेशिक भारत में किसान संघर्ष (1857-1947 ई.) 108

- प्रारंभिक किसान आंदोलनों का सर्वेक्षण 108
- 20 वीं सदी के भारत में किसान आंदोलन 109
- भारतीय प्रांतों में किसान लामबंदी 110
- युद्ध के बाद का चरण 110

25. भारतीय श्रमिक वर्ग के आंदोलन का विकास 112

- परिचय 112
- स्वदेशी आंदोलन के दौरान उदय 112
- श्रमिक वर्ग आंदोलन का विकास 112

26. गवर्नर जनरल और वायसराय 114

- बंगाल के गवर्नर (1773 ई. से पूर्व) 114
- गवर्नर-जनरल 114
- वायसराय 115

27. महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन 118

https://www.pdfnotes.co/

1 भारत में यूरोपियों का आगमन

भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, लेकिन वे अंग्रेज ही थे जो विशाल भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करने में सफल रहे और औद्योगिक युग की अग्रणी शक्ति बनकर उभरे।

यूरोपीय लोग भारत क्यों आना चाहते थे?

- यूरोपीय और भारतीयों के बीच सीधा संपर्क पुनः स्थापित करना और वे अरब मुस्लिम मध्यस्थों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे।
- मसाले, चाय, रेशम और कीमती रत्नों जैसी भारतीय वस्तुओं तक आसान पहुँच, जिनकी दुनिया भर में उच्च माँग थी।
- पुनर्जागरण की भावना ने, जहाज निर्माण और नौवहन में प्रगति के साथ मिलकर, सभी यूरोपियों को समुद्र का पता लगाने और पूर्व तक पहुँचने के लिए उत्सुक बना दिया था।
- यूरोप में इस अवधि के दौरान, कई क्षेत्रों विशेषत: आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि देखी गई।
  - इस आर्थिक समृद्धि ने विलासिता की वस्तुओं, विशेष रूप से खाना पकाने और संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले मसालों की माँग को बढ़ा दिया।

पुर्तगाली भारत में सबसे पहले क्यों पहुँचे?

- पुर्तगाल ने इस्लाम के खिलाफ अपने प्रतिरोध में ईसाई जगत का नेतृत्वकर्ता था, इस प्रकार वे सभी भौगोलिक क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे।
- पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्हें **'नेविगेटर'** के नाम से भी जाना जाता है, को वर्ष 1454 में पोप निकोलस V द्वारा एक अधिकारपत्र दिया गया था, जिससे उन्हें भारत तक के पूर्वी तटों का अन्वेषण का अधिकार मिला था।
- वर्ष 1497 में, **टॉर्डेसिलस की संधि (1494)** के अनुसार, पुर्तगाल और स्पेन ने गैर-ईसाई दुनिया को केप वर्डे द्वीप समूह से 1,300 मील पश्चिम में अटलांटिक में एक काल्पनिक रेखा द्वारा विभाजित किया। पुर्तगाल को रेखा के पूर्व के क्षेत्रों पर दावा करने और कब्जा करने का अधिकार दिया गया था, जबकि स्पेन पश्चिम के क्षेत्रों के लिए ऐसा कर सकता था। इस विभाजन ने भारत के आसपास के जल क्षेत्र में पुर्तगाली उद्यमों के लिए मंच तैयार किया।
- वर्ष 1487 में, **बार्थोलोम्यो दियास** ने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और इसे भारत समझकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुँच गया। हालाँकि, मई 1498 में पुर्तगाली अंततः भारत पहुँचा।

भारत में महत्त्वपूर्ण पुर्तगालियों के आगमन का कालानुक्रम

- **वास्को डिगामा**
  - वह वर्ष 1501 में पुनः भारत आया और केन्नौर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया।
  - वर्ष 1498 में अब्दुल मजीद नाम के एक गुजराती नाविक के नेतृत्व में भारत पहुँचे और उसका जमोरिन (कालीकट के शासक) द्वारा दोस्ताना स्वागत किया गया, जिसके माध्यम से वह काली मिर्च के व्यापार से भारी मुनाफा हासिल करने में सक्षम हुआ।

वास्को डी गामा ने **तीन बार भारत का दौरा** किया– 1498, 1501 और 1524 में। उनके तीसरी बार आगमन के तीन महीने बाद ही 1524 में कोचीन में उनकी मृत्यु हो गई।

- **पेड्रो अल्वारेज कैबरेल**
  - उन्होंने मसालों के व्यापार के लिए यात्रा शुरू की और सितंबर 1500 में कालीकट में एक कारखाना स्थापित किया।
  - जब कालीकट में पुर्तगाली कारखाने पर हमला किया गया तो संघर्ष शुरू हों गया, जिससे पुर्तगाली हताहत हुए। जवाबी कार्रवाई में, **कैबरेल** ने अरब व्यापारी जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ, माल जब्त कर लिया गया और जहाजों को जला दिया गया। **कैबरेल** द्वारा कालीकट पर बमबारी की गई।
  - संघर्ष के बावजूद, **कैबरेल** ने बाद में कोचीन और कन्नानोर में स्थानीय शासकों के साथ अनुकूल संधियों पर सफलतापूर्वक बातचीत की।
- **फ्रांसिस्को डी अल्मेडा**
  - 1505 में पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का गवर्नर नियुक्त किया।
  - अल्मेडा का मिशन पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करना, मुस्लिम व्यापार को नष्ट करना और अदन, हार्मुज और मलक्का पर कब्जा करना था। उन्हें अंजादिवा, कोचीन, कन्नानोर और किलवा में किले बनाने की सलाह दी गई थी।
  - जमोरिन के विरोध और मिस्र के मामेलुके सुल्तान की धमकी का सामना करना पड़ा। वेनिस के व्यापारियों के समर्थन से मिस्रवासियों ने पुर्तगाली हस्तक्षेप का मुकाबला करने के लिए एक बेड़ा खड़ा किया। 1507 में, मिस्र और गुजरात की संयुक्त नौसेना द्वारा दीव के पास एक नौसैनिक युद्ध में एक पुर्तगाली स्क्वॉड्रन को हरा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अल्मेडा के बेटे की मृत्यु हो गई।
  - अल्मेडा ने 1508 में दोनों नौसेनाओं को कुचलकर अपनी हार का बदला लिया।
  - अल्मेडा का उद्देश्य **ब्लू वाटर पॉलिसी** (कार्टेज सिस्टम) को लागू करके पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था।
- **अल्फांसो डी अल्बुकर्क**
  - अल्मेडा भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में सफल हुए और उन्हें पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।

https://www.pdfnotes.co/

- हिंद महासागर पर पुर्तगाली नियंत्रण बनाए रखने के लिए हार्मुज, मालाबार, मलक्का के साथ-साथ लाल सागर में सफलतापूर्वक अड्डे स्थापित किए।
- उन्होंने अन्य जहाजों के लिए '**कार्टेज सिस्टम**' शुरू की।
- वर्ष 1510 में बीजापुर सुल्तान से **गोवा** का अधिग्रहण किया, जो सिकंदर महान के बाद यूरोपीय नियंत्रण में पहला भारतीय क्षेत्र बन गया।
- तंबाकू और काजू जैसी नई फसलें, या नारियल की बेहतर वृक्षारोपण किस्में लाई गई।
- ईसाई जगत के पुर्तगाली नेतृत्व के कारण मुसलमानों का घोर उत्पीड़न।
- अल्बुकर्क ने **सती प्रथा** को समाप्त कर दिया और पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय लोगों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। गोवा और उत्तरी प्रांत में पुर्तगाली निवासी जमींदार बन गए, जिससे नई फसलें और बुनियादी ढाँचा शुरू हुआ।

- **नीनो दा कुन्हा**
  - वह नवंबर 1529 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बने।
  - वर्ष 1530 में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया।
  - गुजरात के बहादुर शाह ने वर्ष 1534 में हुमायूँ के साथ अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों से मदद माँगी। उन्होंने बेसिन द्वीप को उसकी निर्भरता के साथ सौंप दिया और पुर्तगालियों को दीव में एक आधार बनाने का वादा किया।
  - वर्ष 1536 में जब हुमायूँ गुजरात से वापस चला गया तो संबंधों में विकृति आ गई। शहर के निवासियों के पुर्तगालियों से लड़ने के कारण संघर्ष उत्पन्न हुआ। बहादुर शाह का उद्देश्य विभाजन की दीवार खड़ी करना था, जिससे पुर्तगालियों के साथ बातचीत शुरू हो सके।
  - वर्ष 1537 में बातचीत के दौरान गुजरात के शासक को पुर्तगाली जहाज पर बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
  - दा कुन्हा का लक्ष्य बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाना था, पुर्तगाली नागरिकों को हुगली में अपना मुख्यालय बनाकर बसाना था।

पुर्तगालियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ

- गुजरात को छोड़कर, जिस पर महमूद बेगड़ा का शासन था, भारत के अन्य सभी हिस्से खंडित राज्यों के अधीन थे और उनके पास एक मजबूत नौसेना नहीं थी।
- अरब व्यापारियों में पुर्तगालियों जैसा संगठन एवं एकता नहीं थी।
- पुर्तगालियों के जहाजों पर भी तोपें थीं, जिससे उन्हें सैन्य बढ़त मिलती थी।

पुर्तगालियों के अधीन भारत का प्रशासन

पुर्तगाली नियंत्रण के अधीन प्रदेशों का भौगोलिक विस्तार

- उनके नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण क्षेत्र थे गोवा, मुंबई, दमन और दीव, साथ ही दक्षिण में व्यापारिक चौकियाँ और पूर्वी तट पर सैन्य चौकियाँ, जैसे चेन्नई में सैन थोम और तमिलनाडु में नागपट्टिनम।
- मैंगलोर, कालीकट, केन्नौर और कोचीन जैसे शहर पुर्तगालियों के लिए महत्त्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गए। 16वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में **हुगली** एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बस्ती बन गई।

प्रशासन की संरचना

- वायसराय प्रशासन का प्रमुख होता था और उसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता था। बाद के वर्षों में वायसराय को सचिव के साथ-साथ एक परिषद का भी समर्थन प्राप्त था।
- **वेदोर दा फजेंडा** दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी था जो राजस्व, कार्गो और बेड़े के प्रेषण के लिए जिम्मेदार था।
- '**कारकों**' **(factors)** की सहायता से कप्तानों का पुर्तगाल के अधीन किलों पर नियंत्रण था।

धार्मिक नीति

- अपने सभी क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रचार करना और मुसलमानों का विरोध करना चाहते थे।
- पुर्तगाली शुरू में हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे, लेकिन बाद में उन्होंने धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार किया।
- **पादरी रोडक्ल्फो एक्वाविवा** और **एंटोनियो मोनसेरेट** को वर्ष 1580 में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में भेजा गया और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया। हालाँकि, लगातार प्रयासों के बाद भी, अकबर को परिवर्तित करने की पुर्तगाली उम्मीदें कभी भी वास्तविकता नहीं बन पाईं।

मुगलों के साथ राजनीतिक संबंध

- अकबर और जहाँगीर ने पादरीयों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, जिससे शुरुआती वर्षों में अच्छे संबंध बने रहे।
- वर्ष 1608 में, ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉकिन्स जहाँगीर के दरबार में आया और उनका पक्ष लिया, जैसा कि उन्हें दिए गए व्यापारिक सुविधाएँ देखकर जाना जा सकता है।
- इसने पुर्तगालियों को हिंद महासागर में उनके नए प्रतिद्वंद्वी, अंग्रेजों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया।
- पुर्तगाली समुद्री डकैती के कृत्यों ने भी मुगल सरकार को परेशान कर दिया, जिससे संबंधों में तनावपूर्ण हो गए।
- शाहजहाँ के शासनकाल में, पुर्तगालियों ने वे सभी सुविधाएँ खो दीं जो उन्हें सम्राट अकबर के समय से मुगल दरबार में प्राप्त थीं।
- उन्होंने नमक के निर्माण पर एकाधिकार कर लिया, अपना एक कस्टम हाउस बनाया और तंबाकू पर शुल्क लगाने को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया।
- पुर्तगाली क्रूर व अमानवीय दास व्यापार में लगे हुए थे, हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद रहे थे या जब्त कर रहे थे और उन्हें ईसाई बना रहे थे। उन्होंने अपनी गतिविधियों के दौरान मुमताज महल की दो दासियों को पकड़ लिया।
- जवाब में, शाहजहाँ ने बंगाल के गवर्नर कासिम खान को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया।
  - 24 जून, 1632 को हुगली पर मुगलों की घेराबंदी शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप तीन महीने बाद हुगली पर कब्जा कर लिया गया।
  - पुर्तगाली भाग गए और मुगलों पक्ष के 1,000 लोग मारे गए, लेकिन 400 कैदियों को आगरा ले गए। कैदियों को इस्लाम अपनाने या गुलाम बनने का विकल्प दिया गया।

पुर्तगालियों के पतन के कारक

- मिस्र, फारस के साथ-साथ उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों के उदय ने प्रारंभिक वर्षों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो दी।
- बलपूर्वक धर्मांतरण जैसी धार्मिक नीतियों ने मुस्लिम और हिंदू दोनों शासकों को उनके खिलाफ कर दिया।
- समुद्री लुटेरों के रूप में पुर्तगालियों की बदनामी और हिंसा के अत्यधिक प्रयोग से स्थानीय शासकों में आक्रोश फैल गया।

https://www.pdfnotes.co/

- बाद में, पुर्तगाल ने अपनी उपनिवेशवादी गतिविधियों के लिए अपना ध्यान ब्राजील पर केंद्रित कर दिया, जिसके कारण भारतीय क्षेत्रों की उपेक्षा हुई। अब पहले गोवा की तुलना में ब्राजील पुर्तगाल के विदेशी साम्राज्य का आर्थिक केंद्र बन गया।
- स्पेन और पुर्तगाल के संघ ने इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ स्पेन के युद्धों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिससे भारत पर पुर्तगाली एकाधिकार का नुकसान अपरिहार्य हो गया।
- अन्य औपनिवेशिक शक्तियों, जैसे डच और अंग्रेजों को अब भारत के समुद्री मार्ग का ज्ञान था, जिससे पुर्तगाल की पहले की बढ़त कम हो गई।

पुर्तगालियों का महत्त्व

- पुर्तगाल के उत्थान ने क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ प्रभुत्व के यूरोपीय युग की शुरुआत की, जो पहले से ही अपनी पकड़ बनाए हुए थे।
- पुर्तगाली भारत आने वाले पहले विदेशी नौसैनिक शक्ति थे। उनके जहाजों पर तोपें थीं, जिससे उन्हें हिंसा के उपकरणों का उपयोग करके व्यापार पर एकाधिकार करने में मदद मिली।
- उन्होंने अपने जहाजों से बॉडी कवच, मैचलॉक मैन और बंदूकों के उपयोग के माध्यम से सैन्य नवाचार का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी पैदल सेना को संगठित करने के लिए स्पेनिश मॉडल का भी उपयोग किया, जिसे बाद में फ्रांसीसी, अंग्रेजी और मराठों ने भी इसी तरह की रणनीतियों का उपयोग करके अपनाया।
- बेहतर जहाज निर्माण तकनीकों ने उन्हें हर मौसम में समुद्र में यात्रा करने में मदद की।
- पुर्तगालियों ने शाही शस्त्रागार, डॉकयार्ड बनाए और पायलटों के लिए एक नियमित प्रणाली बनाई जिससे हिंद महासागर में उनकी नौसेना का इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित हुआ।

डच निवासी

डचों का आगमन और प्रसार

- कॉर्नेलिस डी हाउटमैन वर्ष 1596 में सुमात्रा और बंताम तक पहुँचने वाले पहले डचमैन थे।
- नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन वर्ष 1602 में किया गया था, जिसके पास व्यापार करने, क्षेत्र पर कब्जा करने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर युद्ध में शामिल होने की शक्ति थी।
- डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम (आंध्र में) में स्थापित किया। उन्होंने पुर्तगालियों से मद्रास (चेन्नई) के पास नागपट्टम पर कब्जा कर लिया और इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया।
- अन्य महत्त्वपूर्ण डच कारखाने सूरत (1616), बिमिलीपट्टम (1641), कराईकल (1645), चिनसुरा (1653), बारानगर, कासिम बाजार (मुर्शिदाबाद के पास), बालासोर, पटना, नागपट्टम (1658) और कोचीन (1663) में थे।
- वे यमुना घाटी और मध्य भारत में निर्मित नील, बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से कपड़ा और रेशम, बिहार से शोरा और गंगा घाटी से अफीम और चावल ले जाते थे।
- **काली मिर्च और मसालों** के व्यापार पर डचों का एकाधिकार था। वे रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम में भी रुचि रखते थे।

डचों का पतन

- डचों की रुचि साम्राज्य-निर्माण में नहीं थी, वे व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे।
- एंग्लो-डच प्रतिद्वंद्विता, जैसा कि अंबोयना नरसंहार (1623, इंडोनेशिया) जैसी घटनाओं में देखा गया, बाद में अपने भारतीय क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई।
- वर्ष 1667 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जिसके द्वारा ब्रिटिश इंडोनेशिया पर अपने सभी दावे वापस लेने पर सहमत हो गए, और डच **इंडोनेशिया** में अपने अधिक लाभदायक व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत से प्रस्थान कर गए।
- **तीसरे एंग्लो-डच युद्ध** में, डच सेना ने बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजी जहाजों पर कब्जा कर लिया। 7 साल के युद्ध के दौरान अंततः अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की और 1759 में हुगली की लड़ाई जीत ली।
- **हुगली की लड़ाई (1759),** जिसे **बिदारा की लड़ाई** और **चिनसुराह की लड़ाई** के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत में डच महत्त्वाकांक्षाओं को खत्म कर दिया और अंग्रेजों के उत्थान का कारण बना।
- वर्ष 1580 में फ्रांसिस ड्रेक की दुनिया भर की यात्रा और 1588 में स्पेनिश आर्मडा पर अंग्रेजों की जीत ने अंग्रेजों में उद्यम की एक नई भावना पैदा की।

अंग्रेजी

- **महारानी एलिजाबेथ प्रथम** ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडीज में विशेष व्यापार अधिकारों के साथ 'गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज' नामक कंपनी के लिए एक चार्टर जारी किया, जिसे बाद में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया।
- **कैप्टन हॉकिन्स** वर्ष 1609 में एक फैक्ट्री स्थापित करने और व्यापार रियायतें हासिल करने के उद्देश्य से **जहाँगीर** के दरबार में आया।
- वर्ष 1611 में, अंग्रेजों ने मसुलीपट्टनम में व्यापार शुरू किया और वर्ष 1616 में वहाँ एक कारखाना स्थापित किया। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने वर्ष 1612 में सूरत के तट पर पुर्तगालियों को हरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप जहाँगीर ने वर्ष 1613 में अंग्रेजों को **सूरत** में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी।
- **सर थॉमस रो**, जेम्स प्रथम के एक मान्यता प्राप्त राजदूत, 1615 में आया और फरवरी 1619 तक रहा। हालाँकि जहाँगीर के साथ एक वाणिज्यिक संधि संपन्न करने में असफल रहे, थॉमस रो ने आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति सहित कई विशेषाधिकार प्राप्त की।

ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन प्रमुख क्षेत्र

- अंग्रेजों को गोलकुंडा में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार देने के लिए वर्ष 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा **'गोल्डन फरमान'** जारी किया गया था।
- **बॉम्बे को राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज उपहार** के रूप में दिया गया था, जिन्होंने बाद में इसे वर्ष 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बाद में, बॉम्बे पश्चिमी प्रेसीडेंसी का मुख्यालय बन गया।
- वर्ष 1639 में, चंद्रगिरि के शासक (विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि) ने मद्रास में एक गढ़वाली फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी, जो बाद में **फोर्ट सेंट जॉर्ज** बन गई और मसूलीपट्टनम को दक्षिण भारत में अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में बदल दिया गया। **[यूपीएससी 2022]**

https://www.pdfnotes.co/

- अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को पूर्व की ओर बढ़ाया और वर्ष 1633 में महानदी डेल्टा के हरिहरपुर और बालासोर (ओडिशा में) में कारखाने स्थापित किए।
- बंगाल में, शाह शुजा ने वार्षिक भुगतान के बदले में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी। बाद में, हुगली (1651), कासिम बाजार, पटना में कारखाने स्थापित किए गए।
  - विलियम हेजेज ने एक किलेबंद बस्ती बनाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा।
  - जॉब चार्नोक समझौता में सफल रहा और उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत 1691 में सुतानुति में एक अंग्रेजी कारखाने की अनुमति दी गई।
  - वर्ष 1698 में, अंग्रेज तीन गाँवों सुतानुति, गोबिंदपुर और कालिकाता (कालीघाट) की जमींदारी उनके मालिकों से खरीदने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे।
  - वर्ष 1700 में इस किलेबंद बस्ती का नाम **फोर्ट विलियम** रखा गया जब यह पूर्वी प्रेसीडेंसी पद (कलकत्ता) की सीट भी बनी और **सर चार्ल्स आयर** इसके पहले अध्यक्ष बने।
- **फर्रुखसियर का फरमान (1715):** 1715 में, जॉन सरमैन ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से तीन फरमान हासिल किए, जिससे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में विशेषाधिकार प्राप्त हुए। फरमानों को कंपनी का **मैग्ना कार्टा** माना जाता था।
  - इनमें बंगाल में अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट, दस्तक जारी करने की अनुमति, कलकत्ता के आसपास अधिक भूमि किराए पर लेना और हैदराबाद में व्यापार में शुल्क से मुक्ति शामिल थी।
  - सूरत में, कंपनी को 10,000 रुपये के वार्षिक भुगतान पर सभी कार्यों से छूट दी गई थी। बंबई में ढाले गए कंपनी के सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में पहचाने जाते थे।

डेन (डेनमार्क)

- डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1616 में हुई थी, और उन्होंने वर्ष 1620 में तंजौर के पास त्रावनकोर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया।
- कलकत्ता के पास सेरामपुर उस समय की सबसे महत्त्वपूर्ण डेनिश बस्ती थी।
- डेनिश वाणिज्यिक या राजनीतिक हितों के बजाय मिशनरी गतिविधियों में अधिक रुचि रखते थे।

फ्रांसीसी

व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय फ्रांसीसी थे।

- कॉम्पैग्नी डेस इंडेस ओरिएंटेल्स (फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी) की स्थापना वर्ष 1664 में **लुई XIV के शासनकाल** के दौरान मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई थी। कंपनी को हिंद और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार और साथ ही अन्य रियायतें भी मिलीं।
- भारत में **पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री वर्ष 1667 में सूरत** में फ्रांसिस केरान द्वारा स्थापित की गई थी। कैरन के साथ आए एक फ्रांसीसी व्यक्ति मर्करा ने गोलकुंडा के सुल्तान से पेटेंट प्राप्त करने के बाद वर्ष 1669 में मसूलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की।
- वर्ष 1673 में, फ्रांसीसियों ने बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की।
- फ्रांसिस मार्टिन को वर्ष 1674 में **शेर खान लोदी** द्वारा बीजापुर द्वारा पांडिचेरी का स्थान प्रदान किया गया था। बाद में, **पांडिचेरी** भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र बन गया।
- अन्य महत्त्वपूर्ण फ्रांसीसी व्यापार केंद्र माहे, कराईकल, बालासोर थे जिन्होंने भारत में उनके विस्तार में मदद की।
- वर्ष 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया लेकिन बाद में रेज**विक की संधि** के तहत इसे फ्रांसीसियों को वापस दे दिया गया।
- बाद में, 1720 और 1742 के बीच गवर्नर लेनोर और डुमास के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी को पुनर्गठित किया गया।

कर्नाटक युद्ध: सर्वोच्चता के लिए आंग्ल-फ्रांसीसी संघर्ष

प्रथम कर्नाटक युद्ध (1740-48)

- कर्नाटक यूरोपीय लोगों द्वारा कोरोमंडल तट और उसके भीतरी इलाकों को दिया गया नाम था। यह **ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण** यूरोप में हुए एंग्लो-फ्रेंच युद्ध का विस्तार था।
- वर्ष 1748 में **ऐक्स-ला शापेल की संधि** पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ, जिसने ऑस्ट्रियाई युद्ध को समाप्त कर दिया और मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया।
- प्रथम कर्नाटक युद्ध को **सेंट थॉम की लड़ाई** द्वारा चिह्नित किया गया था, जहाँ कैप्टन पैराडाइज के तहत एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और महफूज खान की सेना को हराया था। इस जीत ने दक्कन में एंग्लो-फ्रांसीसी संघर्ष में एक अनुशासित सेना की प्रभावशीलता और नौसैनिक बल के महत्त्व को उजागर किया।

द्वितीय कर्नाटक युद्ध (1749-54)

- प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफल फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने दक्षिण भारत में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया।
- यह युद्ध निजाम-उल-मुल्क (हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक) की मृत्यु के बाद **उत्तराधिकार संघर्ष** के कारण हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी ने क्रमशः दक्कन और कर्नाटक में मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के दावों का समर्थन किया था, जबकि अंग्रेज नासिर जंग और अनवरुद्दीन के पक्ष में थे।
- **अंबूर की लड़ाई (1749):** वर्ष 1749 में, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों ने अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को हराया। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया और डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण में मुगल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया।
- एक अंग्रेजी कंपनी एजेंट **रॉबर्ट क्लाइव** ने त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए 1751 में अर्कोट पर कब्जा कर लिया। 53 दिनों की घेराबंदी के बावजूद, चंदा साहब अर्कोट पर दोबारा कब्जा करने में विफल रहे। वर्ष 1752 में मुहम्मद अली ने चंदा साहब को फाँसी दे दी। वित्तीय घाटे के कारण 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गेडह्यू उसका उत्तराधिकारी बना। अंग्रेज और फ्रांसीसी देशी विवादों में हस्तक्षेप न करने पर सहमत हुए और अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को बरकरार रखा।

https://www.pdfnotes.co/

तृतीय कर्नाटक युद्ध

- यूरोप में **सप्त वर्षीय युद्ध** के परिणामस्वरूप शुरू हुआ जिसका भारत में आंग्ल-फ्रांस प्रतिद्वंद्विता पर प्रभाव पड़ा।
- **वांडीवाश की लड़ाई (1760):** तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवाश में अंग्रेजों ने जीती थी। अंग्रेजों के जनरल आयर कूट ने **काउंट थॉमस आर्थर डी लाली** के अधीन फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया और **बुस्सी** को बंदी बना लिया। इस लड़ाई के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरे।
- **पेरिस शांति संधि (1763)** ने फ्रांसीसियों को उनके कारखाने लौटा दिए, लेकिन युद्ध के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया।

डुप्ले

- वर्ष 1741 में भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों के महानिदेशक के रूप में कार्यभार सँभाला। उसने पहले पांडिचेरी का भी कार्यभार सँभाला था जहाँ वे निजी व्यापार के कारण अमीर बन गया।
- एक सक्षम प्रशासक के रूप में जाने जाने वाले, उन्होंने पांडिचेरी के चारों ओर किलेबंदी की मुगल सम्राट और दक्कन के सूबेदार **मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को 'नवाब' की उपाधि** प्रदान की।
- कर्नाटक युद्धों के दौरान, वह अपनी रणनीतिक कौशल के कारण जाने गए और नवाब के संरक्षण में फ्रांसीसी हितों की रक्षा की।
- भारतीय सम्राटों के **आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय** डुप्ले था। उनके उम्मीदवारों, हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहब के जीतने के बाद, उन्होंने डुप्ले को महत्त्वपूर्ण रियायतें दीं।
- डुप्ले भारत में **सहायक संधि की प्रथा का प्रवर्तक** भी था क्योंकि उसने हैदराबाद में एक फ्रांसीसी सेना रखी थी।
- द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की शुरुआती हार के कारण वर्ष 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। इसे एक ऐतिहासिक भूल के रूप में देखा जाता है जिसके कारण अंततः अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हुआ।

डुप्ले की कमजोरियाँ

- वह पर्याप्त तेजी से कार्य अक्षम था, करने के बजाय सोचने और उनके घटित होने की आशा करने में बहुत समय लगा देता था।
- डुप्ले के निरंकुश व्यवहार के कारण फ्रांसीसियों में झगड़े होने लगे थे।
- उनके पास कोई सैन्य अनुभव नहीं था और न ही उसने लड़ाई लड़ी थी, इस प्रकार उनके विचार जमीनी हकीकत से बहुत दूर थे।

फ्रांसीसी अंग्रेजों से क्यों हार गए?

- अंग्रेजी कंपनी कम सरकारी नियंत्रण वाला एक निजी उद्यम था, जबकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी जिससे बिलम्बता और सरकारी नीतियों के कारण बाधित थी।
- अंग्रेजी नौसेना की श्रेष्ठता ने उन्हें फ्रांस और भारत में उसकी संपत्ति के बीच समुद्री संपर्क को कम करने में मदद की।
- अंग्रेजों ने विस्तार के दौरान कभी भी अपने व्यावसायिक हितों की उपेक्षा नहीं की, इस प्रकार उनके पास युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक धन की कमी नहीं होती थी। दूसरी ओर, क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षा के अधीन अपने व्यावसायिक हितों के अधीन होने के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी।
- ब्रिटिशों के पास हमेशा सर आयर कूट और रॉबर्ट क्लाइव जैसे बेहतर सैन्य कमांडर थे, जबकि फ्रांसीसियों के पास केवल एक अच्छे सैन्य रणनीतिकार के रूप में डुप्ले था।

अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेजी की सफलता के पीछे के कारण

- इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी जो निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित थी, उनके प्रतिस्पर्धियों के विपरीत, जो राज्य के स्वामित्व वाली और सामंतवादी थीं।
- अंग्रेजों की **नौसेना श्रेष्ठता** ने उन्हें पुर्तगालियों को हराने के साथ-साथ हिंद महासागर में अन्य प्रतिस्पर्धियों के विस्तार को सीमित करने में मदद की।
- इंग्लैंड में **औद्योगिक क्रांति** ने भाप इंजन और पावरलूम जैसी मशीनों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि की और इंग्लैंड को अपना प्रभुत्व बनाए रखने में मदद की।
- ब्रिटिश सैनिकों अच्छी तरह से **प्रशिक्षित** थे और कुशल नेतृत्व में सेवा दी गई थी, जिससे अंग्रेजों को युद्ध में बड़ी सेनाओं को हराने में मदद मिली।
- ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता ने उसके व्यापार को समर्थन दिया, जबकि फ्रांस जैसे अन्य देश क्रांतियों और हिंसा में फँस गए थे।
- स्पेन, पुर्तगाल या डच की तुलना में, ब्रिटेन धर्म को लेकर कम उत्साही था और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कम प्रेरित था। इस वजह से, इसके शासन के विषयों ने इसे अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक स्वीकार किया।
- **बैंक ऑफ इंग्लैंड**, जो दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक था, ने अंग्रेजों को धन प्राप्त करने के लिए ऋण बाजार का उपयोग करने में मदद की। इस प्रकार, कंपनी के पास अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए धन उपलब्ध रहता था। इसकी तुलना में, आर्थिक रूप से ब्रिटेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश में फ्रांसीसी अंततः दिवालिया हो गए।

ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत

अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शक्तिशाली मुगलों का पतन शुरू हो गया–

- औरंगजेब (1658-1707) के शासनकाल ने भारत में मुगल सत्ता के अंत की शुरुआत हो गई थी।
- बाद में, मुहम्मद शाह के शासन के दौरान, हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब के स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई।
- मराठों ने शाही सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया क्योंकि कई क्षेत्रीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया।

मुगलों के सामने चुनौतियाँ

बाहरी चुनौतियाँ

- **नादिर शाह का आक्रमण (1738-39):** करनाल की लड़ाई (1739) में मुगल सेना को हराया और मुहम्मद शाह (मुगल शासक) को बंदी बना लिया।
  - मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और कई मूल्यवान वस्तुएँ मुगलों से छीन ली गईं।
  - नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु के पश्चिम में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण मुगल क्षेत्र हासिल कर लिया। इस प्रकार, भारत एक बार फिर उत्तर-पश्चिम से होने वाले हमलों के प्रति असुरक्षित हो गया।

https://www.pdfnotes.co/

- **अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण**
  - वर्ष 1757 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट की निगरानी के लिए एक अफगान कार्यवाहक को शासन सौंप दिया।
  - अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट और नजीब-उद-दौला (रोहिला प्रमुख) को मीर बख्शी के रूप में मान्यता दी, जिसे अब्दाली के एजेंट के रूप में कार्य करना था।
  - **पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1761** में अब्दाली भारत वापस आया और उन मराठों को हराया जिन्होंने रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था।

औरंगजेब के बाद कमजोर शासक

- **बहादुर शाह प्रथम (1707-1712):** इसे 'शाह-ए-बेखबर' के नाम से भी जाना जाता है।
  - उन्होंने मराठों, राजपूतों और जाटों के साथ शांति नीति अपनाई।
  - बाद में सिख नेता बंदा बहादुर विद्रोह करने लगा।
- **जहाँदार शाह (1712-13)**
  - जुल्फिकार खान की मदद से सम्राट बने, जिन्हें बाद में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
  - उन्होंने साम्राज्य के वित्त को मजबूत करने के लिए **इजारा प्रणाली** की स्थापना की। जहाँदार शाह ने **जजिया कर** समाप्त कर दिया।
- **फर्रुखसियर (1713-1718)**
  - वह सैय्यद ब्रदर्स (अब्दुल्ला खान और हुसैन अली) की मदद से जहाँदार शाह की हत्या के परिणामस्वरूप सत्ता में आया, जो बाद में उनके दरबार में वजीर और मीर बख्शी बन गए।
  - इसने **धार्मिक सहिष्णुता की नीति** का पालन किया जैसा कि जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त करने जैसे कदमों में देखा गया।
  - वर्ष 1717 का फरमान देकर अनजाने में अंग्रेजों को आगे बढ़ने में सहायता की। बाद में वर्ष 1719 में, सैय्यद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया। इस प्रकार फर्रुखसियर अपने **सरदारों द्वारा मारा जाने वाला पहला मुगल सम्राट** बन गया।
- **रफी-उद-दराजत (1719):** सभी मुगल शासकों में उसका शासनकाल सबसे छोटा था।
- **रफी-उद-दौला (1719):** 'शाहजहाँ द्वितीय' की उपाधि धारण की। उन्हें सैय्यद बंधुओं द्वारा सिंहासन पर बिठाया गया था, जिन्होंने सत्ता केंद्रित कर ली थी।
- **मुहम्मद शाह रंगीला (1719-48)**
  - उन्होंने निजाम-उल-मुल्क की मदद लेकर सैय्यद भाइयों को मार डाला, जिन्होंने बाद में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।
  - उन्हे करनाल की लड़ाई (1739) में नादिर शाह से हार का सामना करना पड़ा और बाद में उन्हें कैद कर लिया गया।
- **अहमद शाह बहादुर (1748-1754)**
  - उन्हें एक अक्षम शासक के रूप में देखा गया जिसने राज्य मामलों को 'रानी माँ' उधम बाई के हाथों में छोड़ दिया। बाद में उधम बाई को 'किबला-ए-आलम' की उपाधि दी गई।
- **आलमगीर द्वितीय (1754-1759)**
  - वह सम्राट जहाँदार शाह का पुत्र था। ईरानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली जनवरी 1757 में दिल्ली पहुँचा।
  - उसके शासनकाल के दौरान, जून 1757 में **प्लासी की लड़ाई** लड़ी गई। आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई।
- **शाह आलम द्वितीय (1760-1806)**
  - उनके शासनकाल में दो निर्णायक लड़ाइयाँ हुईं; अर्थात् **पानीपत की तीसरी लड़ाई (1761)** और **बक्सर की लड़ाई (1764)** बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि (1765) पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें निम्नलिखित शर्तें लगाई गईं–
  - उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की **दीवानी का अधिकार** देने का एक फरमान जारी किया और उन्हें अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, और उन्हें अंग्रेजों द्वारा पेंशन दी गई।
- **अकबर शाह द्वितीय (1806-1837)**
  - उन्होंने राजा राम मोहन राय को **'राजा'** की उपाधि दी।
  - वर्ष 1835 में, उनके शासनकाल के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को मुगल सम्राट की अधीनता के रूप में संदर्भित करना बंद कर दिया और सम्राट के नाम वाले सिक्कों का उत्पादन बंद कर दिया।
- **बहादुर शाह द्वितीय (1837-1857):** अंतिम मुगल सम्राट।
  - 1857 के विद्रोह के दौरान उन्हें **'भारत का सम्राट'** घोषित किया गया था।
  - बाद में उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और रंगून भेज दिया।

क्षेत्रीय राज्यों का उदय

हैदराबाद

- इसकी स्थापना **किलिच खान** ने की थी, जो **निजाम-उल-मुल्क** के नाम से मशहूर थे। उन्होंने पहले मुगल साम्राज्य के तहत वजीर के रूप में कार्य किया, लेकिन बाद में उनका मोहभंग हो गया।
- **शक्र-खेड़ा की लड़ाई (1724):** किलिच खान ने दक्कन के मुगल वायसराय को हराया और नियंत्रण ग्रहण किया। वह वायसराय बन जाता है और खुद को **'आसफ-जाह'** की उपाधि प्रदान करता है।

अवध

- **सादत खान** द्वारा स्थापित, जिसे **बुरहान-उल-मुल्क** के नाम से जाना जाता था। **सादत** खान ने नादिर शाह के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली, जो उससे भारी लूट की माँग कर रहा था। उनके बाद **सफदर जंग** अवध के नवाब बने।

बंगाल

- **मुर्शिद कुली खान** द्वारा स्थापित, जो बाद में उनके बेटे शुजाउद्दीन को हस्तांतरित हुआ।
- बाद में **अलीवर्दी खान** ने सत्ता सँभाली और वार्षिक कर देकर राज्य को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिया।

मैसूर

- शुरुआत में मैसूर पर **वाडयार राजाओं** का शासन था, **हैदर अली** ने सत्ता सँभाली और अंग्रेजों के साथ लगातार युद्ध में शामिल रहे।

https://www.pdfnotes.co/

केरल

- **मार्तंड वर्मा** के अधीन केरल एक संप्रभु राज्य बन गया, जिसकी **राजधानी त्रावणकोर** थी।
- उन्होंने अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए और अपनी सेना को पश्चिमी सिद्धांतों के अनुसार संगठित करने का प्रयास किया।

जाठ

- वर्ष 1669 में, **गोकुला** ने मथुरा में मुगलों के खिलाफ पहले बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। हालाँकि, यह सफल नहीं हुआ।
- बाद में **चूड़ामन और बदन सिंह** ने सफलतापूर्वक भरतपुर राज्य की स्थापना की।
- सबसे उल्लेखनीय जाट नेता **सूरजमल** थे, जिन्होंने आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ को शामिल करने के लिए क्षेत्रों का विस्तार किया। सूरजमल के बाद जाट राज्य छोटी-छोटी रियासतों में विभाजित हो गया।

सिख

- **औरंगजेब का शासनकाल**
  - नौवें सिख गुरु, **गुरु तेग बहादुर** को वर्ष 1675 में औरंगजेब द्वारा हिरासत में लिया गया और मौत की सजा दी गई क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
  - गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी **गुरु गोबिंद सिंह** ने औरंगजेब का खुलकर विरोध किया। अपने अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सिखों को एक हिंसक समूह में बदल दिया। बाद में, 1708 में, बंदा बहादुर सिखों के नेता बने, लेकिन वह युद्ध में मारे गए।
- बाद में, **रणजीत सिंह ने पंजाब क्षेत्र में 12 मिस्लों (संघों)** को मिलाकर एक मजबूत सिख साम्राज्य की स्थापना की।
  - वह **सुकर चकिया मिस्ल** नेता महान सिंह के पुत्र थे।
  - सतलुज से झेलम तक फैले क्षेत्र को रणजीत सिंह ने अपने नियंत्रण में ले लिया। बाद में उन्होंने 1802 में अमृतसर और 1799 में लाहौर पर कब्जा कर लिया।
  - रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर करके सिस-सतलज क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार को मान्यता दी।
  - हालाँकि, जैसे ही उनका शासनकाल समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने उन्हें 1838 में शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ **त्रिपक्षीय संधि** पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को पंजाब से गुजरने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की।

मराठा

- पेशवाओं के नेतृत्व में, वे मुगल शासन के सबसे प्रबल विरोधियों के रूप में उभरे। उन्होंने मुगल प्रभुत्व के मुख्य उत्तराधिकारी होने के अधिकार का दावा किया।
- हालाँकि, वे **पानीपत की तीसरी लड़ाई** में अहमद शाह अब्दाली से हार गए और उनके शासन के तहत कभी भी समान भौगोलिक विस्तार प्राप्त नहीं कर सके।

रोहिलखंड और फर्रूखाबाद

- नादिर शाह के आक्रमण के बाद मुगलों के कमजोर होने के बाद रोहिलखंड साम्राज्य की स्थापना **अली मुहम्मद खान** ने की थी।
- फर्रूखाबाद साम्राज्य की स्थापना दिल्ली के पूर्व के क्षेत्र में एक अफगान मोहम्मद खान बंगश ने की थी।

क्षेत्रीय राज्यों की प्रमुख विशेषताएँ

- अधिकांश ने मुगल साम्राज्य की आधिपत्य को नाम मात्र के लिए स्वीकार किया और कुछ ने इसे नकारना जारी रखा।
- इन राज्यों में क्षेत्रीय राजनीति का उदय हुआ जिसमें प्रांतीय शासकों को स्थिरता बनाए रखने के लिए स्थानीय हितों में रुचि लेनी पड़ी।
- सुदृढ़ वित्तीय, प्रशासनिक और सैन्य संगठन पर आधारित प्रणाली विकसित करने में विफलता ने उनके विकास को सीमित कर दिया।
- पड़ोसी क्षेत्रीय शक्तियों के बीच लगातार युद्ध ने इन सभी राज्यों को इस हद तक कमजोर कर दिया कि मुगलों के बाद अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी शक्ति शून्य को भरने में सक्षम नहीं था।
- कृषि आय में आई गिरावट तथा जागीर चाहने वाले मनसबदारों की संख्या में वृद्धि के कारण **जागीरदारी संकट** गहरा गया।

कला, वास्तुकला और संस्कृति का विकास

- **बड़ा इमामबाड़ा** लखनऊ में असफ-उद-दौला द्वारा बनवाया गया था।
- सवाई जय सिंह ने **गुलाबी शहर (Pink City)** जयपुर का निर्माण करवाया। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में पाँच खगोलीय वेधशालाएँ भी बनवाईं। अंत में, उन्होंने जीज मुहम्मद-शाही तैयार की जो लोगों को खगोल विज्ञान का अध्ययन करने में मदद करने के लिए समय सारिणी का एक सेट था।
- केरल में **पद्मनाभपुरम महल** का निर्माण कराया गया।

भाषा एवं साहित्य

- 18वीं सदी में उर्दू भाषा और शायरी का विकास हुआ। मीर, सौदा, नजीर और **मिर्जा गालिब** जैसे प्रसिद्ध उर्दू कवियों ने उर्दू को मुख्यधारा में लाने में मदद की।
- त्रावणकोर के शासकों ने कुंचन नांबियार जैसे कवियों की मदद करके **मलयालम साहित्य** का समर्थन किया।
- तमिल भाषा में **सित्तार कविता** का विकास भी तयुमनावर (1706-44) जैसे कवियों द्वारा हुआ।
- **वारिस शाह** ने पंजाबी साहित्य में रोमांटिक महाकाव्य **हीर रांझा** लिखा।
- सिंधी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक **रिसालो** है, जो उसी समय **शाह अब्दुल लतीफ** द्वारा लिखी गई थी।

भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण

भारत में ब्रिटिश सफलता के कारण

- अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, सैन्य कमांडर और साथ ही रणनीति थी जो उन्हें हमेशा भारतीय शासकों की तुलना में बेहतर स्थिति में थी।
- वेतन भुगतान की एक नियमित प्रणाली ने सैनिकों को प्रेरित और वफादार बने रहने में मदद की।
- भारतीय शासकों की तुलना में अंग्रेजों के पास एक पेशेवर सेना थी और वे कभी-कभी भाड़े के सैनिकों को भी रखते थे।
- योग्यता को महत्त्व दिया जाता था क्योंकि कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों को उनकी विश्वसनीयता और कौशल के आधार पर प्रभार दिया जाता था, न कि जाति या कबीले की वफादारी के आधार पर।

https://www.pdfnotes.co/

- भारतीय पक्ष में हैदर अली, टीपू सुल्तान और किलिच खान जैसे प्रभावपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे लेकिन उनका समर्थन करने के लिए दूसरी पंक्ति का कोई नेतृत्व नहीं था।
- हमेशा कंपनी द्वारा आर्थिक लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जिससे युद्धों का वित्तपोषण कर सके और साथ ही अपने शेयरधारकों को भी खुश रख सके, जबकि मराठों जैसे प्रतिस्पर्धियों को कराधान के माध्यम से राजस्व अर्जित करने के लिए अपने सैन्य अभियान बंद करने पड़े।
- 'कमजोर और विभाजित भारतीयों' में एकीकृत राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, उन्होंने आर्थिक रूप से समृद्ध ब्रिटिश लोगों का सामना किया जो भौतिक उन्नति में विश्वास करते थे और अपने राष्ट्रीय गौरव पर गर्व करते थे।

बंगाल पर ब्रिटिश विजय

- **ब्रिटिश-पूर्व बंगाल की स्थिति:** बंगाल एक समृद्ध प्रांत था जो यूरोप को शोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, कपास, कपड़ा और हस्तशिल्प निर्यात करता था।

बंगाल में शासकों का कालक्रम

- **मुर्शिद कुली खान** ने 1700 से 1727 तक बंगाल के दीवान के रूप में शासन किया। उनके बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन ने 1739 तक शासन किया और इसके बाद सरफराज खान ने एक वर्ष तक शासन किया।
- **अलीवर्दी खान** ने सरफराज खान को मार डाला और 1756 तक शासन किया। उसने मुगल सम्राट को भेंट देना भी बंद कर दिया।
- अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी उसका पोता **सिराजुद्दौला** था।

प्लासी का युद्ध (1757)

युद्ध का प्रारंभ

- सिराजुद्दौला के दरबार में आंतरिक प्रतिद्वंद्विता प्रचलित थी, मीर जाफर, जगत सेठ और अन्य लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे।
- अंग्रेजों द्वारा व्यापार विशेषाधिकारों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग ने नवाब के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अंग्रेज इस बात से चिंतित थे कि सिराज बंगाल में उनके हितों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के साथ मिलीभगत कर रहा है।
- **'ब्लैक-होल त्रासदी'** ने ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच घर्षण को और बढ़ा दिया।

युद्ध और उसके परिणाम

- **रॉबर्ट क्लाइव** ने मीर जाफर, जगत सेठ और अन्य लोगों के साथ एक गुप्त गठबंधन बनाया जो नवाब के गद्दार थे।
- षडयंत्र के कारण अंग्रेज आसानी से युद्ध जीत गए। अब, अंग्रेजों के पास बंगाल के विशाल संसाधन थे।
- **मीर जाफर बंगाल का नवाब** बना और उसने अंग्रेजों को धन के साथ 24 परगने की जमींदारी भी दे दी। अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में एक रेजिडेंट को तैनात किया और कलकत्ता पर उनकी संप्रभुता को मान्यता दी गई।

मीर जाफर का बंगाल पर शासन

- अंग्रेजों से परेशान होकर मीर जाफर ने डचों के साथ षडयंत्र रचने का प्रयास किया। वर्ष 1759 में **बेदरा की लड़ाई** हुई और अंग्रेज जीत गए।
- कलकत्ता के नए गवर्नर **वैनसिटार्ट** ने मीर कासिम (मीर जाफर के दामाद) का समर्थन किया और वर्ष 1760 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि की निम्नलिखित विशेषताएँ थीं–
  - **मीर कासिम** ने बर्दवान, मिदनापुर और चटगाँव के जिले कंपनी को सौंप दिए। कंपनी को सिलहट के **चूना** व्यापार में आधा हिस्सा मिलेगा।
  - मीर कासिम को कंपनी को बकाया राशि का भुगतान करने के साथ-साथ दक्षिणी भारत में उसके युद्ध प्रयासों के वित्तपोषण में मदद करने को कहा गया।
  - इस बात पर सहमत हुए कि मीर कासिम के शत्रु कंपनी के शत्रु थे, और उसके दोस्त कंपनी के दोस्त थे।
- मीर कासिम एक सक्षम शासक था जिसने बंगाल को मजबूत करने के लिए **राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर** स्थानांतरित करना, नौकरशाही का पुनर्गठन और सेना को फिर से तैयार करना जैसे कदम उठाया।

बक्सर का युद्ध (1764)

युद्ध की भूमिका

- मीर कासिम ने स्वतंत्रता का दावा किया जिससे कंपनी की उम्मीदों पर पानी फिर गया।
- कंपनी ने अपने **दस्तक** (व्यापार परमिट) का दुरुपयोग किया जिससे नवाब को वित्तीय नुकसान हुआ और इस तरह तनाव पैदा हुआ।
- **मीर कासिम** ने कर्तव्यों को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। इससे दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गए और जवाब में, मीर कासिम ने अवध के नवाब **शुजाउद्दौला** और **शाह आलम द्वितीय** के साथ एक संघ बनाया।

युद्ध और उसके परिणाम

- **मेजर हेक्टर मुनरो** ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और मीर कासिम और उसके सहयोगियों पर निर्णायक जीत हासिल की। मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार गए जिससे अंग्रेजों का उस क्षेत्र पर प्रभुत्व हो गया।
- इलाहाबाद की संधि, 1765 **रॉबर्ट क्लाइव** द्वारा अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के साथ संपन्न हुई।

इलाहाबाद की संधि

नवाब शुजाउद्दौला

- वे इस बात पर राजी हो गए इलाहाबाद और कारा के क्षेत्र को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप देंगे।
- युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपये का भुगतान करेंगे।
- बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा अधिकार दे दिया जाएगा।

शाह आलम द्वितीय

- वे कंपनी के संरक्षण में, इलाहाबाद में निवास करने पर सहमत हुए।
- 26 लाख रुपये के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को **बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी** देने का फरमान जारी किया।
- उक्त प्रांतों के **निजामत कार्यों** (सैन्य रक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन) के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपये का प्रावधान था।

बंगाल में द्वैध शासन (1765-72)

- **रॉबर्ट क्लाइव** द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कंपनी और नवाब दोनों का शासन था। कंपनी के पास प्रशासनिक (निजामत) और दीवानी दोनों अधिकार थे जो उसे क्रमशः बंगाल के सूबेदार और सम्राट से मिले थे।

https://www.pdfnotes.co/

- नवाब धन और सेना दोनों के लिए कंपनी पर निर्भर था। संक्षेप में, **नवाब एक कठपुतली शासक** बनकर रह गया था।
- दोहरी व्यवस्था के कारण प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई, जिसमें न तो कंपनी और न ही नवाब को जनता के कल्याण की परवाह थी। अंततः **वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त** कर दिया।

कंपनी के विरुद्ध मैसूर का प्रतिरोध

अंग्रेजों से पहले मैसूर

- **तालीकोटा युद्ध (1565)** में हार के कारण विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वोडेयार राजवंश ने मैसूर पर शासन किया।
- बाद में, हैदर अली ने शाही अधिकार छीन लिया और 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और मैसूर की रक्षा के लिए सेना को मजबूत करने के उपाय किए।
- **हैदर अली** ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल, जो अब तमिलनाडु में है, में एक हथियार फैक्ट्री की स्थापना की और उन्होंने पश्चिमी शैली का सैन्य प्रशिक्षण भी शुरू किया।
  - उन्होंने 1761-63 में डोड बल्लापुर, सेरा, बेदनूर और होसकोटे पर कब्जा कर लिया और दक्षिण भारत के पोलिगरों को अपने अधीन कर लिया।
  - 1774-76 के दौरान हैदर अली ने मराठों पर कई बार छापे मारे।

प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767-69)

- हैदर अली ने अंग्रेजों को हराने के लिए मराठों को शांत करने और हैदराबाद के निजाम को अपना सहयोगी बनाने के लिए कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया।
- हैदर अली ने मद्रास पर हमला किया और अंग्रेजों को मैसूर के लिए अनुकूल परिणामों के साथ **मद्रास की संधि** पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।

द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780-84)

- फ्रांसीसियों के साथ हैदर अली की दोस्ती ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया और उन्होंने माहे पर कब्जा करने की कोशिश की, जो हैदर अली के संरक्षण में थे।
- हैदर ने अंग्रेजों के खिलाफ **मराठों और निजाम के साथ गठबंधन** बनाया। उन्होंने कर्नाटक पर हमला किया, अर्कोट पर कब्जा कर लिया और वर्ष 1781 में जनरल बैली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हरा दिया।
- आयर कूट के नेतृत्व में अंग्रेज मराठों और निजाम को हैदर के गठबंधन से अलग करने में कामयाब रहे। नवंबर 1781 में हैदर को फिर से अंग्रेजों का सामना करना पड़ा और पोर्टोनोवो में हार का सामना करना पड़ा।
- असफलता के बावजूद, उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया, अंग्रेजों को हराया और उनके कमांडर ब्रेथवेट को पकड़ लिया।
- 1782 में, हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके बेटे, टीपू सुल्तान को बिना किसी निर्णायक परिणाम के एक और वर्ष तक युद्ध जारी रखना पड़ा। लंबे और अनिर्णायक संघर्ष का सामना करते हुए, दोनों पक्षों ने शांति का विकल्प चुना। मार्च 1784 में हस्ताक्षरित **मैंगलोर की संधि** ने शत्रुता के दौरान प्रत्येक पक्ष द्वारा लिए गए क्षेत्रों की वापसी का समझौता किया गया।

तीसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध (1792)

- टीपू और त्रावणकोर राज्य के बीच विवाद अंग्रेजों द्वारा त्रावणकोर का पक्ष लेने के कारण युद्ध में बदल गया।
- अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और अपने आक्रमण में सफल हुए। 1792 में **श्रीरंगपट्टम की संधि** के परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय परिवर्तन हुए–
  - अंग्रेजों ने बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार पर नियंत्रण हासिल कर लिया।
  - मराठों ने तुंगभद्रा के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
  - निजाम ने कृष्णा से पेन्नार तक के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
  - टीपू सुल्तान को तीन करोड़ रुपये की युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था, जिसमें से आधा तुरंत भुगतान किया जाना था और बाकी किश्तों में प्रदान किया जाना था, टीपू के दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया था।

चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध (1799)

- जब वोडेयार राजवंश के हिंदू शासक की मृत्यु हो गई तो टीपू ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और अंग्रेजों से अपने अपमान का बदला लेने की कोशिश की।
- नए गवर्नर जनरल **लॉर्ड वेलेजली,** टीपू की फ्रांसीसियों के साथ मित्रता को लेकर चिंतित था और उसने उन्हें दंडित करने का निर्णय लिया।
- टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध 17 अप्रैल, 1799 को शुरू हुआ, जो 4 मई, 1799 को श्रीरंगपट्टम पर कब्जे के साथ समाप्त हुआ।
- टीपू को अंग्रेज जनरल स्टुअर्ट और हैरिस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लॉर्ड **वेलेजली** के भाई **आर्थर वेलेजली** ने भी संघर्ष में भाग लिया।
- अंग्रेजों को मराठों और निजाम से समर्थन मिला, उनकी सहायता के लिए क्षेत्रीय लाभ का वादा किया गया।
- मैसूर के पिछले हिंदू शाही परिवार के एक नाबालिग को अंग्रेजों द्वारा लागू की गई **सहायक संधि प्रणाली** के अधीन नए महाराजा के रूप में नियुक्त किया गया था।

टीपू सुल्तान के बाद मैसूर

- मैसूर का नया राज्य एक छोटे शासक कृष्णराज तृतीय के अधीन पुराने हिंदू राजवंश (वोडेयारों) को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक **संधि** स्वीकार कर लिया।
- वर्ष 1831 में, **विलियम बेंटिक** ने मैसूर में कुशासन का दावा किया और नियंत्रण ले लिया। बाद में, 1881 में, लॉर्ड रिपन ने राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया।

टीपू सुल्तान

- उन्हें **'मैसूर का शेर'** भी कहा जाता था।
- उसने अपनी सेना को **यूरोपीय मॉडल** पर संगठित किया और अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसियों से मदद ली।
- वर्ष 1796 में, उन्होंने **एडमिरल्टी बोर्ड** की स्थापना की और 22 युद्धपोतों और 20 बड़े युद्धपोतों के बेड़े की योजना बनाई। मैंगलोर, वाजेदाबाद और मोलिदाबाद में तीन डाकयार्ड स्थापित किए गए।
- उन्हें **विज्ञान के संरक्षक** के रूप में जाना जाता है, उन्हें भारत में **रॉकेट प्रौद्योगिकी** की खोजकर्ता माना जाता है।
- मैसूर में रेशम उत्पादन की शुरुआत की।
- टीपू ने फ्रांसीसियों को मैसूर में एक जैकोबिन क्लब स्थापित करने की अनुमति दी और वह उसका सदस्य बन गया। उन्होंने स्वयं को **'नागरिक टीपू'** कहलाने की अनुमति दी।

सर्वोच्चता के लिए आंग्ल-मराठा संघर्ष

बाजीराव 1 (1720-40) के तहत, **मराठा संघ** की एक प्रणाली स्थापति की गई थी जसिमें प्रत्येक प्रमुख परिवार को प्रभाव क्षेत्र सौंपा गया था जसिमें उन्हें मराठा राजा शाहू के नाम पर शासन करना था। प्रमुख मराठा परिवार इस प्रकार हैं–

- बड़ौदा के गायकवाड़
- नागपुर के भोंसले
- इंदौर के होल्कर
- ग्वालियर के सिंधिया
- पूना के पेशवा

अंततः मराठा **पानीपत के तीसरे युद्ध (1761)** में हार गए। इसके साथ ही 1772 में युवा पेशवा, माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई, जिससे पेशवाओं का नियंत्रण कमजोर हो गया। मराठा संघ पहले की तरह एकजुट नहीं थे और अंग्रेजों ने बंबई जैसे नए क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए इन विभाजनों का लाभ उठाया।

प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-82)

- मराठा नेतृत्व के भीतर उत्तराधिकार को लेकर असहमति के परिणामस्वरूप नाना फड़नवीस की अध्यक्षता में बारह मराठा प्रमुखों ने रघुनाथ राव के स्थान पर शिशु 'सवाई' माधवराव का समर्थन किया।
- रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद माँगी और **सूरत की संधि (1775)** पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सालसेट और बेसिन के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए।
- हालाँकि, ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने असहमति जताई और 1776 में **पुरंदर की संधि** पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रीजेंसी ने रघुनाथ राव को हटा दिया और उन्हें पेंशन दी।
- **नाना फड़नवीस** ने संधि का उल्लंघन किया और युद्ध छिड़ गया। मराठा सेना का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया था और उन्होंने अंग्रेजों को फँसाने के लिए **झुलसी हुई पृथ्वी नीति** (scorched earth policy) का इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया और **वडगाँव की संधि** पर हस्ताक्षर किए, जिससे सभी क्षेत्र मराठों को वापस दे दिए गए।
- बंगाल में गवर्नर जनरल **वारेन हेस्टिंग्स** ने वडगाँव की संधि को अस्वीकार कर दिया। उसने एक बड़ी सेना की स्थापना की और अंततः सिंधिया को हरा दिया और उन्हें **सालबाई की संधि** पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–
  - सालसेट को अंग्रेजों के कब्जे में रहना था, जबकि पुरंदर की संधि के बाद जीते गए सभी क्षेत्रों को मराठों को वापस कर दिया जाना था।
  - रघुनाथराव को पेशवा से केवल भरण-पोषण भत्ता मिलना चाहिए और अंग्रेजों द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाएगी।
  - पेशवा को किसी अन्य यूरोपीय राष्ट्र का समर्थन नहीं करना होगा और मराठा और अंग्रेज दोनों को यह वचन देना होगा कि उनके सहयोगी एक दूसरे के साथ शांति से रहें।

द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1803-05)

- आगे, मराठों के बीच विभाजन के कारण अंग्रेजों को मराठा मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। वर्ष 1800 में नाना फड़नवीस की मृत्यु से अंग्रेजों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ।
- जैसे ही जसवन्त राव ने उन पर आक्रमण किया, **बाजीराव द्वितीय** घबराकर भाग गया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ **बेसिन की संधि (1802)** पर हस्ताक्षर किए जिसमें निम्नलिखित प्रावधान थे–
  - पेशवा को कंपनी से 6000 से अधिक सैनिकों की देशी पैदल सेना प्राप्त होगी।
  - पेशवा ने सूरत शहर को आत्मसमर्पण करने के साथ-साथ कंपनी को अतिरिक्त क्षेत्र भी सौंप दिया।
  - पेशवा को किसी भी राष्ट्र के यूरोपीय लोगों को अंग्रेजों के साथ युद्ध में नियुक्त नहीं करना चाहिए और साथ ही अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए।
- पेशवा ने **सहायक संधि स्वीकार कर ली**, लेकिन सिंधिया और भोंसले परिवारों ने मराठों की स्वतंत्रा को बचाने की कोशिश की। फिर भी, वे दोनों आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में अंग्रेजों से हार गए और क्रमशः **सुरजी-अंजनगाँव की संधि (1803)** और **देवगाँव की संधि (1803)** पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, होलकरों की हार के कारण **राजपुरघाट की संधि (1806)** पर हस्ताक्षर किए गए।

तीसरा आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-19)

- युद्ध के पीछे के कारण–
  - **लॉर्ड हेस्टिंग्स** का इरादा ब्रिटिश सर्वोपरिता लागू करने का था।
  - चाय को छोड़कर, चीन में व्यापार पर **ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार** 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था, इसलिए व्यापार के लिए नए बाजारों तक पहुँच की आवश्यकता थी।
  - **पिंडारियों** ने लूट के लिए कंपनी के क्षेत्रों पर धावा बोल दिया। इससे मतभेद पैदा हो गया क्योंकि उन्होंने मराठों पर पिंडारियों का समर्थन करने का आरोप लगाया।
  - अन्य मराठा नेता **बेसिन की संधि** से आहत थे, जिसे '**सिफर (पेशवा) के साथ एक संधि**' कहा गया था। उन्होंने इस संधि की व्याख्या स्वतंत्रता के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के रूप में की।
- पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा प्रमुखों को एकजुट किया और नागपुर में रेजीडेंसी पर हमला किया। हालाँकि, मराठा राज्यों में खराब प्रशासन के कारण मराठा अब काफी कमजोर हो गए थे।
- इस प्रकार, अंग्रेजों ने जवाबी हमला किया और पेशवा और अन्य परिवारों को हरा दिया। पेशवा के साथ **पूना की संधि (1817)** पर हस्ताक्षर किए गए, और इसी तरह की संधियों पर सिंधिया **(ग्वालियर की संधि, 1817)** और होलकर **(मंदसौर की संधि, 1818)** के साथ हस्ताक्षर किए गए।
- अंततः 1818 में, **मराठा संघ को भंग कर दिया** गया और पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। अब शिवाजी के वंशज **प्रताप सिंह को सतारा का शासक** बनाया गया।

सिंध की विजय

- मीर फतह (फतह) अली खान के नेतृत्व में, तालपुरा (बलूच जनजाति) ने वर्ष 1783 में सिंध पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और कल्लोरा राजकुमार को निर्वासित कर दिया। तत्कालीन दुरानी राजा ने मीर फतह खान के दावों को मान्यता दी, और उन्हें देश को अपने भाइयों के बीच विभाजित करने का आदेश दिया गया, जिसे '**चार यार**' भी कहा जाता है।

https://www.pdfnotes.co/

- चार यार, जिन्हें सिंध के अमीरों या लॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, ने 1800 में मीर फतह के निधन के बाद राज्य को आपस में बाँट लिया।
- वर्ष 1799 में, **लॉर्ड वेलेजली** ने फ्रांसीसी, टीपू सुल्तान और काबुल के राजा शाह जमान के गठबंधन का प्रतिकार करने के एक छिपे उद्देश्य से सिंध के साथ वाणिज्यिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। हालाँकि, टीपू सुल्तान के प्रभाव में फतह अली खान ने ब्रिटिश एजेंट को सिंध छोड़ने का आदेश दिया।
- वर्ष 1807 में, सिंध और अंग्रेजों के बीच **'शाश्वत मित्रता'** की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों पक्ष सिंध से फ्रांसीसियों को बाहर करने के साथ-साथ एक-दूसरे के दरबार में एजेंटों के आदान-प्रदान पर सहमत हुए।
- बाद में, 1832 की संधि पर हस्ताक्षर किए गए: विलियम बेंटिक ने अमीरों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कर्नल पोटिंगर को सिंध भेजा। प्रावधान इस प्रकार हैं–
  - अंग्रेजी यात्रियों और व्यापारियों को सिंध के माध्यम से अप्रतिबंधित मार्ग और व्यापार के लिए सिंधु के उपयोग की अनुमति दी जाएगी; युद्धपोत नहीं चलाये जायेंगे, न ही युद्ध के लिए कोई सामान ले जाया जाएगा।
  - सिंध में कोई अंग्रेज व्यापारी नहीं बसेंगे और यात्रियों को पासपोर्ट की आवश्यकता होगी।
  - यदि प्रशुल्क दरों को अत्यधिक समझा जाता है तो अमीर उन्हें बदल सकते हैं, और कोई टोल या सैन्य बकाया की माँग नहीं की जाएगी।
- वर्ष 1836 में **लॉर्ड ऑकलैंड** गवर्नर जनरल बने। उन्होंने भारत पर संभावित रूसी आक्रमण को रोकने और अफगानों पर जवाबी दबाव डालने की क्षमता हासिल करने की उम्मीद के दृष्टिकोण से सिंध पर विचार किया।
- अफगानिस्तान समस्या के समाधान के उद्देश्य से ब्रिटिश, रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच 1838 की एक **त्रिपक्षीय संधि** पर हस्ताक्षर किए गए थे।
  - रणजीत सिंह ने अमीरों के साथ अपने विवादों में ब्रिटिश मध्यस्थता स्वीकार कर ली।
  - जब तक वार्षिक भेंट अर्पित की जाती, सम्राट शाह शुजा को सिंध में संप्रभु अधिकार छोड़ना पड़ा।
- वर्ष 1839 में, ब्रिटिश एक मज़बूत शक्ति की धमकी के तहत सिंध को सहायक गठबंधन स्वीकार करने में सफल रहे। अब, सिंध में सैनिकों को तैनात किया जाना था, और अमीरों को उनके रखरखाव के लिए भुगतान करना था। साथ ही, अमीरों को कंपनी की जानकारी के बिना विदेशी सरकारों के साथ बातचीत करने से भी मना किया गया था।
- **प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध (1839-42)** के बाद अमीरों पर अंग्रेजों के विरुद्ध शत्रुता और असंतोष का आरोप लगाया गया। बाद में, तनाव बढ़ गया और अमीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालाँकि, सिंध ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया और अमीरों को सिंध से भगा दिया गया।
- वर्ष 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सिंध पर कब्जा करने के बाद **चार्ल्स नेपियर** गवर्नर जनरल एलनबर्ग के साथ सिंध के पहले गवर्नर बने।

पंजाब विजय

सिक्खों के अधीन पंजाब का एकीकरण

- बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान, अंतिम सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का एक समूह मुगलों के खिलाफ विद्रोह में उठ खड़ा हुआ।
- बाद में, फर्रुखसियर ने 1715 में बंदा बहादुर को हरा दिया और 1716 में उसे मार डाला। अब, सिख नेतृत्वहीन हो गए और दो समूहों यानी बंदाई (उदारवादी) और तात खालसा (रूढ़िवादी) में विभाजित हो गए। भाई मणि सिंह 1721 में विवाद को खत्म करने और दोनों गुटों को एकजुट करने में सफल हुए।
- बाद में, 1784 में, कपूर सिंह फैजुल्लापुरिया ने दल खालसा की स्थापना की, जो एक संगठन था जो सिखों को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक साथ लाया। संपूर्ण खालसा आबादी दो गुटों में विभाजित थी– **तरुण दल**, या युवाओं की सेना, और **बुद्ध दल**, या दिग्गजों की सेना।

रणजीत सिंह और अंग्रेज

- 2 नवंबर 1780 को जब रणजीत सिंह का जन्म हुआ तब बारह महत्त्वपूर्ण मिस्लें थीं। गुरुमत्ता संघ ने मिस्ल की केंद्रीय सरकार की नींव के रूप में कार्य किया; यह मूलतः एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। सुकरचकिया मिस्ल के नेता महान सिंह रणजीत सिंह के पिता थे।
- रणजीत सिंह ने मध्य पंजाब में अपने लिए एक राज्य बनाते हुए एक क्रूर **'रक्त और लौह नीति'** विकसित की।
- अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने 1799 में रणजीत सिंह को लाहौर प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया।
- वर्ष 1805 में जम्मू और अमृतसर के अधिग्रहण के बाद, रणजीत सिंह पंजाब की राजनीतिक राजधानी, लाहौर और धार्मिक राजधानी, अमृतसर के शासक बन गए।
- उन्होंने डोगराओं और नेपालियों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे और उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया।
- **अमृतसर की संधि (1809)** ने सतलज नदी को अपने क्षेत्र और कंपनी के बीच की सीमा के रूप में स्वीकार करके पूरी सिख आबादी पर अपना अधिकार बढ़ाने की रणजीत सिंह की लंबे समय से चली आ रही इच्छा को अस्वीकार कर दिया।
- राजनीतिक दबाव ने रणजीत सिंह को जून 1838 में अंग्रेजों के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने अफगान अमीर, दोस्त मोहम्मद पर हमला करने के लिए ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
- रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, उनके छोटे बेटे **दलीप सिंह** को महाराजा, हीरा सिंह डोगरा को वजीर और रानी जिंद को संरक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में हीरा सिंह की हत्या कर दी गई और रानी जिंद का प्रेमी लाल सिंह वजीर बन गया।

प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46)

- **युद्ध के कारण:**
  - इसे 11 दिसंबर, 1845 को सतलज नदी पार करने वाली सिख सेना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
  - महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद लाहौर साम्राज्य में अराजकता फैल गई, जिसके कारण लाहौर दरबार और लगातार मजबूत और अधिक स्थानीय सेनाओं के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष शुरू हो गया।
  - वर्ष 1842 में अफगानिस्तान में अंग्रेजी सैन्य अभियानों और वर्ष 1841 में ग्वालियर और सिंध पर कब्जे के बाद सिख सेना के भीतर गलतफहमी थी।
  - लाहौर राज्य की सीमा के करीब तैनात अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में वृद्धि।

https://www.pdfnotes.co/

- **युद्ध और उसके परिणाम**
  - अंग्रेज भीतर से विश्वासघात करने में सक्षम थे, जिसके कारण विभिन्न लड़ाइयों में सिखों की लगातार हार हुई। अंततः 1846 में लाहौर बिना किसी लड़ाई के अंग्रेजों के अधीन हो गया।
  - **लाहौर की संधि (1846)** सिखों के लिए एक अपमानजनक संधि थी जिसमें लाहौर में एक ब्रिटिश रेजीडेंट स्थापित किया जाना था, जालंधर दोआब को कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया और सिख सेना की शक्ति कम कर दी गई। इसके अलावा, दलीप सिंह को रानी जिंद के अधीन शासक के रूप में मान्यता दी गई थी।
  - बाद में, सिख पूरे युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में असमर्थ रहे और इस प्रकार कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया। इससे सिखों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया और उन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया।
  - दिसंबर 1846 में **भैरोवाल की संधि** पर हस्ताक्षर किए गए थे। पंजाब के लिए रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई थी, और इस संधि की शर्तों के अनुसार रानी जिंद को रीजेंट के पद से हटा दिया गया था। अंग्रेज निवासी हेनरी लॉरेंस ने परिषद बनाने वाले आठ सिख सरदारों की अध्यक्षता की।

द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49)

- **युद्ध के कारण इस प्रकार हैं**–
  - सिखों के लिए, लाहौर और भैरोवाल की संधि की शर्तें, साथ ही प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध में उनकी हार पूर्ण रूप से अपमानजनक थी।
  - रानी जिंद के साथ अमानवीय व्यवहार से सिख आक्रोश बढ़ गया, जो एक पेंशनभोगी बन गई थी और उसे बनारस स्थानांतरित कर दिया गया था।
  - मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने बदले जाने पर विद्रोह कर दिया और दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी।
- **युद्ध और उसके परिणाम**
  - लॉर्ड डलहौजी को पंजाब को पूरी तरह से अपने में मिलाने का अवसर मिल गया। उन्होंने पंजाब पर चढ़ाई की और **रामनगर** (सर ह्यू गफ के नेतृत्व में), **चिलहनवाला, गुजरात** (झेलम नदी के तट पर एक छोटा शहर) की लड़ाई में अंग्रेजों को जीत दिलाई। आखिरकार, सिख सेना ने रावलपिंडी में आत्मसमर्पण कर दिया।
  - डलहौजी ने पंजाब पर कब्जा करने का अपना उद्देश्य पूरा किया और पंजाब पर शासन करने के लिए तीन सदस्यीय बोर्ड की स्थापना की, जिसमें लॉरेंस बंधु (हेनरी और जॉन) और चार्ल्स मैनसेल शामिल थे।
  - उनकी सेवाओं के लिए, डलहौजी के अर्ल को ब्रिटिश संसद का धन्यवाद दिया गया और सहकर्मी वर्ग में मार्क्वेस के रूप में पदोन्नति दी गई।
  - आगे, 1853 में बोर्ड को रद्द कर दिया गया और **जॉन लॉरेंस** पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त बने।

प्रशासनिक नीति के माध्यम से ब्रिटिश सर्वोपरिता का विस्तार

घेरे की नीति (The Policy of Ring Fence)

- **वॉरेन हेस्टिंग्स** ने कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाने के उद्देश्य से यह नीति तैयार की।
- अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पड़ोसियों की सीमाओं की रक्षा करने की नीति अपनाई। मराठों और मैसूर के खिलाफ वॉरेन हेस्टिंग के युद्ध ने इस नीति को प्रतिबिंबित किया।
- इस प्रणाली में शामिल राज्यों को बाहरी आक्रमण के खिलाफ अपनी लागत पर सैन्य समर्थन की गारंटी दी गई थी। अर्थात इन राज्यों के नेताओं को कंपनी के अधिकारियों को भुगतान करना था, जिन्हें इन सहायक बलों को संगठित करना, सुसज्जित करना और कमान सौंपनी थी, जिन्हें बनाए रखने के लिए इन सहयोगियों की आवश्यकता थी।

सहायक संधि (Subsidiary Alliance)

- **लॉर्ड वेलेजली** ने 1798-1805 के बीच भारत में साम्राज्य बनाने के लिए सहायक **संधि** प्रणाली (रिंग फेंस नीति का विस्तार) का उपयोग किया।
- इसका एक उद्देश्य **फ्रांसीसियों** को भारत में अपने प्रभाव को पुनर्जीवित करने और विस्तार करने से रोकना था। लगभग इसी समय, नेपोलियन के पूर्व की ओर अभियान का डर अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा खतरा था।
- हालाँकि, **डुप्ले** ने सबसे पहले सहायक **संधि** की प्रणाली का उपयोग किया था और बाद में अधिकांश ब्रिटिश गवर्नर जनरलों ने इसका अनुसरण किया।
- **प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं**–
  - व्यवस्था के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती के लिए सहमति देने और रखरखाव शुल्क प्रदान करने की आवश्यकता थी। अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए भारतीय शासक की सहमति की आवश्यकता होती थी।
  - भारतीय सम्राट को कंपनी से परामर्श किए बिना किसी भी यूरोपीय कर्मचारी को काम पर रखने की अनुमति नहीं थी। किसी अन्य भारतीय शासक के साथ युद्ध या बातचीत में शामिल होने से पहले उन्हें गवर्नर जनरल से भी परामर्श करना पड़ता था।
  - इन सबके बदले में, अंग्रेज शासक उनको विरोधियों से बचाते थे और सहयोगी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाते थे।
- सुरक्षा के बदले, भारतीय सम्राटों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। ब्रिटिश रेजिडेंट उनके मामलों में हस्तक्षेप करता रहा। उन्होंने अपने खर्च किए गए राजस्व के एक बड़े हिस्से से ब्रिटिश सैनिकों को भुगतान किया।
- इसके अतिरिक्त गठबंधन के कारण, भारत में दमनकारी शासक कमजोर और अधिक लापरवाह हो गए, प्रजा का शोषण किया गया, और चूँकि अंग्रेजों ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी, इसलिए उन्हें हटाना लगभग असंभव था।
- **सहायक संधि के अंतर्गत राज्य**
  - **अवध** इस सुरक्षा संधि का शिकार बनने वाला पहला भारतीय राज्य था। अवध ने **1765** में एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत कंपनी अवध की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सहमत हुई, बशर्ते कि नवाब उस रक्षा के लिए भुगतान करे।
  - हैदराबाद के निजाम (सितंबर 1798 और 1800), मैसूर के शासक (1799), तंजौर (अक्टूबर 1799), अवध के नवाब (नवंबर 1801), पेशवा (दिसंबर 1801), बरार के भोंसले राजा (दिसंबर 1803), सिंधिया (फरवरी 1804), जोधपुर, जयपुर, माचेरी और बूँदी के राजपूत राज्य और भरतपुर के शासक (1818) उन भारतीय राजकुमारों में से थे, जिन्होंने सहायक प्रणाली को अपनाया।
  - वर्ष 1818 में, होलकर सहायक संधि की पुष्टि करने वाले अंतिम मराठा संघ के रूप में उभरे।

https://www.pdfnotes.co/

व्यपगत का सिद्धांत (Doctrine of Lapse)

- **लॉर्ड डलहौजी** ने उत्साह के साथ इस नीति का प्रयोग किया और अन्य गवर्नर जनरलों के विपरीत, जो तब तक विलय को प्राथमिकता नहीं देते थे, जब तक इसे टाला जा सकता था, कई राज्यों पर कब्जा करने में सक्षम थे। इससे पहले, रणजीत सिंह ने भी इस नीति के कारण कुछ रियासतों पर कब्जा कर लिया था।
- सरल शब्दों में कहें तो इस सिद्धांत में कहा गया है कि दत्तक पुत्र को अपने पालक पिता की निजी संपत्ति विरासत में मिल सकती है, लेकिन राज्य नहीं। दत्तक पुत्र को राज्य देने या उस पर अधिकार देने करने का निर्णय सर्वोपरि शक्ति, अंग्रेजों का था। यह सिद्धांत भारतीय रीति-रिवाजों और हिंदू कानून पर आधारित होने का दावा किया गया था, लेकिन हिंदू कानून इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट नहीं थे। और एक भारतीय संप्रभु के लिए इस नीति के कारण एक अधीन राज्य पर कब्जा करना बहुत आम बात नहीं थी। (यानी, उत्तराधिकारी के रूप में कोई मुद्दा नहीं छोड़ना)।
- वे राज्य जो व्यपगत सिद्धांत के अधीन थे–
  - सतारा (1848), नागपुर और झाँसी (1854), और अन्य छोटे राज्य बघाट (हिमाचल प्रदेश), संभलपुर (उड़ीसा), और जैतपुर (बुंदेलखंड) थे।
  - वर्ष 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर नवाब **वाजिद अली शाह** को अपदस्थ कर दिया और अवध पर कब्जा कर लिया।

ब्रिटिश भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध

आंग्ल-भूटानी संबंध

- वर्ष 1826 में ब्रिटिशों द्वारा असम पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश और पहाड़ी राष्ट्र भूटान के करीब आ गए। इसके कारण भूटानियों द्वारा बंगाल और असम के पड़ोसी क्षेत्रों में लगातार छापे मारे गए।
- उपरोक्त के साथ-साथ, यह 1863-1864 में एल्गिन के दूत के साथ किए गए कठोर व्यवहार और उस पर थोपी गई संधि के कारण था, जिसने अंग्रेजों को असम की ओर जाने वाले दर्रों को सौंपने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन दर्रों पर कब्जा कर लिया।
- वार्षिक सब्सिडी के बदले में 1865 में भूटानियों को दर्रा छोड़ने के लिए कहा गया था।

आंग्ल-नेपाली संबंध

- वर्ष 1801 में जब अंग्रेजों ने गोरखपुर पर कब्जा कर लिया, तो कंपनी और गोरखाओं की सीमाएँ एक हो गईं। **लॉर्ड हेस्टिंग्स** के शासनकाल (1813-23) के दौरान बुटवल और श्योराज पर गोरखाओं का कब्जा संघर्ष का उत्प्रेरक था।
- यह युद्ध 1816 में **सुगौली की संधि** में समाप्त हुआ, जिसके कारण नेपाल ने एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार कर लिया, गढ़वाल और कुमाऊँ के जिलों को सौंप दिया, तराई पर दावा छोड़ दिया और साथ ही सिक्किम से भी अपना अधिकार छोड़ना पड़ा।
- इस संधि के कारण अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ क्योंकि अब वे मध्य एशिया के साथ बेहतर व्यापार कर सकते थे, उन्होंने **शिमला, मसूरी और नैनीताल** जैसे हिल स्टेशनों के लिए स्थलों का अधिग्रहण किया। साथ ही, इस संधि के बाद गोरखा बड़ी संख्या में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए।

आंग्ल-बर्मी संबंध

तीन एंग्लो-बर्मी युद्ध और अंततः 1885 में बर्मा का ब्रिटिश भारत में विलय ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी इच्छाओं का परिणाम था, जो बर्मा के वन संसाधनों के आकर्षण, बर्मा और शेष दक्षिण-पूर्व में फ्रांसीसी महत्त्वाकांक्षाओं की जाँच करने की आवश्यकता से प्रेरित थे। एशिया और बर्मा में ब्रिटिश विनिर्माण वस्तुओं के लिए बाजार की उपलब्धता प्रमुख था।

प्रथम बर्मा युद्ध (1824-26)

- यह तब हुआ जब अराकान और मणिपुर पर बर्मी कब्जे, उनके पश्चिम की ओर विस्तार और असम और ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए उनके खतरे के कारण बंगाल और बर्मा के बीच अस्पष्ट सीमा पर तनाव बढ़ गया था। आखिरकार, अंग्रेजों ने रंगून और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
- फिर, 1826 में **यांडूब की संधि** पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने बर्मा सरकार पर कुछ शर्तें लगाईं–
  - युद्ध मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये का भुगतान करना।
  - संधि के प्रावधानों के अनुसार बर्मा को अपने तटीय प्रांत अराकान और टेनासिरिम को सौंपना पड़ा
  - असम, कछार और जैंतिया पर अपना दावा छोड़ना पड़ा।
  - **मणिपुर** को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दें और इसकी राजधानी अवा में एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार करने के साथ-साथ अंग्रेजों के साथ एक वाणिज्यिक संधि पर बातचीत करें।

द्वितीय बर्मा युद्ध (1852)

- **लॉर्ड डलहौजी** की साम्राज्यवादी नीतियों और ब्रिटिश व्यापारिक जरूरतों के कारण द्वितीय युद्ध हुआ। ब्रिटिश व्यापारी ऊपरी बर्मा के लकड़ी संसाधनों तक पहुँच हासिल करने के लिए उत्सुक थे और बर्मी बाजार में गहरी पैठ बनाने के लिए उत्सुक थे।
- अब अंग्रेजों ने बर्मा के एकमात्र बचे हुए तटीय प्रांत **पेगु** पर कब्जा कर लिया और निचले बर्मा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया।

तृतीय बर्मा युद्ध (1885)

- बर्मा के राजा भिंडन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र थीबो गद्दी पर बैठा। थीबो शुरू से ही अंग्रेजों के प्रति विरोधी था और फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ वाणिज्यिक संधियों पर बातचीत कर रहे था।
- **लॉर्ड डफरिन** ने वर्ष 1885 में ऊपरी बर्मा पर अंतिम कब्जा करने का आदेश दिया, और एक मजबूत गुरिल्ला विद्रोह से लड़ने के बाद पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया।
- बाद में, राष्ट्रवादी आंदोलन को विभाजित करने के लिए 1935 में **बर्मा को भारत से अलग** कर दिया गया।

आंग्ल-तिब्बती संबंध

- ल्हासा में रूसी प्रभाव बढ़ रहा था और तिब्बत पर चीनी आधिपत्य निष्प्रभावी था। रूसी हथियारों और बारूद के तिब्बत में प्रवेश की अफवाहें थीं। चिंतित होकर, कर्जन ने तिब्बतियों पर समझौता करने के लिए दबाव डालने के इरादे से **कर्नल यंगहसबैंड** के नेतृत्व में एक विशेष मिशन पर एक छोटी गोरखा टुकड़ी को तिब्बत भेजा।

https://www.pdfnotes.co/

- तिब्बतियों ने अहिंसक प्रतिरोध का प्रस्ताव रखा और बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया। अगस्त 1904 में यंगहसबैंड के जबरन ल्हासा में घुसने के कारण दलाई लामा भाग गए।
- **ल्हासा की संधि (1904)** पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें यंगहसबैंड ने तिब्बत के लिए निम्न शर्तें तय कीं-
  - तिब्बत को प्रति वर्ष एक लाख रुपये की दर से 75 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
  - तिब्बत को युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करना था, और ब्रिटिश भुगतान की सुरक्षा के रूप में चुंबी घाटी पर कब्जा किए रहेंगे।
  - तिब्बत को सिक्किम की सीमा का सम्मान करना था और यह सुनिश्चित करना था कि वह किसी अन्य विदेशी शक्ति को कोई रियायत नहीं देगा।
- अंत में, इसका संपूर्ण लाभ केवल चीन को मिला, क्योंकि **1907 के एंग्लो-रूसी सम्मेलन** में यह शर्त लगाई गई थी कि दोनों शक्तियाँ केवल चीनी सरकार की मध्यस्थ भूमिका के माध्यम से तिब्बत के साथ बातचीत में शामिल होंगी। हालाँकि, कर्जन की रणनीति ने तिब्बत में रूसी योजना को अप्रभावी दिया।

आंग्ल-अफगान संबंध

- **ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी (1836)** में निहित था कि कंपनी को संधियों या पूर्ण विलय का उपयोग करके संभावित रूसी हमले से ब्रिटिश भारत की सीमा की रक्षा के लिए पहल करनी थी।
- अंग्रेजों, सिखों और शाह शुजा द्वारा एक **त्रिपक्षीय संधि (1838)** की गई, जिसमें शाह शुजा को सिंहासन पर बिठाना था और अंग्रेजों की सलाह से विदेशी मामलों का संचालन करना था। इससे सिखों और अफगानों के बीच शांति बनाए रखने में भी मदद मिली।
- **प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध (1839-42)**
  - यह युद्ध अग्रगामी (फॉरवर्ड) नीति का परिणाम था, जिसमें ब्रिटिश इरादा उत्तर-पश्चिम से आक्रमण के विरुद्ध एक स्थायी अवरोध स्थापित करना था। जबकि अंग्रेज काबुल में मार्च करने और शाह शुजा को अफगानिस्तान का अमीर बनाने में सक्षम थे, अफगानों ने शाह शुजा को स्वीकार नहीं किया और विद्रोह में उठ खड़े हुए। इस प्रकार, अंग्रेज अफगानिस्तान को खाली करने के लिए सहमत हो गए और पहले के शासक दोस्त मोहम्मद को बहाल कर दिया।
- **जॉन लॉरेंस** ने प्रथम अफगान युद्ध के जवाब में **उत्कृष्ट निष्क्रियता की नीति (Policy of Masterly Inactivity)** शुरू की। जब दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो उसने उत्तराधिकार के युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। इस नीति के पीछे मुख्य शर्तें यह थीं कि सीमा पर शांति भंग न हो और गृहयुद्ध में किसी भी उम्मीदवार ने विदेशी मदद न माँगी हो।
- लिटन ने **प्राउड रिजर्व की नीति** तैयार की जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाएँ रखना और 'प्रभाव क्षेत्रों' की सुरक्षा करना था। लिटन अफगानिस्तान में अस्पष्ट स्थिति में स्पष्टता लाना चाहता था।
- **द्वितीय आंग्ल-अफगान युद्ध (1870-80)**
  - अमीर रूस और ब्रिटिश भारत दोनों के साथ मित्रता बनाए रखना चाहता था। बाद में, **शेर अली (अमीर)** ने ब्रिटिश दूत रखने से इनकार कर दिया, जबकि पहले रूसियों को भी यही विशेषाधिकार दिया गया था। लिटन ने आक्रमण करने का निर्णय लिया और शेर अली अफगानिस्तान से भाग गया।
  - अंग्रेजों और शेर अली के सबसे बड़े बेटे याकूब खान के बीच **गंडमक की संधि (1879)** पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें प्रावधान था कि अमीर अपनी विदेश नीति अंग्रेजों की सलाह पर चलाएगा, एक स्थायी ब्रिटिश निवासी को काबुल में तैनात किया जाना था, और भारत सरकार को विदेशी आक्रमण के खिलाफ अमीर को सभी सहायता प्रदान करनी थी।
- बाद में अफगानिस्तान में अस्थिरता की स्थिति बन गई और लिटन अफगानिस्तान को तोड़ने में असफल रहे। आखिरकार लॉर्ड रिपन ने इस योजना को त्याग दिया और अफगानिस्तान को एक बफर राज्य बनाए रखने का निर्णय लिया। **डूरंड रेखा** को अफगान और ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच एक सीमा रेखा के रूप में तैयार किया गया था। हालाँकि, यह लंबे समय तक शांति बनाए नहीं रख सका।
- **कर्जन (1899-1905) ने वापसी और एकाग्रता की नीति** का पालन किया जिसमें उन्होंने आदिवासियों को प्रशिक्षित किया और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (NWFP) को भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया।
- प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति के बाद, अफगानों ने पूर्ण स्वतंत्रता की माँग की। वर्ष 1919 में **हबीबुल्लाह** की मृत्यु के बाद, नए शासक अमामुल्ला ने अंग्रेजों के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा की। हबीबुल्लाह ने 1901 में अब्दुर रहमान का स्थान लिया था।
- वर्ष 1921 में शांति तब स्थापित हुई, जब अफगानिस्तान ने विदेशी मामलों में स्वतंत्रता हासिल कर ली।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

2 1857 से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह

नागरिक विद्रोह

प्रमुख कारण

- अर्थव्यवस्था, प्रशासन एवं भू-राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन।
- तत्कालीन ज़मींदार अपनी ज़मीन खोने के कारण क्रोधित थे तथा वे सरकारी अधिकारियों, साहूकारों आदि से बदला लेना चाहते थे।
- राजाओं, ज़मींदारों जैसे पारंपरिक संरक्षकों के लोप की स्थिति में और औपनिवेशिक औद्योगिक नीतियों के कारण कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के अस्तित्व पर संकट आ गया।
- पुजारियों, पंडितों और मौलवियों ने अपने पारंपरिक संरक्षक खो दिए।
- ब्रिटिश शासकों की छवि सदैव विदेशी बनी रही वे आम जनता के साथ तिरस्कार व असंवेदनशील व्यवहार करते रहे।

संन्यासी विद्रोह (1763-1800) [बिहार और बंगाल]

- यह बंगाल में संन्यासियों और साधुओं का विद्रोह था। उनके साथ बड़ी संख्या में बेदखल छोटे ज़मींदार, सैनिक और ग्रामीण गरीब भी शामिल हो गए।
- हिंदुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। इसे **फकीर विद्रोह** के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कंपनी के कारखानों और कोषागारों पर छापे मारे तथा कंपनी की सेनाओं से लड़ाईयाँ लड़ी।
- **कारण:** वर्ष 1770 का बंगाल अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ।
- **नेता:** मजनम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देबी चौधरानी आदि।
- बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संन्यासी विद्रोह पर आधारित **आनंदमठ** (1882) और **देवी चौधरानी** (1884) नामक उपन्यास लिखे।
- इस आंदोलन को दबाने में **वारेन हेस्टिंग्स** ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वंदे मातरम् गीत का प्रयोग **आनंदमठ** उपन्यास में किया गया था।

मोआमरिया का विद्रोह (1769-99) [असम]

- मोमारिया निम्न जाति के किसान थे, जो अनिरुद्धदेव की शिक्षाओं का पालन करते थे, **असम के अहोम राजाओं के खिलाफ** उठ खड़े हुए और उनकी सत्ता को कमज़ोर किया।
- मोआमरिया ने **भटियापार** को अपना मुख्यालय बनाया।
- वर्ष 1792 में, दर्रांग (Darrang) के राजा **कृष्णनारायण** ने अपने बुर्कान्देज समूह (मुस्लिम सेनाओं और ज़मींदारों के हतोत्साहित सैनिक) की सहायता से कमज़ोर अहोम साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
- **अहोम राजाओं** को विद्रोह से लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से मदद का अनुरोध करना पड़ा, लेकिन बर्मी आक्रमण के आगे घुटने टेक दिए और अंततः ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए।

पोलिगर विद्रोह (1795-1805) [तमिलनाडु]

- जब अर्कोट के नवाब ने तिन्नेवेली और कर्नाटक प्रांतों का प्रबंधन व नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया तो पोलिगरों ने विद्रोह कर दिया। इससे पोलिगर नाराज़ हो गए, जो लंबे समय से अपने संबंधित क्षेत्रों में खुद को स्वतंत्र संप्रभु प्राधिकारी मानते थे।
- उत्तरी अर्कोट के पोलिगरों ने विद्रोह कर दिया जब उन्हें **कवल शुल्क** (Kaval Fees) वसूलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया।
  - गौरतलब है कि 'कवल' या 'घड़ी' तमिलनाडु में एक वंशानुगत ग्राम पुलिस कार्यालय था।
- यह आंदोलन दो चरणों में हुआ:
  - पहले चरण का नेतृत्व **कट्टाबोम्मान नायकन** ने किया था।
  - दूसरा चरण अधिक हिंसक था और इसका नेतृत्व **ओमान्थुराई** ने किया था।

पाइका विद्रोह (1817) [ओडिशा]

- पाइका ओडिशा के वंशानुगत पारंपरिक **पैदल सैनिक** थे जो **लगान-मुक्त भूमि (निष्कर जागीर)** के बदले में सैन्य सेवाएँ देते थे और पुलिस का कार्य करते थे।
- इसे **खुर्दा विद्रोह** के नाम से भी जाना जाता था (खुर्दा के राजा के सिंहासन से हटने के कारण पाइको की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई थी)।
- **कारण**
  - **वाल्टर ईवर आयोग** ने सिफारिश की कि पाइका की लगान-मुक्त भूमि को अंग्रेज़ों द्वारा अपने कब्ज़े में ले लिया जाए। इसके परिणामस्वरूप पाइका ने ज़मींदारों और किसानों के समर्थन में हथियार उठा लिए।
  - नमक की कीमत में वृद्धि, कौड़ी मुद्रा का उन्मूलन (स्थानीय मुद्रा समाप्त करना), चाँदी में करों का भुगतान और जबरन वसूली वाली भूमि राजस्व नीतियाँ।
- **प्रमुख नेता: बख्शी जगबंधु बिद्याधर, मुकुंद देव और दीनबंधु संतरा (Dinabandhu Santra)** आदि।
- उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए **गुरिल्ला युद्ध पद्धति** का प्रयोग किया।
- वर्ष 1818 तक **विद्रोह का बेरहमी से दमन कर दिया** गया था। पुरी मंदिर के पुजारी, जिन्होंने **जगबंधु** को आश्रय दिया था, उन्हें पकड़ लिया गया और फाँसी की सजा दे दी गई।
- पाइका विद्रोह बकाया राशि में बड़ी छूट, कर निर्धारण में कटौती, निश्चित कार्यकाल पर एक नया समझौता आदि की वजह से निम्नलिखित लाभ हुए, जिनमें शामिल हैं-

https://www.pdfnotes.co/

अहोम विद्रोह (1828) [असम]

- **प्रथम बर्मा युद्ध (1824-26)** के बाद अंग्रेज़ असम से नहीं हटे और उन्होंने अहोम क्षेत्रों को अपने में मिलाने की कोशिश की, जिससे लोग आक्रोशित हो गए तथा विद्रोह शुरू हो गया।
- अंग्रेज़ों ने **सुलह की नीति** अपनाई और ऊपरी असम को महाराजा पुरंदर सिंह (अहोम राजा) को सौंप दिया गया।
- **प्रमुख नेता:** गोमधर कोंवर (अहोम राजकुमार), महाराजा पुरंधर सिंह, नरेंद्र गदाधर सिंह आदि।

वहाबी आंदोलन (1830-61) [बिहार, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब]

- यह एक **इस्लामवादी पुनरुत्थानवादी आंदोलन** था जो शरिया के पूर्ण पालन की वकालत करता था।
- इस आंदोलन का नेतृत्व राय बरेली के **सैयद अहमद** ने किया था, जो अब्दुल वहाब (सऊदी अरब) और शाह वलीलुल्लाह (दिल्ली) की शिक्षाओं से प्रेरित थे।
- **टीटू मीर ने बंगाल क्षेत्र** में आंदोलन का नेतृत्व किया। सैयद अहमद ने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम तथा समाज की ओर वापसी की वकालत की।
- **सिथाना** (उत्तर-पश्चिमी आदिवासी बेल्ट) को संचालन के लिए आधार के रूप में चुना गया था। हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और बंबई में मिशनों के साथ, पटना एक महत्त्वपूर्ण केंद्र था।
- पंजाब के सिख साम्राज्य के खिलाफ **जिहाद** की घोषणा की गई। वर्ष 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसके कब्ज़े के बाद, वहाबियों ने अपने हमलों को पूरी तरह से भारत में अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ कर दिया।

कूका आंदोलन (1840-72) [पंजाब]

- कूका आंदोलन की स्थापना वर्ष 1840 में **जवाहर मल भगत** (जिन्हें **'सियान साहब'** भी कहा जाता है) ने पश्चिमी पंजाब में जातिगत भेदभाव के खिलाफ काम करने, अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि को बढ़ावा देने वाले एक सामाजिक-धार्मिक आंदोलन के रूप में की थी।
- अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब पर कब्ज़ा करने के बाद यह आंदोलन **धार्मिक शुद्धिकरण अभियान से राजनीतिक अभियान** में बदल गया।
- कूका अंग्रेज़ों को हटाकर पंजाब पर सिख शासन बहाल करना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेज़ी कानूनों, शिक्षा और उत्पादों के बहिष्कार की वकालत की। इसलिए, **स्वदेशी और असहयोग की अवधारणाओं का प्रचार** कूकों द्वारा बहुत पहले किया गया था।
- अंग्रेज़ों ने वर्ष 1863 और 1872 के बीच इस आंदोलन को कुचल दिया। नामधारी संप्रदाय के संस्थापक और आंदोलन के एक प्रमुख नेता **बाबा राम सिंह** को वर्ष 1872 में रंगून निर्वासित कर दिया गया।

अन्य नागरिक विद्रोह

भिदनापुर और धालभूम में विद्रोह (1766-74) [बंगाल]

- **प्रमुख नेता:** दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढल।
- वर्ष 1772 की नई **भू-राजस्व प्रणाली** के कारण ज़मींदार रैयतों के पक्ष में और अंग्रेज़ी अधिकारियों के विरुद्ध हो गए।

गोरखपुर, बस्ती और बहराईच में नागरिक विद्रोह (1781) [उत्तर प्रदेश]

- **वॉरेन हेस्टिंग्स** ने मराठों और मैसूर के खिलाफ युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए अवध में अंग्रेज़ अधिकारियों को **इज़ारेदार (राजस्व किसान)** के रूप में नियुक्त किया।
- **अलेक्जेंडर हाने (इज़ारेदारों** को इकट्ठा करने के लिए नियुक्त एक ब्रिटिश अधिकारी) की ज़मींदारों और किसानों से राजस्व की अत्यधिक माँग के कारण विद्रोह हुआ।
- **हाने** के अधीनस्थ या तो मारे गए या ज़मींदार की छापामार सेना द्वारा घेर लिए गए। हालाँकि विद्रोह को दबा दिया गया, **हाने** को बर्खास्त कर दिया गया और उसके **इज़ारेदारों** को जबरन हटा दिया गया।

विजयनगरम के राजा का विद्रोह (1794) [आंध्र प्रदेश]

- वर्ष 1758 में, अंग्रेज़ों और **आनंद गजपतिराजू** (विजयनगरम के राजा) के बीच संयुक्त रूप से उत्तरी सरकार से फ्राँसीसियों को बाहर करने के लिए एक संधि हुई।
- **अंग्रेज़ 1758 की संधि से पीछे हट गए** और राजा चिन्ना विजयरामाराजू (आनंद गजपतिराजू के उत्तराधिकारी) को श्रद्धांजलि देने तथा अपनी सेना को भंग करने के लिए कहा।
- राजा को अपनी प्रजा का समर्थन प्राप्त था और वह विद्रोह पर उतारू हो गया। वर्ष 1793 में उन्हें पकड़ लिया गया और वर्ष 1794 में पद्मनाभम (आंध्र प्रदेश के आधुनिक विशाखापत्तनम जिले में) में युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। अंततः विजयनगरम कंपनी शासन के अधीन आ गया।

केरल वर्मा पझासी राजा का विद्रोह (1797-1805) [केरल]

- केरल वर्मा **पझासी राजा**, जिन्हें **"केरल सिंहम"** या **''पाइचे राजा''** के नाम से भी जाना जाता है, मालाबार क्षेत्र में कोट्टायम के वास्तविक प्रमुख थे।
- उन्होंने वर्ष 1793 और 1805 के बीच हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों की सेनाओं का सक्रिय रूप से विरोध किया।
- **तीसरे आंग्ल-मैसूर युद्ध** के परिणामस्वरूप कोट्टायम पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। अंग्रेज़ों ने वीरा वर्मा को राजा नियुक्त किया, जिन्होंने अत्यधिक कर लगाया, जिसके कारण वर्ष 1793 में पाइचे राजा के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किसान प्रतिरोध हुआ।
- वर्ष 1797 में एक शांति संधि के बावजूद, वर्ष 1800 में वायनाड पर एक संघर्ष ने शत्रुता को फिर से जन्म दिया, जिससे **पझासी राजा** को नायर, मप्पिलास और पठानों सहित एक विविध सेना को संगठित करने के लिए प्रेरित किया गया।
- नवंबर 1805 में एक मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई।

दीवान वेलु थम्पी का विद्रोह (1808-09) [त्रावणकोर]

- वेलेज़ली के साथ **सहायक संधि समझौते** (1805) के बाद त्रावणकोर में कठोर परिस्थितियों के कारण क्षेत्र में आक्रोश फैल गया।
- कंपनी के अड़ियल रवैये के कारण प्रधानमंत्री **वेलु थम्पी** को नायर सैनिकों के समर्थन से उनके खिलाफ विद्रोह करना पड़ा। उन्होंने खुले तौर पर कुंडारा उद्घोषणा में अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का आह्वान किया, जिससे व्यापक विद्रोह भड़क उठा।

https://www.pdfnotes.co/

- शांति बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान आवश्यक था क्योंकि त्रावणकोर के महाराजा कंपनी के पक्ष में चले गए थे। अंग्रेज़ों द्वारा पकड़े जाने से बेहतर वेलु थम्पी ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। अंततः विद्रोह धीमा पड़ गया।

आंदोलन	स्थान	मुख्य कारण एवं घटनाएँ
हरियाणा में विद्रोह (1803)	हरियाणा	ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1803 में **सुरजी-अर्जुनगाँव संधि** के माध्यम से हरियाणा और अन्य क्षेत्रों का अधिग्रहण किया।
बुंदेलखण्ड में अशांति (1808-12)	बुंदेलखंड	वंशानुगत सरदारों को संविदात्मक दायित्वों के माध्यम से बाध्य करने की ब्रिटिश नीति को उत्पन्न करने वाली गड़बड़ी, जिसे **इकारनामा** के नाम से जाना जाता है।
बरेली में उत्थान (1816)	उत्तर प्रदेश	पुलिस टैक्स लगाए जाने से परेशान।
सूरत नमक आंदोलन (1844)	गुजरात	नमक शुल्क बढ़ाने के सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन, हालाँकि बाद में वापस ले लिया गया।
गडकरी विद्रोह (1844)	महाराष्ट्र का कोल्हापुर	बेरोज़गारी और कृषि संबंधी शिकायतों के कारण वंशानुगत सैन्य वर्ग एवं गडकरियों द्वारा विद्रोह।
सावंतवादी का विद्रोह (1844-59)	उत्तरी कोंकण तट	सावंतवादी क्षेत्र में विद्रोह।

अन्य विद्रोह:

- अवध का नागरिक विद्रोह (1799) [पूर्वी उत्तर प्रदेश]
- गंजाम और गुमसूर में विद्रोह (1800, 1935-37) [पूर्वी उड़ीसा]
- पलामू में विद्रोह (1800-02) [झारखंड का छोटानागपुर]
- पार्लाकिमेडी प्रकोप (1813-34) [ओडिशा]
- कच्छ विद्रोह (1819) [गुजरात]
- वाघेरा राइजिंग (1818-20) [बड़ौदा, गुजरात]।

महत्त्वपूर्ण किसान आंदोलन

नारकेलबेरिया विद्रोह (1782-1831) [बंगाल]

- मीर निथार अली, जिन्हें **टीटू मीर** के नाम से भी जाना जाता है, ने मुस्लिम किरायेदारों को ज़मींदारों (मुख्य रूप से हिंदू, जिन्होंने फ़राज़ियों पर दाढ़ी कर लगाया था) और ब्रिटिश नील बागान मालिकों के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया।
- इसे अंग्रेज़ों के खिलाफ **पहला सशस्त्र किसान विद्रोह** माना जाता है।
- विद्रोह एक धार्मिक संघर्ष में बदल गया और वहाबी आंदोलन में विलीन हो गया, जिसके व्यापक धार्मिक तथा सामाजिक-राजनीतिक उद्देश्य थे।

पागल पंथी (1825-1835) [उत्तर पूर्व भारत]

- यह मेमनसिंह ज़िले में एक अर्ध-धार्मिक समूह था, जिसमें मुख्य रूप से हाजोंग और गारो जनजातियाँ शामिल थीं। इसकी स्थापना **करम शाह** ने की थी।
- करम शाह के बेटे **टीपू के नेतृत्व में** आदिवासी किसान ज़मींदार उत्पीड़न का विरोध करने के लिए संगठित हुए। उन्होंने एक निश्चित सीमा से अधिक लगान देने से इनकार कर दिया और ज़मींदारों के घरों पर हमला किया।
- सरकार ने आदिवासी किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक न्यायसंगत व्यवस्था शुरू की, लेकिन इसे हिंसक रूप से दबा दिया गया।

मोपला विद्रोह (1836-1854)

- इन वर्षों में 22 विद्रोह हुए थे।
- इस विद्रोह के कारणों में उच्च राजस्व माँग, स्वायत्त क्षेत्र के आकार में कमी और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न शामिल थे।
- **नोट:** दूसरा मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में हुआ।

आदिवासी विद्रोह

जनजातीय आंदोलनों को उनकी घटना के आधार पर मुख्य भूमि जनजातीय विद्रोह और सीमांत जनजातीय विद्रोह में विभाजित किया जा सकता है।

जनजातीय विद्रोहों के प्रमुख कारण:

- आदिवासी सभी **"बाहरी लोगों"** को दुश्मन के रूप में नहीं देखते थे; साहूकारों और व्यापारियों को औपनिवेशिक सरकार के एजेंट के रूप में देखा जाता था और वे हिंसा का निशाना बनते थे, जिससे गरीब लोग अकेले पड़ जाते थे।
- विदेशी सरकार द्वारा कानून थोपे जाने के खिलाफ नाराज़गी, जिसे आदिवासियों के पारंपरिक सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को नष्ट करने का प्रयास के रूप में देखा जाता था।
- ब्रिटिश नियमों के कारण भूमि और जंगलों पर आदिवासी अधिकारों के क्षरण से कई आदिवासी आंदोलन उत्पन्न हुए।
- ऐसे विद्रोह के नेताओं को मसीहा जैसा दर्जा प्राप्त हो गया, जिन्होंने वादा किया था कि वे 'बाहरी लोगों' द्वारा लाई गई समस्याओं को समाप्त कर देंगे।
- पुराने हथियारों के प्रयोग और खराब रणनीति के कारण अधिकांश आदिवासी विद्रोह अंग्रेज़ों के आधुनिक हथियारों के खिलाफ विफल हो गए।

https://www.pdfnotes.co/

पहाड़िया विद्रोह (1778) [राज महल पहाड़ियाँ]

- राजमहल पहाड़ियों के पास पहाड़ी निवासी थे जो वन उपज और स्थानांतरित खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। भौगोलिक अलगाव उनकी स्वतंत्रता बनाए रखते थे।
- ब्रिटिश प्रभाव से पहले, उन्होंने निर्वाह के लिए मैदानी इलाकों की ओर स्थांतरित हुए और शांतिपूर्ण तरीके से ज़मींदारों तथा व्यापारियों की सहमति प्राप्त की।
- 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश-प्रचारित स्थायी कृषि के साथ संघर्ष बढ़ गया, जिससे पहाड़िया छापे तेज़ हो गए।
- 1770 के दशक में, अंग्रेज़ों ने पहाड़िया लोगों पर हिंसक हमला किया, जिससे वर्ष 1778 में **राजा जगगनाथ** के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1780 के दशक में, ब्रिटिश शांति में उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए पहाड़िया प्रमुखों को वार्षिक भत्ते शामिल थे।

तिलका मांझी का विद्रोह [संथाल परगना]

- तिलका माझी (जबरा पहाड़िया) ने परगना में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, विशेषकर **फूट डालो और राज करो** की रणनीति का विरोध किया।
- सुल्तानगंज के आसपास काम करते हुए, तिलका ने गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी की नावों को निशाना बनाया, ब्रिटिश खज़ाना लूट लिया और लूट का माल गरीबों में बाँट दिया।
- उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की पद्धति अपनाई, जिसमें संथाल महिलाएँ भी शामिल थीं। वर्ष 1778 में, तिलका ने पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर, रामगढ़ कैंप पर कब्ज़ा कर लिया और वर्ष 1784 में, उन्होंने भागलपुर पर हमले का नेतृत्व किया तथा कथित तौर पर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट **ऑगस्टल क्लीवलैंड** को गोली मार दी।
- अंग्रेज़ों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वर्ष 1785 में तिलका को पकड़ लिया और फाँसी दे दी। **तिलका** को अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाने वाले **पहले आदिवासी नेता** के रूप में सम्मानित किया जाता है।

जंगल महल विद्रोह या चुआर विद्रोह (1776) [छोटा नागपुर]

- शुरुआती विद्रोह जंगल के ज़मींदारों पर लगाए गए राजस्व में बढ़ोतरी की प्रतिक्रिया में भड़का, जो वर्ष 1767 में मिट्टी के किलों को ध्वस्त करने के ब्रिटिश निर्देशों से और भी उग्र हो गया था।
- **प्रभावित क्षेत्र:** छोटा नागपुर और बंगाल के मैदानी इलाकों (बीरभूम, बांकुरा और मिदनापुर में परगना) के मध्य।
- वर्ष 1768 में, घाटशिला के ज़मींदार, **जगन्नाथ सिंह** और हज़ारों चुआर अनुयायियों ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण कंपनी सरकार को आत्मसमर्पण करना पड़ा। वर्ष 1771 में, चुआर सरदार श्याम गंजन, सुबला सिंह और दुबराज विद्रोह में उठे, लेकिन बाद में इसे दबा दिया गया।
- सबसे महत्त्वपूर्ण चुआर विद्रोह वर्ष 1798 में **दुर्जन सिंह** के नेतृत्व में हुआ, जो स्थायी बंदोबस्त और पुलिस नियमों में बदलाव सहित ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के प्रति असंतोष से प्रेरित था।
  - विद्रोह में पाइक, साधारण चुआर और जंगल के ज़मींदार शामिल थे। रायपुर के आसपास केंद्रित विद्रोह को वर्ष 1799 में हिंसक रूप से दबा दिया गया था।
  - उल्लेखनीय नेताओं में **माधब सिंह, राजा मोहन सिंह और लक्ष्मन सिंह** शामिल थे।

संथाल विद्रोह (1855-56) [बिहार]

- 1770 के दशक के अंत और 1780 के दशक की शुरुआत में संथाल एक व्यवस्थित जीवन निर्वाह के लिए राजमहल क्षेत्र में चले आए।
- संथाल और पहाड़िया विवाद (इसे कुदाल और हल के बीच की लड़ाई कहा गया है: कुदाल पहाड़ियाओं का प्रतीक है जो स्थानांतरित खेती में उपकरण का उपयोग करते थे तथा हल संथालों का प्रतीक है जो इसे व्यवस्थित कृषि के लिए इस्तेमाल करते थे) किसके गठन से सुलझाया गया था? **दामन-ए-कोह** (एक फ़ारसी शब्द जिसका अर्थ है पहाड़ियों के बाहरी किनारे) तलहटी में भूमि का एक हिस्सा संथालों का घोषित किया गया।
- कंपनी सरकार द्वारा वर्ष 1793 के **स्थायी बंदोबस्त अधिनियम** के तहत उनकी भूमि पर लगाए गए कर अधिक थे और ऋण चुकाने के लिए धन उधार लेना पड़ता था। लेकिन **दिकू** (बाहरी) साहूकार बहुत ऊँची ब्याज दरें वसूलते थे और जब क़र्ज़ नहीं चुकाया जाता था, तो ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते थे। धीरे-धीरे ज़मींदार दामिन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे थे।
- विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ एक आंदोलन में बदल गया। संथालों ने विद्रोह को **'हुल'** कहा, जिसका अर्थ **मुक्ति के लिए आंदोलन** था।
- कंपनी शासन को समाप्त करने और एक स्वायत्त क्षेत्र बनाने के लिए **सिद्धू तथा कान्हू मुर्मू** के नेतृत्व में।
- शुरुआत ज़मींदारों और साहूकारों के खिलाफ हुई लेकिन बाद में इसने ब्रिटिश विरोधी चरित्र अपना लिया।
- **गुरिल्ला युद्ध रणनीति** का उपयोग विशेष रूप से सफल रहा और अंततः इसने अंग्रेज़ों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया।
- विद्रोह के बाद, संथाल परगना को आदिवासियों के लिए विशेष कानूनों के साथ भागलपुर और बीरभूम ज़िलों से बनाया गया था।

खोंड विद्रोह (1837-56)

- इसका नेतृत्व उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक फैले पहाड़ी क्षेत्र में **चक्र बिसोई** ने किया था।
- मानव बलि के दमन, नए करों और अपने क्षेत्रों में ज़मींदारों के प्रवेश का विरोध करने के लिए घुमसर, कालाहांडी तथा अन्य आदिवासी इसमें शामिल हुए।

बाद में वर्ष 1914 में उड़ीसा क्षेत्र में खोंड विद्रोह इस उम्मीद से शुरू हुआ था कि विदेशी शासन समाप्त हो जाएगा और वे एक स्वायत्त सरकार हासिल कर सकेंगे।

ताना भगत आंदोलन (1914-15) [छोटानागपुर क्षेत्र]

- राँची के **जतरा ओरांव** ने अप्रैल 1914 में खुद को राजा बनने के लिए दैवीय रूप से नियुक्त घोषित कर दिया। इस उद्घोषणा के कारण झारखंड में ताना भगत आंदोलन का जन्म हुआ।

https://www.pdfnotes.co/

- यह आंदोलन कृषि असंतोष की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, जिसमें औपनिवेशिक अधिकारियों, ज़मींदारों और मध्यस्थ किरायेदारों द्वारा लगाए गए जबरन श्रम (बेगार) और अन्यायपूर्ण लगान वृद्धि का विरोध किया गया।
- वे **साहूकारों और मिशनरियों दोनों के ख़िलाफ़** थे।
- ताना भगत आंदोलन मुख्य रूप से **धार्मिक और अहिंसक** था।
- इस आंदोलन में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से पहले सत्याग्रह आंदोलन का रूप दिखता है।
- वर्ष 1921 में, असहयोग आंदोलन के दौरान, ताना भगतों ने स्वतंत्रता के व्यापक संघर्ष में भाग लेते हुए खुद को कांग्रेस के साथ जोड़ लिया।

बिरसा मुंडा विद्रोह (1890-1901) [सिंहभूम और राँची]

- इसे **'उलगुलान'** (महान उथल-पुथल) के नाम से भी जाना जाता है।
- **उद्देश्य:** धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ एक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना था।
- अंग्रेज़ों द्वारा ज़मींदारी प्रथा लागू करने के कारण जनजातीय भूमि पर लगान लगाया गया, भुगतान न करने पर बेदखली हुई और सूदखोर साहूकारों पर निर्भरता बढ़ गई। इसलिए, यह आंदोलन साहूकारों और ईसाई मिशनरियों सहित बाहरी लोगों (**'दिकुओं'**) के खिलाफ असंतोष से शुरू हुआ।
- बाद में, सरकार ने अनिवार्य बेगार को समाप्त करने और वर्ष 1903 के किरायेदारी अधिनियम को पारित करने जैसे कदम उठाए, जिसने मुंडाओं की खुंटकट्टी प्रणाली को मान्यता दी, **छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908** में पारित किया गया था।

खुंटकट्टी प्रणाली आदिवासी वंश द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व है। इस प्रणाली के तहत, मुंडा आदिवासी आमतौर पर जंगलों को साफ़ करते हैं और भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। खेती योग्य भूमि का स्वामित्व तब पूरे कबीले के पास होता है, न कि किसी विशेष व्यक्ति के पास।

आंदोलन	क्षेत्र	मुख्य कारण एवं घटनाएँ	नेता
कोल विद्रोह (1831)	छोटानागपुर	भूमि के बड़े पैमाने पर हस्तांतरण, कोल मुखियाओं को प्रभावित करने वाली ब्रिटिश नीतियाँ।	बुद्धो भगत
हो और मुंडा विद्रोह (1820-37)	झारखंड	नई कृषि राजस्व नीति और सिंहभूम पर कब्ज़े के खिलाफ।	राजा पराहत
खोंडा डोरा अभियान (1900)	डाबर क्षेत्र, विशाखापत्तनम	कोर्रा मल्लाया के नेतृत्व में, खोंडा डोरास को संगठित किया गया।	कोर्रा मल्लाया
भील विद्रोह (1817-19, 1913)	पश्चिमी घाट क्षेत्र	गोविंद गुरु ने भीलों को 'भील राज' के लिए संगठित होने में मदद की।	गोविंद गुरु
रम्पा विद्रोह (1916, 1922-24)	आंध्र प्रदेश	ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ अल्लूरी सीताराम राजू को, वर्ष 1924 में पकड़ लिया गया और फाँसी दे दी गई।	अल्लूरी सीताराम राजू
वन सत्याग्रह (1920, 1930)	गुंटूर क्षेत्र और पलामू, बिहार	जनजातियाँ अपनी भूमि पर बढ़ते ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध कर रही थी।	चेंचु (गुंटूर), खार्वाडों (पलामू)
रामोसी विद्रोह	पश्चिमी घाट	मराठा क्षेत्रों पर ब्रिटिश कब्ज़े पर नाराज़गी।	चित्तूर सिंह, उमाजी नाइक

अन्य आंदोलन

- नायकदा आंदोलन (1860) [मध्य प्रदेश, गुजरात]: अंग्रेज़ों और जातिगत हिंदुओं के खिलाफ विद्रोह।
- खरवार विद्रोह (1870) [बिहार]: राजस्व बंदोबस्त गतिविधियों के विरुद्ध विद्रोह।
- कोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी क्षेत्र (आंध्र प्रदेश);
- भुयान और जुआंग विद्रोह (ओडिशा);
- बोक्टा विद्रोह (1858-1895) [छोटानागपुर];
- तमर विद्रोह (1798) [छोटानागपुर क्षेत्र];
- बस्तर विद्रोह (1910) [जगदलपुर]: नए सामंती और वन करों के खिलाफ;
- गोंड विद्रोह (1940): इसका उद्देश्य गोंड धर्म के विश्वासियों को एक साथ लाना था।

उत्तर-पूर्व भारत के जनजातीय आंदोलन

आंदोलन	स्थान	नेता	मुख्य कारण एवं घटनाएँ
खासी विद्रोह (1833 तक)	गारो और जयन्तिया पहाड़ी, मेघालय	तीरथ सिंह	बाहरी लोगों (अंग्रेज़ों, बंगाली और मैदानी मज़दूरों) के खिलाफ खासी, गारो, खम्पटिस और सिंगफोस द्वारा संगठित प्रतिरोध। हालाँकि इस विद्रोह को वर्ष 1833 तक दबा दिया गया।

https://www.pdfnotes.co/

सिंहफोस विद्रोह (वर्ष 1830 से आगे)	असम	निरंग फिदु	वर्ष 1839 में विद्रोह के कारण ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट की मृत्यु हो गई। वर्ष 1843 में ब्रिटिश चौकी पर हमले के साथ एक और महत्त्वपूर्ण विद्रोह हुआ।
कुकी विद्रोह (1917-1919)	मणिपुर		प्रथम विश्व युद्ध के दौरान श्रमिक भर्ती की ब्रिटिश नीति के कारण।
ज़ेलियांगसॉन्ग आंदोलन (1920)	मणिपुर	ज़ेमी, लियांगमेई, रोंगमेई जनजातियाँ	वर्ष 1917-19 में कूकी विद्रोह के दौरान उनकी रक्षा करने में ब्रिटिश विफलता के खिलाफ ज़ेमी, लियांगमेई और रोंगमेई जनजातियों के नेतृत्व में।
नागा आंदोलन (1905-1931)	मणिपुर	जादोनांग	जादोनांग ने **'नागा राज'** स्थापित करने के लक्ष्य के साथ, अंग्रेज़ों के खिलाफ नागाओं का नेतृत्व किया।

अन्य आंदोलन:

- वर्ष 1860-62 में जयन्तिया पहाड़ी के सिंटेंग
- वर्ष 1861 में फुलागुड़ी किसानों का विद्रोह
- वर्ष 1872-73 में सफ़लास का विद्रोह
- वर्ष 1882 में कछार के कछा नागाओं का विद्रोह
- वर्ष 1839 और 1842 के बीच असम में खाम्ती (Khamti) विद्रोह
- लुशाइयों ने वर्ष 1842 और 1844 में विद्रोह किया, जब उन्होंने मणिपुर के गाँवों पर हमला किया।

❖ ❖ ❖

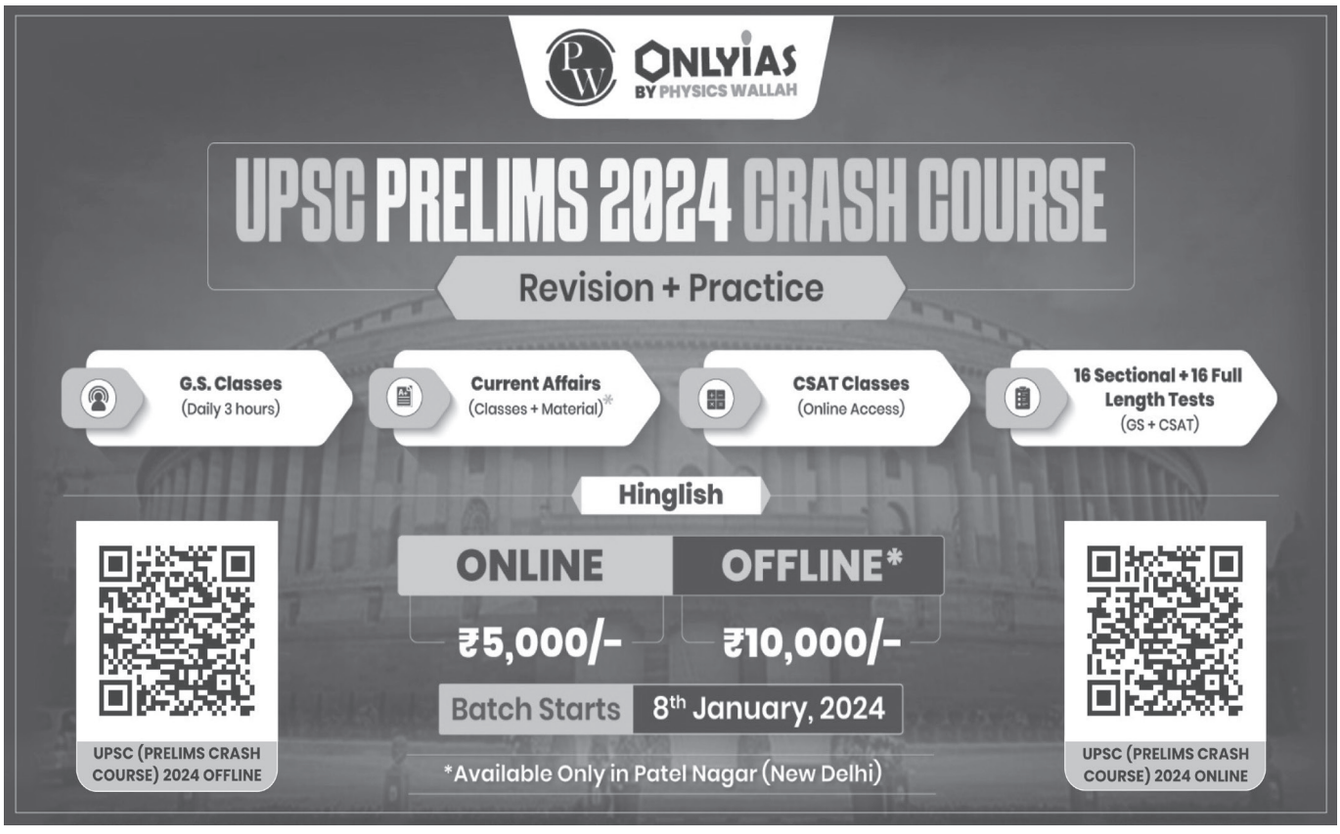

https://www.pdfnotes.co/

3 1857 का विद्रोह

शुरुआत

- बेरहामपुर (पश्चिम बंगाल) में 19वीं नेटिव इन्फैंट्री ने शुरू की गई नई एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया और फरवरी 1857 में विद्रोह कर दिया। इसे मार्च 1857 में भंग कर दिया गया।
- 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के **मंगल पांडे** ने बैरकपुर में अपनी यूनिट के सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। उन्हें प्रताड़ित कर मार डाला गया। साथ ही उनकी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया।
- तीसरे देशी घुड़सवार सेना के जवानों ने चर्बी वाले कारतूस लेने से इनकार कर दिया और विद्रोह शुरू कर दिया। इस प्रकार, 10 मई, 1857 को दिल्ली से 58 किमी दूर **मेरठ** में विद्रोह शुरू हो गया।

विद्रोह के कारण

सिपाही असंतोष

- 1857 के विद्रोह का तात्कालिक एवं प्रभावी कारण था।
- अंग्रेजों ने सिपाहियों पर जाति और संप्रदाय के निशान धारण करने पर प्रतिबंध लगाकर सामाजिक-धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया।
- **नस्लवाद और अंग्रेजों की श्रेष्ठता की भावना** ने खाई पैदा कर दी, जैसा कि देशी सैनिकों को पदोन्नति और विशेषाधिकारों की कमी और सिंध व पंजाब जैसे क्षेत्रों में विदेशी सेवा भत्ते की कमी के रूप में देखा गया।
- **सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम (1856):** इसमें आदेश दिया गया कि बंगाल सेना में भविष्य में भर्ती होने वाले सभी लोगों को कहीं भी सेवा करने का वचन देना होगा। इसका मतलब था कि सैनिकों को समुद्र पार करना पड़ता और हिंदू मान्यता में समुद्र पार करना धार्मिक रूप से पाप माना जाता था।

आर्थिक

- औपनिवेशिक नीतियों ने भारत के पारंपरिक आर्थिक ताने-बाने को नष्ट कर दिया था।
- किसानों पर भारी कर लगाया गया, उन्हें साहूकारों से अत्यधिक दरों पर ऋण लेना पड़ा। बाद में कर्ज न चुकाने के कारण उन्हें बेदखली का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वे भूमिहीन हो गए।
- कारीगरों का संरक्षण खत्म हो गया क्योंकि देशी शासक और कुलीन आर्थिक दबाव में आ गए थे।
- प्रशासन द्वारा बार-बार **परमादेश (क्वो वारंटो)** के इस्तेमाल के कारण जमींदारों को अपनी जमीनें खोनी पड़ीं।
- ब्रिटिश औद्योगिक नीति ने भारतीय हस्तशिल्प (उच्च प्रशुल्क) के साथ-साथ आधुनिक उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया (कोई परमिट नहीं दिया गया)।
- अंग्रेजों ने भारतीय निर्मित वस्तुओं पर उच्च प्रशुल्क लगाया, और आयातित वस्तुओं पर बहुत कम प्रशुल्क लगाया गया।

राजनीतिक

- 'सहायक संधि', 'हड़प नीति' और 'प्रभावी नियंत्रण' जैसी ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों ने देशी शासकों की अंग्रेजों पर निर्भरता पैदा कर दी।
- **अवध का विलय (1856):** लोकप्रिय नवाब वाजिद अली शाह को विस्थापित किया गया।

प्रशासनिक

- प्रशासन के सभी स्तरों, विशेषकर अदालतों, पुलिस और भूमि अभिलेखों में, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त था।
- ब्रिटिश शासन के चरित्र ने भारतीयों की दृष्टि में विदेशी और विजातीय दृष्टि डाली, संप्रभुता की अनुपस्थिति का एहसास कराया।

सामाजिक-धार्मिक

- स्थानीय लोग ईसाई मिशनरियों को संदेह की दृष्टि से देखते थे।
- सती उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक-धार्मिक सुधारों को अंग्रेजों द्वारा धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया।
- आटे में हड्डी का बुरादा मिलाने, गोमांस की चर्बी से कारतूसों बनाना (क्रोधित हिंदू) और सुअर की चर्बी (क्रोधित मुस्लिम) की अफवाहों ने सिपाहियों की धार्मिक-सांस्कृतिक संवेदनाओं को क्रोधित कर दिया।

बाह्य प्रभाव

- प्रथम अफगान युद्ध (1838-42), पंजाब युद्ध (1845-49) और क्रीमिया युद्ध (1854-56) में विदेशों में ब्रिटिश क्षति ने **ब्रिटिश अपराजिता के मिथक को तोड़** दिया।

विद्रोह का प्रसार

प्रमुख केंद्र

- **दिल्ली** 1857 के विद्रोह का सबसे महत्त्वपूर्ण केंद्र था।
  - अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बने और उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया गया।
  - जनरल बख्त खान, एक जमींदार, सत्ता का वास्तविक केंद्र था और सैनिकों के दरबार का नेतृत्व करता था। उन्होंने बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें दिल्ली ले आए।

https://www.pdfnotes.co/

- **बेगम हजरत महल ने लखनऊ** के निवासी हेनरी लॉरेंस के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया।
- **बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब** ने खुद को मुगल सम्राट के अधीन पेशवा घोषित किया और कानपुर में अंग्रेजों को खदेड़ दिया। स्टेशन की कमान सँभाल रहे सर ह्यू व्हीलर ने 27 जून, 1857 को आत्मसमर्पण कर दिया और उसी दिन उनकी हत्या कर दी गई।
- **रानी लक्ष्मीबाई ने झाँसी में विद्रोह** का नेतृत्व किया।
  - लॉर्ड डलहौजी ने 'व्यपगत के सिद्धांत' के तहत उनके दत्तक पुत्र को सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया था।
  - नाना साहेब के सहयोगी तात्या टोपे के समर्थन से, उन्होंने ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ने के लिए कूच किया।

नेताओं के नाम	विद्रोह का क्षेत्र
बरेली	**बख्त खान,** बाद में खान बहादुर, रोहिलखंड के पूर्व शासक के वंशज थे।
जगदीशपुर (आरा)	**कुँवर सिंह**, जगदीशपुर के जमींदार थे।
फैजाबाद	**मौलवी अहमदुल्ला** ने 'चिनहट की लड़ाई' लड़ी और अवध में **हेनरी लॉरेंस** को हराया।
बागपत	**शाह मल**, बड़ौत का एक स्थानीय ग्रामीण था। वह **डनलप** द्वारा मारा गया था।

सामूहिक विद्रोह

- जमींदार प्रतिरोध के नेता बन गए।
- किसानों, कारीगरों और मजदूरों के साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ एकजुट होने से नागरिक भागीदारी में वृद्धि हुई।
- हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पूर्ण सहयोग ने विद्रोह को गति प्रदान की।
- **आजमगढ़ उद्घोषणा-** विद्रोहियों की माँगों को सूचीबद्ध किया गया और साथ ही ब्रिटिश शासन की निंदा की गई।
- कंपनी शासन के खिलाफ भावनाएँ भड़काने के लिए राष्ट्रवादी मिथकों का प्रयोग किया गया।
- बाद में **सुभद्रा कुमारी चौहान** ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में लिखा।

विद्रोह का दमन

- सितंबर 1857 में **अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा** कर लिया और बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून में निर्वासित कर दिया, और शाही राजकुमारों की हत्या कर दी गई। अर्थात् मुगलों का वंश पूर्णतः समाप्त हो गया।
- सक्षम सैन्य कमांडरों ने **सर कॉलिन कैंपबेल** (कानपुर), **सर ह्यूरोज** (झाँसी) और **कर्नल नील** (बनारस) जैसे सभी प्रमुख केंद्रों पर पुनः कब्जा कर लिया।
- वर्ष 1859 तक, नाना साहब नेपाल भाग गए जबकि तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और मार दिया गया।
- कुँवर सिंह, बख्त खान, बरेली के खान बहादुर खान, राव साहब (नाना साहब के भाई) और मौलवी अहमदुल्ला सभी मारे गए, जबकि अवध की बेगम को नेपाल में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- उत्तर भारत को मार्शल शासन के अधीन कर दिया गया और यहाँ तक कि सामान्य अंग्रेजों को भी विद्रोह के संदेह वाले भारतीयों को दंडित करने की शक्ति मिल गई।

विद्रोह का विश्लेषण

विद्रोह की विफलता के कारण

- **सीमित क्षेत्रीय प्रसार:** भारत के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से कमोबेश अप्रभावित रहे।
- **कुछ वर्गों ने भाग नहीं लिया:**
  - अधिकांश भारतीय शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर।
  - बड़े जमींदार और साहूकार दूर रहे क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेजों के अधीन उनके हित सबसे अच्छे हैं।
  - विद्रोह की सामंती, रूढ़िवादी प्रकृति ने शिक्षित मध्य वर्ग को अलग-थलग कर दिया।
- **विद्रोह में इस्तेमाल किए गए हथियारों की खराब गुणवत्ता:** जिस कारण वे ब्रिटिश हथियारों के सामने नहीं टिक पाए।
- जेम्स आउट्राम और हेनरी हैवलॉक जैसे सैन्य कमांडरों की असाधारण युद्ध क्षमताओं के विरुद्ध क्रांतिकारियों की असंगठित प्रकृति।
- विद्रोहियों को एकजुट करने के लिए कोई एकीकृत विचारधारा या भविष्य की दृष्टि नहीं थी।
- व्यापक सामाजिक-राजनीतिक विकल्प का अभाव।

विद्रोह के परिणाम

- भारत में बेहतर शासन के लिए अधिनियम, 1858 (Act of better government of India, 1858)
  - कंपनी शासन का उन्मूलन।
  - महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की संप्रभु घोषित किया गया।
  - ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे प्रशासनिक नियंत्रण लेने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति।
- 1858 की रानी की उद्घोषणा
  - लॉर्ड कैनिंग (भारत के गवर्नर जनरल) को '**वायसराय**' की उपाधि दी गई।
  - घोषणा की गई कि विलय और विस्तार का युग समाप्त हो गया है साथ ही यह भी घोषणा की गई कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता को मानना होगा।
  - भारत के लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता, सभी की समानता और व्यक्तिगत मामलों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप न करने का वादा किया।
- अंग्रेजों के 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत सेना का पुनर्गठन किया गया–
  - जाति/समुदाय/क्षेत्र, नई सेना इकाइयों का आधार बने।
  - 'मार्शल नस्लों' के सिद्धांत ने विद्रोह के दौरान वफादारी को पुरस्कृत किया और पंजाब, नेपाल एवं उत्तर-पश्चिमी सीमा क्षेत्र से भर्ती में वृद्धि की।
  - **सेना समामेलन योजना, 1861:** कंपनी के यूरोपीय सैनिकों को ताज की सेवाओं में स्थानांतरित किया गया।
  - अंग्रेजों ने अपने सामाजिक-सांस्कृतिक सुधारवादी उत्साह, जिसे 'श्वेत व्यक्ति का भार' माना जाता था, को बंद कर दिया और भारतीय समाज के मामलों में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया।

https://www.pdfnotes.co/

श्वेत विद्रोह

- कंपनी की सेनाओं ने उस कदम का विरोध किया जिसके तहत तीनों प्रेसीडेंसी सेनाओं को अपनी निष्ठा कंपनी से रानी के प्रति स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- इसका कारण **बट्टा** का खत्म होना था। बट्टा कंपनी के सैनिकों को गृह क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में संचालन से संबंधित विभिन्न खर्चों को कवर करने के लिए दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता था।

- भारत के आर्थिक शोषण में तेजी आई।

विद्रोह का महत्त्व

- कंपनी शासन की कमियों पर प्रकाश डाला और भारतीयों की वास्तविक आवश्यकताएँ व्यक्त कीं।
- ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध की स्थानीय परंपराएँ स्थापित कीं, जिससे बाद में स्वतंत्रता संग्राम में मदद मिली
- भविष्य के अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया।

विद्रोह की प्रकृति

- वीडी सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को **'प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम'** कहा था।
- डॉ. आर.सी. मजूमदार इसे न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए विद्रोह मानते हैं।
- नेहरू ने इसे सामंती विद्रोह के रूप में देखा।
- मार्क्सवादियों ने इसे विदेशी और सामंती शोषण के खिलाफ सैनिक-किसान के संयुक्त संघर्ष के रूप में देखा।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

4 सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन

परिचय

19वीं शताब्दी में विदेशी ब्रिटिश शासन, पश्चिमी संस्कृति का विरोध, महिलाओं की निराशाजनक स्थिति, जाति-आधारित असमानताएँ, बौद्धिक मध्य वर्ग का उदय और समानता, न्याय आदि मूल्यों के प्रसार के कारण महत्त्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल देखी गई। इन सभी परिवर्तनों ने कई सामाजिक-धार्मिक सुधार करने की शर्त को अनिवार्य बना दिया, जिसे प्रायः 'भारतीय पुनर्जागरण' कहा जाता है।

आंदोलन का सामाजिक आधार: इसमें मुख्यतः सेवा-प्रदाता वर्ग, मध्यवर्ग और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगाली युवावर्ग आदि शामिल थे।

आंदोलन का वैचारिक आधार: राममोहन राय और अक्षय कुमार दत्त के तर्कवाद, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सार्वभौमिकता और मानवतावाद पर आधारित।

सामाजिक आंदोलनों की दो धाराएँ हैं– सुधारवादी (Reformist) और पुनरुत्थानवादी (Revivalist)।

- **सुधारवादी** किसी सामाजिक रीति-रिवाज या धार्मिक परंपरा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में तर्क और तर्कवाद पर भरोसा करते थे।
  - उदाहरण– ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ आंदोलन आदि।
- **पुनरुत्थानवादियों** ने तर्क से अधिक परंपरा की अपील की।
  - उदाहरण– आर्य समाज आंदोलन, वहाबी आंदोलन और देवबंद आंदोलन आदि।
- सामाजिक सुधार आंदोलन मुख्य रूप से धार्मिक सुधारों से जुड़े थे क्योंकि अस्पृश्यता और लिंग-आधारित असमानता जैसी लगभग सभी सामाजिक बुराइयाँ किसी न किसी तरह से धर्म से संबंधित थीं। हालाँकि, बाद के वर्षों में, सामाजिक सुधार आंदोलन ने धीरे-धीरे स्वयं को धर्म से अलग कर लिया और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया।

महिलाओं की स्थिति में सुधार

सती प्रथा का उन्मूलन

- राजा राममोहन राय के प्रयासों से, विलियम बेंटिक ने बंगाल संहिता के 1829 के **विनियमन XVII** के तहत सती प्रथा को अवैध बना दिया गया।
- राममोहन राय ने सती प्रथा को 'शास्त्र की आड़ में हत्या' कहा।

16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की माँग की गई थी। कहा जाता है कि 1582 में मुगल बादशाह अकबर ने आदेश जारी किया था कि सती प्रथा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

कन्या भ्रूण हत्या को रोकना

- 1795 और 1804 के बंगाल नियमों द्वारा शिशुहत्या को प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसे हत्या के बराबर माना गया था। 1870 में पारित एक कानून ने माता-पिता को प्रत्येक बच्चे के जन्म को आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड करने और जन्म के बाद कुछ वर्षों तक महिला बच्चों के सत्यापन का प्रावधान करने के लिए बाध्य किया।

विधवा पुनर्विवाह

- **ईश्वर चंद्र विद्यासागर** (संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता के प्राचार्य) ने विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया और उनके प्रयास से, **हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856** पारित किया गया।
- **डी.के. कर्वे** ने पश्चिमी भारत में विधवाओं के उत्थान के लिए भी काम किया और स्वयं 1893 में एक विधवा से विवाह किया। वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव बने। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करके उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक रुचि पैदा करने के लिए पूना में एक विधवा आश्रम खोला।
- जगन्नाथ शंकर सेठ, भाऊ दाजी और विष्णु शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में बालिका विद्यालयों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।
- **विष्णु शास्त्री पंडित** ने 1850 के दशक में **विधवा पुनर्विवाह संघ** की स्थापना की।
- **करसोनदास मूलजी** ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती में **सत्य प्रकाश** की शुरुआत की।
- मद्रास में **वीरेशलिंगम पंतुलु** ने भी ऐसे ही प्रयास किए। बी.एम. मालाबारी, नर्मद दवे, न्यायमूर्ति गोविंद महादेव रानाडे, और के. नटराजन, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले सहित अन्य ने भी विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार की वकालत की।

बाल विवाह का नियंत्रण

- **मूल विवाह अधिनियम (Native Marriage Act) या नागरिक विवाह अधिनियम, 1872,** बाल विवाह के खिलाफ एक कानूनी कदम था। हालाँकि, इसका प्रभाव सीमित था क्योंकि यह हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य मान्यता प्राप्त धर्मों पर लागू नहीं था।

https://www.pdfnotes.co/

- **बी.एम. मालाबारी** ने कानून में बदलाव की वकालत की, जिसके परिणामस्वरूप सहमति आयु अधिनियम (1891) आया, जिसके तहत 12 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी को रोक दिया गया।
- **रुक्माबाई राउत के मामले** ने सुधारकों को सहमति आयु अधिनियम पारित कराने के लिए प्रेरित किया यह मामला दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से जुड़ा था। **[यूपीएससी 2020]**

रुक्माबाई राउत (Rukhmabai Raut)

- वह भारत की पहली महिला चिकित्सक और बाल विवाह सुधारक थीं। उनकी शादी 11 साल की उम्र में दादाजी भीकाजी से हो गई थी लेकिन उन्होंने अपनी शादी की वैधता को अदालत में चुनौती दी।
- वह 1887 में अपील हार गईं और हिंदू रीति-रिवाजों की अवहेलना के लिए कारावास का सामना करना पड़ा, लेकिन रानी विक्टोरिया के हस्तक्षेप से उन्हें बचा लिया गया।
- बेहरामजी मालाबारी और रमाबाई रानाडे जैसे सुधारकों ने मामले को जनता के ध्यान में लाने के लिए **रुक्माबाई रक्षा समिति** का गठन किया।
- उनका मामला भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया और 1891 में सहमति की आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम **आयु 10 से बढ़ाकर 12 कर** दी।

- **शारदा अधिनियम/बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929** ने लड़कों के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दिया। यह अधिनियम वर्ष 1930 में लागू हुआ था।
- स्वतंत्रता के बाद, **बाल विवाह निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 1978** ने भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी।

स्त्री शिक्षा

- वर्ष 1819 में ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित **कलकत्ता तरुण स्त्री सभा,** लड़कियों की शिक्षा के लिए शुरुआती पहलों में से एक थी।
- **जगन्नाथ शंकरशेठ** 'नाना' और **भाऊ दाजी** महाराष्ट्र में बालिका विद्यालयों के सक्रिय प्रवर्तकों में से थे।
  - जगन्नाथ शंकर सेठ स्कूल सोसाइटी और नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने गिरगाँव (महाराष्ट्र) में एक अंग्रेजी-मराठी स्कूल शुरू किया।
  - भाऊ दाजी लाड (राम कृष्ण लाड) स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष थे।
- **ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई** ने 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए **पहला स्कूल** खोला।
  - सावित्रीबाई फुले ने फातिमा शेख और सगुनाबाई के साथ पढ़ाया।
  - उन्होंने **एक रात्रि विद्यालय** भी खोला था।
- पारसी लड़कियों को शिक्षित करने के लिए वर्ष 1863 में **एलेक्जेंडर सोसाइटी ऑफ पारसीस** की स्थापना की गई थी।

बॉम्बे विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक (1887 में एक पारसी महिला), **कॉर्नेलिया सोराबजी** थीं। बाद में उन्होंने शिक्षा में महिलाओं के लिए समान अवसरों के लिए काम किया।

- **बेथ्यून स्कूल की स्थापना** जे.ई.डी. बेथ्यून द्वारा की गई थी। 1849 में, 1840 और 1850 के दशक में महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन से जुड़ा, एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
- लॉर्ड डलहौजी के समर्थन से, 1854 में शिक्षा पर **चार्ल्स वुड डिस्पैच** में महिलाओं को शिक्षित करने के महत्त्व पर जोर दिया गया।
- वर्ष 1914 में महिला चिकित्सा सेवा ने नर्सों और मिडवाइसों को प्रशिक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- प्रोफेसर **डी.के. कर्वे** ने वर्ष 1916 में **भारतीय महिला विश्वविद्यालय** की स्थापना की, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए एक उल्लेखनीय संस्थान था। उसी वर्ष दिल्ली में **लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज** खोला गया था।

महिला संगठन

- **पंडिता रमाबाई सरस्वती** ने महिलाओं के मुद्दों को प्रकाश में लाने के लिए **आर्य महिला समाज** की स्थापना की, जिससे भारतीय महिलाओं के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव हुए और **लेडी डफरिन कॉलेज** में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत हुई। **रमाबाई रानाडे** ने 1904 में बॉम्बे में लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस (भारत महिला परिषद) की स्थापना की, जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के तहत एक शाखा थी।
- **सरला देवी चौधरानी** ने वर्ष 1910 में इलाहाबाद में **भारत स्त्री महामंडल** की उद्घाटन बैठक बुलाई, जिसे किसी महिला द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख भारतीय महिला संगठन माना गया।
- 1925 में, भारत में **राष्ट्रीय महिला परिषद** की स्थापना की गई। कॉर्नेलिया सोराबजी, ताराबाई प्रेमचंद, शफी तैयबजी और महारानी सुचारु देवी जैसी उल्लेखनीय महिलाओं के साथ, मेहरबाई टाटा ने इसके गठन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- 1927 में **मार्गरेट कजिन्स** द्वारा स्थापित **अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC)** ने अपना पहला सम्मेलन पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में आयोजित किया। इसका उद्देश्य जन्म या लिंग की परवाह किए बिना हर व्यक्ति के लिए सामाजिक न्याय, समान अधिकार और अवसरों पर आधारित समाज का निर्माण करना था।
  - **संस्थापक सदस्य:** महारानी चिम्नाबाई गायकवाड़, माँगली की रानी साहिबा, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और लेडी दोराब टाटा आदि।

अन्य विधान

हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम (1937), कारखाना अधिनियम (1947), हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम (1954), विशेष विवाह अधिनियम (1954), हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम (1956), हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (1956), महिला अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम (1958), मातृत्व लाभ अधिनियम (1961), दहेज निषेध अधिनियम (1961), और समान पारिश्रमिक अधिनियम (1958, 1976) ने महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण में योगदान दिया।

https://www.pdfnotes.co/

जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष (व्यक्तित्व और संगठन)

राजा राम मोहन राय (1772-1833)

- उन्हें अक्सर 'भारतीय पुनर्जागरण का जनक' कहा जाता था। उन्होंने **'गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स'** (एकेश्वरवादियों **को उपहार**) **(1809)** लिखा और हिंदू धर्म के भीतर **एकेश्वरवाद** की वकालत करने के लिए वेदों का अनुवाद किया।
- उन्होंने 1814 में **आत्मीय सभा (मित्रों की सोसायटी)** की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना था।
- अपने **प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस (1820)** में, उन्होंने नए नियम के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की।
- **ब्रह्म सभा**, जिसकी स्थापना 1828 में हुई और बाद में इसका नाम बदलकर **ब्रह्म समाज** कर दिया गया, ने प्रार्थना, ध्यान और उपनिषद पाठों के माध्यम से शाश्वत अस्तित्व की पूजा पर जोर दिया, मूर्तिपूजा और अनुष्ठानों का विरोध करने के लिए किसी भी प्रकार की ***कल्पना*** को स्पष्ट रूप से बाहर रखा।

[यूपीएससी 2012]

- समाज 'शाश्वत, अप्राप्य, अपरिवर्तनीय परमात्मा की पूजा और आराधना के लिए प्रतिबद्ध था जो ब्रह्मांड का निर्माता और संरक्षक है।' इसने बहुदेववाद, मूर्तिपूजा, अवतारों में विश्वास, किसी एक धर्मग्रंथ को सर्वोपरि मानने और जाति व्यवस्था की निंदा की।
- **सती विरोधी अभियान** 1818 में शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 1829 में सरकारी विनियमन के तहत सती को अपराध घोषित कर दिया गया।
- राय ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, **बहुविवाह का विरोध** किया और महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति के अधिकारों की वकालत की थी।
- उन्होंने 1817 में **हिंदू कॉलेज** की स्थापना के **डेविड हेयर** के प्रयासों का समर्थन किया और 1825 में **वेदांत कॉलेज** की स्थापना की, जो भारतीय और पश्चिमी विज्ञान में पाठ्यक्रम पेश करता था।

राजा राममोहन राय के बारे में

- वे 12 से अधिक भाषाओं के ज्ञाता थे। रॉय ने जनता को शिक्षित करने और सूचित करने तथा सरकार के समक्ष उनकी शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी में पत्रिकाएँ निकालीं।
- उन्होंने विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में कमी करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया।
- उन्होंने बेहतर सेवाओं के भारतीयकरण और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की माँग की।
- उन्होंने भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच न्यायिक समानता और मुकदमे जूरी द्वारा आयोजित करने की माँग की।
- डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देबेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देब और ताराचंद चक्रवर्ती उनके सहयोगी थे।

आदि ब्रह्म समाज

देबेंद्रनाथ टैगोर 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। उन्होंने **तत्वबोधिनी सभा** (1839 में स्थापित) का नेतृत्व किया, जो बंगाली में अपने अंग तत्वबोधिनी पत्रिका के साथ, तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन के लिए समर्पित थी। टैगोर के शामिल होने के बाद **ब्रह्म सभा** और **तत्वबोधिनी सभा** अनौपचारिक रूप से जुड़ गईं।

- टैगोर ने दो मोर्चों पर काम किया: हिंदू धर्म के भीतर, यह एक सुधारवादी आंदोलन; बाहर, इसने हिंदू धर्म की आलोचना के लिए ईसाई मिशनरियों का विरोध किया।
- **केशव चंद्र सेन** के साथ विभाजन के बाद, देबेंद्रनाथ टैगोर के समाज को **आदि ब्रह्म समाज** के रूप में जाना जाने लगा। केशव चंद्र सेन ने बंगाल से बाहर ब्रह्म समाज का विस्तार किया और बाद में 1866 में **भारतीय ब्रह्म समाज** का गठन किया।

केशव चंद्र सेन (1838-1884)

- 1858 में ब्रह्म समाज के आचार्य के रूप में नियुक्त किए गए। ब्रह्म समाज के विचारों को बंगाल के बाहर (संयुक्त प्रांत, बंबई, पंजाब आदि में) प्रसार किया।
- जाति व्यवस्था के विरुद्ध उग्र विचार प्रकट किए और अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया।
- 1865 में आचार्य पद से निष्कासित।
- केशव चंद्र सेन ने माघ महोत्सव के सम्मान में मंदिर का निर्माण कराया, जिसे नई व्यवस्था के मंदिर के रूप (Tabernacle of new dispensation) में जाना जाता है।
- 29 अक्टूबर, 1870 को **भारतीय सुधार संघ** की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष **केशव चंद्र सेन** थे।

- 1878 में, केशब ने अपनी 13 वर्षीय बेटी की शादी कूच-बिहार के नाबालिग हिंदू महाराजा से सभी रूढ़िवादी हिंदू रीति-रिवाजों के साथ करने के कारण उनके **भारतीय ब्रह्म समाज में एक और विभाजन** पैदा कर दिया।
- **केशव चंद्र सेन के मित्रों में आनंद मोहन बोस, शिबचंद्र देब और उमेश चंद्र दत्त** ने उनके विचारों के विरोध में **साधारण ब्रह्म समाज** की स्थापना की।
- पंजाब में, दयाल सिंह ट्रस्ट ने 1910 में लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना करके ब्रह्मो विचारों को लागू करने की कोशिश की।

प्रार्थना समाज (1867)

- **केशव चंद्र सेन** ने बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना में **आत्माराम पांडुरंग** की मदद की थी।
- प्रार्थना समाज की अग्रदूत **परमहंस सभा** थी, जिसने उदार विचारों का प्रसार किया और **जातिगत और सांप्रदायिक बाधाओं** को तोड़ने को प्रोत्साहित किया।
- इसने मुख्य रूप से चार सूत्रीय सामाजिक एजेंडे के साथ धार्मिक सिद्धांतों के बजाय सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया:
  - जाति व्यवस्था की अस्वीकृति
  - महिला शिक्षा
  - विधवा पुनर्विवाह
  - महिलाओं और पुरुषों दोनों लिए विवाह की आयु बढ़ाना
- प्रार्थना सभा **महाराष्ट्र के भक्ति पंथ** से नजदीकी से जुड़ी हुई थी।

https://www.pdfnotes.co/

- 1870 में, **महादेव गोविंद रानाडे** प्रार्थना समाज में शामिल हो गए, और इसकी लोकप्रियता और इसके काम के विस्तार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- प्रार्थना समाज के अन्य नेता थे– **आर.जी. भंडारकर और एन.जी. चंदावरकर, धोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री**, जो सामाजिक सुधार के समर्थन में महादेव गोविंद रानाडे के साथ शामिल हुए।
  - उन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और विधवा गृह संघ की स्थापना की।

यंग बंगाल आंदोलन

- यह एक कट्टरपंथी बौद्धिक आंदोलन था जो बंगाल में युवाओं के बीच उभरा, जिसका नेतृत्व **हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया,** जो एक एंग्लो-इंडियन और 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे।
- डेरोजियो को उनके कट्टरवाद के कारण 1831 में हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया था। **वह स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता के लिए फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों** से प्रभावित थे।
- डेरोजियों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सार्वजनिक शिक्षा की **राममोहन राय की परंपरा को जारी** रखा।
- उनकी माँगें थीं–
- (i) उच्च सेवाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व की वकालत।
- (ii) रैयतों की सुरक्षा और विदेशों में भारतीय श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार के लिए समर्थन।
- (iii) कंपनी के चार्टर में संशोधन, प्रेस की स्वतंत्रता और जूरी द्वारा मुकदमे की माँग।
- हालाँकि, डेरोजियो के पास जनता के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं था, और उनकी कट्टरवाद चरित्र में किताबी था।
- **सुरेंद्रनाथ बनर्जी** ने डेरोजियो को **'बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूतों'** के रूप में स्वीकार किया।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर

- उन्होंने वर्ष 1850 में **संस्कृत कॉलेज** में प्रिंसिपल की भूमिका निभाई और कॉलेज को गैर-ब्राह्मणों के लिए प्रवेश प्रारंभ कर शास्त्रीय ज्ञान पर पुरोहितों के एकाधिकार को खत्म करने का प्रयास किया।
- उन्होंने **विधवा पुनर्विवाह** के समर्थन में एक आंदोलन शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रथा को कानूनी रूप मिला।
- उन्होंने भारतीय और पश्चिमी विचारों को अपने विचारों में एकीकृत करके **महिला शिक्षा का समर्थन** करते हुए बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया।
- उन्होंने एक नया बंगाली प्राइमर तैयार किया और एक नई गद्य शैली विकसित की।
- **बेथून स्कूल** 1849 में एक हिंदू महिला स्कूल के रूप में शुरू हुआ और 1856 में इसका नाम बदलकर **बेथून स्कूल** कर दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 1849 में स्थापित **बेथून स्कूल**/कॉलेज के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

बालशास्त्री जाम्भेकर (1832-1840)

- उन्होंने **ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता को चुनौती** दी और हिंदू धर्म में सुधार की माँग की।
- उन्होंने **विधवा पुनर्विवाह** और जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 1832 में **दर्पण** और बाद में 1840 में **दिग्दर्शन** पत्र शुरू किया।
- उन्हें **'मराठी पत्रकारिता के जनक'** के रूप में जाना जाता है।
- जाम्भेकर ने **बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी** की स्थापना की और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की शुरुआत की, जो स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी की एक शाखा थी।
- वह कोलाबा वेधशाला के निदेशक होने के अलावा एल्फिंस्टन कॉलेज में **हिंदी के पहले प्रोफेसर** थे।

परमहंस मंडली (1849)

- इसकी स्थापना महाराष्ट्र में **दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम** द्वारा की गई थी और यह हिंदू धर्म और समाज में सुधार पर केंद्रित एक **गुप्त समाज** के रूप में शुरू हुई थी।
- यह विचारधारा मानव धर्म सभा से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक ईश्वर की पूजा, प्रेम, नैतिक आचरण, विचार की स्वतंत्रता और तर्कसंगतता की विचारधाराओं को अपनाना।
- इसने **जाति नियमों को तोड़ने की कोशिश** की, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया।
- इसकी शाखाएँ पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में मौजूद थीं।

ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले

- सतारा (महाराष्ट्र) में जन्मे **ज्योतिबा राव फुले** ने 1873 में **सत्यशोधक समाज** की स्थापना की, जिसका नेतृत्व पिछड़े वर्गों से किया गया था।
- आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था
  - समाज सेवा
  - महिलाओं और निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार
- उन्होंने उत्पीड़ितों का वर्णन करने के लिए **'दलित'** शब्द की शुरुआत की और शोषण मुक्त समाज की वकालत की।
- सत्यशोधक विवाह समारोहों ने ब्राह्मणवादी प्रथाओं को चुनौती दी।
- फुले **आर्य आक्रमण सिद्धांत में विश्वास** करते थे। फुले की रचनाएँ, **सार्वजनिक सत्यधर्म** और **गुलामगिरी** आम जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।
- फुले ने ब्राह्मणों के **राम** के प्रतीक के विपरीत **राजा बलि** के प्रतीक का इस्तेमाल किया।
- 1888 में समाज सुधारक **विट्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर** से **'महात्मा' की उपाधि** प्राप्त की।

https://www.pdfnotes.co/

- उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1863 में पुणे में **नेटिव फीमेल स्कूल और महार**, माँग और अन्य लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोसायटी की स्थापना की।

सावित्री फुले

- उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए **महिला सेवा मंडल** की शुरुआत की, विधवाओं के अमानवीयकरण के खिलाफ अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विधवाओं के **सिर मुंडवाने** की अमानवीय प्रथा की निंदा करने के लिए एक सफल 'नाई हड़ताल' का आयोजन किया था।
- उन्होंने ज्योतिबा के साथ मिलकर 1863 में शिशु हत्या रोकने के लिए **बालहत्या प्रतिबंधक गृह** की स्थापना की।
- सावित्रीबाई ने कविताएँ लिखीं और उनके दो संग्रह **काव्यफुले** और **बावनकाशी सुबोध रत्नाकर** हैं।
- ज्योतिबा की मृत्यु के बाद उन्होंने सत्य शोधक समाज की कमान सँभाली।

गोपाल बाबा वालंगकर (1840-1900)

- उन्हें **गोपाल कृष्ण** के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने दलितों को सामाजिक-आर्थिक उत्पीड़न से ऊपर उठाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंबेडकर द्वारा दलित आंदोलन के अग्रदूत के रूप में पहचान हासिल की।
- महाराष्ट्र के महाड के पास एक महार परिवार में जन्मे, उन्होंने 1886 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सेना में सेवा की, जो **ज्योतिबा फुले से काफी प्रभावित** थे।
- 1888 में, वालंगकर ने मासिक पत्रिका विटाल **विध्वंसक** (ब्राह्मणवादी या औपचारिक कुरीतियों का विनाशक) का प्रकाशन शुरू किया।
- 1889 में, उन्होंने एक पुस्तिका, विटाल **विध्वंसन** (औपचारिक कुरीतियों का विनाश) प्रकाशित की। **[यूपीएससी 2020]**
- उन्होंने सरकार द्वारा सेना में महार भर्ती बंद करने के खिलाफ वकालत करते हुए **अनार्य दोष-परिहार मंडली** की स्थापना की।
- उन्होंने **हिंदू धर्म दर्पण** लिखा, जो 1894 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने जाति मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए **सुधारक** और **दीनबंधु** जैसी पत्रिकाओं के लिए मराठी भाषा में भी लिखा।

किसान फागुजी बंसोड़ (1879-1946)

- उनका जन्म नागपुर में एक महार परिवार में हुआ था और उनका लक्ष्य दलित लड़कों और लड़कियों को शिक्षित करना था।
- उन्होंने नागपुर में **चोखामेला गर्ल्स स्कूल** की स्थापना की और **निराश्रित हिंद नगर, विटाल विद्यार्थी और मजूर पत्रिका** जैसी पत्रिकाएँ प्रकाशित कीं।
- उन्होंने 1920 में **अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन** में सचिव के रूप में कार्य किया।
- वह भक्ति पंथ, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के कार्यों से प्रभावित थे। हालाँकि उन्होंने आर्य आक्रमण के कारण दलितों की दासता के सिद्धांत की भी सदस्यता ली, लेकिन उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए **हिंदू धर्म के भीतर सुधारों** की वकालत की।

विठ्ठल रामजी शिंदे (1873-1944)

- उनका जन्म कर्नाटक के एक मराठी परिवार में हुआ था। वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तुकाराम, एकनाथ और रामदास के कार्यों से प्रभावित थे। बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वे **हरि नारायण आप्टे, गोपाल गणेश अगरकर, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और जी.बी. कोटकर** से प्रभावित थे।
- वह **प्रार्थना समाज** में शामिल हो गए और भारत में अस्पृश्यता को दूर करने की दिशा में काम किया।
- उन्होंने अस्पृश्यों के बच्चों के लिए 1905 में पुणे में एक रात्रि विद्यालय और 1906 में बॉम्बे में **डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन** की स्थापना की, जिसमें अस्पृश्यों की शिक्षा और समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- शिंदे ने 1919 में **साउथबरो फ्रैंचाइज समिति** के समक्ष साक्ष्य दिया और अस्पृश्य वर्ग को विशेष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता व्यक्त की।
- उन्होंने **सविनय अवज्ञा आंदोलन** में भाग लिया और यरवदा सेंट्रल जेल में कैद रहे।
- शिंदे **भारतीय अस्पृष्यतेचा प्रश्न** के लेखक थे।

गोपाल हरि देशमुख 'लोकहितवादी' (1823-92)

- उन्हें **'लोकहितवादी'** के नाम से भी जाना जाता है, वह महाराष्ट्र के एक तर्कवादी थे और तर्कसंगत सिद्धांतों और आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की वकालत करते थे।
- उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत **एक न्यायाधीश का पद** सँभाला लेकिन सामाजिक सुधार के मुद्दों पर **'लोकहितवादी'** के उपनाम से साप्ताहिक प्रभाकर के लिए लिखना शुरू किया।
- उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ लिखा, हिंदू रूढ़िवाद को चुनौती दी और सामाजिक और धार्मिक समानता पर जोर दिया।
- उन्होंने एक साप्ताहिक, **हितेच्छू** शुरू किया, और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी नामक पत्रिकाओं की स्थापना में भी अग्रणी भूमिका निभाई।

गोपाल गणेश आगरकर (1856-95)

- एक शिक्षाविद् के रूप में, उनके योगदान में न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की सह-स्थापना शामिल है।
- उन्होंने **फर्ग्यूसन कॉलेज** के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया और **केसरी** (लोकमान्य तिलक की पत्रिका) के पहले संपादक थे।
- उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के मुद्दों को संबोधित करते हुए आवधिक सुधारक शुरू किया।

सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी (1866-1915)

- **गोपाल कृष्ण गोखले** ने 1905 में एम.जी. रानाडे के समर्थन से इसकी स्थापना की।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना, संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के वास्तविक हितों को बढ़ावा देना और देश के लिए समर्पित निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को तैयार करना था।
- 1911 में, **हितवादा** ने समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रकाशन शुरू किया।
- 1915 में उनकी मृत्यु के बाद **श्रीनिवास शास्त्री** ने अध्यक्ष पद सँभाला।

सोशल सर्विस लीग

- **नारायण मल्हार जोशी** (गोखले के अनुयायी) ने जनता के जीवन और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए बॉम्बे में इसकी स्थापना की।

https://www.pdfnotes.co/

- इसने स्कूलों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, नर्सरीज और सहकारी समितियों का आयोजन किया।
- उनकी गतिविधियाँ पुलिस अदालत एजेंटों के काम, कानूनी सहायता, झुग्गीवासियों के लिए भ्रमण, जिमनासिया, नाटकीय प्रदर्शन, स्वच्छता कार्य, चिकित्सा राहत और लड़कों के क्लब की स्थापना तक प्रसारित थीं।
- उन्होंने 1920 में **अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस** की स्थापना में भी भूमिका निभाई।

रामकृष्ण आंदोलन (रामकृष्ण परमहंस)

- मूल रूप से उनका नाम **गदाधर चट्टोपाध्याय** था, उन्होंने दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में पुजारी के रूप में कार्य किया।

रामकृष्ण की शिक्षाओं के उद्देश्य:

- त्याग और व्यावहारिक आध्यात्मिकता के जीवन के लिए समर्पित भिक्षुओं का एक समूह स्थापित करना, जिन्हें वेदांत का संदेश प्रसार करने के लिए भेजा जाएगा।
- **रामकृष्ण मठ और मिशन रामकृष्ण मठ** की स्थापना परमहंस ने मठवासी शिष्यों के साथ की थी।
- रामकृष्ण मिशन की स्थापना **स्वामी विवेकानंद** ने 1897 में की थी।
- दोनों का मुख्यालय **कलकत्ता** के पास बेलूर में है।
- कानूनी और वित्तीय रूप से अलग-अलग जुड़वा संगठनों के रूप में कार्य करें।
- **मोक्ष के लिए परमहंस का दृष्टिकोण**
- पारंपरिक तरीकों की वकालत की: त्याग, ध्यान, भक्ति। सभी धर्मों की एकता को मान्यता दी। ईश्वर तक पहुँचने के अनेक मार्गों का प्रचार किया गया– **'जितने विश्वास, उतने मार्ग।'**
- वे कहते थे, "मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है।"

स्वामी विवेकानंद (नरेंद्रनाथ दत्त) (1862-1902)

- रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को बढ़ावा दिया, उन्हें आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप ढाला।
- **विवेकानंद** रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक अनुभवों, उपनिषदों, गीता, बुद्ध और यीशु से प्रभावित थे।
- उन्होंने तर्कसंगत और श्रेष्ठ दृष्टिकोण के रूप में इसकी वकालत करते हुए **वेदांत** की सदस्यता ली।
- वह **नव-हिंदू धर्म के प्रचारक** के रूप में उभरे।
- उनका मिशन परमार्थ (सेवा), व्यवहार और आध्यात्मिकता और दैनिक जीवन के बीच की खाई को पाटना था।
- भारत की आशा के रूप में हिंदू धर्म और इस्लाम के समन्वय की कल्पना की।
- सामाजिक क्रिया और व्यावहारिक ज्ञान के महत्त्व पर बल दिया।
- शिव की पूजा के रूप में सभी प्राणियों की सेवा की वकालत करते हैं।
- मानव जाति की सेवा के लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान को अपनाता है।

विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो (1893)

- स्वामी विवेकानंद ने अपनी व्याख्याओं से महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला। उन्होंने **अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच संतुलन** का आह्वान किया।
- 1897 में भारत लौटने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और लंदन में व्याख्यान दिया।
- इसका उद्देश्य भारत के अतीत पर गर्व और भविष्य में विश्वास पैदा करना है। हिंदू धर्म के एकीकरण और दलितों के उत्थान को बढ़ावा दिया।

दयानंद सरस्वती (मूलशंकर) (1824-83)

- उनका जन्म गुजरात के पुराने मोरवी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
- वह सत्य की खोज में 15 वर्षों (1845-60) तक एक तपस्वी के रूप में घूमते रहे।
- उन्होंने पश्चिमी प्रभावों के जवाब में **1875 में बंबई में आर्य समाज** की स्थापना की। बाद में मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया।
- उनके दृष्टिकोण को उनकी रचना **सत्यार्थ प्रकाश** में रेखांकित किया गया था, जिसका उद्देश्य एक वर्गहीन और जातिविहीन समाज, एक अखंड भारत और वैदिक सिद्धांतों की वापसी की वकालत करके विदेशी शासन से मुक्ति थी। उन्होंने **'वेदों की ओर लौटो'** का नारा दिया।
- दयानंद ने मथुरा में स्वामी विरजानंद से वेदांत की शिक्षा प्राप्त की थी।
- उन्होंने धर्मग्रंथों की व्यक्तिगत व्याख्या के महत्त्व पर जोर दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर तक पहुँचने का अधिकार है। उन्होंने **पुराणों तथा अज्ञानी पुरोहितों** की आलोचना की।
- उन्होंने इस बात की वकालत की कि ईश्वर, आत्मा और पदार्थ (प्रकृति) अलग-अलग और शाश्वत संस्थाएँ हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपना उद्धार स्वयं करना होगा।
- उन्होंने नियति के विचार पर हमला किया, लेकिन योग्यता या व्यवसाय के आधार पर कर्म, पुनर्जन्म और चतुर्वर्ण में विश्वास किया।

आर्य समाज ने दस मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाया, जिनमें ईश्वर के ज्ञान का प्राथमिक स्रोत, सर्वशक्तिमान की पूजा, वेदों का पालन, ईश्वर का पालनकर्ता रूप, मनुष्य में भाईचारा, लैंगिक समानता, न्याय और निष्पक्षता पर जोर दिया गया।

- आर्य समाज ने लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष निर्धारित की।
- उन्होंने उस समय के अन्य सुधारकों जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानाडे, देशमुख आदि से भी मुलाकात की।
- दयानंद एंग्लो-वैदिक (डी.ए.वी.) कॉलेज की स्थापना 1886 में लाहौर में हुई थी। 1893 में डी.ए.वी. कॉलेज के पाठ्यक्रम को लेकर यह **कॉलेज पार्टी** और **महात्मा पार्टी** में विभाजित हो गया।
  - **कॉलेज पार्टी** में लाला हंसराज, लाला लाल चंद और लाला लाजपत राय शामिल थे जो अंग्रेजी शिक्षा और मांसाहारी भोजन के पक्षधर थे। कॉलेज पार्टी ने डी.ए.वी. पर नियंत्रण बरकरार रखा।
  - स्कूल और कॉलेज गुरु दत्त विद्यार्थी और लाला मुंशी राम के नेतृत्व वाली **महात्मा पार्टी** स्वदेशी शिक्षा और शाकाहार की पक्षधर थी। **स्वामी**

https://www.pdfnotes.co/

श्रद्धानंद ने वेद और संस्कृत की स्वदेशी शिक्षा और समाज सुधार पर जोर देते हुए **गुरुकुल कांगड़ी** की स्थापना की।

- इसने ईसाई धर्म और इस्लाम से धर्मांतरित लोगों को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए **शुद्धि आंदोलन** की शुरुआत की।

सेवा सदन (1908)

- **दीवान दयाराम गिडूमल** के साथ **बहरामजी एम. मालाबारी** द्वारा स्थापित।
- मालाबारी ने सहमति आयु अधिनियम के अधिनियमन को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।
- यह सभी जातियों में त्याग दी गई और शोषित महिलाओं को शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और कल्याण सेवाएँ प्रदान करने पर केंद्रित था।
- बहरामजी मालाबारी ने **इंडियन स्पेक्टेटर** का अधिग्रहण और संपादन किया।

देव समाज (1887)

- **शिव नारायण अग्निहोत्री** द्वारा लाहौर में स्थापित, इसने शाश्वत आत्मा अवधारणाओं, गुरु सर्वोच्चता पर जोर दिया और धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहित किया।
- इसने आदर्श सामाजिक व्यवहार का प्रचार किया, जिसमें रिश्वतखोरी से परहेज करना, नशीले पदार्थों और मांसाहारी भोजन से परहेज करना और अहिंसा को बढ़ावा देना शामिल था। शिक्षाओं को देव शास्त्र पुस्तक में संकलित किया गया था।
- उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था।

धर्म सभा (1830)

- **राधाकांत देब** ने इसे एक **रूढ़िवादी समाज** के रूप में स्थापित किया, जो सामाजिक-धार्मिक यथास्थिति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध था, यहाँ तक कि **सती प्रथा के उन्मूलन का भी विरोध** करता किया।
- इसने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन किया।

भारत धर्म महामंडल (1902)

- **पंडित मदन मोहन मालवीय** के नेतृत्व में, इसके उद्देश्यों में हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन और हिंदू शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल था।
- यह आर्य समाजियों, थियोसोफिस्टों और रामकृष्ण मिशन के खिलाफ रूढ़िवादी हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में उभरा।
- रूढ़िवादी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए अन्य संगठन **सनातन धर्म सभा** (1895), दक्षिण भारत में **धर्म महा परिषद** और बंगाल में **धर्म महामंडली** थे। इन संगठनों ने 1902 में मिलकर भारत धर्म महामंडल का एकल संगठन बनाया, जिसका मुख्यालय वाराणसी में था।

राधा स्वामी आंदोलन (1861)

- 1861 में बैंकर **तुलसी राम (शिव दयाल साहब)** द्वारा शुरू की गई, इसने आध्यात्मिक आदर्शों को अपनाया जिसमें एक सर्वोच्च अस्तित्व में विश्वास, गुरु सर्वोच्चता, सत्संग (पवित्र लोगों की संगति), और सरल सामाजिक जीवन का पालन शामिल है।
- उनके अनुसार सभी धर्म सत्य हैं। हालाँकि, उन्हें मंदिरों, तीर्थस्थलों और पवित्र स्थानों पर कोई विश्वास नहीं था।

श्री नारायणगुरु धर्म परिपालन (SNDP) आंदोलन (1888)

- श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन केरल के इझवास जाति के बीच **श्री नारायण गुरु स्वामी** के नेतृत्व में दलित वर्गों और उच्च जातियों के बीच संघर्ष से उभरा।
- इझवास ताड़ी निकालने वालों की एक पिछड़ी जाति थी, जिन्हें भेदभाव, शिक्षा से इनकार और मंदिर में प्रवेश का सामना करना पड़ता था।
- नारायण गुरु ने मूर्ति प्रतिष्ठा पर उच्च जातियों के एकाधिकार को चुनौती देते हुए, 1888 में अरुविप्पुरम में एक शिवलिंग स्थापित करके एक क्रांति की शुरुआत की।
- इस आंदोलन ने **कवि कुमारन आसन** को आकर्षित किया और भेदभाव को संबोधित करने के लिए 1889 में **अरुविप्पुरम क्षेत्र योगम** का गठन किया गया।
- अरुविप्पुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम (SNDP) को 1903 में पंजीकृत किया गया था, जिसका लक्ष्य इझवाओं के बीच भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति थी।
- इझवा मेमोरियल और मलयाली मेमोरियल आंदोलनों सहित **डॉ. पालपू** के प्रयासों ने एसएनडीपी के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- नारायण गुरु सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते थे और जाति, नस्ल या पंथ के आधार पर विभाजनकारी तत्वों की निंदा करते थे।
- SNDP योगम ने इझवाओं के अधिकारों के लिये कार्य किया, जिसमें स्कूलों में प्रवेश, सरकारी सेवा भर्ती, सड़कों तक पहुँच, मंदिर में प्रवेश और राजनीतिक प्रतिनिधित्व शामिल हैं।
- SNDP के प्रभाव से सामाजिक गतिशीलता ऊपर की ओर बढ़ी और केरल में पिछड़ी जातियों का संघ एक बड़े समूह में बदल गया।

वोक्कालिग संघ (1905)

- इसे मैसूर में एक **ब्राह्मण विरोधी आंदोलन** के रूप में शुरू किया गया था, जो प्रचलित सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देता था।
- **टी. ब्याना** संघ के पहले अध्यक्ष थे, और मैसूर के महाराजा, कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ और दीवान वी.पी. माधव राव क्रमशः एसोसिएशन के संरक्षक और उप-संरक्षक थे।

न्याय आंदोलन (1917)

- इसकी शुरुआत **सी.एन. मुदलियार, टी.एम. नायर और पी. त्यागराज** के नेतृत्व में मद्रास प्रेसीडेंसी में हुई।
- इसका लक्ष्य विधायिका में गैर-ब्राह्मणों के लिए नौकरियां और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।
- 1917 में, **मद्रास प्रेसीडेंसी एसोसिएशन** का गठन किया गया, जिसने विधायिका में निचली जातियों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की माँग की।

आत्म-सम्मान आंदोलन (1920 के दशक)

- बालीजा नायडू एवं **ई. वी. रामास्वामी नायकर** ने 1920 के दशक के मध्य में शोषण के साधन माने जाने वाले ब्राह्मणवादी धर्म और संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए आंदोलन शुरू किया।
- इसने ब्राह्मण पुजारियों के बिना शादियों को औपचारिक रूप दिया।

https://www.pdfnotes.co/

मद्रास हिंदू एसोसिएशन (1892)

- इसका गठन **वीरेशलिंगम पंतुलु** द्वारा मद्रास में सामाजिक शुद्धता आंदोलन के रूप में किया गया था।
- इसने देवदासी प्रथा और विधवाओं पर अत्याचार का विरोध किया।

मंदिर प्रवेश आंदोलन (1924, 1931, 1936, 1938)

- **टी.के. माधवन** एक प्रमुख समाज सुधारक और **देशाभिमानी** के संपादक ने त्रावणकोर प्रशासन के साथ मंदिर में प्रवेश का मुद्दा उठाया।
- **1924:** के.पी. केशव के नेतृत्व में **वाइकोम सत्याग्रह** ने अछूतों के लिए हिंदू मंदिरों और सड़कों को खोलने की माँग की। इसे पंजाब और मदुरै के जत्थों द्वारा मजबूत किया गया था। गांधीजी ने आंदोलन के समर्थन में केरल का दौरा किया।
- **1931: के. केलप्पन** से प्रेरित होकर, **कवि सुब्रमण्यम तिरुमाम्बु** ('केरल की गायन तलवार') ने 16 स्वयंसेवकों के एक समूह का नेतृत्व गुरुवायूर तक किया। इसे गुरुवायुर सत्याग्रह के नाम से जाना गया। पी. कृष्णा पिल्लई और ए.के. गोपालन जैसे नेता सत्याग्रहियों में से थे।
- **1936:** त्रावणकोर के महाराजा द्वारा मंदिर में प्रवेश के लिए उद्घोषणा जारी करना।
- **1938:** मद्रास में **सी. राजगोपालाचारी** प्रशासन द्वारा इसी तरह के कदम उठाए गए।

इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस (1887)

- **एम.जी. रानाडे** द्वारा स्थापित और रघुनाथ राव की अध्यक्षता में यह बैठक प्रतिवर्ष मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्घाटन सत्र से बुलाई जाती थी।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करते हुए, इसने महत्त्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला और बाल विवाह के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए '**याचना अभियान**' की शुरुआत की।
- सम्मेलन ने अंतर्जातीय विवाह की वकालत की और बहुविवाह और कुलीनवाद का विरोध किया। (बूढ़े लोग कम उम्र की लड़कियों को पत्नी के रूप स्वीकार करते थे)

वहाबी/वलीउल्लाह आंदोलन (18वीं शताब्दी)

- अरब के **अब्दुल वहाब** और **शाह वलीउल्लाह** (1702-63) से प्रेरित होकर, यह पश्चिमी प्रभावों और भारतीय मुसलमानों के भीतर पतन के प्रति एक **पुनरुत्थानवादी** प्रतिक्रिया के रूप में उभरा।
- **शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी** ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जोड़कर वलीउल्लाह की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाया।
- इसने इस्लाम की सच्ची भावना की ओर लौटने का आह्वान किया है, इसने मुस्लिम न्यायशास्त्र स्कूलों के बीच सद्भाव और धार्मिक व्याख्याओं में व्यक्तिगत विवेक की भूमिका पर जोर दिया है।
- प्रारंभ में, आंदोलन पंजाब में सिखों पर केंद्रित था, लेकिन पंजाब पर ब्रिटिश कब्जे (1849) के बाद, आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ केंद्रित हो गया।
- 1857 के विद्रोह के दौरान वहाबियों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

टीटू मीर का आंदोलन (1831)

- सैयद मीर निसार अली, जिन्हें **टीटू मीर** के नाम से जाना जाता है, सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य और वहाबवाद के अनुयायी थे, उन्होंने बंगाल में शरिया सिद्धांतों की वकालत करने वाले एक आंदोलन का नेतृत्व किया।
- हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश नील बागान मालिकों के खिलाफ मुस्लिम किसानों को संगठित करने वाला यह आंदोलन, हालाँकि उतना उग्र नहीं था जितना दिखाया गया है, 1831 में ब्रिटिश पुलिस के साथ टकराव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

फराजी आंदोलन (1819)

- **हाजी शरीयतुल्ला** द्वारा स्थापित, इसका उद्देश्य पूर्वी बंगाल में गैर-इस्लामी प्रथाओं को खत्म करना था।
- हाजी के बेटे, **दूदू मियाँ** के नेतृत्व में, यह आंदोलन 1840 में क्रांतिकारी बन गया और हिंदू जमींदारों तथा नील बागान मालिकों के खिलाफ अर्धसैनिक बल का आयोजन किया गया।
- उन्होंने आंदोलन को गाँव से लेकर प्रांतीय स्तर तक हर स्तर पर एक खलीफा या अधिकृत डिप्टी के साथ एक संगठनात्मक प्रणाली दी।

अहमदिया आंदोलन (1889)

- **मिर्जा गुलाम अहमद** द्वारा स्थापित, इसने उदार सिद्धांतों को अपनाया और खुद को मोहम्मदीय पुनर्जागरण का मानक-वाहक बताया।
- इसने स्वयं को, ब्रह्म समाज की तरह, समस्त मानवता के सार्वभौमिक धर्म के सिद्धांतों पर आधारित किया; **जिहाद (गैर-मुसलमानों के खिलाफ पवित्र युद्ध) का विरोध** किया और पश्चिमी उदार शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- यह मस्जिद को राज्य, मानवाधिकार और सहिष्णुता से अलग करने में विश्वास करता था।
- अहमदिया समुदाय एकमात्र इस्लामी संप्रदाय है जो मानता है कि धार्मिक युद्धों और रक्तपात को समाप्त करने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद के रूप में मसीहा आए थे। यह आंदोलन **रहस्यवाद** से ग्रस्त था।
- मिर्जा गुलाम अहमद की पुस्तक बाराहीन-ए-अहमदिया थी।

सर सैयद अहमद खान (1817-98)

- वह ब्रिटिश सरकार की न्यायिक सेवा के एक वफादार अधिकारी थे। 1876 में सेवानिवृत्ति के बाद, वह 1878 में **इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल** के सदस्य बने। उनकी वफादारी ने उन्हें 1888 में **नाइटहुड की उपाधि** दिलाई।
- उनका उद्देश्य पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को कुरान की शिक्षाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना और धर्म को समकालीन तर्कवाद के अनुकूल बनाना था। हालाँकि, उन्होंने कुरान को अंतिम प्राधिकारी भी माना।
- उनका कहना था कि धर्म को समय के साथ अनुकूल होना चाहिए अन्यथा यह पत्थर बन जाएगा और धार्मिक सिद्धांत अपरिवर्तनीय नहीं हैं।
- उन्होंने बेहतर शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी संघर्ष किया और परदा प्रथा और बहुविवाह का विरोध किया, आसान तलाक की वकालत की और पीरी और मुरीदी की व्यवस्था की निंदा की।
- वह धर्मों की मूलभूत अंतर्निहित एकता या '**व्यावहारिक नैतिकता**' में विश्वास करते थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम हितों की बुनियादी समानता का भी प्रचार किया।

https://www.pdfnotes.co/

- 1875 में **मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय)** की स्थापना की, महिलाओं की शिक्षा की वकालत की और पर्दा और बहुविवाह का विरोध किया।
- दुर्भाग्य से, मुसलमानों के शैक्षिक और रोजगार हितों को बढ़ावा देने के उत्साह में, औपनिवेशिक सरकार के फूट डालो और राज करो की नीति का शिकार हो गए। बाद के वर्षों में, हिंदुओं और मुसलमानों के हितों के विचलन का प्रचार करना शुरू कर दिया।
- उनके विचारों का प्रचार उनकी पत्रिका **तहजीब-उल-अखलाक** (शिष्टाचार और नैतिकता में सुधार) के माध्यम से किया गया।

देवबंद स्कूल(1866)

- **सहारनपुर** में दारुल उलूम में स्थापित, इसका आयोजन रूढ़िवादी मुस्लिम उलेमाओं द्वारा शुद्ध कुरान की शिक्षाओं का प्रचार करने और **मुहम्मद कासिम नानोतवी** (1832-80) और **रशीद अहमद गंगोही** (1828-1905) द्वारा जिहाद की भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था।
- देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया और 1888 में, सैयद अहमद खान के संगठनों, यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन और मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ एक फतवा (धार्मिक फरमान) जारी किया।
- **मुहम्मद-उल-हसन** ने राजनीतिक और बौद्धिक सामग्री प्रदान की। उन्होंने इस्लामी सिद्धांतों और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का एक संश्लेषण तैयार किया। जमात-उल-उलेमा ने मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के हसन के विचारों को मूर्त रूप दिया।
- **शिबली नुमानी** ने अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विज्ञान को शामिल करने का समर्थन किया। उन्होंने 1894-96 में लखनऊ में **नदवतल उलमा** और **दारुल उलूम** की स्थापना की। वह कांग्रेस के आदर्शवाद और भारत के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सहयोग में एक ऐसा राज्य बनाने में विश्वास करते थे जिसमें दोनों सौहार्दपूर्ण ढंग से रह सकें।

पारसी सुधार आंदोलन (1851)

- **रहनुमाई मजदायस्नान सभा** (धार्मिक सुधार संघ) की स्थापना 1851 में अंग्रेजी-शिक्षित पारसियों के एक समूह द्वारा 'पारसियों की सामाजिक स्थितियों के उत्थान और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता की बहाली' के लिए की गई थी।
- सुधार का संदेश **रास्त गोफ्तार** (वस्तुतः सत्य बताने वाला) समाचार पत्र द्वारा फैलाया गया था।
- नौरोजी फारदोनजी और दादाभाई नौरोजी जैसी शख्सियतों के नेतृत्व में के.आर. कामा, और एस.एस. बंगाली।

सिख सुधार आंदोलन

- 1873 में स्थापित **सिंह सभा आंदोलन** का उद्देश्य सिखों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था (इस उद्देश्य के लिए, पूरे पंजाब में सभा द्वारा खालसा स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया था) और ईसाई और ब्रह्म समाज सूची की गतिविधियों, आर्य समाजियों और मुस्लिमों की धर्मांतरण गतिविधियों का मुकाबला करना था।
- **अकाली आंदोलन** (जिसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है) सिंह सभा आंदोलन की एक शाखा थी। इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को **भ्रष्ट उदासी महंतों** के नियंत्रण से मुक्त कराना था।
  - अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन सांप्रदायिक नहीं, और उन्होंने 1921 में एक अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू किया।
  - सरकार ने गुरुद्वारा अधिनियम 1922 (1925 में संशोधित) अधिनियमित किया, जिसने **शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति** के माध्यम से नियुक्तियाँ करके सिख जनता को नियंत्रण दिया।

थियोसोफिकल आंदोलन

- 1875 में **मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की और कर्नल एम.एस. ओल्कोट** द्वारा न्यूयॉर्क शहर में स्थापित। भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित एक आंदोलन के रूप में जाना जाता है।
- 1882 में, सोसायटी ने अपना मुख्यालय मद्रास के पास **अडयार** में स्थानांतरित कर दिया।
- इसने उपनिषदों, योग और वेदांत से प्रेरणा लेते हुए पुनर्जन्म और कर्म जैसी हिंदू अवधारणाओं को अपनाया।
- इसने बाल विवाह का विरोध किया और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने, विधवाओं के उत्थान और उनकी स्थिति में सुधार की वकालत की।
- इसका उद्देश्य विधवाओं की स्थिति में सुधार करना, खुद को हिंदू पुनर्जागरण के आदर्शों और एक बिंदु पर आर्य समाज के साथ जोड़ना भी था।
- 1907 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनीं (वे 1893 में भारत आई थी)। उनकी पहल में 1898 में बनारस में **सेंट्रल हिंदू कॉलेज** की स्थापना शामिल है। यह कॉलेज 1916 में **बनारस हिंदू विश्वविद्यालय** के गठन का केंद्र बन गया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर

उन्होंने बचपन में गंभीर जातिवादी भेदभाव का अनुभव किया। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

- **पत्रकारिता:**
  - सामाजिक विभाजन और अछूतों की पीड़ाओं को संबोधित करने के लिए 1920 में **मूकनायक** (बेजुबानों के नेता) की स्थापना की।
  - दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1927 में **बहिष्कृत भारत** की शुरुआत की।
- **संगठन:**
  - 1924 में 'शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो' के आदर्श वाक्य के साथ जनसमूह को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए **बहिस्कृत हितकारणी सभा** का गठन किया गया।
  - 1942 में **अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ** का आयोजन किया।
- **राजनीतिक आंदोलन:** समानता और जाति संस्था के उन्मूलन की वकालत की।
- **विधायी प्रभाव:** भारत सरकार अधिनियम, 1935 में दलित वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व में योगदान दिया।
- **सक्रियता:**
  - अछूतों के बीच आत्म-सम्मान और आत्म-ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 1927 में **महाड़ सत्याग्रह** का नेतृत्व किया।
  - **दिसंबर, 1927** में जातिगत असमानताओं के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से **मनुस्मृति को जलाया**।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

5 भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरूआत

आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रेरित करने वाले कारक

- **ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का राजनीतिक एकीकरण:**
  - ब्रिटिश नियंत्रण हिमालय से केप कोमोरिन तक और असम से खैबर दर्रे तक फैल गया, जिससे पिछले भारतीय साम्राज्यों की तुलना में एक बड़ा राज्य बन गया।
  - ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने प्रत्यक्ष शासन (भारतीय प्रांत) और अप्रत्यक्ष शासन (रियासतों) के माध्यम से भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया।
- **प्रेस और साहित्य की भूमिका**:
  - 19वीं सदी के अंत में औपनिवेशिक प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्रों (अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों) का उदय।
  - 1877 में, लगभग 169 क्षेत्रीय समाचार पत्र प्रचलन में थे, जिनकी लगभग 1,00,000 प्रतियाँ वितरित होती थीं।
  - इसने स्वशासन, लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और औद्योगिक प्रगति के बारे में विचारों का प्रचार किया।
- **भारत के अतीत की पुनर्खोज:**
  - मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स, आर.जी. भंडारकर जैसे विद्वान और स्वामी विवेकानंद ने भारत की समृद्ध विरासत, अच्छी तरह से विकसित संस्थानों, व्यापक व्यापार, सांस्कृतिक संपदा और इतिहास के औपनिवेशिक मिथकों को खारिज करते हुए चित्रित किया।
- **सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन:**
  - भारतीय समाज को विभाजित करने वाली सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना।
- **प्रतिक्रियावादी नीतियाँ और शासकों का जातीय अहंकार:**
  - **लॉर्ड लिट्टन की विवादास्पद नीतियाँ:**आई.सी.एस. के लिए अधिकतम आयु सीमा में कमी (21 वर्ष से 19 वर्ष) करना।
  - वर्ष 1877 में पड़े भीषण अकाल के दौरान भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन करना।
  - वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम (1878) और शस्त्र अधिनियम (1878) जैसे प्रतिगामी अधिनियमों का क्रियान्वयन करना।
- **इल्बर्ट बिल विवाद:** इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि किसी ब्रिटिश या यूरोपीय पर भारतीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। इससे पहले, किसी भारतीय न्यायाधीश को उन मामलों की सुनवाई करने की अनुमति नहीं थी जिनमें दोषी ब्रिटिश या यूरोपीय था।
- **भारतीय राजनीतिक विचारधारा पर पश्चिमी विचार और शिक्षा का प्रभाव:**
  - मिल्टन, शेली, जे.एस. मिल, रूसो, पेन, स्पेंसर और वोल्टेयर के विचारों ने उदारवाद, तर्कसंगतता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के प्रति भारतीय राजनीतिक सोच को नया आकार दिया।
  - अंग्रेजी भाषा ने विविध भाषाई क्षेत्रों के राष्ट्रवादी नेताओं के बीच संचार की सुविधा प्रदान की।
- **आर्थिक प्रभाव या आर्थिक एकीकरण:**
  - परस्पर आर्थिक निर्भरता बढ़ी, जिसने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ दिया। इसके अलावा बेहतर परिवहन और संचार ने नेताओं को एक साथ ला दिया, जिससे राजनीतिक विचारों का आदान-प्रदान और जनता की राय जुटाई जा सकी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले राजनीतिक संघ

बंगभाषा प्रकाशिका सभा (1836): राजा राममोहन राय के सहयोगियों द्वारा गठित।

जमींदारी एसोसिएशन (1837)

- **संस्थापक:** द्वारकानाथ टैगोर।
- जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए गठित की गई थी। इसलिए, इसे '**लैंडहोल्डर्स सोसाइटी**' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक संगठित राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत और शिकायतों के निवारण के लिए संवैधानिक आंदोलन के तरीकों का उपयोग करता है।

बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी (1843)

- **संस्थापक:** जॉर्ज थॉम्पसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्र मोहन चटर्जी, और परमानंद मैत्र।
- ब्रिटिश भारत के लोगों की वास्तविक स्थिति से संबंधित जानकारी का संग्रह और प्रसार।

ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन (1851)

- **अध्यक्ष:** राधाकांत देब।
- **महासचिव:** देवेंद्रनाथ टैगोर।
- लैंडहोल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के परिणामस्वरूप।
- इसने 1852 में ब्रिटिश संसद में एक याचिका दी जब नए चार्टर अधिनियम पर चर्चा हो रही थी। इस याचिका में कहा गया है कि-

https://www.pdfnotes.co/

- तीन प्रेसीडेंसियों (बंगाल, मद्रास और बम्बई) में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए।
  - लोकप्रिय उद्देश्यों की एक पृथक विधायिका की स्थापना की जानी चाहिए।
  - कार्यपालिका को न्यायिक कार्यों से पृथक किया जाना चाहिए।
  - उच्च अधिकारियों के वेतन में कटौती, नमक शुल्क, आबकारी (नशा पर कर) और स्टांप शुल्क का उन्मूलन आदि।

ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (1866)

- भारतीय मुद्दों पर चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी सार्वजनिक हस्तियों को प्रभावित करने के लिए **दादाभाई नौरोजी** के तहत **लंदन** में और बाद में भारत में शाखाएँ स्थापित की गईं।
- विभिन्न भारतीय शहरों में शाखाएँ स्थापित की गईं।

पूना सार्वजनिक सभा (1867): महादेव गोविंद रानाडे और अन्य द्वारा सरकार और जनता के बीच संपर्क सूत्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी।

इंडियन लीग (1875): शिशिर कुमार घोष द्वारा राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता (इंडियन नेशनल एसोसिएशन) (1876)

- ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण, रूढ़िवादी और जमींदार-समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे।
- सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में आईसीएस परीक्षा (1877) में आयु कटौती के ख़िलाफ और इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने और उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करने की माँग की।
- दमनकारी शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम के विरुद्ध अभियान।
- एसोसिएशन ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन प्रायोजित किया जो पहली बार कलकत्ता (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत) में हुआ था।

अखिल भारतीय सम्मेलन (1883)

- इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता द्वारा प्रायोजित।
- 28 से 30 दिसंबर तक कलकत्ता में एक महत्त्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें एक अखिल भारतीय तर्कवादी संगठन की नींव रखी गई। 1886 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया।

मद्रास महाजन सभा (1884)

एम. वीरराघवचारी, पी. आनंद चार्लू और बी. सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा स्थापित।

बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन (1885)

- बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोजशाह मेहता और के.टी. तेलंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।

कांग्रेस-पूर्व अभियान

- 1875 में कपास पर आयात शुल्क लगाने के लिए।
- सरकारी सेवा का भारतीयकरण (1878-79)।
- लिटन के अफगान नीति के विरुद्ध।
- 1878 में आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के खिलाफ।
- स्वयंसेवी सेना में शामिल होने का अधिकार।
- वृक्षारोपण श्रम के विरुद्ध और अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के विरुद्ध।
- इल्बर्ट बिल का समर्थन।
- राजनीतिक आंदोलन के लिए अखिल भारतीय कोष।
- भारत समर्थक पार्टी को वोट देने के लिए ब्रिटेन में अभियान।
- भारतीय सिविल सेवा आंदोलन के नाम से मशहूर भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु में कमी करना।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (स्थापना और नरमपंथी चरण)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन

- **ए.ओ. ह्यूम**, एक सेवानिवृत्त अंग्रेज़ी सिविल सेवक, ने एक अखिल भारतीय संगठन को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस के प्रथम सत्र का आयोजन करने के लिए उस समय के प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ संपर्क स्थापित किया।
- **प्रथम कांग्रेस अधिवेशन**
  - **आयोजन:** दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किए गया था।
  - इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें अधिकतर वकील थे।
  - **समकालीन ब्रिटिश वायसराय:** लॉर्ड डफरिन।
- **वार्षिक बैठकें:** प्रथम सत्र के बाद, प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में देश के विभिन्न हिस्सों में वार्षिक बैठकें आयोजित की जाने लगीं।

सुरक्षा वाल्व सिद्धांत (Safety valve theory)

- इस सिद्धांत के अनुसार, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के बढ़ते असंतोष को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी।
- इस सिद्धांत में विश्वास रखने वाले प्रमुख नेता **लाला लाजपत राय, आर. पी. दत्त** थे। हालाँकि, आधुनिक इतिहासकार इस सिद्धांत से सहमत नहीं है।

प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष

वर्ष	स्थान	अध्यक्ष	टिप्पणी
1885	बंबई	डब्ल्यू. सी. बनर्जी	प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष
1886	कलकत्ता	दादाभाई नौरोजी (भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन)	इन्होंने तीन बार (1886,1893 और 1906 में) कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
1887	मद्रास	बदरुद्दीन तैयबजी	प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष
1888	इलाहाबाद (प्रयागराज)	जॉर्ज यूल	कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले यूरोपीय थे।
1917	कलकत्ता	एनी बेसेंट	कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष
1924	बेलगाम	महात्मा गांधी	गांधी ने केवल 1 बार कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी।

- कांग्रेस के शुरुआती वर्षों में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली अन्य उल्लेखनीय हस्तियों में **फिरोज़शाह मेहता, पी. आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले** शामिल थे।
- वर्ष 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक **कादम्बिनी गांगुली** ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था।

मदन मोहन मालवीय

- उन्होंने **सर्वाधिक 4 बार (1909, 1918, 1930 और 1932)** कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
- महात्मा गांधी उन्हें "आधुनिक भारत का निर्माता" मानते थे।
- वर्ष 1934 में उन्होंने एम. एस. अणे के साथ कांग्रेस **नेशनलिस्ट पार्टी** की स्थापना की थी।

नरमपंथी चरण (1885-1905)

- वे 'उदारवाद' और 'उदारवादी' राजनीति में दृढ़ विश्वास रखते थे।
- **उदारवादी युग के महत्त्वपूर्ण नेता:** दादाभाई नौरोजी, फ़िरोज़शाह मेहता, डी.ई. वाचा, एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी।
- **व्यवस्थित एवं सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण:**
  - **विधियाँ:** याचिका, प्रार्थना और प्रचार।
  - उनका मानना था कि अंग्रेज़ मूलतः भारतीयों के हितैषी थे, लेकिन उन्हें वास्तविक परिस्थितियों की जानकारी नहीं थी।
  - उदारवाद और कानूनी सीमाओं के भीतर संवैधानिक प्रदर्शनों में विश्वास रखते थे।
  - इसका **उद्देश्य** शिक्षा के माध्यम से सुधारों के लिए जनमत तैयार करना, राजनीतिक मुद्दों पर भारतीयों को एकजुट करना था।
  - विधान परिषदों में अधिक भारतीय भागीदारी और वित्त पर अधिक नियंत्रण की दिशा में काम करना था।

नरमपंथी नेताओं की प्रमुख माँगें

संवैधानिक माँगें

- विधायिकाओं के लिए चुनाव की शुरुआत की जानी चाहिए।
- वायसराय कार्यकारी परिषद् में दो भारतीय सदस्य होने चाहिए।
- विधायिकाओं को बजट पर चर्चा और मतदान का अधिकार होना चहिए। उन्होंने **"प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं"** का नारा दिया।

https://www.pdfnotes.co/

प्रशासनिक माँगें

- भारतीय सिविल सेवा परीक्षा (आईसीएस परीक्षा) के लिए अधिकतम आयु बढ़ायी जाय।
- कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण।
- भारतीय सेवाओं का भारतीयकरण और भारत में भी आईसीएस परीक्षा का आयोजन।
- रक्षा व्यय में कमी।
- दमनकारी और निरंकुश नौकरशाही तथा महँगी एवं अधिक समय में न्याय देने वाली न्यायिक व्यवस्था की आलोचना।
- आक्रामक विदेश नीति की आलोचना
- लोक कल्याण पर व्यय में वृद्धि
- विदेशों में अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर बर्ताव की माँग।

नरमपंथियों का योगदान

- **ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना:** उन्होंने एक स्वतंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमि राजस्व में कमी करने, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा की वकालत की।
- **विधान परिषदों में योगदान:** राष्ट्रीय आंदोलन का क्रमिक विकास। उनकी माँगों को वर्ष 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में आंशिक रूप से संबोधित किया गया था, जिसने परिषदों का विस्तार किया लेकिन अधिक शक्ति के लिए राष्ट्रवादी माँगों को पूरा नहीं कर पाये। बाद की माँगों में बहुसंख्यक निर्वाचित भारतीय और कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया के स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर स्वशासन शामिल था।
- **राष्ट्रवादी आंदोलन:** संवैधानिक तरीकों पर ज़ोर, आर्थिक आलोचना और शासन में अधिक भारतीय भागीदारी की माँग ने भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **जनता की भूमिका:** संकीर्ण सामाजिक आधार और जनता ने निष्क्रिय भूमिका निभाई।

सरकार की प्रतिक्रिया

- उन्होंने खुले तौर पर कांग्रेस की निंदा की तथा 'फूट डालो और राज करो' की रणनीति अपनाई, जिसमें **सर सैयद अहमद खान एवं राजा शिव प्रसाद सिंह** जैसे व्यक्तियों को कांग्रेस के प्रति दुष्प्रचार करने के लिए **यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन** को संगठित करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल था।
- इसके अलावा, **'पुरस्कार और दंड (carrot and stick)'** दृष्टिकोण का इस्तेमाल, कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों को चरमपंथियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए किया था।

- "कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्त्वाकांक्षा इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है।"

—**लॉर्ड कर्जन** (1900)

- **डफ़रिन** ने कांग्रेस को "देशद्रोह की फ़ैक्टरी" कहा।

https://www.pdfnotes.co/

7 उग्र-राष्ट्रवाद का युग (1905-18)

उग्र-राष्ट्रवाद के उदय के कारक

- **ब्रिटिश शासन के सही स्वरूप की पहचान:** उदारवादी लेखन ने अंग्रेज़ों के सही स्वरूप को उजागर किया।
  - **दादाभाई नौरोजी** ने लिखा: "पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया"।
  - **एम.जी. रानाडे** ने लिखा: "भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध: निबंध और भाषणों का एक संग्रह"।
  - **आर. सी. दत्त** ने लिखा: "भारत का आर्थिक इतिहास"।
  - **जी. सुब्रमण्यम अय्यर** ने लिखा: "भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू।"
- **आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का विकास:** तिलक, अरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया।
- **शिक्षा का विकास:** युवा शिक्षित तो हो गये, लेकिन रोज़गार नहीं मिल सका, फलतः युवाओं में असंतोष व्याप्त था।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रभाव**
  - वर्ष 1868 के बाद जापान की प्रगति (एक औद्योगिक शक्ति के रूप में परिवर्तन),
  - रूस, तुर्की, आयरलैंड, मिस्र, फारस और चीन में राष्ट्रीय आंदोलन,
  - वर्ष 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की सेना की पराजय,
  - बोअर युद्धों (1899-1902) में अंग्रेज़ों को पराजय का सामना करना पड़ा, और
  - वर्ष 1905 में रूस पर जापान की जीत ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया।
- **जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व**
  - बंगाल में राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल;
  - महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक; और
  - पंजाब में लाला लाजपत राय।

बाल गंगाधर तिलक

- वर्ष 1856 में रत्नागिरी ज़िले (महाराष्ट्र) में जन्मे लेकिन पूना को अपना राजनीतिक ठिकाना बनाया।
- प्रकाशित पत्रिकाएँ: **मराठा** (अंग्रेज़ी भाषा में) और **केसरी** (मराठी भाषा में)।
- लोगों को संगठित करने के लिए **शिवाजी** और **गणपति उत्सव** जैसे मेलों तथा उत्सवों का आयोजन किया।
- अपने जेल कार्यकाल के दौरान वर्ष 1911 में **गीता रहस्य** लिखा।

- **लार्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ**
  - **कलकत्ता निगम(कार्पोरेशन) संशोधन अधिनियम, 1899:** इसने नगर निगमों में निर्वाचित सदस्यों की तुलना में नामांकित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की।
  - **दिल्ली दरबार का आयोजन:** एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के लिए कर्जन ने 2 मिलियन रुपये खर्च किए।
  - **वर्ष 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त:** भारतीय विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई।
  - **भारतीय कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, 1904:** इसने प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया।
  - भारतीय राष्ट्रवाद के तंत्रिका केंद्र को कमज़ोर करने के लिए, **बंगाल को दो हिस्सों** -(पश्चिम और पूर्व ;भाषा तथा धर्म के आधार पर) में विभाजित किया गया।

लॉर्ड कर्जन (वर्ष 1899 से वर्ष 1905 तक भारत के वायसराय)

- एंथोनी मैकडोनेल के अधीन **अकाल आयोग** की नियुक्ति (राजस्व संग्रहण में उदारता लाने हेतु) की गई।
- कॉलिन स्कॉट मोनक्रिफ़ के तहत **सिंचाई आयोग** का गठन किया गया।
- एंड्रयू फ्रेज़र के अधीन **पुलिस आयोग** की स्थापना की गई थी।
- एक अलग वाणिज्य विभाग स्थापित किया गया था।
- कृषि में अनुसंधान के लिए **पूसा संस्थान** की स्थापना की गई।
- प्राचीन स्मारक अधिनियम, 1904 पारित किया गया।

स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन (1903-1905)

स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल के वभिाजन के ब्रटिशि फैसले के जवाब में हुई, जसिकी आधकिारकि घोषणा दसिंबर 1903 में की गई थी।

- हालाँकि, इस विभाजन का आधिकारिक कारण प्रशासनिक दक्षता लाना बताया गया था, किंतु वास्तविक उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र बंगाल को कमज़ोर करना था।
  - विभाजन का उद्देश्य बंगालियों को भाषा और धर्म के आधार पर विभाजित करना था।
- यह आंदोलन **सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के.के. मित्रा और पृथ्वीचंद्र रे** जैसे नेताओं के नेतृत्व में किया गया था।
- विभाजन का विरोध करने के लिए याचिकाओं, सार्वजनिक बैठकों और समाचार पत्रों जैसे **हितावादी, संजीबनी** तथा **बंगाली** आदि तरीकों का इस्तेमाल किया गया था।

https://www.pdfnotes.co/

- विरोध के बावजूद, सरकार ने **जुलाई 1905** में विभाजन की घोषणा कर दी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ।
- स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा को चिन्हित करते हुए, **7 अगस्त, 1905** को बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था।

16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। इस दिन को भारतीयों ने **शोक दिवस** के रूप में मनाया, उपवास किया, गंगा में स्नान किया, **बंदे मातरम** गाया (जो आंदोलन का थीम गीत बन गया) और एकता के प्रतीक के रूप में एक-दूसरे के हाथ पर राखी बाँधी बांग्लादेश का राष्ट्रगान **'आमार सोनार बांग्ला' रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा** रचित था।

आंदोलन का प्रसार और कांग्रेस की स्थिति

- यह आंदोलन पूना, बंबई, पंजाब, दिल्ली और मद्रास सहित बंगाल से बाहर भी फैल गया।
- वर्ष 1905 में **जी.के. गोखले की अध्यक्षता** में सम्पन्न हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की निंदा की गई और स्वदेशी आंदोलन को मंज़ूरी दी गयी।
- **दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता** में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (1906) में घोषणा की गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य **"स्वशासन" या "स्वराज"** है।
- आंदोलन की गति और संघर्ष की तकनीकों पर उदारवादी-चरमपंथी विवाद **सूरत अधिवेशन (1907)** में गतिरोध पर पहुँच गया, जहाँ कांग्रेस विभाजित हो गई।

स्थान	स्वदेशी आंदोलन के नेता
बंगाल	अश्विनी कुमार दत्त
मद्रास	वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई
दिल्ली	सैयद हैदर रज़ा
आंध्र प्रदेश	टी. प्रकाशम और कृष्णा राव
पंजाब	लाला लाजपत राय और अजीत सिंह
बम्बई और पूना	बाल गंगाधर तिलक

उदारवादी बनाम उग्रवादी विचार

- गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में नरमपंथियों ने विभाजन की निंदा की, लेकिन पूर्ण राजनीतिक जन संघर्ष के लिए उग्रवादियों के आह्वान का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया।
- तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष के नेतृत्व वाले उग्रवादी स्वराज (स्वशासन) की माँग के लिए एक अधिक आक्रामक आंदोलन चाहते थे।

चरमपंथी कार्यक्रम और संघर्ष का नया स्वरूप

- चरमपंथियों ने निष्क्रिय प्रतिरोध, बहिष्कार और विदेशी शासन से स्वतंत्रता की वकालत की।
- संघर्ष के विभिन्न रूपों में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सार्वजनिक बैठकें, स्वयंसेवी संगठन (समिति), और आत्मनिर्भरता पर ज़ोर, स्वदेशी का कार्यक्रम शामिल था।
- पारंपरिक त्योहारों का उपयोग और साहित्य, नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों के माध्यम से स्वदेशी विचारों के प्रचार ने जनता को एकजुट करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वदेशी आंदोलन का महत्त्व

- इस आंदोलन ने भारतीयों में गौरव और आत्मविश्वास बहाल किया। पहली बार बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं महिलाओं ने भाग लिया।
- अगस्त 1906 में शिक्षा को राष्ट्रवादी आधार पर उन्मुख करने के लिए **राष्ट्रीय शिक्षा परिषद** की स्थापना की गई।
- **सतीशचंद्र मुखर्जी** ने वर्ष 1895 में भागवत चतुस्पति की स्थापना करके राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके द्वारा **डॉन** (1897) नामक अखबार और **डॉन सोसाइटी** की स्थापना वर्ष 1902 में की गई थी।
- बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई , जिसके प्रिंसिपल **अरबिंदो घोष** थे और इसके पहले अध्यक्ष **रास बिहारी घोष** थे।
- स्वदेशी आंदोलन के दौरान रवीन्द्रनाथ टैगोर ने **शांतिनिकेतन** की स्थापना की।
- आर्थिक क्षेत्र में, स्वदेशी उद्यम जैसे प्रफुल्लचंद्र रे की बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री और चिदंबरम पिल्लई की स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की गई।
- भारतीय उत्पादों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मिलों, साबुन कारखानों, चर्मशोधन कारखानों, बैंकों तथा दुकानों जैसे स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहित किया गया।
- **सखाराम गणेश देउस्कर** ने वर्ष 1904 में **देशेर कथा** प्रकाशित की। इसने स्वदेशी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। स्वदेशी कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य पठनीय बनने अलावा, यह कई स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोक गीतों की प्रेरणा थी। उन्होंने दादाभाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानाडे के विचारों को लोकप्रिय बनाया तथा स्वदेशी को एक लोकप्रिय मुहावरे में प्रचारित किया। औपनिवेशिक राज्य की "मन पर सम्मोहक विजय" के खिलाफ चेतावनी दी।
- अश्विनी कुमार दत्त की **स्वदेश बंधब समिति** जैसी कई समितियाँ अस्तित्व में आईं।
- तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने **सुदेश गीतम** लिखा।
- **अवनींद्रनाथ टैगोर** ने भारतीय कला परिदृश्य पर विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ा और अजंता, मुगल तथा राजपूत चित्रकला से प्रेरणा ली।
- **नंदलाल बोस** 1907 में स्थापित **इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट** द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के पहले प्राप्तकर्ता थे।
- जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्लचंद्र रॉय और अन्य ने मौलिक शोध का नेतृत्व किया।
- **श्रमिक अशांति और ट्रेड यूनियन:** सुब्रमण्यम शिवा और चिदंबरम पिल्लई ने विदेशी स्वामित्व वाली कपास मिल में तूतीकोरिन तथा तिरुनेलवेली में हड़ताल का नेतृत्व किया। रावलपिंडी (पंजाब) में शस्त्रागार और रेलवे कर्मचारी लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह के नेतृत्व में हड़ताल पर चले गये।
- **मुसलमानों का रुख:** कुछ मुसलमानों ने भाग लिया- बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी, मौलाना आज़ाद (जो क्रांतिकारी आतंकवादी समूहों में से एक में शामिल हो गए); लेकिन अधिकांश उच्च और मध्यम वर्ग के मुसलमान आंदोलन से दूर रहे या, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, इस दलील पर विभाजन का समर्थन किया कि इससे उन्हें मुस्लिम-बहुल पूर्वी बंगाल मिल जाएगा।
- **सामाजिक आधार:** जमींदारी के कुछ वर्ग, छात्र, महिलाएँ और शहरों तथा कस्बों में निम्न मध्यम वर्ग, लेकिन फूट डालो एवं राज करो की सचेत सरकारी नीति के कारण मुसलमान लगभग गायब थे, खासकर मुस्लिम किसान।
- **बंगाल विभाजन को रद्द करना:** वर्ष 1911 में, मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय वापस लें लिया गया।

https://www.pdfnotes.co/

सूरत विभाजन

दिसंबर 1907 में सूरत में कांग्रेस उदारवादी (नरमपंथी) - उग्रवादी(गरमपंथी) गुट में विभाजित हो गई।

कांग्रेस अधिवेशन	अध्यक्ष	प्रमुख बिंदु
बनारस 1905	गोपाल कृष्ण गोखले	• बंगाल से परे स्वदेशी आंदोलन के विस्तार और बहिष्कार कार्यक्रम के भीतर विभिन्न संघों को शामिल करने के संबंध में उदारवादी - उग्रवादी मतभेद उभरे। • तत्काल विभाजन को रोकने के लिए बंगाल के विभाजन की निंदा करने वाला एक हल्का प्रस्ताव पारित किया गया।
कलकत्ता 1906	दादाभाई नौरोजी	• नरमपंथियों ने दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया, जबकि गरमपंथियों ने तिलक या लाजपत राय का पक्ष लिया। • पहली बार 'स्वराज्य' या 'स्वशासन' का उल्लेख किया गया था हालाँकि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, जिससे व्याख्या की गुंजाइश बनी रहे। • नरमपंथियों ने परिषद सुधारों को प्रशासन में भारतीय भागीदारी के अवसर के रूप में देखा और गरमपंथियों के साथ जुड़ने के बारे में सतर्क थे। इसलिए नरमपंथियों का झुकाव कार्यक्रम को धीमा करने की ओर हुआ। • उग्रवादियों ने व्यापक निष्क्रिय प्रतिरोध और बहिष्कार का आह्वान किया।
सूरत 1907	रासबिहारी घोष	• उग्रवादियों का लक्ष्य नागपुर अधिवेशन में तिलक या लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना और कट्टरपंथी प्रस्तावों को दोहराना था। • नरमपंथी चाहते थे कि सूरत अधिवेशन में तिलक को अध्यक्ष पद से बाहर किया जाए, वे कट्टरपंथी प्रस्तावों को छोड़ना चाहते थे। • दोनों पक्ष दृढ़ता से खड़े रहे, जिससे अपरिहार्य विभाजन हुआ।

- **विभाजन के बाद - नरमपंथियों का प्रभुत्व:** विभाजन के बाद कांग्रेस पर नरमपंथियों का वर्चस्व रहा और संवैधानिक तरीकों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्व-शासन की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
- **सरकारी दमन:** ब्रिटिश सरकार ने सरकार विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1907-1911 के मध्य कई कड़े कानून बनाए, जैसे राजद्रोही सभा अधिनियम (1907), आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (1908), अपराध प्रोत्साहन अधिनियम (1908), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (1908), और भारतीय प्रेस अधिनियम (1910) आदि।

शिमला सम्मेलन (1906)

आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम अभिजात वर्ग के समूह ने **लॉर्ड मिंटो** से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा उनकी संख्यात्मक ताकत से अधिक प्रतिनिधित्व की माँग की। इस समूह ने जल्द ही मुस्लिम लीग पर कब्ज़ा कर लिया, जिसे शुरू में दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने नवाब मोहसिन-उल-मुल्क और वकार-उल-मुल्क के साथ मिलकर बनाया था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य साम्राज्य के प्रति वफादारी का प्रचार करना और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से दूर बनाए रखना था।

मॉर्ले-मिंटो सुधार (भारतीय परिषद् अधिनियम 1909)

संदर्भ: नरमपंथियों के साथ-साथ मुसलमानों को भी शांत करने के लिए, अंग्रेजों ने भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 की घोषणा की जो मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में प्रसिद्ध है।

- गौरतलब है कि लॉर्ड मिंटो वायसराय थे और जॉन मॉर्ले भारत के राज्य सचिव थे।

मार्ले-मिंटो सुधारों की विशेषताएँ

- **अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत:** निर्वाचित सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। स्थानीय निकायों को एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करना था, जो बदले में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव करेगा और प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केंद्रीय विधायिका के लिए मतदान करेंगे।
- **मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र:** मुसलमानों के लिए केंद्रीय परिषद में प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए इसकी स्थापना की गई।
- **निर्वाचित सदस्यों में वृद्धि:** शाही और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रांतीय परिषदों में गैर-सरकारी बहुमत की शुरुआत की गई।
- **मुसलमानों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व और कम योग्यताएँ:** मुसलमानों को उनकी आबादी से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया और हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम मतदाताओं के लिए कम आय योग्यताएँ दी गईं।
- केंद्र और प्रांतों दोनों में **विधानमंडलों की शक्तियाँ बढ़ा** दी गईं, तथा विधानमंडल अब प्रस्ताव पारित कर सकते थे (जो स्वीकार किए जा सकते हैं या नहीं भी), प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट में अलग-अलग मदों पर मतदान कर सकते थे, हालाँकि संपूर्ण बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे ।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद में नामांकित होने वाले भारतीय **एस.पी. सिन्हा** कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने।

https://www.pdfnotes.co/

सुधारों का मूल्यांकन

- विभाजनकारी और सतही सुधार;
- स्वशासन पर सीमित प्रभाव;
- चुनाव प्रक्रिया की आलोचना: बहुत अप्रत्यक्ष और जटिल;
- कुछ सदस्यों द्वारा सीमित उपयोग: गोखले जैसे नेताओं ने शिक्षा और श्रम अधिकारों जैसे रचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने के लिए मंच का उपयोग किया, लेकिन वे अल्पमत में थे।

दिल्ली दरबार

- वर्ष 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने भाग लिया।
- दिल्ली दरबार में घोषणाएँ:
  - बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया।
  - ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई।
- **दिल्ली षड्यंत्र केस:** रासबिहारी बोस और सचींद्र सान्याल गरमपंथी क्रांतिकारियों ने हार्डिंग पर बम फेंकने की कोशिश की।
- सचींद्र सान्याल को जेल हुई थी, जिस दौरान उन्होंने **बंदी जीवन** लिखा था।

भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय

कारण और रणनीतियाँ

- **स्थापित आंदोलनों से मोहभंग:** युवा राष्ट्रवादी नई रणनीतियों की कमी के कारण संतुष्ट नहीं थे।
- **शांतिपूर्ण रास्ते बंद करना:** युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि केवल अंग्रेज़ों को बलपूर्वक खदेड़ने से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
- **क्रांतिकारी दृष्टिकोण:** हत्याएँ, स्वदेशी डकैतियाँ और सैन्य षड्यंत्र जैसी व्यक्तिवादी रणनीतियाँ अपनाई गई।
- **आतंक की रणनीति और प्रेरणा:** इसका उद्देश्य शासकों में भय पैदा करना, जनता को जागृत करना और आदर्शवादी युवाओं को अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना है।
- **नेतृत्व की विफलता:** उग्रवादी नेता क्रांतिकारियों की विचारधारा का मुकाबला नहीं कर सके, जन-आधारित क्रांति और व्यक्तिगत हिंसक गतिविधियों के बीच अंतर को उजागर करने में विफल रहे, जिससे बाद वाले को अनियंत्रित रूप से जड़ें जमाने का मौका मिला।

भारत और विदेशों के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

बंगाल

1870 का दशक	कलकत्ता के छात्र समुदाय में गुप्त समितियाँ मौजूद थीं, लेकिन वे अत्यधिक सक्रिय नहीं थीं।
वर्ष 1902	पहला क्रांतिकारी समूह मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु के तहत संगठित किया गया था, और कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना प्रोमोथा मित्तर, जतींद्रनाथ बनर्जी, बारींद्र कुमार घोष तथा अन्य लोगों द्वारा की गई थी।
वर्ष 1906	अनुशीलन के भीतर इनर सर्कल (बारींद्र कुमार घोष, भूपेन्द्रनाथ दत्ता) ने बारीसाल सम्मेलन के दौरान पुलिस की बर्बरता के बाद क्रांतिकारी हिंसा की वकालत करने के लिए साप्ताहिक युगांतर समाचार पत्र प्रकाशित किया।
वर्ष 1907	रासबिहारी बोस और सचींद्र सान्याल ने पंजाब, दिल्ली और संयुक्त प्रांत को कवर करते हुए एक गुप्त समाज का आयोजन किया। हेमचंद्र कानूनगो सैन्य और राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए विदेश गए। इसके अलावा, सर फुलर और लेफ्टिनेंट-गवर्नर एंड्रयू फ्रेज़र जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के जीवन पर भी प्रयास किए गए।
वर्ष 1907 - 1908	• प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुज़फ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड को ले जा रही एक गाड़ी पर बम से हमला करने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप दो ब्रिटिश महिलाओं की आकस्मिक मृत्यु हो गई। • अरबिंदो और बरिन्द्र घोष सहित अनुशीलन समूह के सदस्यों पर अलीपुर षड्यंत्र केस (मानिकटोला बम साजिश या मुरारीपुकुर साजिश) में मुकदमा चला। चित्तरंजन दास ने अरबिंदो का बचाव किया और उन्हें बरी कर दिया गया, जबकि बारींद्र घोष को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। नरेंद्र गोसाईं (या गोस्वामी), जो सरकारी गवाह बन गए थे, की जेल में दो सह-आरोपियों, सत्येन्द्रनाथ बोस और कनाईलाल दत्त ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
वर्ष 1909 - 1910	कलकत्ता में एक सरकारी अभियोजक और एक पुलिस उपाधीक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन द्वारा बर्रा डकैती का आयोजन किया गया।
दिसंबर 1912	रासबिहारी बोस और सचींद्र सान्याल ने दिल्ली में उनके आधिकारिक प्रवेश के दौरान वायसराय हार्डिंग पर बम हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। जांच से दिल्ली षडयंत्र का मुकदमा चला। बसंत कुमार विश्वास, अमीरचंद और अवध बिहारी को साजिश में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया तथा फाँसी दे दी गई।

https://www.pdfnotes.co/

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान

- बाघा जतिन (जतींद्रनाथ मुखर्जी) के नेतृत्व में **युगांतर पार्टी** ने जर्मन हथियारों के आयात के लिए 'जर्मन प्लॉट' या 'ज़िम्मरमैन योजना' की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय विद्रोह था। इसके अलावा, भारत-जर्मन साजिश के लिए धन जुटाने के लिए 'टैक्सीकैब डकैती' और 'नाव डकैती' की योजना बनाई गई थी।
- पुलिस ने जर्मन साजिश का पता लगाया, जिससे बालासोर में टकराव हुआ, जहाँ बाघा जतिन और उसके सहयोगी या तो मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। इस प्रकार जर्मन साजिश विफल हो गई।
- क्रांतिकारी गतिविधि की वकालत करने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में बंगाल में **संध्या** और **युगांतर** तथा महाराष्ट्र में **काल** शामिल थे, जो स्वदेशी बंगाल की एक महत्त्वपूर्ण विरासत के रूप में उभरे एवं पीढ़ियों से शिक्षित युवाओं को प्रभावित कर रहे थे।
- बाघा जतिन का आह्वान था, **"हम देश को जगाने के लिए मरेंगे।"**

महाराष्ट्र

वर्ष 1879	**वासुदेव बलवंत फड़के ने** रामोसी किसान सेना का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य संचार लाइनों को बाधित करके और डकैतियों के माध्यम से धन जुटाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू करना था। हालाँकि, इसे समय से पहले ही दबा दिया गया।
वर्ष 1890	**बाल गंगाधर तिलक** ने गणपति और शिवाजी उत्सवों के दौरान अपनी पत्रिकाओं **केसरी** तथा **मराठा** के माध्यम से हिंसा की वकालत करते हुए उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार किया।
वर्ष 1897	तिलक के शिष्य **चापेकर बंधुओं (दामोदर और बालकृष्ण)** ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी।
वर्ष 1899	सावरकर और उनके भाई ने **मित्र मेला** नामक एक गुप्त संस्था का आयोजन किया, जिसका बाद में वर्ष 1904 में अभिनव भारत (मैज़िनी के 'यंग इटली' से प्रेरित) में विलय हो गया तथा नासिक, पूना एवं बॉम्बे में बम निर्माण के केंद्र उभरे।
वर्ष 1909	**ए.एम.टी. नासिक** के कलेक्टर जैक्सन की अभिनव भारत के सदस्य **अनंत लक्ष्मण कान्हेरे** ने हत्या कर दी थी। यह हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना था। 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि **सावरकर** को साजिश के दिमाग और नेता के रूप में पहचाना गया, तथा उन्हें आजीवन कारावास एवं उनकी सारी संपत्ति ज़ब्त करने की सज़ा सुनाई गई।

पंजाब

उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले मुद्दे

- बार-बार पड़ने वाले अकाल, भू-राजस्व में वृद्धि, सिंचाई कर और ज़मींदार द्वारा 'बेगार' की प्रथा ने बंगाल की घटनाओं को और भी प्रेरित किया।

सक्रिय नेता

- **लाला लाजपत राय:** किसी भी कीमत पर स्वयं सहायता के आदर्श वाक्य के साथ **पंजाबी** का प्रकाशन किया।
- **अजीत सिंह:** लाहौर में चरमपंथी **अंजुमन-ए-मोहिसबान-ए-वतन** को संगठित किया और **भारत माता** का प्रकाशन किया। वह भगत सिंह के चाचा थे। उग्रवाद की ओर बढ़ने से पहले, अजीत सिंह के समूह ने उपनिवेशवादियों और किसानों के बीच राजस्व तथा पानी की दरों का भुगतान न करने का आग्रह किया।
- अन्य प्रभावशाली नेताओं में आगा हैदर, सैयद हैदर रज़ा, भाई परमानंद और कट्टरपंथी उर्दू कवि, लालचंद 'फलक' शामिल थे।

क्रांतिकारियों का दमन और संक्रमण

- पंजाब उग्रवाद को तब कड़ी चोट का सामना करना पड़ा जब सरकार ने मई 1907 में राजनीतिक बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया और लाजपत राय तथा अजीत सिंह को निर्वासित कर दिया।
- इसके बाद, अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद तथा लाला हरदयाल जैसे सहयोगी पूर्ण पैमाने पर क्रांतिकारियों के रूप में विकसित हुए।

प्रथम विश्व युद्ध और ग़दर क्रांति

- **रासबिहारी बोस:** वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग़दर क्रांति में एक अग्रणी व्यक्ति थे।
- **वर्ष 1913:** रासबिहारी बोस ने 1857 के विद्रोह के समान अखिल भारतीय सशस्त्र विद्रोह की संभावना पर चर्चा करने के लिए जतिन से मुलाकात की। उन्होंने बाघा जतिन के साथ मिलकर बंगाल योजना को पंजाब और ऊपरी प्रांतों तक विस्तारित किया। क्रांति की योजना सफल नहीं हुई, जिसके कारण वर्ष 1915 में रासबिहारी बोस जापान भाग गए। बाद में उन्होंने **भारतीय राष्ट्रीय सेना** की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

- **वर्ष 1905: श्यामजी कृष्णवर्मा** ने भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में **इंडिया हाउस** (लंदन) शुरू किया, जो भारत के कट्टरपंथी युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता था। यहाँ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जर्नल प्रकाशित हुआ था।
  - **सदस्य:** सावरकर और हृदयाल जैसे क्रांतिकारी।
  - इंडिया हाउस से जुड़े **मदनलाल ढींगरा** ने वर्ष 1909 में लंदन में एक नौकरशाह **कर्ज़न-वायली** की हत्या कर दी।
  - वर्ष 1910 में, **नासिक षड्यंत्र मामले** में सावरकर को प्रत्यर्पित किया गया और आजीवन कारावास के लिए निर्वासित किया गया , जिससे लंदन क्रांतिकारियों के लिए असुरक्षित हो गया।
- **नए केंद्र:** पेरिस और जिनेवा का उदय हुआ, जहाँ **मैडम भीकाजी कामा** ने **वंदे मातरम** निकाला तथा अजीत सिंह ने संचालन किया।
- **वर्ष 1909:** एंग्लो-जर्मन संबंधों के बिगड़ने के बाद वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपना आधार बनाया।

ग़दर-पूर्व क्रांतिकारी गतिविधि

- **वर्ष 1911:** रामदास पुरी, जी.डी. कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के नेतृत्व में वैंकूवर में **'स्वदेश सेवक होम'** तथा सिएटल में **'यूनाइटेड इंडिया हाउस'** की स्थापना की गई थी।

https://www.pdfnotes.co/

ग़दर आंदोलन

- **ग़दर पार्टी:** वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी तट और सुदूर पूर्व में शाखाओं के साथ स्थापित की गई थी।
- **प्रमुख नेता:** लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्लाह और भाई परमानन्द आदि।
- **उद्देश्य:** अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्याओं का आयोजन करना, साम्राज्यवाद-विरोधी साहित्य प्रकाशित करना, विदेशों में भारतीय सैनिकों के बीच काम करना, हथियार खरीदना और ब्रिटिश उपनिवेशों में एक साथ विद्रोह भड़काना आदि।

कामागाटामारू प्रकरण

- **वर्ष 1914:** मुख्य रूप से सिख और पंजाबी मुस्लिम आप्रवासियों को ले जाने वाले जहाज कामागाटामारू को कनाडाई अधिकारियों ने वापस लौटा दिया, जिससे तनाव पैदा हो गया। जहाज ने बाद में कलकत्ता में लंगर डाला। कैदियों ने पंजाब जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से इंकार कर दिया। कलकत्ता के निकट बज में पुलिस के साथ हुए संघर्ष में 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।
- **परिणाम:** इस घटना ने तनाव बढ़ा दिया, जिसके कारण ग़दर नेताओं ने भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए एक हिंसक हमले की योजना बनाई।
- **वर्ष 1915:** फिरोज़पुर, लाहौर और रावलपिंडी चौकियों में विद्रोह की योजनाएँ बनाई गईं, लेकिन विश्वासघात के कारण योजना विफल हो गई।
- **प्रतिक्रिया:** ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत रक्षा नियमों की सहायता से तत्काल कार्रवाई की, नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उनमें से 45 को फाँसी दे दी गई। कट्टरपंथी पैन-इस्लामवादियों **अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी** को एक साल के लिए नज़रबंद कर दिया गया।

यूरोपीय समितियाँ और मिशन

- **वर्ष 1915:** भारतीय स्वतंत्रता के लिए **बर्लिन समिति** की स्थापना वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्रनाथ दत्ता, लाला हरदयाल और अन्य ने **'ज़िम्मरमैन योजना'** के तहत जर्मन विदेश कार्यालय की मदद से की थी।
- **इसका उद्देश्य** विदेशों में बसे भारतीय लोगों को संगठित करना, भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काना और ब्रिटिश भारत पर सशस्त्र आक्रमण का आयोजन करना था।
- **मिशन:** ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को भड़काने और भारतीय सैनिकों तथा युद्धबंदियों को संगठित करने के लिए बगदाद, फारस, तुर्की एवं काबुल भेजे गए।
- राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला और ओबैदुल्लाह सिंधी के नेतृत्व में एक मिशन राजकुमार अमानुल्लाह की मदद से एक **'अस्थायी भारत सरकार'** का आयोजन करने के लिए काबुल गया।

सिंगापुर विद्रोह

- सिंगापुर विद्रोह 15 फरवरी, 1915 को **जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाउद खान** के नेतृत्व में पंजाबी मुस्लिम 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन द्वारा शुरू हुआ।
- एक भीषण युद्ध में इसे कुचल दिया गया जिसमें कई लोग मारे गए।

क्रांतिकारी गतिविधियों में गिरावट (प्रथम विश्व युद्ध के बाद)

- यह भारत रक्षा नियम के तहत बंद कैदियों की रिहाई , **मोंटेग्यू के अगस्त 1917** के बयान और संवैधानिक सुधारों की घोषणा ने एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनने तथा गांधीजी के अहिंसक असहयोग आंदोलन के साथ आगमन से आशा जगने के कारण संभव हुआ।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

8 प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया

प्रथम विश्व युद्ध (वर्ष 1914-1919) की अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद में परिपक्वता देखी गई थी।

- युद्ध में दो पक्ष शामिल थे-
  - **मित्र राष्ट्र**: ब्रिटेन, फ्राँस, रूस, अमेरिका और जापान।
  - **धुरी राष्ट्र**: जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, तुर्की।
- **भारतीय प्रतिक्रिया**
  - **नरमपंथियों** ने नैतिक कर्तव्य के नाते युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया।
  - तिलक जैसे **उग्रवादियों** ने, 'स्वशासन' की उम्मीद करते हुए, युद्ध का समर्थन किया।
  - **क्रांतिकारियों** ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अवसर देखा और तत्काल स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया।
- **भ्रामक मान्यताएँ:** ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के समर्थक यह समझने में विफल रहे कि वास्तव में साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपने हितों की रक्षा कर रही थीं, न कि भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा दे रही थीं।
- **ब्रिटिश दमन का प्रभाव:** मौलाना आज़ाद के **अल हिलाल** और मोहम्मद अली के **कॉमरेड** जैसे प्रकाशनों के दमन तथा अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद एवं हसरत मोहानी जैसे नेताओं की नज़रबंदी ने **'यंग पार्टी'** के बीच असंतोष एवं साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया।
- **भारत पर वित्तीय प्रभाव:** युद्ध ने भारत को सैनिकों से वंचित कर दिया था, एक समय पर श्वेत सैनिकों की संख्या घटकर केवल 15,000 रह गई थी। इसने जर्मनी और तुर्की से वित्तीय तथा सैन्य सहायता की संभावना को भी जन्म दिया।

होम रूल आंदोलन

प्रसंग	• ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक कारकों ने इसे बढ़ावा दिया। • होम रूल अभियान को बढ़ावा देने में वर्ष 1917 की **रूसी क्रांति** ने महत्ती भूमिका निभाई।
उद्देश्य	• ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत भारत के लिए **'स्वशासन'** की माँग करना। यह आयरिश होमरूल लीग से प्रेरित था, जो आयरलैंड के समान स्वायत्तता की माँग कर रहा था।
दृष्टिकोण	विभिन्न माध्यमों से राजनीतिक शिक्षा और चर्चा पर ध्यान केंद्रित: • सार्वजनिक बैठकें, राजनीतिक साहित्य के साथ पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना, राजनीति पर छात्रों के लिए सम्मेलन तथा कक्षाएँ। • समाचार-पत्रों, पैम्फलेटों, पोस्टरों, सचित्र पोस्टकार्डों, नाटकों और धार्मिक गीतों के माध्यम से प्रचार, धन उगाहने की गतिविधियाँ। • सामाजिक कार्य और स्थानीय सरकारी गतिविधियों में भागीदारी।

नेता	• **बाल गंगाधर तिलक** और **एनी बेसेंट** प्रमुख नेता थे।
	• अन्य नेताओं में जी.एस. खापर्डे, जोसेफ बैपटिस्टा, मुहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चितरंजन दास, के.एम. मुंशी, बी.चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय और सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर (उन्होंने अपनी **नाइटहुड** की उपाधि का परित्याग कर दिया) शामिल थे।
	• **विभिन्न पृष्ठभूमियों के प्रतिभागी:**
	  ○ **उदारवादी** कांग्रेस सदस्यों का कांग्रेस की निष्क्रियता से मोहभंग हो गया।
	  ○ गोपाल कृष्ण गोखले की **सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी** के कुछ सदस्य।
	  ○ हालाँकि, एंग्लो-इंडियन, कई मुस्लिम और दक्षिण के गैर-ब्राह्मण जैसे कुछ समूह शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि होम रूल से हिंदू-बहुसंख्यकों का शासन स्थापित हो सकता है।

गठन	• शुरुआत में स्वशासन के लिए साल भर के प्रयासों (वार्षिक सत्र वाली कांग्रेस के विपरीत) के लिए एक राष्ट्रीय गठबंधन के रूप में योजना बनाई गई थी। • अंततः दो अलग-अलग होम रूल लीगों का गठन हुआ: एक का नेतृत्व तिलक ने किया और दूसरे का बेसेंट ने, दोनों ने अधिक आक्रामक राजनीतिक रुख की वकालत की।

https://www.pdfnotes.co/

होम रूल आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक	• **लोकप्रिय दबाव की आवश्यकता:** कुछ राष्ट्रवादियों का मानना था कि रियायतें प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव डालना आवश्यक था। • **मॉर्ले-मिंटो सुधारों से मोहभंग:** नरमपंथी नेता मॉर्ले-मिंटो सुधारों द्वारा प्रस्तावित सीमित सुधारों से असंतुष्ट थे। • **युद्धकालीन दुखों का प्रभाव:** उच्च कराधान, बढ़ती कीमतें और युद्ध के दौरान सामान्य कठिनाइयों ने लोगों को आक्रामक विरोध आंदोलनों के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया। • **साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रदर्शन:** प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच युद्ध ने भारतीय भावनाओं को प्रभावित करने वाले **श्वेत श्रेष्ठता के मिथक** को उजागर कर दिया।

बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग	• जून 1914 में तिलक की रिहाई ने उन्हें नेतृत्व ग्रहण करने और सरकार तथा नरमपंथियों के प्रति सुलहकारी कदम उठाने में सक्षम बनाया।
	• तिलक ने **प्रशासन में सुधार का लक्ष्य** रखा और संकट के समय में ब्रिटिश सरकार से सहयोग का आग्रह किया।
	• स्थापना: **अप्रैल 1916**
	  ○ तिलक ने अपनी पहली होमरूल बैठक **बेलगाम** में की थी।
	  ○ उनकी लीग का मुख्यालय **पूना** में था।
	• **क्षेत्रीय विस्तार:** महाराष्ट्र (बॉम्बे शहर को छोड़कर), कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित।
	• **शाखाएँ:** छह शाखाएँ।
	• **माँगें:** स्वराज्य (स्व-शासन), भाषाई राज्यों का गठन और स्थानीय शिक्षा पर बल।

एनी बेसेंट का अखिल भारतीय होमरूल	आयरिश होमरूल लीग से प्रेरित होकर, एनी बेसेंट (वर्ष 1896 से भारत में एक आयरिश थियोसोफिस्ट) ने होमरूल के लिए एक आंदोलन चलाने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार किया।
	• स्थापना: **सितंबर 1916** मद्रास (अब चेन्नई) में किया।
	• **क्षेत्रीय विस्तार**: बॉम्बे शहर सहित लगभग संपूर्ण भारत तक विस्तारित।
	• **शाखाएँ:** लगभग 200 शाखाएँ।
	• **उद्देश्य:** युद्ध के बाद श्वेत उपनिवेशों के समान भारत के लिए **स्वशासन** की माँग करना।
	• उन्होंने अपने समाचार पत्रों **न्यू इंडिया** और **कॉमनवील** तथा सार्वजनिक बैठकों व सम्मेलनों के माध्यम से प्रचार किया।
	• **संगठनात्मक संरचना:** लचीली संरचना।
	• मुख्य तथ्य:
	  ○ **जॉर्ज अरुंडेल:** आयोजन सचिव थे।
	  ○ **बी.डब्ल्यू. वाडिया और सी.पी. रामास्वामी अय्यर** आदि ने लीग में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई थी।

सहयोग	• अलग-अलग रहते हुए, दोनों लीगों ने अपने विशिष्ट क्षेत्रों और प्रभाव क्षेत्रों में अपने प्रयासों का समन्वय किया, जहाँ तक संभव हुआ एक-दूसरे का सहयोग किया।
वर्ष 1920	• गांधीजी ने अखिल भारतीय होमरूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की और संगठन का नाम बदलकर **स्वराज्य सभा** कर दिया। हालाँकि, एक वर्ष के अंदर ही लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई।
" शिव ने अपनी पत्नी को बावन टुकड़ों में काट दिया, तभी पता चला कि उनकी बावन पत्नियाँ हैं। भारत सरकार के साथ ऐसा ही होता है जब वह श्रीमती बेसेंट को प्रशिक्षु बनाती है।" - मोंटेग्यू।	

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन (1916)

- **अध्यक्ष:** अंबिका चरण मजूमदार (एक उदारवादी नेता)।
- **कांग्रेस में उग्रवादियों का पुनः प्रवेश:** तिलक के नेतृत्व में उग्रवादियों के साथ पुनर्मिलन।
- **विलय को सुविधाजनक बनाने वाले कारक:**
  - पुराने विवादों का अप्रासंगिक हो जाना
  - विभाजन के कारण उत्पन्न राजनीतिक निष्क्रियता का नरमपंथियों और उग्रवादियों दोनों को एहसास होना
  - **एनी बेसेंट और तिलक** द्वारा सुलह के लिए ज़ोरदार प्रयास,
  - तिलक द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने के बजाय प्रशासनिक सुधार का समर्थन करने की घोषणा,
  - फ़िरोज़शाह मेहता की मृत्यु, जिन्होंने उग्रवादियों का विरोध किया था, ने विलय प्रक्रिया को आसान बना दिया।

लखनऊ समझौता

कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भारत में दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच महत्त्वपूर्ण एकता को चिह्नित करते हुए सरकार के सामने आम माँगें प्रस्तुत की।

https://www.pdfnotes.co/

मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते के लिए कड़ी मेहनत की। इसके लिए **सरोजिनी नायडू** ने मोहम्मद अली जिन्ना को **"हिंदू-मुस्लिम एकता का राजदूत"** कहा।

मुस्लिम लीग के रवैये में बदलाव के कारण

- **ब्रिटिश कार्रवाइयों के कारण मुसलमानों में असंतोष फैल गया:**
  - विश्व युद्ध में तुर्की की सहायता करने से इनकार,
  - वर्ष 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करना,
  - राष्ट्रव्यापी संबद्धता के साथ अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने से इनकार करना।
- **लीग के राजनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव:**
  - वर्ष 1912 में मुस्लिम लीग के अलीगढ़ स्कूल और कलकत्ता सत्र के सीमित दायरे से परे लीग के साहसी तथा युवा सदस्यों का झुकाव राष्ट्रवादी राजनीति की ओर था, जो कांग्रेस के लक्ष्यों के समान **स्वशासन** के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध थे।

प्रथम विश्व युद्ध के अंत में राष्ट्रवादी विद्रोह के कारण

- युद्धोत्तर आर्थिक कठिनाइयाँ
- युद्ध के बाद लोकतंत्र और आत्मनिर्णय के वादों का टूटना।
- **अधिप्रचार (प्रोपेगेंडा) और वास्तविकताएँ:** युद्ध के दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के औपनिवेशिक अत्याचारों को उजागर करने के लिए अधिप्रचार का इस्तेमाल किया, जिससे **श्रेष्ठता की छवि** नष्ट हो गई। हालाँकि, युद्ध के बाद की संधियों में औपनिवेशिक नियंत्रण को ढीला करने का कोई इरादा नहीं था।
- **मोहभंग:** पेरिस शांति सम्मेलन और उसके बाद की संधियों ने प्रदर्शित किया कि साम्राज्यवादी शक्तियों का अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण छोड़ने का कोई इरादा नहीं था।
- **राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान:** तुर्की, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, फिलीपींस, इंडोनेशिया और अन्य देशों में स्वतंत्रता की माँग करने वाले उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलनों में वृद्धि देखी गई।
- **रूसी क्रांति का प्रभाव (7 नवंबर, 1917)-** व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने **अक्टूबर क्रांति** की योजना बनाई, जिसके परिणामस्वरूप स्वेच्छाचारी ज़ार के शासन को उखाड़ फेंका गया और सोवियत संघ की स्थापना हुई (ज़ारवादी उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया)।

मोंटेंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (भारत सरकार अधिनियम, 1919)

- सरकार ने वर्ष 1918 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की जिन्हें **मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड सुधार** के नाम से जाना जाता है। इनकी घोषणा के आधार पर वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया।
- **एडविन मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव** थे और **लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय** थे।

अधिनियम की विशेषताएँ

- **प्रांतीय सरकार - द्वैध शासन का आगमन**
  - द्वैध शासन ने **प्रांतीय स्तर** पर शासन की दोहरी प्रणाली शुरू की।
  - कार्यकारी प्राधिकार को "आरक्षित" और "स्थानांतरित" विषयों में विभाजित किया गया है।
  - **आरक्षित विषय** (जैसे- कानून और व्यवस्था, वित्त) गवर्नर और उनके नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में थे।
  - **हस्तांतरित विषयों** (जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य) का प्रशासन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा नामित मंत्रियों द्वारा किया जाता था, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे।
  - कार्यकारी परिषद की विधायिका के प्रति कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी।
  - संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यपाल हस्तांतरित विषयों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था।
  - राज्य सचिव तथा गवर्नर-जनरल केवल आरक्षित विषयों में ही हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- **प्रांतीय विधानमंडल**
  - 70% निर्वाचित सदस्यों के साथ प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया।
  - सांप्रदायिक और वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों की समेकित प्रणाली का प्रादुर्भाव।
  - **महिलाओं को मतदान** का अधिकार दिया गया।
  - विधानमंडल कानून बनाने की पहल कर सकता है, लेकिन इसके लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।
  - अस्वीकृत बजट को बहाल करने के लिए राज्यपाल के पास वीटो शक्ति और अधिकार था।
- **केंद्र सरकार - कोई ज़िम्मेदार सरकार नहीं**
  - अखिल भारतीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार का कोई प्रावधान नहीं था।
  - गवर्नर-जनरल, मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बना रहा।
  - प्रशासन के लिए **केंद्रीय और प्रांतीय सूचियाँ** बनाई गई।
  - वायसराय की कार्यकारी परिषद में **तीन भारतीय सदस्य शामिल** थे।
  - गवर्नर-जनरल ने प्रांतों में आरक्षित विषयों पर नियंत्रण बनाए रखा।
  - गवर्नर-जनरल के पास बजट में कटौती को बहाल करने, बिलों को प्रामाणित करने और अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ थीं।
- **केंद्रीय विधानमंडल**
  - **द्विसदनीय** विधायिका की शुरुआत - केंद्रीय विधान सभा (145 सदस्य) और राज्य परिषद (60 सदस्य)।
  - राज्य परिषद का कार्यकाल **पाँच वर्ष** का होता था, जिसमें केवल पुरुष सदस्य होते थे।
  - केन्द्रीय विधान सभा का कार्यकाल **तीन वर्ष** का होता था।
  - विधायकों का बजट पर सीमित नियंत्रण था; बजट का **75% भाग गैर-मतदान** योग्य था। वित्त सहित महत्त्वपूर्ण समितियों में कुछ भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया।
  - भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया-**अब से भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश राजकोष से भुगतान** किया जाना था।
- **कांग्रेस की प्रतिक्रिया:** घोषित सुधार **"निराशाजनक"** और **"असंतोषजनक"**।
  - **तिलक-** "अयोग्य और निराशाजनक- एक सूर्यहीन सुबह"।
  - **एनी बेसेंट-** "इंग्लैंड प्रस्ताव देने और भारत स्वीकार करने के अयोग्य"।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

9 गांधीजी का उद्भव (उदय)

दक्षिण अफ्रीका प्रकरण (1893-1914)

- वह वर्ष 1893 में एक मुवक्किल **दादा अब्दुल्ला** से जुड़े एक कानूनी मामले के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे।
- एशियाई लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को देखते हुए, उन्होंने इस तरह के अन्याय के खिलाफ भारतीय श्रमिकों को संगठित करने के लिए वहां रुकने का फैसला किया।
- श्रमिकों को-
  - मतदान के अधिकार से वंचित किया गया था।
  - उन्हें कुछ निर्धारित एवं अस्वच्छ स्थानों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था।
- **संघर्ष का उदारवादी चरण (1894-1906)**
  - आधिकारिक चैनलों के माध्यम से समस्या निवारण की आशा करते हुए, उन्होंने ब्रिटिश और दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों के समक्ष याचिकाएँ एवं ज्ञापन प्रस्तुत किए।
  - उन्होंने विभिन्न भारतीय समूहों को एकजुट करने के लिए **नटाल इंडियन कांग्रेस** की स्थापना की और **इंडियन ओपिनियन** अखबार शुरू किया।
- **निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह का चरण (1906-1914)**
  - **पहला सत्याग्रह** उस कानून के खिलाफ था जिसके तहत भारतीयों को उंगलियों के निशान के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता थी।
  - उनके अन्य आंदोलन भारतीय प्रवासन पर प्रतिबंध, मतदान कर और भारतीय विवाहों को अमान्य घोषित करने वाले नियमों के विरुद्ध थे।
  - आंदोलन में भेदभावपूर्ण प्रावधानों की अवहेलना करने के क्रम में **असहयोग और दंड सहना शामिल** था।
  - भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के समर्थन में जनमत जुटाया, यहां तक कि उन्हें **वायसराय लॉर्ड हार्डिंग से निंदा** का शिकार भी होना पड़ा।
  - अंततः दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने मतदान कर, पंजीकरण प्रमाणपत्र और भारतीय संस्कारों के अनुसार विवाह से संबंधित प्रमुख भारतीय मांगों को स्वीकार कर लिया।

टॉल्स्टॉय फार्म

- वर्ष 1910 में स्थापित टॉल्स्टॉय फार्म का नाम **रूसी लेखक टॉल्स्टॉय** के नाम पर रखा गया था, गांधीजी उनके बड़े प्रशंसक थे।
- इसकी स्थापना गांधीजी द्वारा एक शैक्षिक प्रयोगशाला और सत्याग्रही परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर के रूप में की गई थी।
- **फीनिक्स फार्म** (1904) के बाद यह अपनी तरह का दूसरा फार्म था, जो **जॉन रस्किन** की पूंजीवाद की आलोचना से प्रेरित था।
- प्रारंभिक वर्षों से ही गांधीजी का लक्ष्य समाज सेवा, नागरिकता और शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान स्थापित करना था।
- टॉल्स्टॉय फार्म **वर्ष 1913 तक** संचालन में रहा था।

भारत में गांधीजी का आगमन

- जनवरी 1915 में गांधीजी भारत वापस लौटे।
- जनता की स्थिति को समझने के लिए एक वर्ष तक देश का दौरा किया और शुरू में कोई भी राजनीतिक पद लेने से परहेज किया।
- उन्होंने उदारवादी राजनीति पर संदेह व्यक्त किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान **होमरूल आंदोलन का समर्थन नहीं** किया।

चंपारण सत्याग्रह (1917): पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन	**मुद्दा:** बिहार के चंपारण में नील बागान मालिक किसानों का शोषण कर रहे थे। • राजकुमार शुक्ल ने गांधीजी से अनुरोध किया था और बाद में राजेंद्र प्रसाद, मज़हरूल हक़, महादेव देसाई, नरहरि पारेख एवं जे.बी. कृपलानी भी इसमें शामिल हो गए। • **प्रतिरोध:** गांधीजी ने चंपारण छोड़ने के आदेशों की अवहेलना की और दृढ़तापूर्वक सज़ा का सामना किया। • **परिणाम: तिनकठिया प्रणाली** (भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती) को समाप्त कर दिया गया और किसानों को मुआवजा दिया गया। • यह भारत में सविनय अवज्ञा **आंदोलन** की पहली जीत थी।

https://www.pdfnotes.co/

अहमदाबाद मिल हड़ताल (फरवरी 1918): पहला भूख हड़ताल	**विवाद:** प्लेग बोनस को लेकर कॉटन मिल मालिक बनाम श्रमिकों के मध्य गतिरोध। • गांधीजी को न्याय की लड़ाई में मदद के लिए **अंबालाल साराभाई** (मिल मालिक और अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष) की बहन **अनसूया साराभाई** से एक पत्र मिला था। • **हस्तक्षेप:** गांधीजी ने मध्यस्थता की, अहिंसक हड़ताल की सलाह दी और भूख हड़ताल की। • **परिणाम:** न्यायाधिकरण ने समझौता कर लिया और श्रमिकों को **35% वेतन वृद्धि** प्रदान की गई।
खेड़ा सत्याग्रह (मार्च 1918): पहला असहयोग आंदोलन	**मुद्दा:** गुजरात के खेड़ा में फसल की बर्बादी और सूखे के कारण कर से इनकार। • **नेतृत्व:** सरदार पटेल और गांधीवादियों ने कर विद्रोह का नेतृत्व किया। • **एकता:** समुदायों ने अनुशासन बनाए रखते हुए विद्रोह का समर्थन किया। • **परिणाम:** सरकार करों को निलंबित करने, दर वृद्धि को कम करने और जब्त की गई संपत्ति वापस करने पर सहमत हुई।

रौलेट एक्ट

प्रसंग	मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) से ठीक पहले पेश किया गया था। रौलेट एक्ट **'देशद्रोह समिति'** की सिफारिशों पर आधारित था।
उद्देश्य	असहमति को दबाने के लिए सरकार को असाधारण शक्तियों से सशक्त बनाना।
विवरण	आधिकारिक तौर पर इसका नाम **'अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम'** रखा गया, जिसे आमतौर पर **रौलेट एक्ट** के नाम से जाना जाता है।
सिफारिश	'देशद्रोही षडयंत्र' की जाँच के लिए रौलेट आयोग का प्रस्ताव।
प्रावधान	न्यायिक हस्तक्षेप के बिना मुकदमे की अनुमति, राजद्रोह के संदेह पर वारंट के बिना गिरफ्तारी और बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन।
प्रभाव	युद्ध के समय बोलने और एकत्र होने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए गए।
रौलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह- पहला सामूहिक हड़ताल	• **गांधीजी की प्रतिक्रिया:** रौलेट एक्ट को "**काला अधिनियम**" कहा गया, बड़े पैमाने पर विरोध का आह्वान किया गया। किसान, कारीगर और शहरी गरीब संघर्ष में सक्रिय हो गए। • **विरोध के रूप:** राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास, प्रार्थना, सविनय अवज्ञा और गिरफ्तारी। मुहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय एवं मजहर-उल हक सहित सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। • **प्रारंभ तिथि:** 6 अप्रैल, 1919 • **हिंसक प्रदर्शन:** कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब में 1857 के बाद सबसे बड़ा ब्रिटिश विरोधी विद्रोह देखा गया।

जलियाँवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल, 1919)

पृष्ठभूमि

- अमृतसर (पंजाब) हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित, दुकानें बंद कर नाराजगी दिखाई गई। राष्ट्रवादी नेताओं में **सैफुद्दीन किचलू तथा डॉ. सत्यपाल** की गिरफ्तारी के कारण विरोध प्रदर्शन और भी तीव्र हो गया।
- **सेना का हस्तक्षेप:** ब्रिगेडियर-जनरल **रेजिनाल्ड डायर** ने व्यवस्था बहाल करने के लिए मार्शल लॉ लगाया।
- **उद्घोषणा (13 अप्रैल, बैसाखी):** जुलूस, प्रदर्शनों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाए गए।
- **घटना:** सैनिकों ने जलियांवाला बाग को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी कर दी, जिससे हजारों लोग हताहत हुए।
- कांग्रेस का अनुमान है कि इस कांड में 1,000 से अधिक लोग मारे गए, 1,500 लोग घायल हुए।

परिणाम

- पंजाब में मार्शल लॉ, निवासियों पर क्रूरता, सार्वजनिक कोड़े लगाना और अपमान।
- रवीन्द्रनाथ टैगोर ने **नाइटहुड** की उपाधि का त्याग कर दिया।
- गांधीजी ने **कैसर-ए-हिन्द** की उपाधि छोड़ दी। उन्होंने महसूस किया कि 'शैतानी शासन' के साथ सहयोग असंभव था।
- हिंसा से अभिभूत गांधीजी ने **18 अप्रैल 1919 को रौलट सत्याग्रह वापस** ले लिया और कहा कि उन्होंने "हिमालयी भूल" की है।
- **विरासत:** भगत सिंह की सक्रियता को प्रभावित किया; बाद में **उधम सिंह ने माइकल ओ-डायर की हत्या** कर दी।

हंटर समिति

पृष्ठभूमि	जलियांवाला बाग नरसंहार ने एक जांच को प्रेरित किया। इसलिए, भारत के राज्य सचिव, एडविन मोंटागु ने अव्यवस्था जांच समिति की स्थापना की, जिसे व्यापक रूप से हंटर समिति के रूप में जाना जाता है।
अध्यक्ष	**लॉर्ड विलियम हंटर**, स्कॉटलैंड के पूर्व सॉलिसिटर जनरल।
उद्देश्य	बंबई, दिल्ली और पंजाब में उपजी हिंसा एवं उत्पात के कारणों तथा उठाए गए कदमों की जांच करना।
समिति के 3 सदस्य भारतीय थे	• सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड, बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति। • पंडित जगत नारायण, वकील और विधान परिषद के सदस्य। • सरदार साहिबज़ादा सुल्तान अहमद खान, ग्वालियर राज्य के एक वकील।

https://www.pdfnotes.co/

हंटर समिति की रिपोर्ट (मार्च 1920)	• डायर पर कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसकी गोलीबारी से पहले तितर-बितर होने के लिए नोटिस न ज़ारी करने के कारण निंदा की गई, उसे अधिकार की सीमा से बाहर जाने के लिए दोषी ठहराया गया था। • **अल्पसंख्यक रिपोर्ट (भारतीय सदस्य) का आंकलन:** ❍ निर्दोष लोग मौजूद थे; ❍ जलियांवाला बाग में पहले कोई हिंसा नहीं हुई थी और डायर के कार्यों को "अमानवीय तथा गैर-ब्रिटिश" माना गया था।
डायर पर कार्यवाही	• **क्षतिपूर्ति अधिनियम:** कार्यवाही से पहले पारित, अधिकारियों को कानूनी परिणामों से सुरक्षित किया गया; "**व्हाइट वाशिंग बिल**" के रूप में आलोचना की गई। • **डायर की बर्खास्तगी:** विंस्टन चर्चिल ने रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए डायर के कृत्य को खतरनाक पाया; मार्च 1920 में डायर को बर्खास्त कर दिया गया। • **ब्रिटेन में जनता का समर्थन:** डायर की सर्वत्र निंदा नहीं की गई; हाउस ऑफ लॉर्ड्स में समर्थन किया गया; रुडयार्ड किपलिंग सहित कई लोगों ने उसके लिए धन जुटाया।
सिख तीर्थस्थलों और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन पर प्रभाव	• **डायर का सम्मान:** स्वर्ण मंदिर के गुरु ने डायर को सम्मानित किया, जिससे सिख तीर्थ प्रबंधन सुधार की मांग तेज़ हो गई। • **गुरुद्वारा सुधार आंदोलन:** तीर्थ प्रबंधन के प्रति असंतोष का परिणाम था।
कांग्रेस का नजरिया	**कांग्रेस कमेटी** (मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, अब्बास तैयबजी, एम.आर. जयकर और गांधीजी) ने डायर के कृत्य की अमानवीयता के रूप में आलोचना की तथा माना कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने का कोई औचित्य नहीं था।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

10 खिलाफत और असहयोग आंदोलन

पृष्ठभूमि

प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा तुर्की के साथ दुर्व्यवहार के कारण ख़िलाफ़त मुद्दा उभरा। दुनिया भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धार्मिक नेता (ख़लीफ़ा) मानते थे और तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश कार्रवाई से भारत में भी मुसलमान नाराज थे।

खिलाफत कमेटी का गठन

1919 की शुरुआत में, अली बंधुओं (शौकत अली और मुहम्मद अली), मौलाना आज़ाद, अजमल खान तथा हसरत मोहानी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से तुर्की के प्रति अपना रुख बदलने का आग्रह किया।

मांगें: मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर ख़लीफ़ा का नियंत्रण बरकरार रखना चाहिए और क्षेत्रीय प्रबंधन के बाद ख़लीफ़ा को अपने पास पर्याप्त क्षेत्र रखना चाहिए।

उग्रवाद की ओर बदलाव

प्रारंभ में, ख़िलाफ़त आंदोलन में बैठकें और याचिकाएं जैसे शांतिपूर्ण उपाय शामिल थे। हालाँकि, यह धीरे-धीरे ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत करते हुए अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हो गया।

गांधीजी की भागीदारी

अखिल भारतीय ख़िलाफ़त समिति के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधीजी ने इस मुद्दे को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट (हिंदू और मुस्लिम) जन असहयोग आंदोलन के मंच के रूप में देखा।

कांग्रेस का रूख और मुस्लिम लीग का समर्थन

- **कांग्रेस का प्रभाग**
  - गांधीजी ने ख़िलाफ़त मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग शुरू करने का समर्थन किया। हालाँकि, कांग्रेस शुरू में राजनीतिक कार्रवाई के इस रूप पर बँटी हुई थी।
  - तिलक ने धार्मिक मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ गठबंधन करने का विरोध किया और राजनीतिक हथियार के रूप में सत्याग्रह पर संदेह किया। गांधीजी ने तिलक को सत्याग्रह के गुणों और ख़िलाफ़त मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के साथ गठबंधन की आवश्यकता के बारे में समझाने का प्रयास किया।
  - अंततः कांग्रेस ने गांधीजी के असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दे दी।
- **कांग्रेस समर्थन के कारण**
  - हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना।
  - पंजाब की घटनाओं और पक्षपातपूर्ण हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बाद संवैधानिक संघर्ष में विश्वास की कमी।
  - औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध असंतोष व्यक्त करने की जनता की उत्सुकता को पहचानना।
- **मुस्लिम लीग का समर्थन:**
  - लीग ने अपने लक्ष्यों को व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ते हुए, राजनीतिक प्रश्नों पर कांग्रेस और उसके आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया।

खिलाफत और असहयोग आंदोलन

- **फरवरी 1920:** यदि शांति संधि की शर्तें भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट करने में विफल रहीं तो गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए तत्परता की घोषणा की।
- **मई 1920**: सेवर्स की संधि ने तुर्की को खंडित कर दिया था, जिससे ख़िलाफ़त का मुद्दा तीव्र हो गया।
- **जून 1920:** इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन ने गांधीजी के नेतृत्व में बहिष्कार कार्यक्रम को मंजूरी दी।
- **31 अगस्त, 1920:** ख़िलाफ़त समिति ने औपचारिक रूप से आंदोलन शुरू करते हुए असहयोग अभियान शुरू किया।
- **सितंबर 1920:** कांग्रेस (कलकत्ता में एक विशेष सत्र में) ने पंजाब और ख़िलाफ़त के मुद्दों का समाधान होने तक एक असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें स्कूलों, कानून अदालतों, विधान परिषदों, विदेशी वस्तुओं और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार शामिल था।

कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920)

- कांग्रेस ने गैर-संवैधानिक जन-संघर्ष के माध्यम से स्वराज प्राप्त करने के लक्ष्य को बदलते हुए एक असहयोग कार्यक्रम का समर्थन किया।
- संगठनात्मक परिवर्तन किए गए, गांधीजी ने कार्यक्रम का पालन करने पर एक वर्ष के भीतर स्वराज की भविष्यवाणी की।
- गांधीजी ने कांग्रेस के लिए एक नया घोषणापत्र तैयार किया और कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को कम कर दिया गया।
- प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा।
- कांग्रेस के रोजमर्रा के मामलों की देखभाल के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया जाना था।

https://www.pdfnotes.co/

प्रस्थान और नए गठबंधन: कुछ नेता जैसे **जिन्ना, एनी बेसेंट, जी.एस. खारपड़े और बी.सी. पाल** ने वैध संघर्ष में विश्वास करते हुए कांग्रेस छोड़ दी। **सुरेंद्रनाथ बनर्जी** जैसे नेता नए गठबंधन या छोटे राजनीतिक संगठन बनाने हेतु प्रेरित हुए।

आंदोलन का प्रसार

- **राष्ट्रव्यापी यात्रा:** गांधीजी और अली भाई।
- **शैक्षिक बहिष्कार:** छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए और आचार्य नरेंद्र देव, सी.आर. दास, लाला लाजपत राय, ज़ाकिर हुसैन और सुभाष बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में 800 राष्ट्रीय स्कूल इसमें शामिल हो गए।
- **वकील और पेशेवर शामिल हुए:** मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालाचारी और वल्लभभाई पटेल जैसे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी।
- **सार्वजनिक प्रदर्शन:** विदेशी कपड़ा जलाना, विदेशी शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना देना, **तिलक स्वराज कोष** में अधिक अभिदान (एक करोड़ रुपये एकत्रित)।
- **स्वयंसेवी वाहिनी का उद्भव:** कांग्रेस की स्वयंसेवी वाहिनी एक समानांतर पुलिस बल के रूप में कार्य करती थी।
- **सेना से इस्तीफे का आह्वान:** अली बंधुओं और गांधीजी ने मुसलमानों से सेना से इस्तीफा देने का आह्वान किया, जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई।
- **सविनय अवज्ञा का पहल:** स्थानीय आंदोलन जैसे बंगाल और आंध्र में कर-मुक्त विरोध, असम में हड़ताल, पंजाब में सिख आंदोलन, अवध किसान आंदोलन, एका आंदोलन और मोपला विद्रोह।
- नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के प्रभाव से पूरे भारत में हड़तालें और प्रदर्शन शुरू हो गये।

सरकार की प्रतिक्रिया

- **मई 1921 वार्ता टूटना:** गांधीजी और वायसराय रीडिंग के बीच बातचीत विफल रही क्योंकि सरकार चाहती थी कि गांधीजी अली बंधुओं को उनके भाषणों से हिंसा का संकेत देने वाले हिस्सों को खत्म करने के लिए मना लें।
- **दिसंबर 1921 कार्रवाई:** सरकारी कार्रवाई में स्वयंसेवी वाहिनी को अवैध घोषित करना, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाना, प्रेस सेंसरशिप लगाना और गांधी को छोड़कर अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार करना शामिल था।

आंदोलन का अंतिम चरण

- 1921 में सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए कांग्रेस सदस्यों की ओर से गांधीजी पर दबाव बढ़ गया।
- अहमदाबाद अधिवेशन (1921) ने गांधी को इस मामले पर एकमात्र प्राधिकारी नियुक्त किया।
- सी.आर. दास ने जेल में रहते हुए सत्र की अध्यक्षता की, हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष थे।
- 1 फरवरी, 1922 को गांधीजी ने बारदोली, गुजरात से सविनय अवज्ञा की धमकी दी, जब तक कि राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया गया और प्रेस पर नियंत्रण नहीं हटा लिया गया। आंदोलन शुरू होने के कुछ देर बाद ही अचानक रोक दिया गया।

चौरी-चौरा घटना (5 फरवरी, 1922)

- **स्थान:** चौरी-चौरा, गोरखपुर जिला, संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश)।
- **उकसाने वाली घटना:** शराब की बिक्री और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्वयंसेवकों के एक नेता को पुलिस ने पीटा। इसके बाद पुलिस ने थाने के पास प्रदर्शन कर रही भीड़ पर फायरिंग कर दी।
- **हिंसक विस्फोट:** पुलिस की कार्रवाई से उत्तेजित भीड़ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन पर हमला किया और आग लगा दी। हिंसा में 22 पुलिसकर्मी मारे गए, कुछ ने भागने की कोशिश की लेकिन उन्हें मार दिया गया तथा वापस आग में फेंक दिया गया।

गांधीजी की प्रतिक्रिया और आंदोलन वापसी: चौरी-चौरा घटना के बाद आंदोलन से जुड़ी बढ़ती हिंसा से निराश गांधीजी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी।

कांग्रेस कार्य समिति का निर्णय (बारदोली, फरवरी 1922): कांग्रेस कार्य समिति बारदोली में एकत्रित हुई और कानून तोड़ने वाली गतिविधियों को रोकने का संकल्प लिया। उन्होंने रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें खादी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, संयम की वकालत करना, हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ना शामिल था।

गांधीजी की गिरफ्तारी और अदालत की सजा: मार्च 1922 में छह साल की जेल हुई। उनके यादगार अदालती भाषण में उन्होंने एक नागरिक के सर्वोच्च कर्त्तव्य के रूप में उच्चतम दंड का सामना करने की उनकी इच्छा पर जोर दिया।

घटना पर विविध विचार

- **सुभाष चंद्र बोस का नजरिया:** इसे राष्ट्रीय आपदा मानते हुए आंदोलन वापस लेने के फैसले पर नाराजगी जताई। जेल में बंद नेताओं, जैसे देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने इस नाराजगी को साझा किया।
- **मार्क्सवादी व्याख्या:** आंदोलन की समाप्ति को जनता के बीच बढ़ती अशांति और कट्टरवाद के बीच "सुरक्षित चैनलों" के भीतर बनाए रखते हुए, जो एक क्रांतिकारी जन आंदोलन बन रहा था उसे नियंत्रित करने के लिये गांधीजी और कांग्रेस नेताओं के प्रयास के रूप में देखता है।
- **गांधी का रुख:** गांधी ने आंदोलन को हिंसक होने से रोकने के लिए किसी भी पीड़ा या अपमान को सहने की इच्छा बताते हुए अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- **नेताओं की प्रतिक्रियाएँ:** सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे कई राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन वापस लेने के गांधीजी के फैसले पर हैरानी और असहमति व्यक्त की।

https://www.pdfnotes.co/

ख़िलाफ़त असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन

- **शहरी मुसलमानों को शामिल करना:** शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया लेकिन कुछ हद तक राष्ट्रीय राजनीति के सांप्रदायिकरण में योगदान दिया।
- **धार्मिक राजनीतिक चेतना बढ़ाने में विफलता:** राष्ट्रीय नेताओं ने मुस्लिम धार्मिक राजनीतिक चेतना को धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना के स्तर तक नहीं बढ़ाया।
- **राष्ट्रवादी भावनाएँ और लामबंदी:** इस आंदोलन ने समाज के सभी वर्गों- कारीगरों, किसानों, छात्रों, शहरी गरीबों, महिलाओं और व्यापारियों आदि में राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यापक रूप से प्रसारित किया।
- **क्रांतिकारी प्रभाव:** लाखों व्यक्तियों के राजनीतिकरण और सक्रियता ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी चरित्र से भर दिया।
- **औपनिवेशिक शासन के मिथकों को चुनौती:** उदारवादी राष्ट्रवादियों की आर्थिक आलोचना ने इस धारणा को नष्ट कर दिया था कि औपनिवेशिक शासन से भारतीयों को लाभ हुआ था। सत्याग्रह ने जन संघर्ष के माध्यम से औपनिवेशिक अजेयता के मिथक का मुकाबला किया।
- **औपनिवेशिक शासन का भय कम हुआ:** आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन और उसके दमनकारी तंत्र के प्रचलित भय को दूर करते हुए, जनता के बीच निडरता की भावना पैदा की।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

11 स्वराज्यवादियों, समाजवादी विचारों और क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय

स्वराज्यवादी और यथास्तितिवादी (नो-चेंजर्स)

कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी या स्वराज्यवादी पार्टी

- कांग्रेस के गया अधिवेशन (दिसंबर 1922) में दोनों विचारधाराओं के बीच परिषद में प्रवेश के प्रश्न पर मतभेद के परिणामस्वरूप परिषदों को 'समाप्त करने या मोड़ने (Ending or mending)' का स्वराज्यवादियों का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।
- सी. आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने क्रमशः कांग्रेस के अध्यक्ष और महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी या स्वराज्यवादी पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसमें सी. आर. दास अध्यक्ष बनें और मोतीलाल नेहरू सचिव बनें।

स्वराज्यवादी

- विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत करने वालों को 'स्वराज्यवादियों' के रूप में जाना जाने लगा। उनका उद्देश्य इन परिषदों का उपयोग इसकी कमजोरियों को उजागर करने और उन्हें राजनीतिक संघर्ष के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करना था।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिषद में प्रवेश से असहयोग आन्दोलन निष्फल नहीं होगा बल्कि इससे एक नया मोर्चा खुलेगा और जो जनता को उत्साहित करेगा।
- ये औपनिवेशिक कानून को बदलने के विरूद्ध थे परंतु उनका विचार राजनीतिक संघर्ष के लिए परिषदों का उपयोग हथियार के रूप में करने का था।
- नेता: सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, विट्ठलभाई पटेल, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एम.आर. जयकर और एन.सी. केलकर।

चुनावों के लिए स्वराज्यवादी घोषणापत्र (1923)

- मज़बूत **साम्राज्यवाद-विरोधी** रुख अपनाना, भारत में ब्रिटिश स्वार्थों को उजागर करना।
- **स्व-शासन की** मांग करना और मांगें अस्वीकार किए जाने पर परिषदों को लगातार अवरोधित करने की धमकी देना।

यथास्तितिवादी (नो-चेंजर)

- परिषद में प्रवेश का विरोध किया, रचनात्मक कार्यों, **बहिष्कार जारी रखने और सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दूसरे दौर** की शांतिपूर्ण तैयारी करते रहने पर जोर दिया। इन्हें यह डर था कि संसदीय कार्य में शामिल होने से क्रांतिकारियों के मनोबल में कमी आएगी, रचनात्मक गतिविधियों की उपेक्षा होगी और राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **नेता:** सी. राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और एम.ए. अंसारी।

समझौता और विकास

- दोनों गुटों ने आपसी समझौते से विभाजन को टाल दिया, गांधीजी के नेतृत्व की मांग की और **1923 में दिल्ली बैठक में समझौता हो गया।**
- **स्वराज्यवादियों को कांग्रेस के भीतर चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई** लेकिन विधान परिषदों में शामिल होने का मतभेद बना रहा।

गांधीजी का दृष्टिकोण

- आरंभ में उन्होंने परिषद में भाग लेने का विरोध किया लेकिन **चुनावी सफलता के बाद धीरे-धीरे स्वराज्यवादियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया।**
- **स्वराज्यवादियों की** प्रतिबद्धता और परिषदों में बिना किसी समझौते के कार्य करने को महत्व दिया।
- सरकारी दमन के बीच स्वराज्यवादियों के साथ एकजुटता दिखाई, जिससे उन्होंने समर्थन करने का निश्चय किया।

परिषदों में स्वराज्यवादियों के कार्यकलाप

- सरकार के विरुद्ध मतदान कर और प्रस्ताव पारित करके महत्वपूर्ण जीत हासिल की।
- स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता और औद्योगीकरण की वकालत की।
- सफलता मिलने के बावजूद, सांप्रदायिक तनाव, आंतरिक विभाजन और उन्हें विभाजित करने की सरकारी रणनीतियों के कारण ये कमजोर होते गए।

उपलब्धियाँ और कमजोरियाँ

- विधायी निकायों में उल्लेखनीय जीत हासिल की लेकिन जन आंदोलनों के साथ समन्वय का अभाव रहा।
- सत्ता से मिलने वाले लाभों का विरोध करने में विफल रहे, किसानों के मुद्दों और सांप्रदायिक हितों का समर्थन करने में विफल रहने के कारण उनका समर्थन खोते गये ।

यथास्थितिवादियों (नो-चेंजर) के रचनात्मक कार्य

- **रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना**: शिक्षा, खादी को बढ़ावा देना, हिंदू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता से लड़ना, बाढ़ राहत आदि।
- इन प्रयासों ने समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करते हुए **सविनय अवज्ञा आन्दोलन को मजबूत बनाया।**
- ***रचनात्मक कार्यों की आलोचना:***

https://www.pdfnotes.co/

- राष्ट्रीय शिक्षा से मुख्यतः कुछ वर्गों को लाभ हुआ; खादी की कीमत इसके लोकप्रिय होने में बाधक थी (क्योंकि यह आयतित कपड़ों से महंगा पड़ती थी)।
- सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालते समय हाशिये पर रह रहे लोगों की आर्थिक समस्याओं की उपेक्षा की गई।

1920 के दशक में भारत में नई शक्तियों का उदय

मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचारों का प्रसार

- **नेता: जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस।**
- राष्ट्रवादी युवा मार्क्सवादी विचारों और सोवियत क्रांति से प्रभावित थे।
- स्वराज्यवादियों और यथास्थितिवादियों (नो-चेंजर्स) की आलोचना की और लगातार साम्राज्यवाद-विरोधी और पूर्ण स्वतंत्रता **(पूर्ण स्वराज्य) समर्थन किया।**
- **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) का गठन वर्ष 1920** में कम्युनिस्ट इंटर्नेशनल (**कॉमिन्टर्न) की दूसरी कांग्रेस के बाद एम. एन. रॉय**, अबानी मुखर्जी और अन्य नेताओं द्वारा **ताशकंद** में किया गया। एम. एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटर्नेशनल (कॉमिन्टर्न) का नेतृत्व करने हेतु चुने जाने वाले पहले व्यक्ति भी थे।
- **1924** में, **कानपुर बोल्शेविक षडयंत्र केस में एस. ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता** सहित कई कम्युनिस्टों को जेल में डाल दिया गया था।
  - आरोपी व्यक्तियों पर भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने और बोल्शेविक शैली की सरकार स्थापित करने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि वे देशद्रोही गतिविधियों में शामिल थे और उनका संबंध कम्युनिस्ट विचारधारा से था।
- **1925** में, **कानपुर** में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन ने सीपीआई के गठन को औपचारिक रूप दिया।
- **1929 में**, सरकार कम्युनिस्टों पर कार्रवाई की जिसके परिणामस्वरूप 31 प्रमुख कम्युनिस्टों, ट्रेड यूनियनवादियों और वामपंथी नेताओं की गिरफ्तारी हुई और उन पर मुकदमा चलाया गया।
  - उन पर प्रसिद्ध **मेरठ षडयंत्र मामले में मेरठ में मुकदमा चलाया गया।**
- ***भारतीय युवाओं की सक्रियता:*** छात्र लीगों और सम्मेलनों की स्थापना हुई, जवाहरलाल नेहरू ने **1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की।**
- **किसान आंदोलन**
  - संयुक्त प्रांत में काश्तकारी कानून में संशोधन, कम लगान, बेदखली संरक्षण और ऋण राहत को लेकर आंदोलन हुए।
  - आंध्र के रम्पा क्षेत्र, राजस्थान, बॉम्बे और मद्रास में इसी तरह के आंदोलन, वल्लभभाई पटेल **(बारदोली सत्याग्रह, 1928) जैसे नेताओं के नेतृत्व में हुए।**
- **ट्रेड यूनियनों का विकास**
  - **ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) की स्थापना 1920** में **लाला लाजपत राय**, दीवान चमन लाल और **तिलक** के नेतृत्व में हुई।
  - खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स (जिसमें 5 महीने की हड़ताल में 1,50,000 कर्मचारी शामिल हुए) और बकिंघम कार्नेटिक मिल्स में प्रमुख रूप से हड़तालें हुईं।
  - भारत में **पहला मई दिवस 1923 में मद्रास में मनाया गया था।**
- **जातीय आंदोलन**
  - विभिन्न जातीय संघों और आंदोलनों ने सामाजिक विरोधाभासों को अभिव्यक्त किया।
  - सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए 1925 में आत्म-सम्मान आंदोलन (Self-Respect Movement) (पेरियार – ई.वी. रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में), **सतारा (महाराष्ट्र) में ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में सत्यशोधक कार्यकर्ताओं ने, अंबेडकर (महाराष्ट्र) के** नेतृत्व में **महारों ने, के. अयप्पन** के नेतृत्व में **उग्र (radical) इझ्झाओ ने और फजल-ए-हुसैन (पंजाब) के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने, केरल में सी. केसवन ने, बिहार में यादवों ने आंदोलन किया। [संघ लोक सेवा आयोग 2016]**
  - ये आंदोलन रूढ़िवादी होने से लेकर उग्रता की संभावना लिए हुए थे, जिनका लक्ष्य सामाजिक सुधार करना और अपनी स्थिति में बदलाव लाना था।
- **समाजवाद की ओर झुकाव लिए क्रांतिकारी गतिविधियां**
  - अहिंसा पर जोर देने वाली राष्ट्रवादी रणनीतियों से असंतुष्ट होना।
  - पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) और बंगाल में सूर्यसेन के नेतृत्व में युगांतर, अनुशीलन** और **चटगांव विद्रोह** समूह जैसे समूहों ने समाजवाद की ओर झुकाव रखते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को अपनाया।
- **असहयोग आंदोलन के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित होने के कारण**
  - असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देने के बाद क्रांतिकारियों की ओर झुकाव बढ़ गया।
  - उन्होंने राष्ट्रवादी नेतृत्व द्वारा अहिंसा पर जोर दिए जाने पर प्रश्न उठाना शुरू किया और भारत की आज़ादी के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश की।
- **क्रांतिकारी गतिविधि को गति प्रदान करने वाले प्रमुख प्रभाव**
  - **युद्धोपरांत कामगार ट्रेड युनियन:** इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी क्रांति हेतु मजदूर वर्ग की क्षमताओं को पहचान दिलाना था।
  - **रूसी क्रांति (1917) और मार्क्सवादी विचारों का** प्रभाव: सोवियत राज्य की सफलता ने भारतीय क्रांतिकारियों को मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधाराओं ने प्रेरित किया।
  - **कम्युनिस्ट समूहों का उद्भव:** मार्क्सवाद, समाजवाद और क्रांति में सर्वहारा वर्ग की भूमिका पर जोर देने वाले कम्युनिस्ट समूहों का उदय।
  - **प्रकाशनों की भूमिका: आत्मशक्ति, सारथी, बिजली** जैसी पत्रिकाओं और **सचिन सान्याल** की **बंदी जीवन** और **शरतचंद्र चटर्जी** की **पाथेर डाबी जैसी प्रतिबंधित पुस्तकों** ने क्रांतिकारी बलिदानों का महिमामंडन किया।

विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

पंजाब, उत्तर-प्रदेश एवं बिहार

- **यहाँ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन/आर्मी (एचआरए)** का प्रभुत्व रहा।
- एचआरए का गठन **अक्टूबर, 1924 में** रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल जैसे नेताओं द्वारा **कानपुर** में किया गया था।

https://www.pdfnotes.co/

काकोरी कांड (अगस्त 1925)

एचआरए द्वारा की गई गतिविधि में लोगों ने काकोरी में 8-डाउन ट्रेन को रोक लिया और उसके सरकारी रेलवे खजाने को लूट लिया, जिसके कारण कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। **बिस्मिल, अशफाकउल्ला, रोशन सिंह** और **राजेंद्र लाहिड़ी** को फाँसी दे दी गई।

हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)

- काकोरी षड्यंत्र की विफलता के बाद, युवा क्रांतिकारी **फिरोजशाह कोटला, दिल्ली** (सितंबर, 1928) में एक ऐतिहासिक बैठक में फिर से एकत्र हुए।
- **चन्द्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व** में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA) को बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) कर दिया गया।
- इसमें भाग लेने वालों में भगत सिंह, सुखदेव थापर (जिन्हें हमेशा सुखदेव के नाम से जाना जाने लगा), पंजाब से **भगवती चरण वोहरा (जिन्होंने द फिलॉसफी ऑफ द बम** लिखी) और संयुक्त प्रांत से बिजॉय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर शामिल थे।
- एचएसआरए ने सामूहिक नेतृत्व के तहत कार्य करने का फैसला किया और समाजवाद को अपने आधिकारिक लक्ष्य के रूप में अपनाया।

सॉन्डर्स की हत्या (लाहौर, दिसंबर, 1928)

- **अक्टूबर, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में** प्रदर्शन के दौरान लाठियों के प्रहार से **लाला लाजपत राय की मृत्यु** के बाद की गई।
  - भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और चन्द्रशेखर आज़ाद सहित एचएसआरए के क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का निश्चिय किया।
- **हत्या की घटना**
  - **षड्यंत्रकर्ता:** भगत सिंह और राजगुरु ने जॉन **पी. सॉन्डर्स** को पुलिस अधीक्षक **जेम्स स्कॉट समझ लिया।**
  - **चन्द्रशेखर आज़ाद की भूमिका:** उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु को भागने में मदद करते हुए एक भारतीय कांस्टेबल को गोली मार दी।

केन्द्रीय विधान सभा पर हमला (अप्रैल, 1929)

- **संदर्भ: सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक (Public Safety Bill)** और **व्यापार विवाद विधेयक (Trade Disputes Bill)** (नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध) के विरोध में।
- **षड्यंत्रकर्ता:** एचएसआरए के नेतृत्व में **भगत सिंह** और **बटुकेश्वर दत्त ने** बम फेंका।
- **बम की प्रकृति: यह** घातक नहीं था जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाने की बजाय विरोध दर्ज करवाना था ताकि **"बहरों को सुनाया" जा सके।**
- **उद्देश्य: किसी को** नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि **ध्यान आकर्षित करना**, गिरफ्तार होना और अपनी क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार के लिए ट्रायल कोर्ट का एक मंच के रूप में उपयोग करना।

क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

- **अभियोग**: भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को **लाहौर षड्यंत्र मामले में अभियोग का सामना करना पड़ा**, साथ ही कई अन्य क्रांतिकारियों पर विभिन्न मामलों में मुकदमा चलाए गए।
- **जेल में विरोध प्रदर्शन:** इन क्रांतिकारियों ने जेल में रहते हुए उपवास के माध्यम से दयनीय स्थितियों का विरोध किया और राजनीतिक कैदियों के रूप में उचित व्यवहार की मांग की।
- **जतिन दास की शहादत: जतिन दास ने** अपने अनशन के **63वें दिन** प्राण त्याग दिए और वे ऐसे पहले शहीद थे।
- **कांग्रेस की भूमिका:** कांग्रेस के नेताओं ने युवा क्रांतिकारियों के लिए वकालत की व्यवस्था की।

फाँसी

- **भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु** को फाँसी: **23 मार्च, 1931 को सॉन्डर्स की हत्या** में शामिल होने के लिए फाँसी दे दी गई। इस दिन को अब **शहीद दिवस (Martyrs' Day) और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है।**
- **फाँसी के समय दृढ़ता: भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 'इंकलाब ज़िंदाबाद'** (क्रांति अमर रहें) एवं 'ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाते हुए फाँसी पर चढ़ गए तथा अपनी फाँसी के दौरान भी दृढ़ भावना प्रदर्शित की।

चन्द्रशेखर आज़ाद गतिरोध

- **चन्द्रशेखर आज़ाद दिसंबर, 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन की ट्रेन को उड़ाने** की साजिश का हिस्सा थे। 1930 में, पंजाब और संयुक्त प्रांत के शहरों में अनेक हिंसक कार्रवाईयाँ हुईं।
- **फरवरी 1931** में, आज़ाद ने **इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क** (अब चन्द्रशेखर आज़ाद पार्क) में साथी क्रांतिकारियों के साथ एक बैठक की। विश्वासघात के कारण उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया। आजाद ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः घायल हो गए और उन्होंने खुद को गोली मारकर जिंदा न पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का फैसला किया।
- उनकी कोल्ट पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है।

1920 के दशक के दौरान बंगाल

क्रांतिकारियों का पुनर्गठन और कांग्रेस का सहयोग	1920 के दशक के दौरान, कई क्रांतिकारी समूहों ने अपने गुप्त अभियानों को पुनर्गठित किया। कुछ लोगों ने कांग्रेस के बैनर तले काम करना जारी रखा जिसने उन्हें जनता तक पहुंच प्रदान की और विभिन्न कस्बों एवं गांवों में संगठनात्मक समर्थन प्रदान किया।
स्वराज्यवादी आंदोलन और गुटबाजी	1925 में सी.आर. दास की मृत्यु के बाद, बंगाल कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई: एक का नेतृत्व **जे.एम. सेनगुप्ता (अनुशीलन समिति** द्वारा समर्थित) और दूसरे का नेतृत्व **सुभाष बोस (युगांतर समिति** द्वारा समर्थित) ने किया।
कलकत्ता पुलिस कमिश्नर की हत्या का प्रयास	**गोपीनाथ साहा ने 1924 में कलकत्ता के कुख्यात पुलिस कमिश्नर, चार्ल्स टेगार्ट** की हत्या का प्रयास किया। इस कार्रवाई के कारण सरकार के गंभीर प्रतिशोध का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप **गोपीनाथ साहा** को **फांसी दी गई और सुभाष बोस** सहित अनेक लोगों की गिरफ्तारियां हुईं।

चटगाँव शस्त्रागार लूट और सूर्यसेन

- नए **"विद्रोह समूहों" में सबसे सक्रिय और प्रसिद्ध सूर्य सेन** के नेतृत्व वाला चटगाँव समूह था।

https://www.pdfnotes.co/

- **सशस्त्र विद्रोह का उद्देश्य: सूर्यसेन ने अपने सहयोगियों अनंत सिंह, गणेश घोष** और **लोकनाथ बाउल** के साथ सशस्त्र विद्रोह करके ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का लक्ष्य रखा। इनकी योजना में क्रांतिकारियों के लिए हथियार प्राप्त करने हेतु **चटगांव में दो प्रमुख शस्त्रागारों को लूटना, टेलीफोन एवं टेलीग्राफ लाइनों को नष्ट करके संचार को बाधित तथा बंगाल के साथ चटगांव के रेल संपर्क को भंग करना भी** शामिल था।
- **चटगांव शस्त्रागार लूट (अप्रैल, 1930): भारतीय रिपब्लिकन आर्मी -चटगांव शाखा के बैनर** तले 65 क्रांतिकारियों ने धावा बोल दिया और यह हमला सफल सिद्ध हुआ। सेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, **अस्थायी क्रांतिकारी सरकार** की घोषणा की एवं बाद में सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए पास के गांवों में फैल गए।
- **परिणाम और सेन का विश्वास:** इस हमले की सफलता के बावजूद, सूर्य सेन को **फरवरी, 1933** में **गिरफ्तार कर लिया गया** एवं बाद में **जनवरी, 1934 में उन्हें फाँसी दे दी गई।** यद्यपि, चटगांव हमला क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले युवाओं में उत्साह बहुत बढ़ गया , जिससे क्रांतिकारी समूहों में भर्ती होने हेतु लोग निरंतर आकर्षित होने लगे।
- **महिलाओं की भागीदारी:** वे आश्रय प्रदान करने, संदेश ले जाने और सशस्त्र संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लेने जैसी विभिन्न गतिविधियों में लगी रहीं। अनेक महिलाओं जिनमें **प्रीतिलता वादेदार** (हमले के दौरान मृत्यु हो गई), **कल्पना दत्त** (सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार, जिन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई), **शांति घोष एवं सुनीति चंदेरी** (कोमिला स्कूल की लड़कियां, जिन्होंने, दिसंबर, 1931 **में जिला मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी**), तथा **बीना दास** (फरवरी, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री प्राप्त करते समय गवर्नर पर गोली चलाई)।
- **कमियाँ और चुनौतियाँ: इस** आंदोलन में रूढ़िवादी तत्व बरकरार रहे, व्यापक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को तैयार करने में विफल रहा और बंगाल में जमींदारों (जमींदारों) के विरूद्ध मुस्लिम किसानों के हितों का पर्याप्त समर्थन नहीं किया।
- **सरकार की प्रतिक्रिया:** कठोर प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद कठोर दमनात्मक कार्यवाही की गयी (20 दमनकारी घटनाएं हुई और पुलिस बल द्वारा कार्रवाई की गई)। इसके परिणामस्वरूप दंडात्मक कार्रवाईयां हुई; चटगांव में गांवों को जला दिया गया **एवं** जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

12 साइमन आयोग और नेहरू रिपोर्ट

साइमन आयोग

भारत सरकार अधिनियम, 1919 प्रावधान

भारत सरकार अधिनियम, 1919 में भारत में शासन की प्रगति की समीक्षा करने और संभावित सुधारों को प्रस्तावित करने हेतु 10 वर्षों के बाद एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान शामिल था।

गठन और सदस्य

- इसकी स्थापना **8 नवंबर 1927** को **सर जॉन साइमन** के नेतृत्व में की गई थी। आयोग में **सात सदस्य भी शामिल** थे।
- उल्लेखनीय है कि इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन और क्लेमेंट **एटली** द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।

उद्देश्य: यह आकलन करना कि क्या भारत आगामी संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है और ब्रिटिश सरकार को इन सुधारों की रूपरेखा की अनुशंसा करना।

राजनीतिक संदर्भ: लॉर्ड बिरकेनहेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार को लेबर पार्टी से संभावित हार का डर था, इसलिए वह संभावित लेबर सरकार के यह निर्णय लेने से पहले कार्रवाई करना चाहती थी कि भारत को भविष्य में किस प्रकार शासित किया जाना चाहिए।

पूर्ववर्ती अधिनियमों और आयोगों की विफलताएँ:

- **ली कमीशन (1923),** जिसने सिविल सेवाओं में यूरोपीय और भारतीयों के लिए संरचना और सेवा शर्तों पर ध्यान केंद्रित किया **कि** भारत में **सुपीरियर सिविल सर्विसेज पर रॉयल कमीशन** के रूप में जाना जाने लगा।
- **मुद्दीमन समिति (1924),** जिसे आधिकारिक तौर पर **सुधार जांच समिति की रिपोर्ट** के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत 1921 में स्थापित संविधान के कार्यसंचालन की जांच करना था। अल्पसंख्यकों ने द्वैध शासन प्रणाली का तत्काल उन्मूलन और एक लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना का समर्थन किया, इससे मतभिन्नता परिलक्षित हुई।
- **लिनलिथगो आयोग (1926),** आधिकारिक तौर पर रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसने विशेष रूप से भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, ने इसके सुधार हेतु व्यापक अनुशंसाएं प्रस्तावित कीं, जिसमें बेहतर विदेशी नस्लों के आयात द्वारा भारतीय मवेशियों की गुणवत्ता बढ़ाने के सुझाव भी शामिल थे।

प्रभाव और विरासत

- 1928 में भारत में साइमन कमीशन के आगमन का **विरोध** और **बहिष्कार** का सामना करना पड़ा, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा था।
- साइमन कमीशन से **भारतीयों को पृथक रखना,** आत्म-निर्णय के सिद्धांत का प्रत्यक्ष उल्लंघन माना गया। **[यूपीएससी 2013]**

कांग्रेस की प्रतिक्रिया: एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता व मद्रास कांग्रेस अधिवेशन **(दिसंबर 1927) में** आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। सत्र में नेहरू द्वारा पेश एक प्रस्ताव में **पूर्ण स्वतंत्रता** को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया।

अन्य समूह की प्रतिक्रिया: विभिन्न वर्गों से समर्थन: हिंदू महासभा का उदारवादी गुट, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का बहुसंख्यक गुट **व** अन्य कुछ गुटों, जैसे **पंजाब में संघवादियों** और **दक्षिण में जस्टिस पार्टी**, ने आयोग का बहिष्कार नहीं करने का निर्णय किया।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया: बंबई में आयोग के आगमन **(3 फरवरी, 1928)** के कारण देशव्यापी **हड़ताल,** सामूहिक रैलियाँ, **काला झंडे प्रदर्शन** और **'साइमन वापस जाओ(Simon go back)'** का नारा लगा।

युवाओं की भागीदारी: इससे **पंजाब नौजवान भारत सभा, मजदूर एवं कृषक दल और हिंदुस्तानी सेवा दल (कर्नाटक)** जैसे समूहों का उदय हुआ। इस अवधि के दौरान **नेहरू** तथा **सुभाष बोस** जैसे नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की।

पुलिस दमन: पुलिस ने जवाब में **लाठीचार्ज** किया, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू और जी.बी. पन्त जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी निशाना बनाया गया। **अक्टूबर 1928** में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आयी जिससे **17** नवंबर, **1928** को उनकी मृत्यु हो गई।

डॉ. अम्बेडकर की भागीदारी: डॉ. अम्बेडकर को साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए **बंबई विधान परिषद** द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने **'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार', प्रांतीय स्वायत्तता** का समर्थन किया और दलित वर्गों के लिए राजनीतिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया।

साइमन कमीशन की सिफ़ारिशें

उन्होंने मई 1930 में **दो भागों में** एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

प्रांतीय सुधार

- **द्वैध शासन को समाप्त** करने का प्रस्ताव रखा और **विधान परिषद सदस्यों** में वृद्धि के साथ **प्रतिनिधि प्रांतीय सरकारों** का समर्थन किया।

https://www.pdfnotes.co/

- आंतरिक सुरक्षा और सामुदायिक सुरक्षा से संबंधित राज्यपाल हेतु विवेकाधीन शक्तियों के साथ **प्रांतीय स्वायत्तता** की सिफारिश की गई।

केंद्रीय शासन

- केंद्र में **संसदीय उत्तरदायित्व** को अस्वीकार कर दिया, कैबिनेट सदस्यों की नियुक्ति में गवर्नर-जनरल को पूर्ण अधिकार देने की बात की।
- उच्च न्यायालय पर भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण की वकालत की।

सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र

- हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच तनाव कम होने तक अस्थायी रूप से, **पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रबंधन एवं विस्तार** का सुझाव दिया गया।
- **सार्वभौम वयस्क मताधिकार** के विचार को **अस्वीकार** कर दिया।

संघवाद और प्रतिनिधित्व

- इसने संघवाद की अवधारणा को अंगीकृत किया किन्तु क्रमिक कार्यान्वयन प्रस्तावित किया। **कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ़ ग्रेटर इंडिया** की स्थापना का सुझाव दिया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों, दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे।
- **उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत** और बलूचिस्तान के लिए स्थानीय विधानमंडलों की स्थापना की सिफारिश की गई।
- भारतीय उपमहाद्वीप से पृथक मानते हुए **सिंध को बंबई** से और बर्मा को भारत से पृथक करने की बात की।
- **सैन्य और अन्य सिफ़ारिशें:** ब्रिटिश सेना को बनाए रखने के साथ भारतीय सेना के भारतीयकरण का प्रस्ताव।

बिरकेनहेड की चुनौती:

एक सर्वसम्मत संविधान तैयार करने की लॉर्ड बिरकेनहेड की चुनौती को विभिन्न राजनीतिक गुटों ने स्वीकार कर लिया, जिससे तत्कालीन समय में भारतीय एकता को बल मिला।

नेहरू रिपोर्ट

इसका गठन बीरकेनहेड की चुनौती के प्रत्युत्तर में किया गया था।

- **गठन**: फरवरी **1928** में एक **सर्वदलीय सम्मेलन** ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उपसमिति नियुक्त की।
- **समिति के सदस्यों** में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. अने, मंगल सिंह, अली इमाम, शुएब क़ुरैशी और जी.आर.प्रधान शामिल थे। अगस्त **1928** तक इसे अंतिम रूप दे दिया गया।

सिफ़ारिशें

- **डोमिनियन स्टेटस:** स्वशासित डोमिनियन के समान प्रस्तावित डोमिनियन स्टेटस पर समिति के सदस्यों के बीच विभाजन हो गया जिसमें बहुमत ने **डोमिनियन स्टेटस** का समर्थन किया, जबकि अल्पमत द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई।
- **चुनावी प्रणाली:** पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को अस्वीकार कर दिया और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का समर्थन किया, न कि उन क्षेत्रों में जहां वे बहुमत में थे (**उदाहरण के लिए** पंजाब, बंगाल)।
- **प्रांतीय सुधार:** भाषाई प्रांतों का समर्थन किया गया।
- **मौलिक अधिकार: 19** मौलिक अधिकार प्रस्तावित किए गए, जिनमें महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ गठन और **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** शामिल हैं।
- **शासन प्रणाली:**
  - केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का सुझाव दिया।
  - भारतीय संसद में **प्रतिनिधि सभा** (**500** सदस्य) वयस्क मताधिकार के माध्यम से एवं सीनेट (**200** सदस्य) प्रांतीय परिषदों द्वारा चुनी जाए।
  - ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक गवर्नर-जनरल का प्रस्ताव रखा गया जिसे भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाना था, जिसे केंद्रीय कार्यकारी परिषद की सलाह से काम करना था।
  - प्रांतीय परिषदों का नेतृत्व गवर्नर द्वारा किया जाए, जो प्रांतीय कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करे।
- **मुस्लिम हितों की सुरक्षा:** मुस्लिमों के सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
- **धर्मनिरपेक्ष राज्य:** राज्य को धर्म से **पूर्णत**: **पृथक** करने की बात की गई।

मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रियाएँ

मुस्लिम लीग द्वारा दिल्ली प्रस्ताव (1927)

- मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों के साथ पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर **संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों** का समर्थन किया गया।
- केंद्रीय विधान सभा में मुस्लिमों के लिए **एक तिहाई** प्रतिनिधित्व की मांग **की।**
- **पंजाब और बंगाल** में मुस्लिमों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया।
- **तीन नए मुस्लिम-बहुल प्रांतों यथा:** सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत **के निर्माण** का आह्वान किया गया।

हिंदू महासभा का रूख

- नए मुस्लिम-बहुल प्रांतों के निर्माण और **पंजाब** एवं **बंगाल** में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित करने का कड़ा विरोध किया।
- सांप्रदायिक बहस को जटिल बनाते हुए कठोर एकात्मक संरचना पर जोर दिया।

नेहरू रिपोर्ट के दौरान समझौते और दुविधाएँ

- **मुस्लिम लीग की मांगें:** सर्वदलीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय विधायिका और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुस्लिमों के लिए **आरक्षित सीटों** की मांग जारी रखी।
- **नेताओं की दुविधा:** सांप्रदायिक हितों को **संतुलित** करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। नेहरू रिपोर्ट के प्रारूपण के दौरान एक समूह को संतुष्ट करने के परिणामस्वरूप दूसरे समूह के अलग हो जाने की आशंका थी।
- **नेहरू रिपोर्ट में हिंदू सांप्रदायिकों को रियायतें:**
  - अल्पसंख्यक क्षेत्रों में केवल मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों का प्रस्ताव करते हुए, **सार्वभौम** संयुक्त निर्वाचन की वकालत की।
  - सिंध में हिंदू अल्पसंख्यक हितों को ध्यान में रखते हुए, डोमिनियन स्टेटस देने पर सिंध को बंबई से आकस्मिक रूप से पृथक करना।

https://www.pdfnotes.co/

- केंद्रीय प्राधिकरण में निहित अवशिष्ट शक्तियों के साथ मुख्य रूप से एकात्मक राजनीतिक संरचना का प्रस्ताव रखा।

- **समझौतों के परिणाम:** नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक मांगों को संतुलित करने के प्रयास से रियायतें प्रदान की गईं, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का समर्थन किया गया और विशिष्ट संदर्भों में मुस्लिमों के लिए सीमित आरक्षण दिया गया। हिंदू अल्पसंख्यक चिंताओं को दूर करने और मुस्लिम आरक्षण को समायोजित करने के प्रयासों ने रिपोर्ट की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक बहस को जटिल बना दिया।

जिन्ना द्वारा प्रस्तावित संशोधन (1928)

- **केंद्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व:** केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों के लिए एक तिहाई प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव।
- **बंगाल एवं पंजाब विधानसभाओं में आरक्षण:** वयस्क मताधिकार लागू होने तक जनसंख्या के आधार पर बंगाल और पंजाब विधानसभाओं में मुस्लिमों के लिए आरक्षण का सुझाव दिया गया।
- **प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां:** प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने का समर्थन किया गया।

जिन्ना के चौदह सूत्री माँग (मार्च 1929)

- यह मुस्लिम लीग के भविष्य के सभी मत प्रचार (propaganda) का आधार बन गया
- प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघीय संविधान।
- प्रांतीय स्वायत्तता।
- भारतीय संघ में शामिल राज्यों की सहमति के बिना केंद्र द्वारा कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाएगा।
- सभी विधायिकाओं और निर्वाचित निकायों में प्रत्येक प्रांत में मुस्लिमों के बहुमत को अल्पसंख्यक या समानता के अनुरूप कम किए बिना मुस्लिमों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा।
- सेवाओं और स्वशासी निकायों में मुस्लिमों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व।
- केंद्रीय विधानमंडल में एक तिहाई मुस्लिम प्रतिनिधित्व।
- केंद्र अथवा प्रांतों में किसी भी मंत्रिमंडल में एक तिहाई मुस्लिम हों।
- पृथक निर्वाचन क्षेत्र।
- यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के तीन-चौथाई (75%) लोग ऐसे विधेयक अथवा प्रस्ताव को अपने हितों के विरुद्ध मानते हैं तो किसी भी विधायिका में कोई विधेयक या प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए।
- किसी भी क्षेत्रीय पुनर्गठन से पंजाब, बंगाल और उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रांत में मुस्लिम बहुमत प्रभावित नहीं होगा।
- सिंध को बम्बई से पृथक करना।
- उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रांत और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार।
- सभी समुदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता।

नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति

- मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख संप्रदायवादियों साथ ही जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा वर्ग ने असंतोष व्यक्त किया। सर्वदलीय सम्मेलन के घटनाक्रम ने नेहरू रिपोर्ट में उल्लिखित **डोमिनियन स्टेटस** के विचार के खिलाफ आलोचना को और सशक्त कर दिया।
- इसके प्रत्युत्तर में, **नेहरू और सुभाष चंद्र बोस** ने संयुक्त रूप से **इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग** की स्थापना की।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

13 सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन

वर्ष 1929 के दौरान राजनीतिक गतिविधियाँ

- गांधी ने प्रत्यक्ष राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने, युवाओं को प्रोत्साहित करने, गाँवों में रचनात्मक कार्यों को संगठित करने एवं उन्हें प्रोत्साहन देने और लोगों की समस्याओं को जानने-समझने के उद्देश्य से पुरे भारत की यात्रा की।
- मार्च 1929 में गांधी ने **कोलकाता** में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की।
- इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) ने एक **विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति** का गठन किया।
- वर्ष के मार्च महीने में **मेरठ षड़यंत्र केस** ने राजनीतिक तनाव को और अधिक बढ़ा दिया।
- अप्रैल महीने में भगत सिंह और बी.के. दत्त द्वारा **केंद्रीय विधान सभा** में बम फेंका गया।
- मई महीने में इंग्लैंड की सत्ता पर **रैमजे मैक्डोनाल्ड** के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई, जिसके पश्चात **वेजवुड वेन** भारत राज्य सचिव बने।

इरविन की घोषणा (31 अक्टूबर, 1929)

- **लेबर सरकार** और **रूढ़िवादी वायसराय**, **लॉर्ड इरविन** के संयुक्त प्रयास का उद्देश्य था कि ब्रिटिश नीति के प्रति भारत के विश्वास को पुनर्स्थापित किया जाए।
- यह कहा गया कि वर्ष **1917 की घोषणा में डोमिनियन स्टेट्स का उद्देश्य** निहित थी। हालाँकि, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करने के लिए न ही कोई समय सीमा दी गई थी और न ही कोई नया या त्वरित परिवर्तन का सुझाव दिया गया था।

दिल्ली घोषणा-पत्र (2 नवंबर, 1929)

यह राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन था, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की माँग को सामने रखा।

- गोलमेज सम्मेलन को एक संविधान सभा के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि डोमिनियन स्टेट्स में लागू करने के लिए एक संविधान बना सकें।
- सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाए और सहमति की एक सामान्य नीति तय की जाए।
- **दिसंबर 1929 में गांधी, मोतीलाल नेहरू, और अन्य ने लॉर्ड इरविन से मुलाकात की–**
  - सभी नेताओं ने इरविन से यह सुनिश्चित करने की माँग की कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट्स के लिए संविधान की योजना तैयार करना होगा।
  - इरविन ने दिल्ली घोषणा-पत्र की माँगों को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सम्मेलन का उद्देश्य संवैधानिक योजना का मसौदा तैयार करना नहीं होगा।

लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज (दिसंबर 1929)

- अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियों के विरोध के बावजूद गांधीजी के समर्थन से **जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929** में कांग्रेस के लाहौर सत्र के **अध्यक्ष** बने।
- नेहरू ने देश को **विदेशी शासन से मुक्त** कराने के लिए खुला विद्रोह करने की घोषणा की और समस्त देशवासियों का स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने के लिए आह्वान किया। उन्होंने राजाओं, राजकुमारों और बड़े उद्योगपतियों के शासन को **समाप्त** करने को लेकर अपने समाजवादी और गणतांत्रिक विचारों को लोगों के समक्ष रखा और मुक्ति के लिए **शांतिपूर्ण जन आंदोलन** को आवश्यक बताया।

लाहौर अधिवेशन में लिए गए निर्णय

- गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा।
- **पूर्ण स्वराज्य**, कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया।
- कांग्रेस कार्यसमिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिसमें करों का भुगतान न करना एवं लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा देने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे।
- 26 जनवरी 1930 का दिन को देश में प्रथम **स्वतंत्रता दिवस (स्वराज्य दिवस)** के रूप में मनाने का निश्चय किया गया।

- **ध्वजारोहण**: 31 दिसंबर, 1929: रावी नदी के तट पर, जवाहरलाल नेहरू ने **इंकलाब जिंदाबाद** के नारों के बीच, स्वतंत्रता के नए स्वीकृत **तिरंगे को फहराया।**
  - इंकलाब जिंदाबाद, जिसका अनुवाद **'क्रांति जिंदाबाद'** के रूप में किया जा सकता है, **मौलाना हसरत मोहानी** द्वारा वर्ष 1921 में गढ़ा गया था।
- 26 जनवरी, 1930: स्वतंत्रता प्रतिज्ञा (माना जाता है कि इसे गांधीजी द्वारा तैयार किया गया था)
  - प्रतिज्ञा में उच्चारित मुख्य बिंदुओं में स्वतंत्रता का अविच्छिन्न अधिकार, ब्रिटिश शोषण, आर्थिक विनाश, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव, राजनीतिक अधिकार देने से इनकार और **पूर्ण स्वराज** के लिए सविनय अवज्ञा की तैयारी शामिल थीं।

https://www.pdfnotes.co/

सविनय अवज्ञा आंदोलन

गांधीजी की ग्यारह माँगें

सामान्य हित के मुद्दे	विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की माँगें	किसानों की विशिष्ट माँगें
• सेना और सिविल सेवाओं के व्यय में 50 प्रतिशत तक की कटौती। • शराब पर पूर्ण प्रतिबंध। • आपराधिक जाँच विभाग (CID) में सुधारों को लागू करना। • शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। • राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। • डाक आरक्षण बिल को पास किया जाए।	• रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेन्स की जाए। • विदेशी कपड़ों के आयात को नियंत्रित कर भारतीय वस्त्र उद्योग को संरक्षित किया जाए। • भारतीयों के लिए तटीय नौवहन आरक्षित किया जाए।	• भूमि कर में 50 प्रतिशत की कमी। • नमक कर एवं नमक उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार को समाप्त किया जाए।

कांग्रेस कार्यसमिति ने उनकी माँगों पर सरकार की प्रतिक्रिया की कमी से असंतुष्ट होकर गांधीजी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया। गांधीजी ने आंदोलन के केंद्र बिंदु के रूप में नमक को चुना और फरवरी के अंत तक इस निर्णय को मजबूत बनाया।

दांडी मार्च (12 मार्च - 6 अप्रैल, 1930)

- 2 मार्च, 1930 को, गांधीजी ने अपनी रणनीति की सूचना वायसराय को दी।
- इसके तहत में गांधीजी अपने **78 अनुयायियों** के साथ साबरमती आश्रम से चलकर गुजरात के गाँवों से होते हुए करीब **240 मील** की पैदल यात्रा करते हुए दांडी (सूरत के पास एक गाँव) नामक स्थान पर पहुँचकर अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने की योजना थी।
- गांधीजी द्वारा **6 अप्रैल** को **दांडी** में **नमक कानून का उल्लंघन** कर, **सविनय अवज्ञा आंदोलन** की शुरुआत की गई।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में विदेशी शराब और कपड़े की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन करना, कर भुगतान करने से इनकार करना, वकीलों और आम जनता द्वारा अदालतों का बहिष्कार और सरकारी सेवाओं से इस्तीफा आदि शामिल थे।

नमक कानून की अवहेलना का प्रसार

- दांडी में गांधी की कार्रवाई ने देश भर में नमक कानूनों की अवहेलना की शुरुआत की।
- **नेहरू की गिरफ्तारी** के खिलाफ मद्रास,कलकत्ता और कराची में व्यापक प्रदर्शन हुए।
- गांधी की गिरफ्तारी 4 मई, 1930 को हुई, जब उन्होंने पश्चिमी तट पर धरसाना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी का नेतृत्व किया।
- कांग्रेस ने करों का भुगतान न करने, चौकीदारी कर न देने का अभियान और विभिन्न स्थानों पर वन कानून के उल्लंघन को अपनी स्वीकृति दी।
- भारतीय जनता द्वारा नमक कानून का उल्लंघन के परिणामस्वरूप, औपनिवेशिक शासकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। **[यूपीएससी 2019]**

सविनय अवज्ञा के दौरान क्षेत्रीय आंदोलन

तमिलनाडु	• सी. राजगोपालाचारी द्वारा तंजावुर तट पर नमक मार्च (तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक) का नेतृत्व किया गया। **[यूपीएससी 2015]** • मार्च के बाद विदेशी कपड़े की दुकानों पर व्यापक धरना दिया गया तथा कोयंबटूर, मदुरा और विरदनगर जैसे क्षेत्रों में शराब विरोधी अभियान चलाया गया। • चूलाई मिल्स के हड़ताल को तोड़ने के लिए पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किया गया • बुनकरों बेरोजगार ने गुडियात्तम में शराब की दुकानों और पुलिस चौकियों पर हमला किया, जबकि बोदिनायकनूर, मदुरा में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों के बीच दंगा शुरू हो गया।
मालाबार	• के. कलप्पन और पी. कृष्ण पिल्लई द्वारा संगठित नमक मार्च ने पुलिस के कार्रवाई के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा की। 'कलप्पन, वाइकोम सत्याग्रह' के लिए भी जाने जाते हैं।
आंध्र क्षेत्र	• पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर में जिला स्तर पर नमक मार्च का आयोजन किया गया। • सैन्य तर्ज के कैम्पों (सिविराम) की स्थापना की गई। व्यापारियों और प्रभुत्व जातियों द्वारा भी सविनय अवज्ञा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया गया। • लेकिन पूरे आंदोलन में असहयोग आंदोलन जैसे जनसमर्थन की कमी इस आंदोलन में साफ देखी गई।
उड़ीसा	• गोपालबंधु चौधरी द्वारा बालासोर, कटक और पुरी जिलों के समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रभावी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया।

https://www.pdfnotes.co/

असम	• समुदायों के बीच आपसी संघर्ष के कारण पिछली ऊँचाइयों (असहयोग आंदोलन के समान) तक पहुँचने में असफल रहा। • कनिंघम सर्कुलर, जो छात्रों को राजनीति में हिस्सा लेने से रोकने वाली एक सर्कुलर था। इसके खिलाफ छात्रों द्वारा सफल विरोध प्रदर्शन और हड़ताल किया गया। • दिसंबर 1930 में, चंद्रप्रभा सैकियानी ने आदिवासी काचारी गाँवों को वन्य नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया, हालाँकि असम कांग्रेस नेतृत्व ने इसका खंडन किया।
बंगाल	• बंगाल कांग्रेस कलकत्ता निगम चुनाव में लगे सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता के नेतृत्व वाले गुटों के बीच विभाजित हो गई, जिससे कलकत्ता के भद्रलोक नेताओं और ग्रामीण जनता के बीच अलगाव पैदा हो गया। जिससे आंदोलन काफी प्रभावित हुआ। • डेक्का और किशोरगंज क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें सीमित मुस्लिम भागीदारी थी। • इसके बावजूद, बंगाल में सबसे अधिक संख्या में गिरफ्तारियाँ और महत्त्वपूर्ण हिंसा देखी गई, खासकर मिदनापुर, आरामबाग और ग्रामीण इलाकों में, जहाँ नमक सत्याग्रह और चौकीदारी कर के आसपास केंद्रित आंदोलन उभरे। • इसी समय, सूर्य सेन के चटगाँव विद्रोह समूह ने दो शस्त्रागारों पर छापा मारा।
बिहार	• चंपारण और सारण पहले दो जिले थे जहाँ नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। पटना में, नाखास नामक तालाब को नमक सत्याग्रह स्थल के रूप में चुना गया। जहाँ अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। • नमक सत्याग्रह के साथ-साथ 'चौकीदारी कर नहीं' जैसे आंदोलन भी इस क्षेत्र में प्रभावी रूप से चल रहे थे।
छोटा नागपुर	• गांधीवाद से प्रभावित बोंगा माझी और सोमरा माझी ने हजारीबाग में एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें सामाजिक-धार्मिक सुधार को 'संस्कृतिकरण' के साथ जोड़ा गया। • निम्न वर्ग के उग्रवाद और सामाजिक-धार्मिक सुधारों के उदाहरण; संथाल अवैध शराब बनाने में संलग्न थे।
पेशावर	• खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी (फ्रंटियर गांधी) कहा जाता था, पठानों के बीच शिक्षा और सामाजिक सुधार कार्य कर रहे थे। • गफ्फार खान ने पहली पश्तो राजनीतिक मासिक पत्रिका 'पख्तून', प्रकाशित की। ○ उन्होंने स्वयंसेवक समूह 'खुदाई खिदमतगार' जो 'लाल कुर्ती' के रूप में लोकप्रिय था, को संगठित किया। 'लाल कुर्ती समूह' स्वतंत्रता संघर्ष के लिए वचनबद्ध थे और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध थे। • यहीं गढ़वाल राइफल्स के कुछ सैनिकों ने एक निहत्थे समूह पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था।
सोलापुर	• गांधी की गिरफ्तारी पर यहाँ उग्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई जिससे सैन्य कानून का जन्म हुआ।
धरसणा	• यहाँ सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, और मणिलाल गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा निर्मम तरीके से लाठियाँ बरसाई गईं, जिससे देश भर में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आक्रोश उबल पड़ा। • वेब मिलर, एक अमेरिकी पत्रकार ने धारासणा नमक सत्याग्रह पर रिपोर्ट की।
गुजरात	• आनंद, बोरसद, खेड़ा जिले के नादियाद, सूरत जिले के बरडोली, और भरूच जिले के जंबूसर में आंदोलन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा गया। • एक दृढ़ कर नहीं आंदोलन सामने आया, जिसमें भू-राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया
महाराष्ट्र, कर्नाटक, केंद्रीय प्रांत	• इन क्षेत्रों में वन कानूनों के उल्लंघन, जैसे कि चराई और जंगलों से प्राप्त लकड़ी तथा अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध के बावजूद गैरकानूनी रूप से प्राप्त वन उत्पादों की सार्वजनिक रूप से बिक्री की गई।
संयुक्त प्रांत	• इन प्रांतों में राजस्व अदा न करना जैसे आंदोलन मुख्य रहे और जमींदारों से सरकार को राजस्व अदा नहीं करने का आग्रह किया गया। • साथ ही, एक 'किराया नहीं' अभियान शुरू हुआ, जिसमें जमींदारों से जमीन किराये पर लेकर खेती करने वाले किसानों को राजभक्त जमींदारों को किराया नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। इसके फलस्वरूप अक्टूबर 1930 में विशेषतः आगरा और राय बरेली में आंदोलन तेज हो गया।
मणिपुर और नागालैंड	• 13 वर्षीय नागा आध्यात्मिक नेता रानी गाइदिन्ल्यू ने विद्रोह कर दिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 1946 में तत्कालीन अंतरिम सरकार ने रिहा कर दिया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव: विदेशी कपड़ा आयात में गिरावट, शराब, उत्पाद शुल्क और भूमि राजस्व से सरकारी आय की हानि और विधानसभा चुनावों का बहिष्कार और प्रभात फेरी, वानर सेना आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से व्यापक जन लामबंदी हुई।

गांधी-इरविन समझौता/दिल्ली समझौता (1931)

25 जनवरी 1931 को गांधी और कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) के सभी सदस्यों को रिहा कर दिया गया।

- 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता किया गया, जहाँ वायसराय ब्रिटिश इंडियन सरकार का और गांधी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। **इस समझौते ने कांग्रेस को सरकार के साथ बराबरी पर ला खड़ा किया।**

https://www.pdfnotes.co/

- **इरविन के साथ समझौता:**
  - **अहिंसात्मक आंदोलन में शामिल सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई** अवैतनिक जुर्माने की छूट, बिना बिकी हुई भूमि की वापसी, इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ उदार व्यवहार, तटीय गाँवों में व्यक्तिगत उपभोग नमक बनाने के अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लेना। **[यूपीएससी 2020]**
- **इरविन के द्वारा अस्वीकृत किया गया:** पुलिस की ज्यादतियों की सार्वजनिक जाँच एवं भगत सिंह और उनके साथियों (कॉमरेड) के मृत्युदंड की सजा की माफी को अस्वीकृत कर दिया। **[यूपीएससी 2020]**
- **गांधी के द्वारा स्वीकृत:** सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और संवैधानिक मुद्दों पर आगामी गोलमेज सम्मेलन (राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस) में भाग लेना। **[यूपीएससी 2020]**

असहयोग आंदोलन के साथ तुलना

- **उद्देश्य:** सविनय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति था, न कि केवल कुछ विशिष्ट सुधारों के साथ अस्पष्ट स्वराज की प्राप्ति।
- **तरीका:** न केवल अंग्रेजी हुकूमत के साथ असहयोग का तरीका अपनाया गया बल्कि अंग्रेजी कानूनों का खुले रूप से उल्लंघन किया गया।
- **बुद्धिजीवियों को शामिल करते हुए विरोध:** वकीलों, छात्रों आदि के भागीदारी में कमी।
- **मुसलमानों की आंदोलन में भागीदारी:** असहयोग आंदोलन के मुकाबले में कम थी।
- **श्रमिकों का उत्थान:** कोई महत्त्वपूर्ण संयोजन श्रम उत्थान नहीं हुआ।
- **किसानों और व्यापारियों की आंदोलन में भागीदारी:** किसानों और व्यापारियों की व्यापक भागीदारी रही जिसने अन्य क्षेत्रों से भागीदारी में कमी को पूरा किया।
- **कैदी संख्या:** सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेलों में सामान्य समय के अपेक्षा तीन गुना अधिक कैदियों की संख्या बढ़ गई।
- **कांग्रेस की क्षमता में विस्तार:** सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस की संगठनात्मक शक्ति में वृद्धि हुई।

कराची कांग्रेस अधिवेशन (मार्च 1931)

यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन सत्र था जो कराची में हुआ था, जिसका उद्देश्य **गांधी-इरविन समझौते** का समर्थन करना था।

कराची में प्रस्तुत संकल्प:

- **राजनीतिक हिंसा को अस्वीकृत** करते हुए, कांग्रेस ने **भगत सिंह, सुखदेव** और **राजगुरु** की **'बहादुरी'** और **'त्याग'** की प्रशंसा की।
- पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) के लक्ष्य को दोहराया गया।
- **मौलिक अधिकार संकल्प:** भाषण देने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, सभी जनों को मताधिकार, समान कानूनी अधिकार, धार्मिक मामलों में राज्य की न्यूनिकता, मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा की सुरक्षा की गारंटी।
- **राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संकल्प:** भूमि मालिकों/किसानों के लिए किराया/राजस्व में सकारात्मक कमी, अलाभकारी संपत्तियों को कर से मुक्ति, कृषि कर्ज से राहत, सूदखोरी पर नियंत्रण, श्रमिकों/किसानों के लिए यूनियन बनाने का अधिकार, प्रमुख उद्योगों, खानों और परिवहन पर राज्य का स्वामित्व/नियंत्रण शामिल था।

गोलमेज सम्मेलन

भारत के वायसराय, **लॉर्ड इरविन** और ब्रिटिश प्रधानमंत्री, **रैम्जे मैकडोनाल्ड**, साइमन कमीशन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की अपर्याप्तता को मानते हुए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने की आवश्यकता पर सहमत थे।

पहला गोलमेज सम्मेलन (लंदन, नवंबर 1930 - जनवरी 1931)

- **जॉर्ज पंचम** द्वारा इस सम्मेलन का प्रारंभ किया गया और **रैमजे मैकडोनाल्ड** द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई।
- यह पहला सम्मेलन था जो ब्रिटिश और भारतीयों के बीच समानता के साथ आयोजित हुआ था। कांग्रेस और इसके कुछ प्रमुख नेता अनुपस्थित रहे।
- **विभिन्न भारतीय समूहों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व:** विभिन्न रियासतें, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख, पारसी, उदारवादी, विकलांग वर्ग, जस्टिस पार्टी, वंचित वर्ग, ईसाई, महिलाएँ, विश्वविद्यालय और अन्य सभी का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में देखा गया।
- भारत सरकार का प्रतिनिधित्व नरेंद्र नाथ लॉ, **भूपेंद्र नाथ मित्र, सी.पी. रामास्वामी अय्यर** और **एम. रामचंद्र राव** ने किया।
- **परिणाम:** अपर्याप्त उपलब्धि; भारत के महासंघ, रक्षा और वित्त सुरक्षा उपायों, विभागों के हस्तांतरण पर चर्चा, लेकिन कम कार्यान्वयन, सविनय अवज्ञा जारी रही।

दूसरा गोलमेज सम्मेलन (लंदन, सितंबर 1931 - दिसंबर 1931)

- भारतीय उदारवादी पार्टी के सदस्य, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, सी.वाई. चिंतामणि, और श्रीनिवास शास्त्री, ने गांधी से वायसराय के साथ बातचीत करने के लिए आग्रह किया।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी को अपने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में नामित किया।
- ए. रंगास्वामी अय्यंगार और मदन मोहन मालवीय भी वहां उपस्थित थे।
- भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सी.पी. रामास्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ लॉ और एम. रामचंद्र राव थे।
- **मुद्दे:** इरविन से विलिंगडन तक वायसराय का परिवर्तन, ब्रिटेन में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन और ब्रिटेन के दक्षिणपंथी गुट, कांग्रेस के समान समझौते के खिलाफ प्रतिरोध।
- गांधी ने समानता पर आधारित एक साझेदारी, तत्काल जिम्मेदार सरकार, और कांग्रेस के भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व की वकालत की।
- **अल्पसंख्यक मुद्दों पर गतिरोध:** विभिन्न समूहों ने पृथक प्रतिनिधित्व की माँग की, जिसके गांधी विरोधी थे।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित होने के बाद रियासतें संघ को लेकर आशंकित थीं।
- **परिणाम:**
  - **दो मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों की घोषणा हुई– उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (एनडब्ल्यूएफपी) और सिंध प्रांत।**
  - **भारतीय परामर्श समिति की स्थापना।**
  - **तीन विशेषज्ञ समितियों की स्थापना**- वित्त, मताधिकार और राज्य।
  - यदि भारतीय एक मत नहीं होते हैं तो ब्रिटिश एकतरफा रूप से सांप्रदायिक पंचाट लागू करेगी।

https://www.pdfnotes.co/

तीसरा गोलमेज सम्मेलन (नवंबर 1932 - दिसंबर 1932)

- कांग्रेस और गांधी अनुपस्थित रहे, जिससे भारतीय नेताओं की भागीदारी सीमित हो गई।
- समान मुद्दे बने रहे और इसमें बहुत थोड़ी प्रगति हुई।
- ब्रिटिश संसद में आलोचना के बाद, **संयुक्त चयन समिति** का गठन किया गया।

1935 के भारत सरकार अधनियिम को जुलाई 1935 में समति के प्रस्तावति वधियक के आधार पर लागू कयिा गया।

गोलमेज सम्मेलन के महत्त्वपूर्ण तथ्य

- **गांधी** और **कांग्रेस** ने **केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन** में **हिस्सा** लिया।
- **मो. जिन्ना** ने केवल पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- **डॉ. बी.आर. आंबेडकर** और **टी.बी. सप्रू** ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः आरंभ (1932-1934)

दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, कांग्रेस कार्यसमिति ने 29 दिसंबर 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया।

संघर्ष की अवधि (मार्च-दिसंबर 1931)

- **संयुक्त प्रांत:** कर में कमी करने और संक्षिप्त निष्कासन के विरुद्ध।
- **उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत:** खुदाई खिदमतगार और किसानों से क्रूर तरीके से कर वसूली के विरुद्ध निरंतर प्रतिरोध किया।
- **बंगाल:** आतंकवाद से लड़ने के नाम पर कठोर अध्यादेश लाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।
- हिजली जेल में राजनीतिक कैदियों पर आगजनी की घटना हुई।

दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन

- **दिल्ली समझौते के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों की प्रतिक्रिया:** कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया और ब्रिटिश प्रभाव को कम किया।
- **ब्रिटिश नीतियों पर विचार:** गांधी को जन आंदोलन के संघर्ष की गति बनाए रखने से रोकना, कांग्रेस के खिलाफ होने वालों का विश्वास प्राप्त करना। वफादार सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत होने से रोकना।
- **सरकार की तरफ से कार्रवाई:** दमनकारी अध्यादेश एवं कानून, कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध, गिरफ्तारी, संपत्ति का जब्त करना, गांधी आश्रमों पर कब्जा, प्रेस सेंसरशिप और राष्ट्रवादी साहित्य पर प्रतिबंध।
- वायसराय विलिंगडन ने 31 दिसंबर को गांधी के साथ मुलाकात से इनकार कर दिया। 4 जनवरी 1932 को, गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया।
- **लोकप्रिय प्रतिक्रिया**
  - **व्यापक प्रतिक्रिया:** प्रारंभिक चार महीनों में लगभग 80,000 सत्याग्रही जेल में थे, जिसमें शहरी और ग्रामीण गरीब दोनों शामिल थे।
  - **प्रतिरोध के विभिन्न रूप:** धरना प्रदर्शन, अहिंसात्मक प्रदर्शन, राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन, राष्ट्रीय झंडा फहराना, कर भुगतान नहीं करना, नमक सत्याग्रह, वन कानूनों का उल्लंघन।
  - समवर्ती रियासतों के बीच उठा-पटक, जैसे- **कश्मीर** और **अलवर।**
  - नेताओं के पास अपर्याप्त समय एवं लोगों के बीच तैयारी की कमी के कारण आंदोलनों में एक जैसी स्फूर्ति और गति बनाए रखने में कठिनाई।
- **सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन:** गांधीजी ने अप्रैल 1934 में आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया।

सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट (1932)

सांप्रदायिक पंचाट (1932)

- 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री **रैमजे मैकडोनाल्ड** द्वारा इसकी घोषणा की गई।
- यह भारतीय मताधिकार समिति (जिसे लोथियन कमेटी भी कहा जाता है) के सुझावों पर आधारित था, इसने **अल्पसंख्यकों के लिए** पृथक निर्वाचन और **सीटें** आरक्षित कीं।
- मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन, दलित वर्ग और बॉम्बे के मराठा के लिए पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया।
- दलित वर्ग के लिए 78 सीट आरक्षित रखी गई।
- इसे भारतीय नेताओं ने देश के लोगों को आपस में बांटने के एक तरीके के रूप में देखा। (यह नीति ***'बाँटो और राज करो'*** पर आधारित थी)।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का रुख: *हिंदू जाति से अलग एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक के रूप में दलित वर्गों के साथ अलग व्यवहार की वकालत की।*

गोलमेज सम्मेलन और गांधी का प्रतिरोध

- दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की माँग की।
- गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचनों का विरोध किया और एक संयुक्त निर्वाचन के साथ आरक्षित सीटों की सिफारिश की। गांधीजी के आपत्ति के पश्चात भारतीय प्रतिनिधियों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गई।

सांप्रदायिक पंचाट के मुख्य प्रावधान

- मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन, दलित वर्ग, महिला, मराठा सहित दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया।
- प्रांतीय विधानसभाओं में सांप्रदायिक पंचाट के आधार पर सीटों का आरक्षण।
- दलित वर्गों के लिए **दोहरा मतदान अधिकार** प्रदान किया गया। (एक पृथक निर्वाचनों के माध्यम से और एक सामान्य निर्वाचनों में)।
- सभी प्रांतों में **महिलाओं** के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई, सिवाय उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के।
- श्रमिकों, जमीदारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए सीटों का आवंटन किया जाना था।
- कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वर्ग की सहमति का सम्मान करते हुए सांप्रदायिक पंचाट को पूरी तरह से स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया।

गांधी की प्रतिक्रिया और पूना पैक्ट (1932)

- गांधी ने सांप्रदायिक पंचाट को **भारतीय एकता** के लिए हानिकारक और अप्रभावी माना।
- गांधीजी ने पृथक निर्वाचन के विरुद्ध दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि के साथ संयुक्त निर्वाचन की माँग करते हुए अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया।

https://www.pdfnotes.co/

- बी.आर. अंबेडकर और एम.सी. राजा सहित विभिन्न नेताओं द्वारा की गई पूना पैक्ट पर समझौता हुआ।
- गांधी की माँगों को स्वीकार करते हुए पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचनों के साथ अलग से सीटें आरक्षित करने पर सहमति हुई।

पूना पैक्ट (1932)

- 24 सितंबर 1932 को दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए।
- दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की अवधारणा को त्याग दिया गया, जैसा कि सांप्रदायिक पंचाट में प्रस्तुत किया गया था।
- प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या को 71 से बढ़ाकर 147 किया गया और केंद्रीय विधानसभा में 18% तक बढ़ाया गया।
- सांप्रदायिक पंचाट में हुए संशोधनों को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया।

संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और इसका प्रभाव

- **ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन** द्वारा यह आरोप लगाया गया कि **1935 के भारत सरकार अधिनियम** में अनुसूचित जाति को वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।
- दावा किया गया कि यह प्रणाली हिंदू बहुसंख्यकों का पक्ष लेती है, जिससे उन्हें (हिंदू बहुसंख्यक को) अनुसूचित जातियों से उनके हितों के अनुरूप व्यक्तियों को नामांकित करने में मदद मिलती है।
- पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की पुनः बहाली और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों एवं आरक्षित सीटों को रद्द करने की माँग की गई।
- बी.आर. अंबेडकर सन् 1947 तक पूना पैक्ट की आलोचना करते रहे।

गांधीजी का हरिजन अभियान और जाति व्यवस्था पर विचार

हरिजन अभियान (1933-1934)

- गांधीजी ने 1932 में छुआछूत (अस्पृश्यता) के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने के साथ-साथ सितंबर में एक **अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग** की स्थापना की। इसके साथ ही **जनवरी 1933** से एक साप्ताहिक पत्रिका **'हरिजन'** के प्रकाशन की भी शुरुआत की।
- 1930 में जेल से रिहा होने के पश्चात गांधीजी वर्धा स्थित सत्याग्रह आश्रम गए और प्रण किया कि जब तक पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो अपने साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे।
- नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक हरिजनों के उत्थान के लिए उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी यात्रा की। जिसमें उन्होंने वर्धा से चल कर 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की।
- इस यात्रा के दौरान, उन्होंने हाल ही में स्थापित **हरिजन सेवक संघ (मूल रूप से डिप्रेस्ड क्लासेस लीग)** के लिए धन जुटाया और पुरे देश भर से छुआछूत की समाप्ति की वकालत की।
- **8 मई** और **16 अगस्त 1934** को उन्होंने मुद्दे की गंभीरता को सार्थक बनाने के लिए दो दिवस का उपवास किया।
- इस पर रूढ़िवादी हिंदुओं ने गांधीजी के विचारों का खुल कर विरोध किया। दलित उद्धार के लिए होने वाले कार्यक्रम के बैठकों में आकर गड़बड़ी फैलाई, गांधी पर हिंदुत्व पर प्रहार करने का आरोप लगाया गया एवं उनके ऐसे किसी भी प्रयासों का विरोध किया।
- गांधीजी ने कहा कि, ***"अगर छुआछूत जीवित रहा तो हिंदू धर्म जीवित नहीं रह सकता। हिंदू धर्म को जीवित रखने के लिए छुआछूत को ख़त्म करना होगा।"*** साथ ही उन्होंने बताया कि शास्त्रों में छुआछूत की अनुमति नहीं दी गई है और अगर ऐसा शास्त्रों में कुछ है भी तो यह मानव गरिमा के विरुद्ध है, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए।।

जाति पर गांधी के विचार

- अंबेडकर के विपरीत, जिन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए जाति व्यवस्था को खत्म करने की वकालत की, गांधीजी ने अस्पृश्यता को खत्म करने और जाति व्यवस्था को खत्म करने के बीच अंतर किया।
- गांधीजी का मानना था कि जाति व्यवस्था त्रुटिपूर्ण होने के बावजूद अस्पृश्यता की तरह स्वाभाविक रूप से पापपूर्ण नहीं थी। उच्च और निम्न के भेद को दूर करने का विचार जाति व्यवस्था को पदानुक्रमित के बजाय पूरक बना सकता है।
- गांधी उम्मीद कर रहे थे कि इस विचार पर जाति व्यवस्था के आलोचक और जाति व्यवस्था समर्थक अस्पृश्यता के खिलाफ एकजुट होंगे।
- उन्होंने सनातनियों (रूढ़िवादी हिंदू) को मजबूर करने के बजाय, उन्हें तर्क से मनाने और उनके हृदय को परिवर्तित करने की कोशिश की।
- सांप्रदायिक तनावों का समाधान करने में अस्पृश्यता को दूर करने को महत्त्वपूर्ण मानते थे और शक्ति के बजाय हृदय परिवर्तन पर जोर देते थे।

गांधी और अंबेडकर के बीच वैचारिक अंतर और समानताएँ

समानताएँ

- **दोनों दमन के खिलाफ प्रतीकात्मक क्रियाओं में रुचि रखते थे:** गांधी ने विदेशी कपड़े जलाए, अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, जिसे दोनों भारत के लिए बंधन का प्रतीक मानते थे।
- शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के पक्षधर थे।
- सामाजिक परिवर्तन के लिए धर्म के प्रयोग की वकालत की।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए राज्य की सीमित संप्रभुता का समर्थन किया।
- सामाजिक परिवर्तन तथा शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यमों की वकालत की और हिंसक साधनों के खिलाफ थे।
- लोकतंत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से सामाजिक समरसता और परिवर्तन को महत्त्वपूर्ण मानते थे।

भिन्नताएँ

स्वतंत्रता और लोकतंत्र

- गांधी मानते थे कि लोगों को सत्ता से स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, जबकि अंबेडकर उम्मीद कर रहे थे कि दलित समुदाय को स्वतंत्रता साम्राज्यिक शासकों द्वारा प्रदान की जाएगी।

https://www.pdfnotes.co/

- अंबेडकर संसदीय प्रणाली का समर्थन करते थे, जबकि गांधी के मन में इसके लिए बहुत थोड़ा सम्मान था, क्योंकि उन्हें इसमें नेताओं के वर्चस्व के संभावना का पूर्ण अंदाजा था।

सामाजिक मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण

- गांधीजी नैतिक मूल्यों और प्रायश्चित (हृदय परिवर्तन) के विचार से अस्पृश्यता को समाप्त करने का विचार रखते थे जबकि डॉ. अंबेडकर इससे निपटने के लिए संवैधानिक तरीके पर बल देते थे।
- डॉ. अंबेडकर अस्पृश्यता को मुख्य सामाजिक समस्या मानते थे, जबकि इसके विपरीत गांधी ने इसे कई सामाजिक समस्याओं में से एक समस्या माना।

जाति और हिंदू धर्म पर विचार

- गांधी जाति और वर्ण के बीच अंतर करते हुए, जाति को पतन के रूप में देखते थे। अंबेडकर ने हिंदू धर्मग्रंथों और जाति व्यवस्था की निंदा की।
- बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू एकता विचारधारा के खिलाफ थे, जबकि गांधी ने भारतीय एकता पर बल दिया और इसमें फूट के लिए ब्रिटिश शासन को दोषी माना।

साधना और लक्ष्य

- बाबा साहब अंबेडकर ने न्यायपूर्ण लक्ष्य के लिए उचित साधनों की वकालत की, जबकि गांधीजी ने लक्ष्य के निर्धारण के लिए साधनों की पवित्रता पर जोर दिया।
- गांधीजी ने मशीनीकरण के कारण लोगों पर पड़ रहे इसके बुरे प्रभाव के कारण अत्यधिक हो रहे मशीनीकरण का विरोध किया, जबकि डॉ. अंबेडकर का मानना था कि तकनीक से मानव समाज को काफी लाभ हो सकता है।
- **कानून और संविधान के प्रति दृष्टिकोण:** गांधीजी ने न्याय के लिए अन्यायपूर्ण कानून की अवज्ञा का समर्थन किया, जबकि डॉ. अंबेडकर का झुकाव कानून और संवैधानिकता के पालन की ओर था।
- **दलित जातियों के प्रति दृष्टिकोण:** गांधी ने दलितों को हिंदू समुदाय का अभिन्न हिस्सा माना, जबकि अंबेडकर ने उन्हें एक अलग धार्मिक और राजनीतिक अल्पसमुदाय के रूप में देखा।
- **संवाद और तकनीक:** गांधीजी का मातृभाषा में संवाद पर जोर रहा, जबकि डॉ. अंबेडकर साहब ने अंग्रेजी भाषा को चुना। गांधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में असहयोग, हड़ताल, सत्याग्रह आदि जैसे माध्यमों का सहारा लिया, जबकि अंबेडकर ने कानून और संवैधानिक तरीकों का रास्ता अपनाया।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

14 सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी

सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी के उपरांत राष्ट्रवादियों के मध्य भविष्य की रणनीति को लेकर दो चरणों में चर्चा हुई।

- पहले चरण में इस बात पर विचार-विमर्श शामिल था कि राष्ट्रीय आंदोलन को निकट भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, खासकर गैर-जन संघर्ष की अवधि **(1934-35)** के दौरान।
- वर्ष 1937 में होने वाला दूसरा चरण, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में उल्लिखित स्वायत्तता प्रावधानों के तहत प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में कार्यालय की स्वीकृति पर केंद्रित था।

पहले चरण की बहस

सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद तीन दृष्टिकोण सामने रखे गए।

- **गांधीवादी तर्ज पर रचनात्मक कार्य**
  - गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप रचनात्मक गतिविधियों की आवश्यकता पर बल दिया गया।
  - सामाजिक सुधार, ग्रामीण उत्थान और खादी एवं ग्रामोद्योग जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता और ज़मीनी स्तर पर सशक्तिकरण को मज़बूत करना था।
- **संवैधानिक संघर्ष और चुनाव में भागीदारी**
  - एम.ए. अंसारी, आसफ अली, भूलाभाई देसाई, एस. सत्यमूर्ति, बी.सी. रॉय, और अन्य द्वारा समर्थित।
  - राजनीतिक उदासीनता के बावजूद चुनावी प्रक्रिया में संलग्न रहने का प्रस्ताव रखा गया।
  - चुनावों और परिषद के कार्यों में भागीदारी को राजनीतिक हित तथा मनोबल बनाए रखने के साधन के रूप में देखा गया।
  - तर्क दिया गया कि परिषदों में भागीदारी का मतलब संवैधानिक राजनीति में विश्वास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कांग्रेस को मज़बूत करना और जनता को अगले चरण के लिए तैयार करना है।
- रचनात्मक कार्य और परिषद में प्रवेश की वामपंथी प्रवृत्ति की आलोचना।
  - कांग्रेस के भीतर नेहरू जैसे नेताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
  - उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष से ध्यान हटाने के लिए रचनात्मक कार्य और परिषद प्रवेश दोनों की आलोचना की।
  - गैर-संवैधानिक जन संघर्ष को फिर से शुरू करने की वकालत की।
  - माना जाता है कि आर्थिक संकट और जनता की लड़ने की तत्परता ने स्थिति को क्रांतिकारी बना दिया, जिससे निरंतर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।

नेहरू का दृष्टिकोण

- प्राथमिक लक्ष्य के रूप में पूँजीवाद के उन्मूलन और समाजवाद की स्थापना की वकालत की।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी और परिषद में प्रवेश को आत्मिक हार तथा क्रांतिकारी आदर्शों से पीछे हटने के रूप में देखा गया एवं इसकी आलोचना की गई।
- किसानों और श्रमिकों की आर्थिक तथा वर्गीय माँगों को संबोधित करने के लिए, ट्रेड यूनियनों तथा किसान सभा जैसे समूहों के माध्यम से कांग्रेस के भीतर वर्ग संघर्ष को एकीकृत करने का प्रयास किया गया।
- उनका मानना था कि वास्तविक साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में जनता के वर्ग संघर्ष को शामिल करना आवश्यक है।

संघर्ष-युद्धविराम-संघर्ष (Struggle-Truce-Struggle) (एस-टी-एस) रणनीति का विरोध

- लाहौर कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की माँग के बाद साम्राज्यवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई के पक्ष में गांधी और अन्य लोगों द्वारा आगे बढ़ाए गए एस-टी-एस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया गया।
- ● संघर्ष-विजय (एस-वी) दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया तथा इस बात पर ज़ोर दिया कि वास्तविक शक्ति क्रमिक उपायों द्वारा और संवैधानिक चरण लागू किए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है।

परिषद प्रवेश की स्वीकृति

- शुरू में परिषद में प्रवेश की आलोचना करने वाले नेहरू ने अंततः इसे स्वीकार कर लिया जब गांधी ने साम्राज्यवाद से समझौता किए बिना विधानमंडलों में प्रवेश की माँग मान ली।
- गांधीजी ने आश्वासन दिया कि परिषद का काम संवैधानिकता को बढ़ावा या स्वार्थी हितों की पूर्ति नहीं करेगा।
  - मई 1934 में, कांग्रेस के बैनर तले चुनावों में भाग लेने के लिए समर्पित एक संसदीय बोर्ड की स्थापना के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की बैठक पटना में हुई।

गांधी का इस्तीफा

- गांधी को उन प्रभावशाली कांग्रेस समूहों के साथ अपनी वैचारिक असहमति का ज्ञान हुआ जो नेहरू के समाजवादी दृष्टिकोण, बुद्धिवाद और संसदीय राजनीति का समर्थन करते थे।
- अक्टूबर 1934 में, गांधीजी ने मूलभूत असहमतियों के कारण विचार, वचन और कर्म से कांग्रेस की बेहतर सेवा करने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।

https://www.pdfnotes.co/

- नेहरू और समाजवादियों का मानना था कि कांग्रेस को मुख्य साम्राज्यवाद विरोधी जन संगठन के रूप में एकजुट रहना चाहिए तथा साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई के लिए उत्तरोत्तर अधिक कट्टरपंथी बनना चाहिए।

चुनावी सफलता और कांग्रेस का समझौता

- नवंबर 1934 में केंद्रीय विधान सभा के चुनावों में, कांग्रेस ने अपनी चुनावी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, भारतीयों के लिए आरक्षित 75 सीटों में से 45 सीटें हासिल कीं।
- आंतरिक मतभेदों के बावजूद, कांग्रेस के भीतर विभिन्न गुटों ने पार्टी की एकता और सामूहिक अपील को बनाए रखने के लिए अलग-अलग विचारों को समायोजित किया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935

अखिल भारतीय संघ: इसमें सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, सभी मुख्य आयुक्त प्रांत और भारतीय राज्य (रियासतें) शामिल थे। रियासतों और उनकी आबादी को शामिल करने से संबंधित विशिष्ट शर्तें इसमें शामिल थी, लेकिन यह कभी भी अमल में नहीं आया।

संघीय स्तर

कार्यपालिका

- गवर्नर जनरल के पास निर्णायक अधिकार थे।
- विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित के रूप में वर्गीकृत किया गया तथा इन्हें अलग-अलग तरीके से प्रशासित किया जाना था।
- **आरक्षित विषय:** विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र और चर्च संबंधी मामलों को कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर गवर्नर जनरल द्वारा विशेष रूप से प्रशासित किया जाना था।
- कार्यकारी पार्षदों को केंद्रीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होना था।
- **हस्तांतरित विषय**: अन्य सभी विषय, विधायिका द्वारा चुने गए मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर जनरल द्वारा प्रशासित होने थे। इन मंत्रियों को संघीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना था और निकाय का विश्वास खोने पर इस्तीफा भी देने का प्रावधान किया गया।
- गवर्नर-जनरल अपनी विशेष ज़िम्मेदारियों के निर्वहन में अपने व्यक्तिगत निर्णय से कार्य कर सकता था।

विधायिका

- ऊपरी सदन (राज्यों की परिषद) 260 सदस्यीय [आंशिक रूप से सीधे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने गए और आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) राजकुमारों द्वारा मनोनीत] और एक निचले सदन (संघीय विधानसभा) 375 सदस्यीय सदन [आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने गए और आंशिक रूप से (एक तिहाई) राजकुमारों द्वारा नामित]।
- राज्यों की परिषद को एक स्थायी निकाय होना था, जिसमें हर तीसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते थे। विधानसभा की अवधि **5** वर्ष होनी थी।
- **कानून के लिए सूची**: संघीय, प्रांतीय और समवर्ती।
- संघीय विधानसभा के सदस्य मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे। राज्यों की परिषद अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती थी।
- धर्म-आधारित और वर्ग-आधारित निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली को और आगे बढ़ाया गया।
- बजट का 80 प्रतिशत गैर-मतदान योग्य था।
- गवर्नर जनरल के पास अवशिष्ट शक्तियाँ थीं। वह (क) अनुदान में कटौती को बहाल कर सकता था; (ख) विधायिका द्वारा खारिज किए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता था; (ग) अध्यादेश जारी कर सकता था; और (ड़) अपने वीटो का उपयोग कर सकता था। **[यूपीएससी 2018]**

प्रांतीय स्तर

- **प्रांतीय स्वायत्तता:** द्वैध शासन को प्रतिस्थापित किया गया, प्रांतों को अलग कानूनी पहचान और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गईं, प्रांतीय सरकारें अपनी सुरक्षा पर धन उधार ले सकती थीं।
- **कार्यपालिका**
  - गवर्नर को क्राउन द्वारा नामित और उसका प्रतिनिधि होना था तथा वह अनिश्चित काल तक प्रशासन चला सकता था।
  - गवर्नर के पास अल्पसंख्यकों, सिविल सेवकों के अधिकार, कानून और व्यवस्था, ब्रिटिश व्यापारिक हितों, आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों, रियासतों आदि के संबंध में विशेष शक्तियाँ थीं।
- **विधायिका**
  - सांप्रदायिक पंचाट के आधार पर पृथक निर्वाचिका को क्रियाशील बनाया जाना था।
  - सभी सदस्यों का चुनाव सीधे किया जाना था। मताधिकार का विस्तार किया गया; महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार मिले। **[यूपीएससी 2021]**
  - मंत्रियों को एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में सभी प्रांतीय विषयों का प्रशासन करना था।
  - मंत्रियों को विधायिका के प्रतिकूल वोट द्वारा जवाबदेह और हटाने योग्य बना दिया गया।
  - प्रांतीय विधायिका प्रांतीय और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती थी।
  - बजट का 40 प्रतिशत अभी भी मतदान योग्य नहीं था।
  - राज्यपाल (क) किसी विधेयक पर सहमति देने से इनकार कर सकता था; (ख) अध्यादेश जारी कर सकता था; (ग) अधिनियम अधिनियमित कर सकता था।

मूल्यांकन और ब्रिटिश रणनीति

- राज्यपाल की व्यापक शक्तियों ने अवरोध उत्पन्न किया।
- ब्रिटिश भारतीय आबादी के 14% को मताधिकार प्राप्त हुआ।
- सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया, जिसने अंततः विभाजन में योगदान दिया।
- अधिनियम में आंतरिक विकास के प्रावधानों का अभाव था, संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास सुरक्षित था

राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया

- स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की माँग करते हुए कांग्रेस ने सर्वसम्मति से इस अधिनियम को खारिज कर दिया।

https://www.pdfnotes.co/

- बहरहाल, नेशनल लिबरल फाउंडेशन और हिंदू महासभा ने कहा कि वे संघीय तथा स्थानीय दोनों स्तरों पर 1935 अधिनियम के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं।
- जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की सीमाओं पर ज़ोर देते हुए इसे ब्रेक और बिना इंजन वाला वाहन कहकर इसकी आलोचना की।
- बी.आर. टॉमलिंसन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में संवैधानिक प्रगति का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के लिए भारतीय सहयोगियों को आकर्षित करना था।

कांग्रेस के भीतर दूसरे चरण की बहस

वर्ष 1937 की शुरुआत में, आगामी प्रांतीय विधानसभा चुनावों की रणनीति के बारे में राष्ट्रवादियों के बीच चर्चा शुरू हुई।

- 1935 के अधिनियम का सर्वसम्मति से विरोध हुआ, लेकिन इस बात पर अनिश्चितता थी कि जन आंदोलन के बिना इसका विरोध कैसे किया जाए।
- कांग्रेस का लक्ष्य एक व्यापक कार्यक्रम के साथ चुनाव लड़ना था, लेकिन इस बात पर असहमति उभरी कि अगर कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया तो सरकार बनाई जाएगी या नहीं, जो वामपंथी और दक्षिणपंथी गुटों के बीच वैचारिक विभाजन को दर्शाता है।

विभाजित मत

- नेहरू, बोस और कांग्रेस जैसे समाजवादियों ने कार्यालय स्वीकृति का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे 1935 के अधिनियम के प्रति उनका विरोध कमज़ोर हो जाएगा।
- कार्यालय स्वीकृति के अधिवक्ताओं ने कहा कि, जन आंदोलन विकल्प के अभाव में, विधायी कार्रवाई अल्पकालिक सामरिक प्रयासों तक सीमित होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि समाजवाद नहीं बल्कि रणनीति यह निर्धारित करती है कि किसी को पद स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए।

गांधी की स्थिति

- प्रारंभ में कार्यालय स्वीकृति का विरोध किया, लेकिन फिर बाद में कांग्रेस मंत्रालयों के गठन पर सहमति व्यक्त की।
- वर्ष 1936 की शुरुआत में लखनऊ सत्र और वर्ष 1937 के अंत में फ़ैज़पुर सत्र में, कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने का संकल्प लिया तरह कार्यालय स्वीकृति पर निर्णय को चुनाव के बाद तक के लिए टाल दिया।

प्रांतों में कांग्रेस का शासन

चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र	• 1935 के अधिनियम की पूर्ण अस्वीकृति की पुष्टि की। • कैदी रिहाई, लिंग और जाति-आधारित विकलांगता उन्मूलन, कृषि प्रणाली परिवर्तन, किराया कटौती, ग्रामीण ऋण स्केलिंग, ट्रेड यूनियनों के अधिकार तथा हड़ताल संबंधी अधिकार का वादा किया गया
चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन	• कुल जनसंख्या में से 14% (4.25 मिलियन महिलाओं सहित 30.1 मिलियन लोग) लोगों को मताधिकार दिया गया था। • 15.5 मिलियन लोगों ने मतदान किया (917,000 महिलाओं सहित)।
कांग्रेस की जीत	• चुनाव में 1,161 सीटों (11 प्रांतों की कुल 1,585 सीटों में से) में से 716 सीटें जीतीं। • बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में बहुमत हासिल किया। • बंगाल, असम और एनडब्ल्यूएफपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालय	• बंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बिहार में गठित। • बाद में इसका विस्तार एनडब्ल्यूएफपी (उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत) और असम तक हुआ।
गांधी की सलाह	• कांग्रेस सदस्यों को सलाह दी कि वे पद पर हल्के ढंग से रहें, मज़बूती से नहीं। • इन कार्यालयों की तुलना राष्ट्रवादी लक्ष्यों को गति देने के लिए उठाए गए 'कांटों के मुकुट' से की। • स्वशासन के लिए भारतीयों की क्षमता को उजागर करने के तरीके के रूप में स्वतंत्र रूप से शासन करने की क्षमता पर ज़ोर दिया गया।

कांग्रेस द्वारा किया गया काम

- लोगों में उत्साह पैदा किया; जनता के लाभ के लिए राज्य की सत्ता का उपयोग करने की कांग्रेस की क्षमता का प्रदर्शन किया।
- नेतृत्व एवं शासन का प्रदर्शन कर कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ाई।
- संरचनात्मक बाधाओं के कारण व्यवस्था की साम्राज्यवादी प्रकृति को मौलिक रूप से बदलने या क्रांतिकारी सुधार लाने में असमर्थता।
- **लोगों के कल्याण के लिए प्रयास:** नागरिक स्वतंत्रता
  - आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान करने वाले कानूनों को निरस्त किया गया।
  - हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे अवैध संगठनों तथा विशिष्ट पुस्तकों/पत्रिकाओं पर से प्रतिबंध हटा दिया गया।
  - प्रेस प्रतिबंधों में ढील दी गई और समाचार पत्रों को काली सूची (**Blacklist**) से हटा दिया गया।
  - जब्त किए गए हथियार और लाइसेंस बहाल किए गए, पुलिस की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया तथा राजनेताओं पर सीआईडी निगरानी बंद कर दी गई।
  - राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और निर्वासन/नज़रबंदी के आदेश रद्द कर दिये गये।
  - बम्बई में जब्त की गई ज़मीनें बहाल की गईं और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अधिकारियों की पेंशन बहाल की गई।
- **नागरिक स्वतंत्रता में कमियाँ**
  - भड़काऊ भाषणों के लिए युसूफ माहेराली की गिरफ्तारी (मद्रास सरकार)।
  - देशद्रोही भाषण के लिए एस.एस. बटलीवाला की गिरफ्तारी और उसके बाद छह महीने की साज़ा (मद्रास सरकार)।
  - बंबई के गृह मंत्री केएम मुंशी द्वारा कम्युनिस्टों और वामपंथियों के खिलाफ सीआईडी का उपयोग।

https://www.pdfnotes.co/

- **कांग्रेस मंत्रालयों के तहत कृषि सुधार**: कृषि संरचना के पूर्ण बदलाव में कांग्रेस मंत्रालयों को निम्न कारणों से बाधाओं का सामना करना पड़ा:
  - मंत्रालयों की सीमित शक्तियाँ।
  - सरकारी विनियोजन के कारण अपर्याप्त वित्तीय संसाधन।
  - ज़मींदारों को संतुष्ट और बेअसर करने के लिए वर्ग समायोजन की रणनीति।
  - उपनिवेशवाद के साथ कांग्रेस की टकराव की राजनीति के कारण समय की कमी।
  - **1938** से मंडरा रहे युद्ध के बादल.
  - ज़मींदारों और पूँजीपतियों के प्रभुत्व वाली प्रतिक्रियावादी विधान परिषद का प्रभाव।
  - कृषि संरचना की जटिलता।
- **बाधाओं के बावजूद, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने निम्नलिखित कानूनों पर विचार किया।**
  - भूमि सुधार, ऋण राहत, वन चराई शुल्क, किराया बकाया, भूमि कार्यकाल।
  - वैधानिक और अधिभोगी किरायेदारों को मुख्य लाभ, उप-किरायेदारों और कृषि मज़दूरों के लिए कम।
- **श्रम के प्रति दृष्टिकोण**
  - यह दृष्टिकोण औद्योगिक शांति को बढ़ावा देते हुए श्रमिक हितों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।
  - हड़तालों से पहले अनिवार्य मध्यस्थता की वकालत की गई।
  - मंत्रालयों द्वारा श्रम और पूँजी के बीच मध्यस्थता।
  - उग्रवादी ट्रेड यूनियन विरोध प्रदर्शनों के मामलों में धारा 144 का इस्तेमाल किया गया और गिरफ्तारियाँ की गईं।
  - नेहरू ने दमनकारी उपायों पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से मंत्रालयों का समर्थन किया।
  - गांधी ने हिंसक तरीकों का विरोध किया, राजनीतिक शिक्षा पर ज़ोर दिया और औपनिवेशिक कानूनों तथा मशीनरी पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह किया।
- **कांग्रेस की पहल के तहत समाज कल्याण सुधार**
  - विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिबंध।
  - **हरिजनों के लिए कल्याणकारी उपाय:** मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच, छात्रवृत्ति, सरकारी सेवा और पुलिस में प्रतिनिधित्व में वृद्धि।
  - प्राथमिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर ध्यान दें।
  - सब्सिडी और अन्य पहलों के माध्यम से खादी के लिए समर्थन।
  - जेल सुधार लागू किये गये।
  - स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देना।
  - योजना प्रयासों के लिए वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना।
- **कांग्रेस द्वारा गैर-संसदीय सामूहिक गतिविधि**
  - बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान शुरू किए गए।
  - कांग्रेस के थानों एवं पंचायतों का गठन किया गया ।
  - सरकार को सामूहिक याचिकाएँ प्रस्तुत करने वाली कांग्रेस शिकायत समितियाँ गठित की गईं।
  - विभिन्न मुद्दों की वकालत करने वाले राज्य जन आंदोलन चलाए गए।

इस्तीफे के बाद की घटनाएँ

- द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद अक्टूबर **1939** में कांग्रेस का इस्तीफा।
- चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद बंबई, गुजरात, संयुक्त प्रांत और बंगाल जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति बढ़ गई।
- कांग्रेस के रवैये में कथित मज़दूर विरोधी बदलाव के कारण वर्ष **1938** में बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट्स एक्ट लागू हुआ।
- रियासतों में प्रजा मंडल आंदोलन के समर्थन पर कांग्रेस को दुविधा का सामना करना पड़ा।
- अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के कांग्रेस से असंतोष के कारण वर्ष **1938** में पीरपुर समिति की स्थापना हुई।
- पीरपुर समिति ने कांग्रेस मंत्रालयों पर धार्मिक हस्तक्षेप, भाषा थोपने और मुसलमानों पर आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाया।
- कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि सत्ता में रहते हुए सभी आबादी की अपेक्षाओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

15 द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया

कांग्रेस का संकटकाल

- सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, कांग्रेस को बढ़ते भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, फर्जी सदस्यता, प्रतिद्वंद्विता और नेताओं के बीच झगड़े के कारण आंतरिक अव्यवस्था का सामना करना पड़ा।
- जहाँ गांधी ने पहले कांग्रेस को संगठित करने पर जोर दिया, वहीं बोस एक आंदोलन के माध्यम से जनता की क्रांतिकारी क्षमता का उपयोग करना चाहते थे।

सुभाष चंद्र बोस का मत

- बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को संगठित करने और ट्रेड यूनियन आंदोलन को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।
- उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करते हुए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग के गठन की घोषणा की।
- उन्होंने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव और नमक सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने और गांधी-इरविन समझौते को स्वीकार करने के गांधी के फैसले से असहमत थे।

हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन [गुजरात]

(फरवरी 1938)

- फरवरी 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस की बैठक में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया।
- उन्होंने योजना के माध्यम से आर्थिक विकास की वकालत की और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस उन लोगों को नैतिक समर्थन देगी जो रियासतों में शासन के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे।
- जनवरी 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया।
- गांधीजी ने उम्मीदवार के रूप में पट्टाभि सीतारमैया का समर्थन किया, जो उनके दृष्टिकोण के अनुरूप थे। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी ने भी उनका समर्थन किया।
- बोस ने 1377 के मुकाबले 1580 वोटों से चुनाव जीता। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्टों ने बोस का पुरजोर समर्थन किया। गांधीजी ने बोस को बधाई दी लेकिन पट्टाभि की हार को अपनी हार बताया।

त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन [मध्य प्रदेश]

(मार्च 1939)

- बोस और कांग्रेस कार्यसमिति के बीच दरार पैदा हो गई। बीमार होने के बावजूद बोस ने सत्र में भाग लिया और यूरोप में आसन्न साम्राज्यवादी युद्ध की भविष्यवाणी की।
- ब्रिटेन को छह महीने के भीतर स्वराज देने का अल्टीमेटम जारी करने की वकालत की गई। यदि अल्टीमेटम अस्वीकार कर दिया गया तो उन्होंने बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा।
- गोविंद बल्लभ पंत ने गांधीवादी नीतियों में विश्वास की पुष्टि करते हुए एक प्रस्ताव रखा और बोस से गांधी की इच्छा के अनुसार कार्य समिति बनाने का आग्रह किया।
- बोस ने गांधीजी का विश्वास माँगा लेकिन असफल रहे और अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद नए अध्यक्ष बने, जिससे कांग्रेस में तत्काल संकट का समाधान हो गया।

"आपके द्वारा व्यक्त किए गए विचार दूसरों और मेरे विचारों से इतने विपरीत प्रतीत होते हैं कि मुझे उनमें मेल खाने की कोई संभावना नहीं दिखती।" – गांधी द्वारा बोस को लिखे अपने पत्र में।

त्रिपुरी में महत्त्वपूर्ण संकल्प

साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए चीन की जनता को कांग्रेस का बधाई संदेश। कांग्रेस ने चीन के लोगों के लिए अपनी ओर से मेडिकल मिशन भेजने को मंजूरी दी।

फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन

- कांग्रेस के भीतर ही बोस और उनके सहयोगियों ने मई 1939 में मकुर, उन्नाव में एक नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया।
- अगस्त 1939 में बोस के अखिल भारतीय विरोध के आह्वान के कारण कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, क्योंकि यह एआईसीसी के निर्देश के खिलाफ था।
- बोस को बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और तीन साल के लिए कांग्रेस में कोई भी निर्वाचित पद सँभालने से रोक दिया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया

- 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने पर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ।
- भारत की ब्रिटिश सरकार ने 3 सितंबर, 1939 को भारतीय जनमत की सलाह/परामर्श के बिना ही युद्ध के लिए भारत के समर्थन की घोषणा की।

कांग्रेस का वायसराय को प्रस्ताव

- बिना परामर्श के भारत की भागीदारी से असंतोष के बावजूद, कांग्रेस सशर्त रूप से युद्ध को समर्थन करने को तैयार हो गई। इसकी मुख्य शर्तें थीं–
  - कांग्रेस युद्ध के बाद भारत की राजनीतिक संरचना निर्धारित करने के लिए एक संविधान सभा बुलाने पर जोर देती है।
  - केंद्र में एक वास्तविक रूप से जिम्मेदार सरकार की तत्काल स्थापना का आग्रह किया।

वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने तर्क दिया कि युद्ध के लिए जनता का समर्थन हासिल करने के लिए, ये निर्धारित शर्तें महत्त्वपूर्ण थीं।

वर्धा में सीडब्ल्यूसी की बैठक

वर्धा सत्र (1942) में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने कांग्रेस के आधिकारिक रुख को अपनाया। फासीवादी विचारधारा के प्रति अपने उपेक्षा के भाव व तिरस्कार के कारण गांधीजी ने युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया और मित्र शक्तियों को बिना शर्त समर्थन की वकालत की। उन्होंने लोकतांत्रिक पश्चिमी देशों और अधिनायकवादी नाज़ियों और फासीवादियों के बीच अंतर किया और युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को संकट में डालने से भी इनकार कर दिया।

समाजवादियों का दृष्टिकोण

- सुभाष बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने किसी भी पक्ष का समर्थन करने का विरोध किया और युद्ध को साम्राज्यवादियों के बीच अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा के बीच संघर्ष के रूप में देखा। उन्होंने युद्ध के दौरान ब्रिटेन से आजादी हासिल करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

नेहरू का रुख

- वह लोकतांत्रिक मूल्यों और फासीवाद के बीच अंतर को पहचानते थे। उनका मानना था कि न्याय ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड के पक्ष में है।
- उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से युद्ध को पूँजीवाद के विरोधाभासों के परिणाम के रूप में देखा और भारत के स्वतंत्र होने तक किसी भी भारतीय की भागीदारी की वकालत नहीं करते हैं। उन्होंने ब्रिटेन की कठिनाइयों का लाभ उठाने से बचने के लिए तत्काल सविनय अवज्ञा का विरोध किया।
- प्रारंभ में गांधी अलग-थलग पड़े, लेकिन बाद में उनके विचरधारा के साथ नेहरू जुड़ गए। आजादी तक किसी भी भारतीय की भागीदारी नहीं हो, पर जोर देने वाले नेहरू के रुख को कांग्रेस कार्य समिति ने अपनाया।

फासीवादी आक्रमण पर सीडब्ल्यूसी संकल्प

- कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के प्रस्ताव ने फासीवादी आक्रामकता की कड़ी निंदा की।
- भारत कथित तौर पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्ध में भाग नहीं ले सकता जब भारत को इससे वंचित रखा गया हो।
- यदि ब्रिटेन लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, तो उसे अपने उपनिवेशों में साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहिए और भारत में पूर्ण लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए और सरकार को तुरंत अपने युद्ध के उद्देश्य घोषित करने चाहिए।
- युद्ध के बाद भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांत कैसे लागू होंगे, इस पर स्पष्टता माँगी गई।

सरकार की प्रतिक्रिया और कांग्रेस का मंत्री परिषद से इस्तीफा

- **17** अक्टूबर **1939** के अपने वक्तव्य में वायसराय लिनलिथगो ने नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। आक्रामकता का विरोध करने से परे सरकार ने ब्रिटिश युद्ध के लक्ष्यों को परिभाषित करने से इनकार कर दिया।
- सरकार ने कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम लीग और राजाओं का उपयोग करने का प्रयास किया।
- इसने 1935 के अधिनियम को संशोधित करने पर विभिन्न प्रतिनिधियों से परामर्श करने की और भारत में विभिन्न समुदायों, दलों और हितों के प्रतिनिधियों के साथ एक 'परामर्शदात्री समिति' की तत्काल स्थापना की प्रतिबद्धता जताई।

सरकार का गुप्त एजेंडा

- इस रणनीति में विरोध को भड़काना और फिर परिस्थिति का उपयोग करके व्यापक शक्तियाँ हासिल करना शामिल था। युद्ध से पहले 1935 के अधिनियम में संशोधन करके प्रांतीय विषयों के संबंध में आपातकालीन शक्तियाँ केंद्र को दी गई थी।
- नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला भारत रक्षा अध्यादेश युद्ध की घोषणा के दिन लागू किया गया था।
- मई 1940 में कांग्रेस पर पूर्व-निर्धारित हमलों के लिए एक अत्यधिक-गुप्त मसौदा क्रांतिकारी आंदोलन अध्यादेश तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य कांग्रेस को जापान समर्थक और जर्मनी समर्थक के रूप में चित्रित करके ऐसे कार्यों को उचित ठहराना था।
- ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और राज्य सचिव जेटलैंड ने ब्रिटिश के भारतीय प्रतिक्रियावादी नीतियों का समर्थन किया। ब्रिटेन के प्रति वैश्विक उदारवादी और वामपंथी सहानुभूति हासिल करते हुए कांग्रेस को पूरी तरह से हिंदू करार दिया गया।
- ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को शत्रु मानकर भारत पर अपनी पकड़ ढीली करने का कोई इरादा नहीं दिखाया।
- गांधीजी ने जोर देते हुए सरकार की, भारत को लोकतंत्र से वंचित करने वाली असंवेदनशीलता की आलोचना की।

गांधी का उद्धरण

"...अगर ब्रिटेन इसे रोक सकता है तो भारत में कोई लोकतंत्र नहीं होगा।"

"कांग्रेस अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करेगी, बशर्ते वे भारत की स्वतंत्रता के साथ असंगत दावों को आगे न बढ़ाएँ।"

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक

(अक्टूबर 1939)

- वायसराय के बयान को पुरानी साम्राज्यवादी नीति की पुनरावृत्ति कहकर खारिज कर दिया गया।
- युद्ध प्रयास का समर्थन न करने का निर्णय लिया गया।
- प्रांतों में कांग्रेस मंत्री परिषद के इस्तीफे का आह्वान किया गया।

जनवरी 1940 में, लनिलथिगो ने कहा, "युद्ध के बाद वेस्टमिंस्टर के प्रकार की डोमिनियन स्थिति, भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य है।"

https://www.pdfnotes.co/

कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन [झारखंड]

(मार्च 1940)

- इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। आंदोलन की आवश्यकता पर सहमति थी लेकिन स्वरूप पर असहमति थी।
- गांधीजी ने प्रांतीय सहयोग जारी रखने का समर्थन किया और युद्ध के दौरान अहिंसक आधार पर अंग्रेजों को नैतिक समर्थन की पेशकश की।
- नेहरू ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में कांग्रेस के समर्थन की पूर्व शर्त के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिया।
- बोस ने एक उग्रवादी रुख बनाए रखा, स्वतंत्रता को मजबूर करने के लिए औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ सीधी कार्रवाई की वकालत की और ब्रिटेन की कठिनाई को भारत के अवसर के रूप में लें।

कांग्रेस की घोषणा

- कांग्रेस ने घोषणा की कि पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वीकार की जाएगी।
- शाही ढाँचे के भीतर किसी भी प्रकार के प्रभुत्व या अन्य दर्जे को अस्वीकार कर दिया। राज्यों या प्रांतों में संप्रभुता लोगों के हाथ में रहने पर जोर दिया गया।
- संकटकाल में जब भी कांग्रेस संगठन उचित समझे या किसी समय सविनय अवज्ञा का निर्णय ले सकता है।

मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव- लाहौर (मार्च 1940)

- मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मुस्लिम-बहुल के पास के क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों और घटक इकाइयों में स्वायत्त और संप्रभु बनाने का फैसला किया गया।
- अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए सुरक्षा उपायों की माँग की गई।

अगस्त प्रस्ताव (अगस्त 1940)

- यूरोप में हिटलर की सफलता के कारण इंग्लैंड ने समाधानकारी दृष्टिकोण अपनाया।
- कांग्रेस ने युद्ध के दौरान एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया।

ब्रिटिश सरकार का अगस्त प्रस्ताव

- इसकी घोषणा अगस्त 1940 में लिनलिथगो द्वारा की गई।
- इसने भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा प्रस्तावित किया और अधिकांश भारतीयों के साथ वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करने का सुझाव दिया।
- युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना जहाँ मुख्य रूप से भारतीय अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवधारणाओं के अनुसार संविधान का निर्णय करेंगे (रक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, राज्यों के साथ संधियों, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में सरकार के दायित्व की पूर्ति के अधीन)
- अल्पसंख्यक सहमति के बिना संविधान को अपनाने का प्रावधान नहीं।
- **1941** में सलाहकार कार्यों के साथ राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना की गई थी।

पहली बार, अपना संविधान बनाने के भारतीयों के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी गई। संविधान सभा की कांग्रेस की माँग को स्वीकार कर लिया गया। पहली बार स्पष्ट रूप से डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की गई।

प्रतिक्रिया

- कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
- नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की अवधारणा को 'डोरनेल की तरह मृत' घोषित कर दिया।
- गांधीजी का मानना था कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश शासकों के बीच दूरियाँ बढ़ गईं।
- मुस्लिम लीग ने वीटो आश्वासन का स्वागत किया और समाधान के रूप में विभाजन को दोहराया।

मूल्यांकन

- इसने भारतीयों के अपना संविधान बनाने के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी।
- संविधान सभा के लिए कांग्रेस की माँग को स्वीकार कर लिया और स्पष्ट रूप से डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की।
- जुलाई 1941 में, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, जिससे भारतीयों को बहुमत मिला।
- अंग्रेजों ने रक्षा, वित्त और गृह पर नियंत्रण बरकरार रखा।
- सलाहकार कार्यों के साथ राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना की गई थी।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

- सरकार ने कांग्रेस-मुस्लिम नेता के समझौते तक कोई संवैधानिक प्रगति नहीं करने पर जोर दिया और भाषण, प्रेस और संघ की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले अध्यादेश जारी किए।
- कांग्रेस ने गांधीजी से नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने 1940 के अंत में व्यक्तिगत रूप से सीमित सत्याग्रह शुरू किया।
- **उद्देश्य**
  - यह दिखाना कि राष्ट्रवादी धैर्य का कारण कमजोरी नहीं था।
  - नाजीवाद और भारतीय निरंकुशता के बीच कोई अंतर न करने वाले लोगों की युद्ध-विरोधी भावना व्यक्त करना।
  - सरकार को कांग्रेस की माँगों को स्वीकार करने का एक और शांतिपूर्वक मौका प्रदान करना।
- सत्याग्रहियों ने युद्ध विरोधी घोषणा के माध्यम से युद्ध के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की माँग की। यदि गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वे दोहराएँगे और फिर गाँवों में चले जाएँगे और 'दिल्ली चलो आंदोलन' शुरू करेंगे।
- **प्रमुख सत्याग्रही:** विनोबा भावे और नेहरू प्रथम थे। मई 1941 तक, 25,000 व्यक्तियों को सविनय अवज्ञा के लिए दोषी ठहराया गया था।

द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम (1941-1942)

- **जून 1941:** जर्मनी ने रूस पर हमला किया।
- **दिसंबर 1941:** जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया।
- **मार्च 1942:** जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा करने के बाद रंगून पर कब्जा कर लिया।

https://www.pdfnotes.co/

गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया

- **दिसंबर 1941:** जापान के आक्रमण के बीच रिहा किए गए कांग्रेस नेता भारतीय क्षेत्र की रक्षा करना और मित्र राष्ट्रों की सहायता करना चाहते थे।
- **कांग्रेस कार्य समिति का संकल्प**
  - युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता मिलने पर सहयोग की पेशकश की।
  - मूल शक्ति का तत्काल हस्तांतरण।
- इस दौरान गांधीजी ने नेहरू को अपना सबसे अच्छा उत्तराधिकारी नामित किया।

नेहरू और गांधी के बीच मतभेद

	गांधी	नेहरू
धर्म	गांधीजी को अपने ईश्वर के प्रति गहरी आस्था और विश्वास था।	नेहरू धर्म के प्रति उदासीन थे।
गरीबी का समाधान	गांधीजी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की वकालत की।	नेहरू औद्योगीकरण को भारत की गरीबी समाधान के रूप में देखते थे।
समाज का उत्थान एवं सुधार	गांधी संशयी थे, व्यक्तिगत और सामुदायिक विवेक पर भरोसा करते थे।	नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास करते थे।

नेहरू और गांधी के बीच समानताएँ

- साझा देशभक्ति, अहिंसा और लोकतांत्रिक सरकार में विश्वास।
- दोनों ने जाति, भाषा, क्षेत्र या धर्म से ऊपर उठकर समग्र रूप से भारत को पहचाना।

क्रिप्स मिशन (मार्च 1942)

मित्र राष्ट्रों के दबाव और जापानी आक्रमण के खतरे के कारण, अंग्रेज विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन चाहते थे। मार्च 1942 में, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ एक मिशन का नेतृत्व किया।

क्रिप्स मिशन प्रस्ताव

- डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ का गठन।

[यूपीएससी 2022, 2016]

- युद्ध के बाद संविधान सभा की बैठक।

किसी संविधान को स्वीकार करने की दो पूर्व शर्तें-

- संघ में शामिल होने के इच्छुक प्रांत अपना अलग संविधान बना सकते थे और एक अलग संघ बना सकते थे।
- सत्ता हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संविधान निर्माता संस्था और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि पर बातचीत।

अंतरिम अवधि के दौरान, भारत की रक्षा और गवर्नर जनरल की शक्तियाँ ब्रिटिश नियंत्रण में रहीं।

महत्त्व

- पहली बार संविधान बनाने का अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया, अगस्त प्रस्ताव के विपरीत, जहाँ यह मुख्य रूप से भारतीयों के हाथों में था।
- अंतरिम अवधि के दौरान भारतीयों को प्रशासन में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी की अनुमति दी गई।
- विभाजन का मसौदा तैयार हुआ।

क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण

कांग्रेस की आपत्तियाँ

- नेहरू और मौलाना आजाद कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे।
- पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की पेशकश पर आपत्ति जताई।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं, बल्कि नामित व्यक्तियों द्वारा रियासतों के प्रतिनिधित्व से असहमत।
- राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विपरीत प्रांतों के अलग होने के अधिकार का विरोध किया।
- तत्काल सत्ता हस्तांतरण योजना और रक्षा में वास्तविक हिस्सेदारी के अभाव की आलोचना की।
- गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाये रखना तथा विशुद्ध रूप से संवैधानिक प्रमुख की माँग को अस्वीकार नहीं किया गया।

मुस्लिम लीग की आपत्तियाँ

- एकल भारतीय संघ की अवधारणा की आलोचना की।
- संघ में प्रांतों के विलय पर निर्णय लेने के लिए संविधान सभा निर्माण ढाँचा और प्रक्रियाओं को अस्वीकार कर दिया।
- माना जाता है कि प्रस्तावों ने मुसलमानों को आत्मनिर्णय और पाकिस्तान के निर्माण के अधिकार से वंचित कर दिया।

अन्य समूह की आपत्तियाँ

- उदारवादियों ने अलगाव को भारत की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए आपत्ति जताई।
- हिंदू महासभा ने अलग होने के अधिकार के आधार की आलोचना की।
- दलित वर्गों को जाति के हिंदुओं के प्रति असुरक्षा का डर था।
- विभाजन से पंजाब के नष्ट हो जाने के डर से सिक्खों ने विरोध किया।

गतिरोध के कारण

गतिरोध के कारण	स्पष्टीकरण
क्रिप्स की अक्षमता	• क्रिप्स की मसौदा घोषणा से आगे बढ़ने में असमर्थता और 'इसे ले लो या छोड़ दो' का कठोर रुख अपनाने से गतिरोध में योगदान हुआ। • 'कैबिनेट' और 'राष्ट्रीय सरकार' की प्रारंभिक चर्चा को बाद में कार्यकारी परिषद के विस्तार के रूप में स्पष्ट किया गया।
परिग्रहण प्रक्रिया	• परिग्रहण की प्रक्रिया में स्पष्टता का अभाव था। • अलगाव के निर्णय में विधायिका में 60% बहुमत का प्रस्ताव या, यदि कम हो, तो वयस्क पुरुषों के साधारण बहुमत के साथ जनमत संग्रह शामिल था।

https://www.pdfnotes.co/

मुद्दे और अस्पष्टताएँ	• योजना ने पंजाब और बंगाल में हिंदुओं को संघ में शामिल होने से वंचित कर दिया।
कार्यान्वयन की अस्पष्टता	• सत्ता हस्तांतरण को प्रभावित करने वाली संधि को कौन लागू करेगा और उसकी व्याख्या कौन करेगा, इस पर अस्पष्टता।
ब्रिटिश विरोध	• चर्चिल, अमेरी, लिनलिथगो और वार्ड ने लगातार क्रिप्स के प्रयासों को कमजोर किया। • वायसराय के वीटो पर बातचीत रुक गई।

नेताओं की आलोचना

- गांधी ने इस योजना को 'पोस्ट-डेटेड चेक' कहा।
- नेहरू ने निरंकुश शक्तियों के बने रहने की आशंका जताते हुए संदेह व्यक्त किया।

मिशन के परिणाम

- स्टैफोर्ड क्रिप्स की वापसी ने भारतीय जनता को निराश और शर्मिंदा कर दिया।
- फासीवादी आक्रामकता के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति इस भावना के साथ मौजूद थी कि मौजूदा स्थिति असहनीय हो गई है, जो साम्राज्यवाद पर अंतिम हमले के लिए तत्परता का संकेत देती है।

❖ ❖ ❖

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH
Offline / Online English / हिन्दी
PRELIMS TEST SERIES 2024
UPSC TEST SERIES 2024
Prelims Wallah
30 Tests
Offline ₹ 4,999/-
Online ₹ 2,999/-
CSAT
20 Tests
Offline ₹ 2,499/-
Online ₹ 1,499/-
Prelims Test Series 2024
9920613613 pwonlyias.com
Our Offline Centres Karol Bagh Mukherjee Nagar Lucknow Patna

https://www.pdfnotes.co/

16 भारत छोड़ो आंदोलन, पाकिस्तान की माँग और आईएनए

भारत छोड़ो आंदोलन

वर्धा बैठक (जुलाई 1942)

- क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण, युद्धकालीन मुद्रास्फीति के कारण असंतोष, **संभावित जापानी** बढ़त की स्थिति में असम, बंगाल और उड़ीसा में पराजय की **आशंका**, दक्षिण-पूर्व एशिया में **ब्रिटिश हार की खबरें**, साथ ही साथ **ब्रिटिश पतन** का खतरा, असंतोष व्यक्त करने के लिए जनता की तत्परता में वृद्धि के कारण यह बैठक बुलानी पड़ी।
- कांग्रेस कार्य समिति ने **गांधीजी को** अंग्रेजों के खिलाफ **अहिंसक जन आंदोलन का** नेतृत्व करने के लिए अधिकृत किया। इसे **भारत छोड़ो संकल्प के नाम से जाना जाता है।**
- यह प्रस्ताव नेहरू द्वारा **प्रस्तावित किया गया** था, सरदार पटेल द्वारा अनुमोदित किया गया था और **8 अगस्त, 1942 को ग्वालिया टैंक, बॉम्बे** में कांग्रेस की बैठक में **इसकी पुष्टि की गई थी।**

माँगें

- भारत में ब्रिटिश शासन की **तत्काल समाप्ति।**
- फासीवाद और साम्राज्यवाद से बचाव के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिज्ञा।
- ब्रिटिश वापसी के बाद भारत में एक अस्थायी सरकार की स्थापना।
- ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी देना।
- **गांधीजी द्वारा** विभिन्न वर्गों को **'करो या मरो'** मंत्र दिया गया, जिससे **भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई।**

विभिन्न वर्गों के लिए गांधीजी के सामान्य निर्देश-

- **सरकारी कर्मचारी:** इस्तीफा न दें बल्कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा करें।
- **सैनिक:** सेना में बने रहें लेकिन साथी देशवासियों पर गोली चलाने से बचें।
- **छात्र:** यदि ऐसा करने में आश्वस्त हैं तो पढ़ाई छोड़ दें।
- **किसान:** यदि जमींदार सरकार विरोधी हैं, तो आपसी सहमति से लगान दें, और यदि जमींदार सरकार समर्थक हैं, तो लगान देने से बचें।
- **राजकुमार:** जनता का समर्थन करें और अपने लोगों की संप्रभुता को स्वीकार करें।
- **रियासत के लोग:** सरकार विरोधी होने पर ही शासक का समर्थन करें और भारतीय राष्ट्र के प्रति निष्ठा की घोषणा करें।

सरकार की प्रतिक्रिया

- **9 अगस्त, 1942:** सभी शीर्ष कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया।
  - **अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त** को **कांग्रेस कमेटी सत्र की** अध्यक्षता की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
- कांग्रेस कार्य समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और प्रांतीय कांग्रेस समितियों को 1908 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत **गैर-कानूनी घोषित किया गया।**

भूमिगत प्रतिरोध और समानांतर सरकारें

प्रतिभागी	समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रमवासी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी।
फैलाव	बॉम्बे, पूना, सतारा, बड़ौदा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र, संयुक्त प्रांत, बिहार और दिल्ली।
मुख्य हस्ती	राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटूभाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आरपी गोयनका।

- **उषा मेहता** एक गांधीवादी और भारत की स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्होंने **कांग्रेस रेडियो,** एक भूमिगत रेडियो स्टेशन का आयोजन किया, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ महीनों तक काम करता था। अधिकारियों से बचने के लिए, आयोजकों ने स्टेशन के स्थान को लगभग प्रतिदिन बदला था।

[यूपीएससी 2011]

- भूमिगत गतिविधि का यह चरण जनता के मनोबल को बनाए रखने, मार्गदर्शन प्रदान करने और हथियार और गोला-बारूद वितरित करने के लिए था।

भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें

समानांतर सरकार	नेता	गतिविधियाँ
बलिया (अगस्त 1942)	चित्तू पांडे	उन्होंने कई कांग्रेसी नेताओं को रिहा करवाया।
तमलुक (दिसंबर 1942 - सितंबर 1944)– **मिदनापुर**	जातीय सरकार	चक्रवात राहत, स्कूल अनुदान, गरीबों को धान की आपूर्ति, **विद्युत वाहिनी का आयोजन।**
सतारा (मध्य 1943 - 1945)– **'प्रति सरकार'**	वाई.बी. चव्हाण, नाना पाटिल आदि।	ग्राम पुस्तकालय, न्यायदान मंडल, निषेध अभियान और 'गांधी विवाह' आयोजित किए गए।

https://www.pdfnotes.co/

भारत छोड़ो आंदोलन में व्यापक जन-भागीदारी

पहलू	विवरण
युवा	• विशेषकर स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई।
व्यापारिक वर्ग	• दान, आश्रय और भौतिक सहायता के माध्यम से।
महिलाएँ	• महिलाओं, विशेषकर स्कूल और कॉलेज की लड़कियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। • इसमें **अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी** और **उषा मेहता** शामिल हैं।
मजदूर	• अहमदाबाद, बंबई, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना में **मजदूरों की हड़तालें देखी गईं।**
किसान	• विभिन्न वर्गों के किसान आंदोलन के मूल में थे। किसान हमले सत्ता के प्रतीकों पर केंद्रित थे; विशेष रूप से, कोई जमींदार विरोधी हिंसा नहीं हुई।
सरकारी अधिकारी	• पुलिस सहित निचले स्तर के सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया, जिससे सरकारी निष्ठा में कमी आई।
मुसलमान	• मुसलमानों ने भूमिगत कार्यकर्ताओं को आश्रय देकर आंदोलन का समर्थन किया। आंदोलन के दौरान कोई सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई।
कम्युनिस्ट	• कम्युनिस्टों ने शामिल होने से परहेज किया; रूस पर नाजी हमले के बाद उनका समर्थन ब्रिटिश युद्ध प्रयासों की ओर स्थानांतरित हो गया।
मुस्लिम लीग	• मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के चले जाने पर अल्पसंख्यकों पर संभावित उत्पीड़न के डर से इस आंदोलन का विरोध किया।
हिंदू महासभा	• हिंदू महासभा ने आंदोलन का बहिष्कार किया।
रियासतें	• रियासतों ने आंदोलन के प्रति धीमी प्रतिक्रिया प्रदर्शित की।

गांधीजी का अनशन और पाकिस्तान दिवस

फरवरी 1943 में, **गांधी ने हिंसा की निंदा करने के सरकार के आह्वान के जवाब में उपवास शुरू किया,** इसे राज्य की हिंसा के खिलाफ निर्देशित किया।

पाकिस्तान दिवस: 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया।

1943 का अकाल

सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र: दक्षिण-पश्चिम बंगाल जिसमें तालुका-कोंताई, डायमंड हार्बर, ढाका, फरीदपुर, टिप्पेरा और नोआखली शामिल हैं। इसमें लगभग 1.5 से 3 मिलियन लोग मारे गए।

कारण: भोजन को सेनाओं के लिए भेजना, बर्मा और दक्षिण-पूर्व एशिया से चावल के आयात को रोकना, कुप्रबंधन और मुनाफाखोरी के कारण।

संवैधानिक संकट को हल करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास

राजगोपालाचारी फॉर्मूला (1944)

- **सी. राजगोपालाचारी (सीआर) ने** कांग्रेस-लीग सहयोग के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया।
- यह लीग की पाकिस्तान की माँग की मौन स्वीकृति थी, जिसका समर्थन गांधीजी ने किया था।
- **मुख्य बिंदु**
  - मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की माँग का समर्थन करेगी।
  - केंद्र में अस्थायी सरकार बनाने में सहयोग।
  - युद्ध की समाप्ति के बाद, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की पूरी आबादी जनमत **संग्रह द्वारा यह निर्णय लेगी** कि एक अलग संप्रभु राज्य बनाया जाए या नहीं।
  - यदि विभाजन पर सहमति है, तो रक्षा, वाणिज्य और संचार की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त समझौता होना चाहिए। इन शर्तों की प्रभावशीलता इंग्लैंड द्वारा भारत को पूर्ण शक्तियाँ हस्तांतरित करने पर निर्भर है।
- **मुद्दा: जिन्ना** चाहते थे कि कांग्रेस द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले। वह चाहते थे कि **जनमत संग्रह में** पूरी आबादी नहीं **केवल उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व के मुसलमान ही** वोट करें। उन्होंने साझा केंद्र के विचार का भी विरोध किया।

देसाई-लियाकत समझौता

- **उद्देश्य:** कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास।
- **शामिल नेता:** भूलाभाई देसाई (कांग्रेस) और लियाकत अली खान (मुस्लिम लीग)।
- **अंतरिम सरकार का प्रस्ताव:** अंतरिम सरकार के लिए केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग का समान प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षित सीटें।
- **परिणाम:** इन शर्तों पर कोई समझौता नहीं हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग बराबरी पर आ गए।

वेवेल योजना (1945) और शिमला सम्मेलन

मई 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन जापानियों का खतरा बरकरार रहा। ब्रिटेन में **चर्चिल** के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार का उद्देश्य भारत के संवैधानिक मामलों का समाधान करना था।

- वायसराय **लॉर्ड वेवेल को भारतीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने की** अनुमति दी गई।
- विशेषताएँ–
  - **कार्यकारी परिषद में भारतीय बहुमत:** गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे।
  - हिंदुओं और मुसलमानों जातियों के लिए **समान प्रतिनिधित्व।**
  - **अंतरिम सरकार की रूपरेखा:** 1935 अधिनियम के ढाँचे के भीतर एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करने के लिए पुनर्निर्मित परिषद।

https://www.pdfnotes.co/

- **गवर्नर जनरल का वीटो:** गवर्नर-जनरल मंत्रिस्तरीय सलाह के आधार पर वीटो का प्रयोग करेगा।
- **संयुक्त पार्टी प्रतिनिधित्व:** विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को परिषद नामांकन के लिए एक संयुक्त या अलग सूची प्रस्तुत करनी होगी।
- **नए संविधान** पर **युद्धोपरांत बातचीत की संभावनाओं को** खुला रखा गया है।

मुस्लिम लीग का रुख

- **नामांकन प्राथमिकता:** लीग ने इस बात पर जोर दिया कि सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हों।
- **वीटो शक्ति:** परिषद में वीटो की माँग की गई, जिसमें मुस्लिम हितों के विपरीत निर्णयों के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी।

कांग्रेस का रुख

- **हिंदू जातीय पार्टी की चिंता:** कांग्रेस ने इस योजना पर आपत्ति जताते हुए इसे विशुद्ध रूप से जातीय हिंदू पार्टी तक सीमित करने के प्रयास के रूप में देखा। बल्कि इसने अपने प्रत्याशियों में सभी समुदायों के सदस्यों को शामिल करने के अधिकार पर जोर दिया।

वेवेल ने वार्ता समाप्त करने की घोषणा की और इस प्रकार लीग को एक आभासी वीटो का अधिकार मिल गया।

सुभाष चंद्र बोस

अपने उग्रवादी रुख के लिए विख्यात **सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों के खिलाफ यूरोपीय अपमान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।**

- प्रारंभ में **भारतीय सिविल सेवा परीक्षा** में **चौथा स्थान प्राप्त किया** लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए **1921 में इस्तीफा दे दिया**। उन्होंने **1923 में कलकत्ता के मेयर के रूप में कार्य किया**। उनके राजनीतिक गुरु **चितरंजन दास थे**।
- अपनी सक्रियता के लिए उन्हें अंग्रेजों द्वारा कई कारावासों का सामना करना पड़ा।
- गांधी के तरीकों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ बोस ने, गांधी के मार्ग के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता को महसूस करते हुए, अपनी शर्तों पर स्वतंत्रता हासिल करने का फैसला किया।

समझौता विरोधी सम्मेलन (मार्च 1940)

- **मार्च 1940** में **रामगढ़ में एक समझौता-विरोधी सम्मेलन** बुलाया गया। यह फॉरवर्ड **ब्लॉक** और **किसान सभा का संयुक्त प्रयास था**।
- **6 अप्रैल, 1940** को, राष्ट्रीय सप्ताह के अवसर पर, साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ **एक विश्वव्यापी संघर्ष शुरू करने** का संकल्प लिया गया, जिसमें लोगों से संसाधनों के साथ साम्राज्यवादी युद्ध का समर्थन न करने का आग्रह किया गया।
- **जुलाई 1940 में** कलकत्ता में **होलवेल** के लिए प्रस्तावित स्मारक के विरोध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें **जेल से रिहा कर दिया गया लेकिन** भूख हड़ताल के बाद **दिसंबर 1940** में उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया।
- यह बताया गया कि बोस **जनवरी 1941** में **भाग गए थे, 26 जनवरी 1941 को** पेशावर पहुँचे। वे **भगत राम** की मदद से छद्म नाम **जियाउद्दीन** के साथ पेशावर पहुँचे थे। उन्होंने चल रहे संघर्ष को पूरा करने के इरादे से भारत छोड़ दिया और बाहरी समर्थन के विकल्प तलाशे।

जर्मनी में-

- उन्होंने शुरुआत में भारत की आजादी के लिए रूस से सहायता माँगी, लेकिन जून 1941 में मित्र राष्ट्रों के साथ रूस के जुड़ने से बोस को निराशा हुई। इसके बाद, वह जर्मनी चले गए।
- वहाँ, उन्होंने छद्म नाम **ऑरलैंडो मैजोटा का उपयोग करके हिटलर से मुलाकात की** और जर्मनी और इटली द्वारा पकड़े गए **भारतीय युद्धबंदियों** के साथ **'फ्रीडम आर्मी' (मुक्ति सेना) का गठन किया। ड्रेसडेन, जर्मनी में स्वतंत्रता सेना का मुख्यालय बन गया**।
- जर्मनी के लोग बोस को 'नेताजी' कहने लगे। उन्होंने जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से प्रसिद्ध नारा **'जय हिंद' दिया।**

बर्लिन रेडियो प्रसारण

- **जनवरी 1942** में **बर्लिन रेडियो** से नियमित प्रसारण प्रारंभ किया गया।
- **1943 की शुरुआत** में उन्होंने **जर्मनी छोड़ दिया**।
- **जुलाई 1943** तक जापान और फिर **सिंगापुर पहुँचने के लिए उन्होंने जर्मन और जापानी पनडुब्बियों से यात्रा की**।
- उन्हें **रासबिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कमान लेनी थी,** जो **भारतीय राष्ट्रीय सेना के दूसरे चरण का प्रतीक था**।

आजाद हिंद फौज (आईएनए)

मोहन सिंह ने जापानियों के सहयोग से **भारतीय युद्धबंदियों** (POWs) की भर्ती करके **आजाद हिंद फौज (INA) का गठन किया**।

- भारत छोड़ो आंदोलन से इस मुहिम को और बढ़ावा मिला, जिससे 40,000 लोगों की एक बड़ी सेना आईएनए में शामिल होने के लिए तैयार हो गई।
- आईएनए की सैन्य दस्ते की कार्यवाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के लोगों से निमंत्रण प्राप्त करने पर निर्भर थी।
- इस सेना के निर्माण को व्यापक रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीयों के खिलाफ संभावित जापानी कदाचार की प्रतिक्रिया और भारत पर किसी भी संभावित जापानी कब्जे के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय के रूप में देखा गया है।
- आईएनए **का पहला डिवीजन** सितंबर 1942 में 16,300 लोगों के साथ बनाया गया था।

रासबिहारी बोस का योगदान

- एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी **रासबिहारी बोस,** क्रांतिकारी गतिविधियों में विफल होने के बाद **1915 में जापान भाग गए**।
- जापान में वह सक्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने में लगे रहे। उनके प्रयासों में पैन-एशियाई हलकों की गतिविधियाँ, **इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना** और पश्चिमी साम्राज्यवाद की कमियों पर व्याख्यान देना आदि शामिल था।
- वे शुरुआत से ही सुभाष चंद्र बोस से काफी प्रभावित थे।
- फरवरी 1944 में, उनके फेफड़े खराब हो जाने के बाद, रासबिहारी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और 21 जनवरी, 1945 को उनकी मृत्यु हो गई।

https://www.pdfnotes.co/

आईएनए नेतृत्व परिवर्तन

- **बैंकॉक** में जापानियों के देख-रेख में आयोजित एक सम्मेलन में आईएनए को **इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के तहत रखने का निर्णय लिया गया,** इसकी **अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की**। उन्होंने **1942** में **टोक्यो में लीग की स्थापना की**।
- जापानियों ने आईएनए का नेतृत्व करने के लिए सुभाष बोस की तलाश की।
- जुलाई 1943 में, **सुभाष बोस सिंगापुर** में रासबिहारी बोस से मिले, जिन्होंने स्वेच्छा से **इंडियन इंडिपेंडेंस लीग** और **आईएनए** का नियंत्रण उन्हें सौंप दिया।
- **25 अगस्त को** सुभाष बोस आईएनए के **सुप्रीम कमांडर बने**। **21 अक्टूबर, 1943** को, सुभाष बोस ने एचसी चटर्जी (वित्त विभाग), एमए अय्यर (प्रसारण) और लक्ष्मी स्वामीनाथन (महिला-प्रकोष्ठ) के साथ **सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के लिए अस्थायी सरकार का गठन किया।**
- प्रसिद्ध नारा, **'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा,' मलय में गढ़ा गया** था।
- अस्थायी सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की और धुरी शक्तियों द्वारा इसे मान्यता दी गई। **रानी झाँसी रेजिमेंट** नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया गया।

आईएनए संचालन और चुनौतियाँ

- जनवरी 1944 में आईएनए मुख्यालय **रंगून (बर्मा)** स्थानांतरित हो **गया,** और सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों को 'चलो दिल्ली!' के युद्ध घोष के साथ मार्च करना था।
- **6 नवंबर, 1943** को जापानी सेना ने **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** को आईएनए को सौंप दिया।
- **6 जुलाई, 1944** को बोस ने **आजाद हिंद रेडियो** से **गांधीजी को 'राष्ट्रपिता'** कहकर संबोधित किया। इस शब्द के प्रथम प्रयोग को चिह्नित करते हुए। उन्होंने **'भारत की आखिरी आजादी की लड़ाई'** के लिए गांधीजी का आशीर्वाद मांगा।
- **इंफाल अभियान** के दौरान, **शाह नवाज** के नेतृत्व में आईएनए का एक बटालियन, **भारत-बर्मा मोर्चे** पर **जापानी सेना में शामिल हो गई**। आईएनए इकाइयों को जापानियों से भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसमें राशन और हथियार देने से इनकार भी शामिल था। उन्हें जापानी इकाइयों के लिए छोटे-मोटे काम करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे आईएनए में निराशा और घृणा पैदा हुई।

भारत में आईएनए और उसके बाद की घटनाएँ

- आजाद **हिंद फौज ने 18 मार्च, 1944 को** बर्मा सीमा पार करके भारतीय भूमि में प्रवेश किया।
- **14 अप्रैल, 1944** को कर्नल **मलिक ने मणिपुर के मोइरांग में** आईएनए का झंडा फहराया। यह **आईएनए ध्वज फहराने का पहला प्रतीक था भारतीय मुख्य भूमि पर, 'जय हिंद'** और **'नेताजी जिंदाबाद' के नारों के साथ स्वागत किया गया।**
- आईएनए ने तीन महीने तक मोइरांग में सैन्य प्रशासन कर्तव्यों का पालन किया। **मित्र देशों की सेनाओं ने क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप 18 जुलाई, 1944 को आईएनए ब्रिगेड की वापसी हुई।**
- जापान के पीछे हटने से देश को आजाद कराने की आईएनए की उम्मीदें खत्म हो गईं, जो 1945 के मध्य तक जारी रही।
- **15 अगस्त, 1945** को जापान ने **द्वितीय विश्व युद्ध** में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही आईएनए ने भी आत्मसमर्पण कर दिया।
- **18 अगस्त, 1945** को, **ताइवान के ताइपे में** एक रहस्यमय हवाई दुर्घटना में **सुभाष बोस की** कथित तौर पर **मृत्यु हो गई**। युद्ध के बाद **एक** कोर्ट-मार्शल के लिए **युद्धबंदियों को भारत वापस लाया गया**।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

17 युद्धोत्तर राष्ट्रीय परिदृश्य

सरकार के रवैये में बदलाव

- **जून, 1945 ई.** में सरकार ने **कांग्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया** और उसके नेताओं को रिहा कर दिया।
- **वेवेल योजना** संवैधानिक गतिरोध को तोड़ने में विफल रही।
- **जुलाई, 1945 ई.** में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। **क्लेमेंट एटली** नए प्रधानमंत्री बने और **पेथिक लॉरेंस** भारत के राज्य सचिव बने।
- **अगस्त, 1945 ई.** में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों की घोषणा की गई। **सितंबर, 1945 ई.** में क्रिप्स प्रस्तावों के अनुसार चुनाव के बाद एक संविधान सभा बुलाने की घोषणा की गई।

युद्ध के बाद सरकारी रवैये में बदलाव के लिए जिम्मेदार कारक

- युद्ध की समाप्ति ने **वैश्विक शक्ति संबंधों को बदल दिया।**
  - एक प्रमुख शक्ति के रूप में ब्रिटेन का पतन;
  - संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर महाशक्तियों के रूप में उभरे, जो भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे।
- नई **लेबर सरकार** ने भारतीय माँगों के प्रति **अधिक सहानुभूति** दिखाई।
- यूरोप में **समाजवादी-कट्टरपंथी सरकारों का उदय हुआ।**
- **ब्रिटिश संसाधनों पर दबाव:** ब्रिटिश सैनिक थक गए थे और अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई थी। 1945 ई. तक ब्रिटिशों पर भारत का £1.2 बिलियन बकाया था और यूएस लैंड-लीज ने ब्रिटिश संसाधनों को खत्म कर दिया, जिसका भुगतान वर्ष 2006 में किया गया।
- विशेषकर वियतनाम और इंडोनेशिया में **साम्राज्यवाद विरोधी लहर।**
- कृषि विद्रोह, श्रमिक समस्या और सेना के असंतोष की आशंका से युद्ध के बाद **कांग्रेस के विद्रोह की आशंका थी।**
- **युद्ध के बाद चुनाव अपरिहार्य समझा गया**; आखिरी बार 1934 ई. में केंद्र के लिए और 1937 ई. में प्रांतों के लिए आयोजित किया गया था।

कांग्रेस का चुनाव प्रचार

- 1945-46 ई. की सर्दियों में आम चुनाव हुए। इस चुनाव अभियान का उद्देश्य केवल वोट माँगना नहीं, बल्कि **अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करना था।**
- इस अभियान ने भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान राजकीय दमन के विरुद्ध **राष्ट्रवादी भावनाएँ व्यक्त कीं।**
- आईएनए परीक्षणों के खिलाफ जन दबाव के कारण सरकार ने कांग्रेस के साथ **'सामान्य समझौते'** को आवश्यक समझा।

आईएनए मामला

- सैकड़ों आईएनए कैदियों के खिलाफ सार्वजनिक मुकदमा आयोजित किया गया। आईएनए मामले में बड़े पैमाने पर दबाव के कारण सरकारी नीति में निर्णायक बदलाव आया।
- पहला आईएनए ट्रायल **नवंबर, 1945 ई. में दिल्ली के लाल किले** में हुआ, जिसमें **प्रेम कुमार सहगल**, (हिंदू), **शाह नवाज खान** (मुस्लिम) और **गुरबख्श सिंह ढिल्लों** (सिख) शामिल थे। इसने सभी भारतीयों के लिए एक सामान्य विभाजक के रूप में कार्य किया। **[यूपीएससी 2021]**
- **वियतनाम** और **इंडोनेशिया** में फ्रांसीसी और डच औपनिवेशिक शासन को बहाल करने के लिए **भारतीय सेना इकाइयों के उपयोग ने** शहरी आबादी और सेना के बीच साम्राज्यवाद विरोधी भावना को बढ़ा दिया।
- युद्ध के बाद **बंबई** में **कांग्रेस अधिवेशन (सितंबर, 1945 ई.) के** एक प्रस्ताव में **आईएनए के लिए कांग्रेस के समर्थन की घोषणा की गई।**
- **भूलाभाई देसाई**, **तेज बहादुर सप्रू**, **कैलाश नाथ काटजू**, **जवाहरलाल नेहरू** और **आसफ अली** द्वारा अदालत में आईएनए कैदियों के बचाव के लिए मुकदमा लड़ा। **आईएनए राहत** एवं **जाँच समिति ने** प्रभावित व्यक्तियों की मदद की।

मुख्य केंद्र और सहायता समूह

- इसके मुख्य केंद्रों में **दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, संयुक्त प्रांत के** शहर और **पंजाब शामिल थे। कुर्ग, बलूचिस्तान** और **असम** जैसे दूर-दराज के स्थानों से भी भागीदारी हुई।
- कांग्रेस के अलावा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट, अकाली दल, जस्टिस पार्टी, रावलपिंडी में अहरार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और सिख लीग से समर्थन मिला।
- सरकारी कर्मचारियों, वफादारों, सशस्त्र बलों के कर्मियों, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, फिल्म सितारों, नगरपालिका समितियों, विदेशों में रहने वाले भारतीयों, गुरुद्वारों और नागरिकों ने आईएनए के मुद्दे का समर्थन किया। सशस्त्र बलों के लोगों ने बैठकों में भाग लिया, रिहा किए गए कैदियों का स्वागत किया और धन का योगदान दिया।
- भारतीय मामलों पर निर्णय लेने के ब्रिटेन के अधिकार पर सवाल उठाना अब केंद्रीय विषय बन गया। आईएनए मुद्दे ने तेजी से **'भारतीय बनाम ब्रिटिश आख्यान'** के साथ राजनीतिक महत्त्व प्राप्त कर लिया।
- हालाँकि, सांप्रदायिक एकता लोगों की तुलना में अधिक संगठनात्मक थी और लोग मुस्लिम लीग, कांग्रेस और समाजवादियों का सहयोग कर रहे थे।

https://www.pdfnotes.co/

तीन घटनाक्रम (1945-46 ई. की शीत ऋतु के दौरान)

21 नवंबर, 1945 ई.: कलकत्ता में आईएनए मामले से संबंधित एक बड़ा विद्रोह देखा गया।

- 21 नवंबर, 1945 ई. को एक छात्र जुलूस निकला, जिसमें **फॉरवर्ड ब्लॉक के समर्थक**, **स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया** (एसएफआई) के कार्यकर्ता तथा लीग और कांग्रेस से जुड़े **इस्लामिया कॉलेज के छात्र** शामिल थे।
- यह जुलूस झंडे लेकर कलकत्ता के **डलहौजी स्क्वायर तक गया** और साम्राज्यवाद विरोधी एकता का प्रतीक बनाया गया।
- प्रदर्शनकारियों ने तितर-बितर होने से इनकार कर दिया और अधिकारियों द्वारा लाठीचार्ज का सामना किया।
- जवाब में, प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और ईंट-पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें दो व्यक्तियों की मौत हो गई।

11 फरवरी, 1946 ई. को **कांग्रेस** और **कम्युनिस्ट** छात्र संगठनों की भागीदारी के साथ **मुस्लिम लीग के छात्रों** के नेतृत्व में विरोध जारी रहा। छात्र आईएनए अधिकारी **राशिद अली को दी गई सात साल की सजा का विरोध कर रहे थे।**

- गिरफ्तारियों के बावजूद, छात्रों ने धारा 144 का उल्लंघन किया, जिसके कारण और अधिक गिरफ्तारियाँ हुईं।
- आंदोलनकारी छात्रों को अधिकारियों के साथ बाद की झड़पों में लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा।

18 फरवरी, 1946 ई.- बॉम्बे नेवल स्ट्राइक

- **एचएमआईएस तलवार की** 1100 **रॉयल इंडियन नेवी (आरआईएन) इकाई** नस्लीय भेदभाव, अरुचिकर भोजन, अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, 'भारत छोड़ो' आंदोलन के लिए गिरफ्तारी, आईएनए मुकदमा और इंडोनेशिया में भारतीय सैनिकों के उपयोग के खिलाफ, हड़ताल पर चली गई।
- रॉयल इंडियन नेवी इकाई ने विद्रोही बेड़े पर तिरंगे, अर्द्धचंद्र और हंसिया-हथौड़े के झंडे फहराए।
- भीड़ और दुकानदारों से समर्थन प्राप्त करते हुए, रेटिंग्स ने कांग्रेस के झंडे के साथ बॉम्बे का दौरा किया।

अन्य क्षेत्रों में हड़तालें

- कराची, मद्रास, विशाखापत्तनम, कलकत्ता, दिल्ली, कोचीन, जामनगर, अंडमान, बहरीन और अदन में **सैन्य प्रतिष्ठानों** पर सहानुभूतिपूर्ण हड़तालें हुईं।
- **रॉयल इंडियन एयर फोर्स द्वारा** बॉम्बे, पूना, कलकत्ता, जेसोर और अंबाला में हमले किए गए।

पैट एल और **जिन्ना ने** 23 फरवरी को रॉयल इंडियन नेवी इकाई को इस आश्वासन के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया कि राष्ट्रीय पार्टियाँ किसी भी उत्पीड़न को रोकेंगी।

- रणनीति और समय संबंधी चिंताओं के कारण कांग्रेस ने **आधिकारिक तौर पर इन विद्रोहों का समर्थन नहीं किया।**
- **गांधी जी** का मानना था कि विद्रोह यदि भारत की स्वतंत्रता के लिए था तो यह गुमराह करने वाला था; और यदि यह शिकायतें थीं, तो विद्रोह करने के बजाय नेताओं से मार्गदर्शन माँगा जाना चाहिए था।

इन घटनाक्रमों में मिलीं रियायतें

- केवल उन आईएनए सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया जिन पर गंभीर अपराधों का आरोप था।
- जनवरी, 1947 ई. में पहले बैच की कारावास की सजा माफ कर दी गई।
- फरवरी, 1947 ई. तक भारतीय सैनिकों को भारत-चीन और इंडोनेशिया से हटा लिया गया।
- नवंबर, 1946 ई. में भारत में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के निर्णय के बाद जनवरी, 1946 ई. में कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया गया।

चुनाव परिणाम

कांग्रेस का प्रदर्शन

- 91% गैर-मुस्लिम वोट हासिल किए और सेंट्रल असेंबली की 102 सीटों में से 57 सीटें जीतीं।
- **बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़कर** अधिकांश प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया। उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त और असम, जो पाकिस्तान के लिए दावा किया गया था, में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया।

मुस्लिम लीग का प्रदर्शन

- 86.6% मुस्लिम वोट मिले और सेंट्रल असेंबली में 30 आरक्षित सीटें जीतीं।
- बंगाल और सिंध में बहुमत प्राप्त किया।
- मुसलमानों के बीच खुद को प्रमुख पार्टी के रूप में स्थापित किया।
- **खिज्र हयात खान** के नेतृत्व में एक संघवादी कांग्रेस-अकाली गठबंधन ने पंजाब में सत्ता संभाली।

चुनाव की मुख्य विशेषताएँ

- **पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के कारण सांप्रदायिक मतदान** देखा गया।
- **सीमित मताधिकार:** प्रांतों के लिए 10% से कम जनसंख्या मतदान कर सकती थी और केंद्रीय विधानसभा के लिए, 1% से भी कम पात्र थे।

कैबिनेट मिशन

एटली सरकार ने फरवरी, 1946 ई. में पेथिक लॉरेंस (भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट)**, स्टैफोर्ड क्रिप्स** (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष) और **ए. वी. अलेक्जेंडर (एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड)** सहित एक उच्च शक्ति वाले मिशन को भारत भेजने की घोषणा की ताकि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो सके। **पेथिक लॉरेंस** इस मिशन के **अध्यक्ष** थे।

- ब्रिटिश नीति निर्माताओं का सर्वव्यापी उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण के तौर-तरीकों को निपटाने और साम्राज्यवाद के बाद भारत-ब्रिटेन संबंधों को परिभाषित करने पर निर्भर एक शालीन वापसी बन गया।

> "अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति सचेत रहते हुए, किसी अल्पसंख्यक को बहुमत की प्रगति पर अपना वीटो लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"
>
> - **क्लेमेंट एटली** (15 मार्च, 1946 ई. को)

कैबिनेट मिशन **24 मार्च, 1946 ई. को दिल्ली पहुँचा और** अंतरिम सरकार के मुद्दों तथा भारत को स्वतंत्रता देने के लिए एक नया संविधान बनाने के सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं पर सभी दलों और समूहों के भारतीय नेताओं के साथ लंबी चर्चा की।

https://www.pdfnotes.co/

- कांग्रेस और लीग भारत की एकता या विभाजन के मूल मुद्दे पर एक समझौते पर पहुँचने में विफल रहे।
- इसलिए कैबिनेट मिशन ने संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए मई, 1946 ई. में अपनी योजना पेश की।

कैबिनेट मिशन योजना - मुख्य बिंदु	
पूर्ण पाकिस्तान की माँग को अस्वीकार करना	• प्रस्तावित पाकिस्तान में बड़ी गैर-मुस्लिम आबादी (उत्तर-पश्चिम में 38% और उत्तर-पूर्व में 48%) • सांप्रदायिक आत्मनिर्णय से हिंदू-बहुल पश्चिमी बंगाल तथा पंजाब के सिख व हिंदू-बहुल अंबाला और जुल्लुंदूर डिवीजन अलग हो सकते हैं। • क्षेत्रीय संबंध के तहत आर्थिक, प्रशासनिक और सशस्त्र बल विभाजन जैसे मुद्दों की पहचान की गई।
प्रांतीय विधानसभाओं का समूहन	• **खंड क:** हिंदू-बहुल प्रांत (मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और ओडिशा)। • **खंड ख:** मुस्लिम-बहुल प्रांत (पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध)। • **खंड ग:** मुस्लिम-बहुल प्रांत (बंगाल और असम)।
त्रिस्तरीय कार्यपालिका एवं विधायिका	प्रांतीय, अनुभाग एवं संघ स्तर स्थापित किए गए।
संविधान सभा की संरचना	• आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। • **389 सदस्यीय निकाय:** प्रांतीय विधानसभाओं से 292, मुख्य आयुक्त के प्रांतों से 4 तथा रियासतों से 93।
संविधान निर्माण प्रक्रिया	समूह ए, बी और सी के सदस्यों को प्रांतीय संविधान तय करने के लिए अलग-अलग बैठना था और यदि संभव हो तो समूहों के लिए भी। फिर संपूर्ण संविधान सभा (तीनों समूहों को मिलाकर) को संघ संविधान बनाना था।
सामान्य केंद्र नियंत्रण	रक्षा, संचार और बाहरी मामलों का प्रबंधन करना। यह भारत के लिए एक संघीय ढाँचे की परिकल्पना करता है।
केंद्रीय विधानमंडल में सांप्रदायिक प्रश्न	उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों समुदायों के **साधारण बहुमत** से निर्णय लिया गया।
प्रांतीय स्वायत्तता	प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गईं।
रियासतें	• अब ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन नहीं। • उत्तराधिकारी सरकारों या ब्रिटिश सरकार के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र।
लचीलापन और अंतरिम सरकार	आम चुनावों के बाद प्रांत समूहों से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र थे। 10 वर्षों के बाद प्रांत समूह या संघ संविधान पर पुनर्विचार की माँग कर सकते हैं। अंतरिम सरकार का गठन संविधान सभा से होगा।

समूहीकरण खंड की विभिन्न व्याख्याएँ

- **कांग्रेस का परिप्रेक्ष्य:** वैकल्पिक समूह, एकल संविधान सभा और लीग द्वारा अपना वीटो खोने के कारण कैबिनेट मिशन योजना को पाकिस्तान विरोधी के रूप में देखता है।
- **मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण:** मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को अनिवार्य समूहीकरण के रूप में देखा।

बाद के स्पष्टीकरण ने समूहीकरण की अनिवार्य प्रकृति की पुष्टि की।

कैबिनेट मिशन की मुख्य आपत्तियाँ

- **कांग्रेस ने माना कि**
  - प्रांतों के पास पहले आम चुनाव से पहले किसी समूह में शामिल न होने का विकल्प होना चाहिए।
  - अनिवार्य समूहीकरण प्रांतीय स्वायत्तता पर जोर देने का खंडन करता है।
  - संविधान सभा में देशी रियासतों से निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रावधान का अभाव।
- **मुस्लिम लीग**
  - इसने भविष्य में पाकिस्तान में अलगाव की दृष्टि से खंड बी और सी के साथ ठोस संस्थाओं के रूप में विकसित होने वाले अनिवार्य समूह पर जोर दिया।
  - उसे अंतरिम सरकार बनाने के निमंत्रण की उम्मीद करते हुए कांग्रेस की अस्वीकृति की आशंका थी।

कैबिनेट मिशन योजना की स्वीकृति एवं अस्वीकृति

- 6 जून, 1946 ई. को मुस्लिम लीग और 24 जून, 1946 ई. को कांग्रेस ने योजना स्वीकार कर ली।
- **जुलाई, 1946 ई.:** संविधान सभा के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए।
- **10 जुलाई, 1946 ई.:** नेहरू ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान सभा संप्रभु है, जिसका अर्थ है कि प्रक्रिया के नियम तय करने का अधिकार।
- **29 जुलाई, 1946 ई.:** मुस्लिम लीग ने दीर्घकालिक योजना की स्वीकृति वापस ले ली और नेहरू के बयान के जवाब में पाकिस्तान को हासिल करने के लिए **16 अगस्त** से **'सीधी कार्रवाई' का आह्वान किया।**
  - 16 अगस्त, 1946 ई. से अभूतपूर्व सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिससे कई हजार मौतें हुईं।
  - सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में **कलकत्ता, बॉम्बे, नोआखली, बिहार** और **गढ़मुक्तेश्वर** (संयुक्त प्रांत) शामिल थे।

अंतरिम सरकार

कांग्रेस की व्यापक कार्रवाई के डर से, **नेहरू** के नेतृत्व में कांग्रेस-प्रभुत्व वाली **अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर, 1946** ई. को शपथ ली। नेहरू ने अनिवार्य समूहीकरण पर कांग्रेस का विरोध जारी रखा।

https://www.pdfnotes.co/

- अपने शीर्षक के विपरीत, अंतरिम सरकार ज्यादातर पूर्व वायसराय की कार्यकारिणी के विस्तार के रूप में कार्य करती थी। मार्च, 1947 ई. में अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक में, वेवेल ने मंत्रियों को खारिज कर दिया, खासकर आईएनए कैदियों को रिहा करने के मामले पर।

मुस्लिम लीग का समावेश

- **वेवेल 26 अक्टूबर, 1946 ई. को मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में ले आए।**
- यह 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' को छोड़े बिना सरकार में शामिल हो गया।
- लीग ने 9 दिसंबर, 1946 ई. को संविधान सभा की पहली बैठक का **बहिष्कार** किया। सभा ने खुद को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के आदर्शों को रेखांकित करते हुए जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' को पारित करने तक ही सीमित रखा।
- वित्त मंत्री के रूप में लियाकत अली खान ने अन्य मंत्रालयों के कुशल कामकाज में बाधा डाली।
- फरवरी, 1947 ई. में कांग्रेस के 9 कैबिनेट सदस्यों ने वायसराय को पत्र लिखकर लीग के सदस्यों के इस्तीफे की माँग की और अपने स्वयं के उम्मीदवारों को वापस लेने की धमकी दी।

अंतरिम सरकार के मंत्री (2 सितंबर, 1946-15 अगस्त, 1947 ई.)

नाम	पोर्टफोलियो
जवाहरलाल नेहरू	कार्यकारी परिषद, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध के उपाध्यक्ष।
वल्लभ भाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण
बलदेव सिंह	रक्षा
डॉ. जॉन मथाई	उद्योग और आपूर्ति
सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा
सी. एच. भाभा	निर्माण, खान और विद्युत
राजेंद्र प्रसाद	कृषि एवं भोजन
जगजीवन राम	श्रम
आसफ अली	रेलवे

अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के नेता

नाम	पोर्टफोलियो
लियाकत अली खान	वित्त
इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर	व्यापार
अब्दुर रब निश्तार	संचार
गजनफर अली खान	स्वास्थ्य
जोगेंद्र नाथ मंडल	कानून

वेवेल की 'ब्रेकडाउन योजना'

उन्होंने मई, 1946 ई. में कैबिनेट मिशन के समक्ष अपनी योजना प्रस्तुत की। इसने 'दमन' और 'छींटाकशी' के बीच एक मध्य मार्ग की कल्पना की। इस योजना में उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व के मुस्लिम प्रांतों से ब्रिटिश सेना और अधिकारियों की वापसी के साथ शेष देश को कांग्रेस को सौंपने की परिकल्पना की गई थी।

"भारत में हमारा समय सीमित है और घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति लगभग खत्म हो गई है। हमारे पास व्यापार करने के लिए केवल प्रतिष्ठा और पिछली गति शेष है और ये लंबे समय तक नहीं रहेगी।"

- लॉर्ड वेवेल (अक्टूबर, 1946 ई.)

भारत में सांप्रदायिकता का उद्भव और प्रसार

19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद के उदय के साथ सांप्रदायिकता का उदय हुआ, जिसने भारतीय एकता और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक महत्त्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया। दुर्भाग्य से विरासत के रूप में यह आज तक कायम है।

बहुसंख्यक समुदाय द्वारा सांप्रदायिक प्रतिक्रिया

अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को बहुसंख्यक समुदाय की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा।

- **मुस्लिम विरोधी भावनाएँ (1870 ई.):** हिंदू जमींदारों, साहूकारों और मध्यमवर्गीय पेशेवरों ने मुस्लिम विरोधी भावनाएँ व्यक्त कीं और मुस्लिम अत्याचार से ब्रिटिश मुक्ति का दावा किया।
  - कुछ लोगों ने उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित किया, जिस कारण सांप्रदायिकता में और वृद्धि हुई।
- **यू. एन. मुखर्जी** और **लाल चंद** द्वारा **1909 ई. में स्थापित पंजाब हिंदू सभा ने** मुसलमानों के खिलाफ औपनिवेशिक सरकार के लिए हिंदू समर्थन की वकालत करते हुए भारतीयों को एकजुट करने के कांग्रेस के प्रयासों का विरोध किया।
- **अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने** सांप्रदायिक दृष्टिकोण पर जोर देते हुए अप्रैल, 1915 ई. में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में अपना पहला सत्र आयोजित किया।
- **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना 1925 ई. में हुई थी।**

"हमारे देश में तब तक सांप्रदायिक सद्भाव स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकता, जब तक हमारे स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से इतिहास के अत्यधिक विकृत संस्करण पढ़ाए जाते रहेंगे।"

– एम. के. गांधी

"जो कोई इस देश के लोगों के हित में काम करता है, चाहे वह मुसलमान हो या अंग्रेज, पराया नहीं है। 'परायेपन' का संबंध रुचियों से है। परायापन निश्चित रूप से गोरी या काली त्वचा या धर्म से संबंधित नहीं है।"

– बाल गंगाधर तिलक

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

18 विभाजन के साथ स्वतंत्रता

एटली का वक्तव्य (फरवरी 20, 1947)

ब्रिटिश प्रधानमंत्री **क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी, 1947 को एक घोषणा की,** जिसमें अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने का इरादा जताया।

- संविधान पर भारतीय राजनेताओं की सहमति होने या न होने के बावजूद, सत्ता हस्तांतरण के लिए **30 जून, 1948** की समय सीमा निर्धारित की गई।
- संविधान सभा में पूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव होने पर विशेषकर यदि मुस्लिम-बहुल प्रांत इसमें शामिल नहीं हुए तोअंग्रेजों **या तो केंद्रीय सरकार या मौजूदा प्रांतीय सरकारों को** सत्ता सौंप देंगे।
- ब्रिटिश भारत में किसी भी **उत्तराधिकारी सरकार को सत्ता हस्तांतरित किए बिना, रियासतों** से संबंधित शक्तियाँ और दायित्व सत्ता हस्तांतरण के साथ समाप्त हो जाएँगे।
- **लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन** वायसराय का स्थान लेंगे।

वापसी की तारीख घोषित करने का कारण

- सरकार ने इस उम्मीद के साथ वापसी की तारीख तय की कि यह पार्टियों को मुख्य प्रश्न पर एक समझौते पर पहुँचने के लिए मजबूर करेगी और संवैधानिक संकट को रोकेगी ।
- इस उपाय का उद्देश्य ब्रिटिश नेकनीयती को प्रदर्शित करना और सरकार के प्राधिकार में हो रही अपरिवर्तनीय गिरावट को स्वीकार करना था, जैसा कि वेवेल द्वारा मूल्यांकन किया गया था।

कांग्रेस की स्वीकृति

कांग्रेस ने कई केंद्रों को सत्ता हस्तांतरण के प्रावधान को **स्वीकार्य** पाया, इसे संविधान निर्माण के साथ आगे बढ़ने के एक तरीके के रूप में देखा। हालाँकि, समाधान के लिए आशावाद अल्पकालिक था, जब लीग ने सरकार के फैसले से उत्साहित महसूस करते हुए पंजाब में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।

आजादी और बँटवारा

- 1947 की शुरुआत में, बढ़ते सांप्रदायिक दंगों और कांग्रेस-लीग गठबंधन की शिथिलता ने विभाजन के अकल्पनीय विचार पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।
- बंगाल और पंजाब में हिंदू और सिख सांप्रदायिक समूह, अनिवार्य समूहीकरण के बारे में चिंतित थे जो उन्हें पाकिस्तान में डाल सकता था, विभाजन के मुखर समर्थक बन गए। बंगाल में हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल में एक अलग हिंदू प्रांत की संभावना तलाशी।
- **10 मार्च, 1947 को,** नेहरू ने विचार व्यक्त किया कि कैबिनेट मिशन का कार्यान्वयन सबसे अच्छा समाधान था, **पंजाब और बंगाल का विभाजन** एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था।
- **अप्रैल 1947** तक, कांग्रेस **अध्यक्ष कृपलानी ने** संघर्ष से बचने के लिए बंगाल और पंजाब के निष्पक्ष विभाजन का प्रस्ताव रखते हुए, पाकिस्तान को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की।

वायसराय के रूप में माउंटबेटन

नए वायसराय माउंटबेटन के पास निर्णय लेने की अधिक शक्तियाँ थीं और ब्रिटिश सरकार से उन्हें अक्टूबर 1947 तक **भारत छोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने का स्पष्ट आदेश था।**

- माउंटबेटन के भारत आगमन से पहले, विभाजन के साथ स्वतंत्रता की अवधारणा को व्यापक स्वीकृति मिली। **वीपी मेनन** द्वारा प्रस्तावित एक महत्त्वपूर्ण नवाचार, अलगाव के अधिकार सहित, **डोमिनियन** दर्जे देकर **सत्ता का तत्काल हस्तांतरण** था। इस दृष्टिकोण ने नई राजनीतिक संरचना के संबंध में संविधान सभा में समझौते की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

माउंटबेटन योजना 3 जून 1947

- पंजाब और बंगाल की **विधानसभाएँ** अलग-अलग हिंदू और मुस्लिम समूहों में **विभाजन के लिए मतदान करेंगी। किसी भी समूह में** साधारण **बहुमत** से इन प्रांतों का विभाजन हो जाएगा।
- विभाजन की स्थिति में, **दो डोमिनियन** (भारत और पाकिस्तान) और **दो संविधान सभाएँ** बनाई जाएँगी।
- **सिंध** विभाजन के संबंध में **अपना निर्णय स्वयं** करेगा।
- **एनडब्ल्यूएफपी** और **बंगाल के सिलहट जिले** में **जनमत संग्रह** इन क्षेत्रों के भाग्य का निर्धारण करेगा।
- चूँकि कांग्रेस ने एकीकृत भारत को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उनके अन्य सभी बिंदु पूरे हो जाएँगे, जो हैं–
  - **रियासतें स्वतंत्र नहीं होंगी** बल्कि भारत या पाकिस्तान में शामिल होंगी।
  - बंगाल की स्वतंत्रता को खारिज कर दिया गया।
  - हैदराबाद के पाकिस्तान में विलय को खारिज कर दिया गया (माउंटबेटन ने इस पर कांग्रेस का समर्थन किया)।
  - 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने वाली थी।
  - विभाजन को लागू करने के लिए सीमा आयोग की स्थापना की जाएगी।
- पाकिस्तान के लिए **लीग** की माँग मान ली गई और देश की एकता पर कांग्रेस की स्थिति को पाकिस्तान के आकार को कम करने वाला माना गया।
- माउंटबेटन के फॉर्मूले का उद्देश्य अधिकतम एकता बनाए रखते हुए भारत को विभाजित करना था।

https://www.pdfnotes.co/

डोमिनियन स्टेटस एवं विभाजन योजना की स्वीकृति

- कांग्रेस ने **लाहौर कांग्रेस अधिवेशन (1929) की** भावना के विपरीत, कई कारणों से **डोमिनियन स्टेटस स्वीकार करने को तैयार थी**–
  - सबसे पहले, इसने सत्ता के शांतिपूर्ण और त्वरित हस्तांतरण का वादा किया;
  - दूसरे, कांग्रेस के लिए सत्ता संभालना और अस्थिर स्थितियों का प्रबंधन करना महत्त्वपूर्ण था; और
  - तीसरा, इससे नौकरशाही और सेना में आवश्यक निरंतरता बनी रहती ।
  - इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन के लिए, डोमिनियन का दर्जा देने से भारत को राष्ट्रमंडल में बनाए रखने का अवसर मिला, भले ही अस्थायी रूप से, लेकिन भारत की आर्थिक ताकत, रक्षा क्षमता और व्यापार और निवेश के महत्त्वपूर्ण मूल्य को देखते हुए ऐसा किया गया।

सत्ता हस्तांतरण की पूर्व तिथि और सीमा आयोग का कारण

- पूर्व तिथि, 15 अगस्त, 1947 को चुनने के पीछे का तर्क कांग्रेस द्वारा डोमिनियन स्थिति की स्वीकृति सुनिश्चित करने के साथ-साथ सांप्रदायिक स्थिति के लिए जिम्मेदारी से बचने की ब्रिटेन की इच्छा से प्रेरित था।
- इस योजना को तेजी से लागू किया गया, बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं ने विभाजन का विकल्प चुना। फलस्वरूप **पूर्वी बंगाल** और **पश्चिमी पंजाब** पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, जबकि **पश्चिम बंगाल** और **पूर्वी पंजाब** भारतीय संघ के साथ रहे।
- **सिलहट में जनमत संग्रह** के कारण इसे पूर्वी बंगाल में शामिल किया गया।
- नए प्रांतों की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए **दो सीमा आयोगों का गठन किया गया।**
- **रैडक्लिफ रेखा को** 17 अगस्त, 1947 को भारत के विभाजन पर भारत और पाकिस्तान के प्रभुत्व के बीच एक सीमा सीमांकन रेखा के रूप में प्रकाशित किया गया। इसका नाम इसके वास्तुकार **सर सिरिल रैडक्लिफ** के नाम पर रखा गया,जो **सीमा आयोग** के **अध्यक्ष थे।** [यूपीएससी 2014]

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

- ब्रिटिश संसद ने **5 जुलाई, 1947** को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया और 18 जुलाई, 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त की। इसे को लागू किया गया। **यह माउंटबेटन योजना** पर आधारित था।
- इसमें 15अगस्त, 1947 से प्रभावी **दो स्वतंत्र** डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान, के निर्माण का प्रावधान किया गया।
- प्रत्येक डोमिनियन में एक **गवर्नर-जनरल इस** अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार था।
- नए डोमिनियन की संविधान सभाओं ने विधायी शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे मौजूदा **केंद्रीय विधानसभा** और **राज्यों की परिषद** भंग हो गई।
- प्रत्येक डोमिनियन द्वारा एक नया संविधान अपनाने तक सरकार **भारत सरकार अधिनियम, 1935** के तहत संचालित होती थीं।
- पाकिस्तान 14 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ। भारत को 15 अगस्त, 1947 को आजादी मिली।
- **एम.ए. जिन्ना** पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने।
- भारत के अनुरोध पर **लॉर्ड माउंटबेटन** भारत के गवर्नर जनरल बने रहे।

राज्यों का एकीकरण

राज्य जन आंदोलन (1946-47)

- संविधान सभा में राजनीतिक अधिकारों और निर्वाचित प्रतिनिधित्व की माँग को लेकर नई लहर।
- **नेहरू ने उदयपुर** (1945) और **ग्वालियर (अप्रैल 1947)** में **अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन सत्र** की अध्यक्षता की, और इस बात पर जोर दिया कि इसमें शामिल होने से इनकार करने वाले राज्यों को शत्रुतापूर्ण माना जाएगा।
- **वल्लभभाई पटेल** ने जुलाई 1947 में नए राज्य विभाग का कार्यभार सँभाला। पटेल के तहत, भारतीय राज्यों का समावेश दो चरणों में हुआ–

चरण I - विलय पत्र

- **कश्मीर, हैदराबाद** और **जूनागढ़ को छोड़कर** सभी राज्यों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और **रक्षा, विदेश मामलों** और **संचार पर केंद्रीय अधिकार को स्वीकार कर लिया।**
- राजकुमार आसानी से सहमत हो गए क्योंकि वे उन कार्यों को छोड़ रहे थे जो ब्रिटिश सर्वोपरिता का हिस्सा थे, और आंतरिक राजनीतिक संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

चरण II - राज्यों का एकीकरण

- एक अधिक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया राज्यों का पड़ोसी प्रांतों या काठियावाड़ संघ, विंध्य और मध्य प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश जैसी नई इकाइयों में एकीकरण शामिल था।
  - कुछ वर्षों तक पुरानी सीमाओं को बरकरार रखते हुए राज्यों में आंतरिक संवैधानिक परिवर्तन हुए (हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन)।
- इस चरण को एक वर्ष के भीतर पूरा किया गया, एक उदार **प्रिवी पर्स** की पेशकश की गई और कुछ राजकुमारों को स्वतंत्र भारत में राज्यपाल और राजप्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

19 भारत में ब्रिटिश शासन

प्रशासन

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से लेकर क्राउन के शासन तक भारतीय राजव्यवस्था और शासन में कई बदलाव हुए। विभिन्न **संवैधानिक विकास (1765-1858)** इस प्रकार हैं:

सरकार की दोहरी प्रणाली (1765-1772)

- ईस्ट इंडिया कंपनी ने **बक्सर की लड़ाई (1764)** के बाद राजस्व समझौतों के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त किए। अवध के नवाब को वार्षिक पेंशन मिलती थी, और मुगल सम्राट **शाह आलम द्वितीय** को वार्षिक अनुदान मिलती थी।
  - कंपनी ने दो भारतीयों को डिप्टी दीवान नियुक्त किया: **बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा** खान और **बिहार** के लिए **राजा शिताब राय**।
- **वर्ष 1767** में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मामलों में अपना **पहला हस्तक्षेप किया।** कंपनी से लूट का दस प्रतिशत, या प्रति वर्ष चार मिलियन पाउंड, छित था।
- वर्ष 1765-72 के बीच, **सरकार की दोहरी प्रणाली थी,** जहाँ कंपनी के पास अधिकार तो थे, लेकिन कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी और उसके भारतीय प्रतिनिधियों के पास सारी ज़िम्मेदारी थी लेकिन कोई अधिकार नहीं था।
  - इसकी विशेषता बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अत्यधिक राजस्व संग्रह थी।

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

- ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करना था।
- इसने स्वीकार किया कि भारत में कंपनी का प्रभाव व्यापार से आगे बढ़कर राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों तक पहुँच गया तथा केंद्रीकृत प्रशासन का एक अवयव शामिल किया।
- ब्रिटिश **कैबिनेट ने पहली बार** भारतीय मामलों पर **नियंत्रण** हासिल किया, क्योंकि कंपनी के निदेशकों को राजस्व मामलों और नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबंधित सभी पत्राचार सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक था।
- बंगाल में, प्रशासन एक **गवर्नर-जनरल** और चार सदस्यों की परिषद द्वारा शासित होता था, जो बहुमत के आधार पर कार्य करता था। इस अधिनियम में **वॉरेन हेस्टिंग और चार अन्य को नामित किया गया था।** गवर्नर जनरल बम्बई और मद्रास पर कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकता था।
- नियंत्रण और संतुलन पर आधारित योजना के साथ-साथ बहस योग्य क्षेत्राधिकार के साथ **बंगाल** में **सर्वोच्च न्यायालय** की स्थापना।

संशोधन (1781)

- उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कलकत्ता के भीतर व्यक्तिगत कानून को प्रशासित करने के लिए परिभाषित किया गया था। सामाजिक एवं धार्मिक उपयोग में किए जाने वाले विषयों को सम्मानित किया गया।
- सरकारी कर्मचारियों को कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कार्यों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान की गई।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

- इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई, जिससे ब्रिटिश सरकार को इस पर महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया।
- भारत में कंपनी के क्षेत्रों को **'ब्रिटिश आधिपत्य' कहा जाता था।**
- **नियंत्रण बोर्ड** की शुरूआत, जिसमें सरकारी **राजकोष के सचिव**, एक राज्य सचिव और सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए क्राउन द्वारा नियुक्त **प्रिवी काउंसिल** के **चार सदस्य शामिल थे।**
- **सिविल, सैन्य** और **राजस्व मामलों** पर **नियंत्रण की दोहरी प्रणाली** की स्थापना।
- **गवर्नर-जनरल के लिए** एक परिषद का गठन, जिसमें कमांडर-इन-चीफ भी शामिल था, जिसमें **बॉम्बे** और **मद्रास की प्रेसीडेंसी गवर्नर-जनरल** के अधीन थीं।
- आक्रामक युद्धों और संधियों पर सामान्य प्रतिबंध लगाया गया।

1786 का अधिनियम

- **कॉर्नवालिस** कमांडर-इन-चीफ और गवर्नर-जनरल का संयुक्त अधिकार अपने पास रखना चाहता था। उनके माँग को स्वीकार किया गया और नए कानून ने उन्हें अधिकार प्रदान किए।
- अधिनियम ने कॉर्नवालिस को ज़िम्मेदारी लेने पर परिषद के निर्णय को पलटने का अधिकार दिया, जिसे बाद में सभी गवर्नर जनरलों के लिए बढ़ा दिया गया।

1793 का चार्टर अधिनियम

- अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक विशेषाधिकारों को अगले **20 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया।**
- कंपनी को खर्च पूरा करने के बाद भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सरकार को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान करना था।
- इसमें प्रमुख अधिकारियों - गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति के लिए शाही मंज़ूरी अनिवार्य थी। गृह सरकार के सदस्यों को भारतीय राजस्व से भुगतान; यह प्रथा वर्ष 1919 तक जारी रही।

https://www.pdfnotes.co/

- वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने से रोक दिया गया; प्रस्थान को त्यागपत्र माना गया।
- कंपनी को व्यापार लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया, जिससे चीन को अफ़ीम की खेप भेजी जाने लगी।
- राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग करने के परिणामस्वरूप माल अदालतें लुप्त हो गईं।

1813 का चार्टर अधिनियम

नेपोलियन की महाद्वीपीय योजना, जिसने यूरोपीय बंदरगाहों को ब्रिटेन के लिए बंद कर दिया था, और इंग्लैंड में अहस्तक्षेप रवैये के कारण, कंपनी के व्यापारिक हित, भारत में व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त करने पर ज़ोर दे रहे थे। इन शिकायतों का समाधान 1813 अधिनियम द्वारा किया गया:

- भारत में **व्यापार** पर कंपनी **का एकाधिकार समाप्त हो गया**, लेकिन कंपनी ने **चीन** के साथ व्यापार और **चाय के व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा।**
- शेयरधारकों को भारतीय राजस्व पर 10.5% लाभांश प्राप्त हुआ।
- कंपनी क्राउन की संप्रभुता से समझौता किए बिना 20 वर्षों तक क्षेत्रों और राजस्व पर कब्ज़ा बरकरार रखती है।
- शैक्षिक पहल के लिए, भारतीय मूल निवासियों के बीच साहित्य, शिक्षा और विज्ञान के पुनरुद्धार, प्रचार तथा प्रोत्साहन के लिए सालाना **एक लाख रुपये आवंटित किए गए।**
- जवाबदेही को बढ़ाने के लिए मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की परिषदों के विनियमों को ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक था। परिणामस्वरूप, भारत में **ब्रिटिश क्षेत्रों को पहली बार एक स्पष्ट** संवैधानिक परिभाषा दी गई।
- वाणिज्यिक लेन-देन और क्षेत्रीय राजस्व के बीच अंतर पेश किया गया। नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों का विस्तार किया गया।
- ईसाई मिशनरियों को भारत आकर अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी गई।

1833 का चार्टर अधिनियम

- कंपनी की 20 साल की लीज को आगे बढ़ा दी गई, लेकिन कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय पर अपना एकाधिकार खो दिया।
- **यूरोपीय आप्रवासन** या भारत में अचल संपत्ति की खरीद पर अब कोई **सीमा नहीं** थी। परिणामस्वरूप, यूरोपीय लोगों द्वारा भारत पर पूर्ण उपनिवेशीकरण का रास्ता साफ हो गया।

इस अधिनियम के तहत सरकार का वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक केंद्रीकरण

- गवर्नर जनरल की शक्ति कंपनी के सभी नागरिक और सैन्य मामलों के अधीक्षक, नियंत्रण तथा निर्देशन तक विस्तारित थी। कानून बनाने के लिए पेशेवर सलाह के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्यों को जोड़ा गया।
- बंगाल, मद्रास, बंबई और अन्य क्षेत्र गवर्नर-जनरल के पूर्ण नियंत्रण में आ गए थे।
- गवर्नर-जनरल, जिसका व्यय पर भी पूर्ण नियंत्रण होगा, को सभी राजस्व जुटाना था।
- मद्रास और बॉम्बे सरकारों से उनके विधायी अधिकार गंभीर रूप से छीन लिए गए, जिससे वे केवल गवर्नर-जनरल को परियोजनाओं के लिए सिफारिश करने के सक्षम ही छोड़े गए।
- प्रशासन ने दासों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने का आग्रह किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष **1843 में दासता का उन्मूलन हुआ।**
- भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित किया जाना था, तथा भारतीय नागरिकों को धर्म, रंग, जन्म या वंश के आधार पर कंपनी के तहत रोज़गार से वंचित नहीं किया जाना था।

1853 का चार्टर एक्ट

- जब तक संसद अन्यथा निर्दिष्ट न करे, कंपनी ने क्षेत्रों पर कब्ज़ा बरकरार रखा।
- निदेशक मंडल की शक्ति घटाकर 18 सदस्य कर दी गई।
- सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण समाप्त हो गया, जिससे सेवाओं को प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए खोल दिया गया।
- विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पूर्ण सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया।
- विधायी उद्देश्यों के लिए छह सदस्यों को शामिल करने के साथ कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग करने में प्रगति।
- भारतीय विधायिका में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, जिससे भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ।
- विधायी कृत्यों के लिए किसी भी विधान परिषद विधेयक को वीटो करने की शक्ति के साथ गवर्नर जनरल की सहमति की आवश्यकता होती है।

भारत पर प्रभावी शासन के लिए अधिनियम 1858

- **भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट** और **15 सदस्यों की एक परिषद** के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाना था। **सेक्रेटरी ऑफ स्टेट** के पास **अंतिम निर्णय लेने की शक्ति थी**, और परिषद की प्रकृति सलाहकार थी।
- अंतिम निर्णय **सेक्रेटरी ऑफ स्टेट** का होता था, जबकि **परिषद सलाहकारी प्रकृति की थी।** इस प्रकार, **पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली समाप्त हो गई।**
- गवर्नर-जनरल वायसराय बन गया, जिससे अधिकार नहीं तो प्रतिष्ठा बढ़ गई।

भारतीय परिषद् अधिनियम 1861

- इसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि **गैर-आधिकारिक प्रतिनिधियों को** विधायी निकायों में काम करना चाहिए। कानून सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद बनाये जाते थे और उनमें उसी प्रक्रिया के माध्यम से ही संशोधन किया जा सकता था।
- **लॉर्ड कैनिंग ने** एक **संविभागीय(पोर्टफोलियो) प्रणाली की शुरुआत की।** और भारत में मंत्रिमंडल सरकार की नींव रखी।
- इसने विधायी हस्तांतरण की नींव रखी, क्योंकि बंबई और मद्रास सरकारों को विधायी शक्तियाँ प्रदान की गईं। साथ ही, अन्य प्रांतों में भी ऐसी ही विधान परिषदों का प्रावधान किया गया।

https://www.pdfnotes.co/

विधान परिषदों की कमज़ोरियाँ

- परिषदों में वास्तविक शक्तियों का अभाव और कमज़ोरियाँ थीं।
- सरकार की मंज़ूरी के बिना महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने में असमर्थता।
- बजट और कार्यकारी कार्रवाई पर कोई नियंत्रण नहीं।
- अंतिम विधेयक को पारित करने के लिए वायसराय की मंज़ूरी की आवश्यकता थी।
- **सेक्रेटरी ऑफ स्टेट** कानून की अनुमति नहीं दे सकते।
- गैर-आधिकारिक भारतीय सदस्य केवल कुलीन वर्ग से थे।

भारतीय परिषद् अधिनियम 1892

- कांग्रेस, परिषद सुधार को "अन्य सभी सुधारों की जड़" के रूप में देखती है। इसलिए उसने विधान परिषद विस्तार की माँग की।
- **शाही** और **प्रांतीय विधान परिषदों** में **गैर-सरकारी सदस्यों** की संख्या में वृद्धि हुई। भारतीय विधान परिषद या गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया।
- शब्द 'चुनाव' से परहेज किया गया, लेकिन **अप्रत्यक्ष चुनाव तत्त्व को स्वीकार कर लिया गया है**। कुछ गैर-आधिकारिक सदस्यों के चयन में अप्रत्यक्ष चुनाव का पहलू भी शामिल होता है।
- इसमें विधायिका के सशक्तिकरण को देखा जा सकता है, क्योंकि सदस्य वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के हकदार थे। जनहित के मामलों पर छह दिन के नोटिस के बाद कार्यपालिका को **सीमा के भीतर** प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई।

भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार)

- इसने **पहली बार** शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय अवयव को लाने का प्रयास किया।
- इंपीरियल **विधान परिषद की** संख्या में वृद्धि हुई है। **सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा** गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में **पहले भारतीय** बने।
- प्रांतीय कार्यकारी परिषद की सदस्यता में वृद्धि हुई।
- केंद्रीय और प्रांतीय दोनों परिषदों की विधायी शक्तियाँ बढ़ गईं।
- **मुसलमानों** के लिए **अलग निर्वाचन क्षेत्र** लागू किए गए, जिससे नई चुनौतियाँ पैदा हुईं; क्योंकि मुसलमानों को जनसंख्या की ताकत से परे प्रतिनिधित्व दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय योग्यता हिंदुओं की तुलना में कम थी।
- प्रतिनिधित्व को परोक्ष बनाकर चुनाव की अत्यधिक अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरूआत की गई।

भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) [यूपीएससी 2012]

अगस्त 1917 में, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य धीरे-धीरे भारत में ज़िम्मेदार सरकार लागू करना है, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में।

- इस अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत केवल धीरे-धीरे स्वशासी संस्थानों का विकास करेगा और संवैधानिक उन्नति की दिशा में प्रत्येक कदम का समय तथा प्रारूप ब्रिटिश संसद द्वारा तय किया जाएगा, न कि भारतीय लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार द्वारा।
- भारतीय विधान परिषद को **द्विसदनीय प्रणाली** से **प्रतिस्थापित किया गया**, जिसमें एक राज्य परिषद (उच्च सदन) और एक विधान सभा (निचला सदन) शामिल थी।
- प्रत्यक्ष चुनाव को मताधिकार के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया था, जो संपत्ति, कर या शिक्षा योग्यता पर आधारित था।
- सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और मुसलमानों के लिए एक **अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विस्तारित किया गया।**
- प्रांतीय विधायिका में एक ही सदन (विधान परिषद) होता है। प्रांतों में **द्वैध शासन** को भारतीय लोगों को सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किया गया था।
- प्रांतीय और केंद्रीय बजट अलग कर दिए गए, प्रांतीय विधानमंडलों को अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया।
- कुछ शक्तियाँ विषय सीमा निर्धारण के साथ प्रांतों को हस्तांतरित कर दी गईं; लेकिन एकात्मक और केंद्रीकृत संरचना कायम रही।
- लंदन में छह साल के लिए भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया जो यूरोप में भारतीय व्यापार के लिए ज़िम्मेदार था।
- ब्रिटिश राजकोष द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वेतन देने की शुरूआत हुई। यह 1793 के चार्टर अधिनियम के अन्याय को सुधारने का प्रयास था।

साइमन कमीशन

- 1919 के अधिनियम ने 10 वर्षों के बाद अपने काम-काज पर रिपोर्ट देने के लिए एक रॉयल कमीशन को अनिवार्य कर दिया।
- तय समय से दो साल पहले, नवंबर 1927 में, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। वर्ष 1930 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- प्रस्तावों पर चर्चा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा तीन गोलमेज सम्मेलन बुलाये गए।
- संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र (1933) मार्च 1933 में प्रकाशित हुआ, जिसमें संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान शामिल थे। योजना पर आगे विचार करने के लिए **लॉर्ड लिनलिथगो ने** ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति की अध्यक्षता की।

सिफारिशें

- प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति तथा उत्तरदायी सरकार का विस्तार।
- ब्रिटिश भारत और रियासतों के एक संघ का सुझाव दिया।
- सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को जारी रखने की सिफारिश की गई।

भारत सरकार अधिनियम 1935

संघीय सरकार

- **अखिल भारतीय महासंघ की** स्थापना की गई। इस संघ में गवर्नरों के द्वारा शासित प्रांत, चीफ कमिश्नरों के द्वारा शासित प्रांत और शामिल होने के इच्छुक भारतीय राज्य शामिल होंगे।
  - इस प्रक्रिया में **रियासतों द्वारा** संघीय सरकार को सौंपे गए अधिकार की सीमा को निर्दिष्ट करने वाले 'विलय पत्र' पर हस्ताक्षर करना शामिल था।

https://www.pdfnotes.co/

- इस अधिनियम में **संघीय संरचना में** राज्यों की परिषद और संघीय विधान सभा से मिलकर एक **द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई।** राज्यों की परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में डिज़ाइन किया गया था।
- गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अनुमति दी गई।
- तीन विषय सूचियाँ प्रदान की गईं: संघीय विधान सूची, प्रांतीय विधान सूची और समवर्ती विधान सूची।
- गवर्नर जनरल ने अवशिष्ट विधायी शक्तियों पर विवेकाधिकार बरकरार रखा, संघीय विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को वीटो करने का अधिकार उनके पास था।

प्रांतीय सरकार

- इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में **द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई।**
- आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को समाप्त कर दिया गया, जिससे कुछ सुरक्षा उपायों के साथ पूरी तरह से ज़िम्मेदार सरकार की स्थापना हुई।
- प्रांतों को स्वतंत्र वित्तीय शक्तियों और संसाधनों के साथ-साथ सीधे ब्रिटिश क्राउन से शक्ति प्राप्त हुई। उन्हें अपनी ज़मानत पर धन उधार लेने की अनुमति दी गई।
- प्रांतीय विधायिकाओं का विस्तार हुआ, छह प्रांतों ने द्विसदनीय विधायिका को अपनाया और शेष पाँच ने एकसदनीय विधायिका को बरकरार रखा।
- 'सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र' और 'भार' के सिद्धांतों को दलित वर्गों, महिलाओं तथा श्रमिकों तक बढ़ाया गया।
- कुल जनसंख्या के लगभग 10% को मतदान का अधिकार प्रदान करते हुए मताधिकार का विस्तार किया गया।
- इस अधिनियम ने 1937 में अंतर-राज्य विवादों की व्याख्या और निपटान के लिए मूल तथा अपीलीय शक्तियों के साथ एक संघीय न्यायालय की स्थापना की। हालाँकि, लंदन में प्रिवी काउंसिल इस अदालत पर हावी होने के लिए तैयार थी।
- सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया।

इसके बावजूद, विभिन्न भारतीय दलों के विरोध के कारण **अखिल भारतीय महासंघ कभी सफल नहीं हो सका**। जबकि **प्रांतीय स्वायत्तता 1937 में पेश की गई थी,** केंद्र सरकार मामूली संशोधनों के साथ 1919 अधिनियम के तहत काम करती रही। भारत सरकार अधिनियम 1935 का ऑपरेटिव भाग 15 अगस्त 1947 तक लागू रहा।

1935 के बाद के अधिनियम के विकास में अगस्त प्रस्ताव (1940), क्रिप्स प्रस्ताव (1942), सी.आर फॉर्मूला (1944), वेवेल योजना (1945), कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना (1947), भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) शामिल थे।

भारत में सिविल सेवाओं का विकास

मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यिक मामलों के लिए पेश किया गया, यह एक प्रशासनिक तंत्र के रूप में विकसित हुआ।

कार्नवालिस (गवर्नर जनरल, 1786-93)	• वह सिविल सेवाओं को अस्तित्व में लाने और व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति थे। • भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाए गए जैसे निजी व्यापार के खिलाफ नियम लागू करना, उपहार और रिश्वत पर रोक लगाना आदि।
वेलेस्ली की भूमिका (गवर्नर जनरल, 1798-1805)	• **फोर्ट विलियम कॉलेज की** स्थापना की गई थी। • कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की अस्वीकृति के बाद वर्ष 1806 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी।
1853 का चार्टर एक्ट	कंपनी का संरक्षण समाप्त हो गया; और खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती शुरू हुई।
1861 का भारतीय सिविल सेवा अधिनियम	• ग्रीक और लैटिन की शास्त्रीय शिक्षा पर आधारित अंग्रेज़ी भाषा में इंग्लैंड में परीक्षा आयोजित की गई। • अधिकतम स्वीकार्य आयु धीरे-धीरे कम कर दी गई। • वर्ष 1863 में, **सत्येन्द्र नाथ टैगोर** भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले **पहले भारतीय** बने।
वैधानिक सिविल सेवा	वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना वर्ष 1878-1879 में लिटन द्वारा की गई थी, जिसमें अनुबंधित पदों का छठा हिस्सा समृद्ध परिवारों के भारतीयों द्वारा भरा जाना था, जिन्हें स्थानीय सरकारों द्वारा नामित किया जाता है और वायसराय तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
एचिसन समिति	यह सिविल सेवा के 'अनुबंधित' और 'असंविदित' वर्गीकरण को हटाकर इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस (इंग्लैंड में परीक्षा), प्रांतीय सिविल सेवा (भारत में परीक्षा), तथा अधीनस्थ सिविल सेवा (भारत में परीक्षा) में वर्गीकृत करने की सिफारिश करता है; एवं आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष करना।
मोंट-फोर्ड सुधार 1919	• इसमें भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की गई। • एक-तिहाई भर्तियाँ भारत में ही की जाएँगी - सालाना 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
ली कमीशन (1924)	• सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आईसीएस की भर्ती जारी रखनी चाहिए; इंजीनियरिंग सेवा की सिंचाई शाखा, भारतीय वन सेवा, आदि। • शिक्षा आदि जैसे स्थानांतरित क्षेत्रों के लिए भर्ती प्रांतीय सरकारों द्वारा की जानी चाहिए। • यूरोपीय और भारतीयों के बीच 50:50 की समानता के आधार पर आईसीएस में सीधी भर्ती 15 वर्षों में की जाएगी। • लोक सेवा आयोग की स्थापना।
भारत सरकार अधिनियम, 1935	इसने संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की सिफारिश की।

https://www.pdfnotes.co/

ब्रिटिश शासन के तहत सिविल सेवाओं का मूल्यांकन

- नीति निर्माण निकायों और प्रमुख पदों से भारतीयों का बहिष्कार।
- कठिन प्रवेश परीक्षाओं और प्रमुख पदों पर कब्ज़ा करके यूरोपीय वर्चस्व सुनिश्चित किया।
- राष्ट्रवादी दबाव के तहत भारतीयकरण प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन प्रभावी शक्ति भारतीयों को हस्तांतरित नहीं की गई थी।
- भारतीय सिविल सेवकों ने ब्रिटिश आकाओं के साम्राज्यवादी हितों की सेवा की।

भारत में पूर्व-औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था

मुगल और देशी रियासतों में निरंकुश सरकारें थीं, जिनमें औपचारिक पुलिस व्यवस्था का अभाव था। फौजदारों ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखा, तथा **आमिल** विद्रोहियों से निपटते थे; जबकि **कोतवाल** शहरों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार था। ज़मींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे कानून और व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों के लिए थानेदारों सहित कर्मचारी रखेंगे।

पुलिस व्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव (1770-1775)

- वर्ष 1770 में फौजदारों और आमिलों का उन्मूलन।
- डकैतों, हिंसा और अव्यवस्था को दबाने के लिए **वॉरेन हेस्टिंग्स (1774)** द्वारा फौजदारों को बहाल किया गया था।
- वर्ष 1775 में प्रमुख शहरों में फौजदार थाने स्थापित किये गये।
- अंग्रेज़ों द्वारा **आधुनिक पुलिस व्यवस्था** की शुरूआत।

ब्रिटिश शासन के तहत विकास

- 1791 में, कॉर्नवालिस ने पुरानी भारतीय प्रणाली को वापस लाया, जिसमें एक नियमित पुलिस बल होता है जहाँ थाना (सर्कल) होता है जो दरोगा (भारतीय) के अधीन होता था और ज़िले के प्रमुख के रूप में एक पुलिस अधीक्षक (एसपी) होता है।
- वर्ष 1808 में, मेयो ने प्रत्येक प्रभाग के लिए एक पुलिस अधीक्षक (एसपी) नियुक्त किया, जिसकी सहायता जासूसों द्वारा की जाती थी।
- वर्ष 1814 में, **कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने** बंगाल को छोड़कर सभी जगहों पर दरोगाओं और अधीनस्थों को समाप्त कर दिया।
- विलियम बेंटिक (गवर्नर जनरल, 1828-35) ने एसपी का पद समाप्त कर दिया; कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को पुलिस बल का प्रमुख बनाया गया, और कमिश्नर को एसपी के कार्य दिए गए।
  - पुलिस आयोग (1860) की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 अस्तित्व में आया।
  - मुख्य सिफ़ारिशों में सिविल कॉन्स्टबुलरी की स्थापना, एक महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक और एसपी के साथ एक पदानुक्रमित संरचना शामिल है।

एंड्रयू फ्रेज़र आयोग, (1902-03) की सिफ़ारिशें

- यह सुझाव दिया गया कि कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उच्च आधिकारिक पदों पर पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे भर्ती किया जाना चाहिए।
- इसमें प्रशिक्षण स्कूल खोलने का सुझाव दिया गया जहाँ कांस्टेबलों और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा सके;
- सभी प्रांतों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाना।
- पुलिसकर्मियों को गाँवों में जाकर पूछताछ करने की इजाज़त देना।
- वेतन में वृद्धि; और केंद्र में एक आपराधिक खुफिया विभाग बनाना।

1857 से पहले की सैन्य संरचना

भारत में कंपनी के शासन में सेना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। दो अलग-अलग सेनाएँ थीं।

- **रानी की सेना:** भारत में सेवारत सैनिक। यह क्राउन के सैन्य बल का हिस्सा था।
- **कंपनी की सेना: ब्रिटिश**ों की यूरोपीय रेजीमेंटों और भारत से स्थानीय स्तर पर भर्ती की गई मूल रेजीमेंटों का मिश्रण, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों के साथ।

1857 के विद्रोह के बाद, विद्रोह से सीखे गए सबक के कारण व्यवस्थित पुनर्गठन।

1857 के बाद का पुनर्गठन

- पुनर्गठन के मुख्य कारण भविष्य के विद्रोहों की रोकथाम और साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध रक्षा करना।
- भारतीय सेना की भूमिका भारतीय क्षेत्र की रक्षा करना और एशिया तथा अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाना था।
- भारतीय शाखाओं पर यूरोपीय शाखाओं के प्रभुत्व पर ज़ोर दिया गया।
- इसने सेनाओं के विभिन्न शाखाओं (विंग) में यूरोपियों और भारतीयों का अनुपात सावधानीपूर्वक तय किया।
- प्रमुख विभागों और बनाए गए स्थानों पर सख्त यूरोपीय एकाधिकार था।
- वर्ष 1900 तक भारतीयों को घटिया राइफ़लें दी जाती थीं और द्वितीय विश्व युद्ध तक उन्हें उच्च-तकनीकी विभागों से बाहर रखा जाता था।
- वर्ष 1914 तक किसी भी भारतीय को अधिकारी रैंक में अनुमति नहीं थी; 1918 तक सीमित भूमिकाओं के साथ।
- वर्ष 1952 तक 1926 तक 50% भारतीयकृत अधिकारी संवर्ग की परिकल्पना।

पुनर्गठन नीति और विचारधारा

- पुनर्गठन फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित था।
- भेद-भावपूर्ण भर्ती नीतियों को उचित ठहराते हुए, 1880 के दशक के अंत में विकसित **मार्शल रेस विचारधारा का पालन किया गया।**
- सिखों, गोरखाओं और पठानों की भर्ती में भेदभाव का समर्थन किया गया; अन्य समूहों को गैर-लड़ाकू घोषित कर दिया गया।
- रेजिमेंटों में सामाजिक-जातीय समूहों को संतुलित करने के लिए जाति और सांप्रदायिक कंपनियों की शुरुआत की गई थी।
- राष्ट्रवादी भावनाओं को रोकने के लिए सांप्रदायिक, जाति, आदिवासी और क्षेत्रीय चेतना को प्रोत्साहित किया गया।
- समाचार पत्रों और प्रकाशनों पर प्रतिबंधों के माध्यम से सैनिकों को सामान्य आबादी से अलग कर दिया गया।

https://www.pdfnotes.co/

पूर्व-औपनिवेशिक न्यायिक प्रणाली

न्यायिक प्रणाली में उचित प्रक्रियाओं, संगठन और न्यायालयों के उचित विभाजन का अभाव था। हिंदुओं के बीच मुकदमेबाजी का निर्णय जाति के बुजुर्गों, ग्राम पंचायतों या ज़मींदारों द्वारा किया जाता था। मुसलमानों की न्यायिक व्यवस्था का संचालन प्रांतीय राजधानियों और कस्बों में स्थित काज़ियों द्वारा किया जाता था। न्याय व्यवस्था अक्सर मनमाना होता था, राजाओं और बादशाहों को न्याय का स्रोत माना जाता था।

सामान्य कानून व्यवस्था का परिचय

- वर्ष 1726 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी।
- ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक कंपनी से शासक शक्ति में परिवर्तन के कारण मुगल कानूनी व्यवस्था में बदलाव आया।
- अभिलिखित न्यायिक नज़ीरों पर आधारित एक सामान्य कानून प्रणाली के रूप में न्यायिक नज़ीर पेश की गई।

वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान सुधार (1772-85)

- **जिला दीवानी अदालतें** स्थापित की गईं; जिनमें हिंदू कानून हिंदुओं पर और मुस्लिम कानून मुसलमानों पर लागू होते थे। इन अदालतों के फैसले की **अपील सदर दीवानी अदालत में की जा सकती है।**
- **जिला फौजदारी अदालतें** स्थापित की गईं और उन्हें काज़ियों और मुफ्तियों की सहायता से भारतीय अधिकारियों के अधीन रखा गया।
- सर्वोच्च **न्यायालय (1773) की स्थापना** कलकत्ता में की गई थी, जो कलकत्ता के भीतर सभी ब्रिटिश विषयों की सुनवाई करने में सक्षम था, और इसमें प्रारंभिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार थे।

कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान सुधार (1786-93)

- **शक्तियों के पृथक्करण** की अवधारणा पेश की गई थी।
- ज़िला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह यूरोपीय न्यायाधीशों वाली सर्किट अदालतें स्थापित की गईं।
- सदर निज़ामत अदालत को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया और गवर्नर-जनरल तथा सुप्रीम काउंसिल के सदस्यों के अधीन कर दिया गया।
- ज़िला दीवानी अदालत को ज़िला , शहर या ज़िला न्यायालय के रूप में पुनः नामित किया गया और ज़िला न्यायाधीश के अधीन रखा गया।
- सिविल न्यायालयों का पदक्रम: भारतीय अधिकारियों के अधीन मुंसिफ न्यायालय, यूरोपीय न्यायाधीश के अधीन रजिस्ट्रार न्यायालय, ज़िला न्यायालय, सर्किट न्यायालय, सदर दीवानी अदालत, 5000 और उससे अधिक की अपील के लिए किंग-इन-काउंसिल।

कॉर्नवालिस कोड (1793)

- राजस्व और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया।
- यूरोपीय विषयों को भी अधिकार क्षेत्र में लाया गया।
- सरकारी अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सिविल अदालतों के प्रति जवाबदेह थे।
- कानून की संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित किया गया।

विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान सुधार (1828-33)

- सर्किट न्यायालयों का उन्मूलन, क्योंकि कार्यों को कलेक्टरों को स्थानांतरित कर दिया गया था और राजस्व तथा सर्किट के आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण किया गया था।
- ऊपरी प्रांतों(Upper Provinces) के लिए इलाहाबाद में सदर दीवानी और निज़ामत अदालतें स्थापित की गईं।
- वादियों के पास फ़ारसी या स्थानीय भाषा का उपयोग करने का विकल्प था; सर्वोच्च न्यायालय में फ़ारसी का स्थान अंग्रेज़ी ने ले लिया।
- मैकाले के कार्यकाल के दौरान, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी। परिणामस्वरूप, तीन कोड बनाए गए:
  - आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1861), भारतीय दंड संहिता (1860), और सिविल प्रक्रिया संहिता (1859)।

बाद के विकास (1833-1935)

- आपराधिक मामलों को छोड़कर यूरोपीय लोग किसी विशेष विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते थे, और भारतीय मूल का कोई भी न्यायाधीश उन पर मुकदमा नहीं चला सकता था।
- वर्ष 1865 में सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों में विलय कर दिया गया।
- भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 1937 में सरकारों के बीच विवादों को निपटाने और उच्च न्यायालयों से अपील सुनने के लिए एक **संघीय न्यायालय का प्रावधान किया।**

प्रशासनिक परिवर्तन की उत्पत्ति (1857 के बाद)

अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह से सीख ली और ब्रिटिश शासन के लिए संभावित खतरे को महसूस करते हुए एक बड़े पैमाने पर कार्रवाईयाँ की। प्रशासन से विलगाव को कम करके अंतर को कम करने का प्रयास किया गया। शासित आबादी के रीति-रिवाजों, परंपराओं और मूल्यों को समझने के लिए प्रशासन में मूल निवासियों को शामिल किया गया।

केंद्रीय प्रशासन

शक्ति का स्थानांतरण और दोहरी प्रणाली का अंत (1858)

- भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम, 1858, ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित कर दी।
- 1857 के विद्रोह से प्रशासन में कंपनी की सीमाएँ उजागर हो गईं।
- शासन करने की शक्ति ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से संचालित की जाती थी।
- सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह थी।
- पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली समाप्त हो गई।
- भारत पर अंतमि शक्ति संसद के पास रहेगी।

https://www.pdfnotes.co/

वायसराय और कार्यकारी परिषद (1858)

- भारत में शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था, जिसे अब वायसराय कहा जाता है।
- वायसराय को एक कार्यकारी परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, और सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे।
- सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में शक्ति केन्द्रित होने से वायसराय का अधिकार धीरे-धीरे कम हो गया।
- सत्ता के केन्द्रीकरण से भारतीय नीति पर ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों और बैंकरों का प्रभाव बढ़ गया।
- 1858 के बाद भारतीय प्रशासन अधिक प्रतिक्रियावादी हो गया।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861

- वायसराय की कार्यकारी परिषद में पाँचवाँ सदस्य, एक न्यायविद्, जोड़ा गया।
- वायसराय विधायी उद्देश्यों के लिए छह से बारह अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ सकता था।

विधान परिषद की कमज़ोरियाँ

- यह सरकार की मंज़ूरी के बिना वित्तीय मामलों जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा नहीं कर सकता था।
- इसका बजट पर कोई नियंत्रण नहीं था।
- इसमें कार्यकारी क्रिया पर चर्चा नहीं हो सकी।
- विधेयक को अंतिम रूप से पारित करने के लिए वायसराय की मंज़ूरी की आवश्यकता थी।
- सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कानून को अस्वीकार कर सकते हैं, भले ही उसे वायसराय द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- गैर-अधिकारी के रूप में जुड़े भारतीय विशिष्ट सदस्य थे, भारतीय मत के प्रतिनिधि नहीं।
- आपातकालीन स्थिति में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था।
- विधान परिषद का मुख्य कार्य आधिकारिक उपायों का समर्थन करना था, और इसमें वास्तविक विधायी शक्तियों का अभाव था।
- भारत में ब्रिटिश सरकार पहले की तरह ही निरंकुश बनी रही।

प्रांतीय प्रशासन

विधायी शक्तियों की बहाली (1861)

- भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने मद्रास और बंबई प्रांतों को विधायी शक्तियाँ लौटा दीं, जिन्हें वर्ष 1833 में छीन लिया गया था।
- बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता प्रेसीडेंसियों को अन्य प्रांतों की तुलना में और अधिक अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त थीं।
- प्रेसीडेंसी का प्रशासन गवर्नरों और कार्यकारी परिषदों द्वारा किया जाता था, अन्य प्रांतों का संचालन लेफ्टिनेंट गवर्नरों द्वारा किया जाता था तथा मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा की जाती थी।
- तीन प्रेसीडेंसियों को प्रशासनिक विशेषाधिकार प्राप्त थे और गवर्नरों की नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाती थी।

वित्तीय विकेंद्रीकरण के प्रयास

- वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, लेकिन मुख्य रूप से यह प्रशासनिक पुनर्गठन था।
- इसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और व्यय कम करना था, न कि प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में प्रगति का संकेत था।
- 1870 लॉर्ड मेयो ने पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और सड़कों जैसी कुछ सेवाओं के लिए निश्चित राशि देकर केंद्रीय तथा प्रांतीय वित्त के विभाजन की शुरुआत की।
- वित्तीय ज़िम्मेदारियों में बदलाव को चिह्नित करते हुए प्रांतीय सरकारों को विशिष्ट सेवाओं के प्रशासन में स्वायत्तता दी गई।

प्रगतिशील राजस्व प्रभाग (1877-1882)

- लॉर्ड लिटन ने भू-राजस्व, उत्पाद शुल्क, सामान्य प्रशासन और कानून एवं न्याय जैसे व्यय की मदों को प्रांतों को हस्तांतरित कर दिया।
- प्रांतीय सरकारों को स्टाम्प, उत्पाद शुल्क और आयकर से आय का एक निश्चित हिस्सा प्राप्त होता था।
- राजस्व स्रोतों को सामान्य (केंद्र में जाने वाले), प्रांतीय (पूरी तरह से प्रांतों को जाने वाले) और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विभाजित करने के लिए वर्गीकृत किया गया था।
- प्रांतों ने विशिष्ट राजस्व स्रोतों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिससे वित्तीय विभाजन हुआ।

केंद्र सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण

- वित्तीय विकेंद्रीकरण के बावजूद, केंद्र सरकार सर्वोच्च बनी रही।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रांतों पर विस्तृत नियंत्रण बरकरार रखा गया।
- केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ब्रिटिश सरकार के अधीन थीं।
- केंद्र सरकार ने सरकार के दोनों स्तरों की अधीनता को प्रदर्शित करते हुए समग्र अधिकार बनाए रखा।

स्थानीय प्रशासन

ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय सरकार (नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों) के माध्यम से **प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने का निर्णय लिया।** उन्होंने **स्थानीय करों** के माध्यम से वित्तपोषित- **शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति और सड़क जैसी सेवाओं का प्रबंधन किया।** स्थानीय निकायों की आवश्यकता के कारण निम्नलिखित थे:

- अतिकेंद्रीकरण के कारण वित्तीय कठिनाइयाँ पैदा हुईं।
- यूरोप के साथ आर्थिक संपर्क के कारण यूरोपीय नागरिक सुविधाओं को अपनाना।
- बढ़ता राष्ट्रवाद जिसके एजेंडे में बुनियादी सुविधाओं में सुधार शामिल था।
- प्रशासन के साथ भारतीयों के जुड़ाव को बढ़ते राजनीतिकरण को रोकने के एक उपकरण के रूप में देखा गया।
- अत्यधिक बोझ से दबे खज़ाने से पैसा निकालने में ब्रिटिश अनिच्छा की सार्वजनिक आलोचना का प्रतिकार करें।

स्थानीय सरकार का विकास ज्यादातर नामित सदस्यों के साथ गठित और ज़िला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में, कर संग्रह के साधन के रूप में देखा जाता था।

https://www.pdfnotes.co/

मेयो का 1870 का संकल्प

- विधायी हस्तांतरण की शुरुआत 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा किया गया था।
- प्रांतीय सरकारों ने बजट संतुलन के लिए स्थानीय कराधान को अधिकृत किया।
- कुछ विभागों को प्रांतीय नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया।
- मेयो के प्रस्ताव में शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा सहायता और सार्वजनिक कार्यों के लिए स्थानीय हित और देखभाल की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।

रिपन का 1882 का संकल्प

- **स्थानीय स्वशासन के जनक** के रूप में, लॉर्ड रिपन ने प्रशासन सुधार और राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों के विकास पर ज़ोर दिया।
- प्रांतीय सरकारों ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का आग्रह किया।
- शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए नीति में विशिष्ट कर्तव्य तथा उपयुक्त राजस्व स्रोत का आरोपण शामिल हैं।

वर्ष 1883 और वर्ष 1885 के बीच अधिनियम

- इन्हें नगर निकायों के संविधान, शक्तियों और कार्यों में परिवर्तन करने के लिए पारित किया गया था।
- प्रभावी स्थानीय स्वशासी निकायों का युग अभी भी अवास्तविक था।
- मौजूदा स्थानीय निकायों की कमियों में अल्पसंख्यक निर्वाचित सदस्य, सीमित मताधिकार, आधिकारिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल हैं।
- नौकरशाही ने वायसराय के उदार विचारों का विरोध किया, यह मानते हुए कि भारतीय स्वशासन के लिए अयोग्य थे।
- 19वीं सदी के अंत में लॉर्ड कर्जन ने स्थानीय निकायों पर आधिकारिक नियंत्रण बढ़ा दिया।

विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन (1908)

- इसने स्थानीय निकायों के प्रभावी काम-काज में बाधा डालने वाले वित्तीय संसाधनों की कमी पर प्रकाश डाला।
- इसमें ग्राम पंचायतों को न्यायिक क्षेत्राधिकार, गाँव के कार्यों पर व्यय, स्कूलों, ईंधन भंडार आदि सहित अधिक अधिकार देने पर ज़ोर दिया गया।
- इसने प्रत्येक तालुका या तहसील में अलग-अलग कर्तव्यों और राजस्व स्रोतों के साथ उप-ज़िला बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की।
- यह कराधान शक्तियों पर मौजूदा प्रतिबंधों को वापस लेने और प्रांतीय सरकारों से नियमित अनुदान सहायता को समाप्त करने का आग्रह करता है।
- इसने सुझाव दिया कि नगर पालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा और अन्य क्षेत्रों की ज़िम्मेदारियाँ लें, जिससे सरकार को कुछ शुल्कों से राहत मिलेगी।

1915 का भारत सरकार का संकल्प

- इस संकल्प में आयोग की सिफारिशों पर आधिकारिक विचार शामिल थे।
- अधिकांश सिफ़ारिशें कागज़ों पर ही रहीं और स्थानीय निकाय की शर्तें अपरिवर्तित रहीं।

मई 1918 का संकल्प

- इस संकल्प में संवैधानिक प्रगति पर 1917 की घोषणा के आलोक में स्थानीय स्वशासन की समीक्षा की गई।
- इसमें स्थानीय निकायों को यथासंभव प्रतिनिधि बनाने का सुझाव दिया गया, जिसमें वास्तविक अधिकार निहित हों।

द्वैध शासन के अधीन

- भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा स्थानीय स्वशासन लोकप्रिय मंत्रिस्तरीय नियंत्रण के तहत एक **'हस्तांतरित' विषय बन गया।**
- **'आरक्षित' विषय** होने के कारण प्रगति को सीमित कर दिया, जिससे स्थानीय स्वशासन के काम में बाधा उत्पन्न हुई।

साइमन कमीशन (मई 1930)

- इसमें कुछ प्रांतों को छोड़कर ग्राम पंचायतों में प्रगति की कमी देखी गई।
- इसने दक्षता के लिए प्रांतीय नियंत्रण बढ़ाने का सुझाव दिया, स्थानीय कर लगाने की अनिच्छा की आलोचना की।
- 1919 के सुधारों के बाद से, स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन में गिरावट देखी गई।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 और उसके बाद

- 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता लायी, जिससे स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का विकास हुआ।
- लोकप्रिय मंत्रालयों ने पोर्टफोलियो वित्त को नियंत्रित किया, जिससे स्थानीय निकायों के विकास के लिए धन उपलब्ध हुआ।
- प्रांतीय और स्थानीय वित्त के बीच कराधान का सीमांकन समाप्त कर दिया गया।
- प्रांतों ने स्थानीय निकायों को और अधिक अधिकार प्रदान करते हुए नये अधिनियम पारित किये।

1935 के बाद की चुनौतियाँ

- स्वायत्तता के बावजूद, स्थानीय संस्थानों के वित्तीय संसाधन और कराधान शक्ति सीमित है।
- कर लगाने या बढ़ाने की स्थानीय निकाय की शक्तियों पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए।
- **विकेंद्रीकरण आयोग (1908)** द्वारा अनुशंसित स्थानीय संस्थानों को कराधान की व्यापक शक्तियाँ देने की उदार नीति की अनदेखी की।

संवैधानिक प्रावधान

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकारों को प्रभावी ग्राम पंचायतें संगठित करने का निर्देश देते हैं (अनुच्छेद- 40)।
- 73वें और 74वें संशोधन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी संस्थानों में खामियों को दूर करना है।

भारतीय राज्यों का विकास

भारतीय राज्य, जिसमें 562 रियासतें शामिल हैं, आकार में व्यापक रूप से भिन्न हैं, केवल 27 निवासियों वाले छोटे बिलबरी से लेकर 14 मिलियन की आबादी वाले इटली जितना विशाल राज्य हैदराबाद तक। ब्रिटिश प्राधिकरण और राज्य संबंधों के चरण इस प्रकार हैं:

https://www.pdfnotes.co/

अधीनता की स्थिति से कंपनी का राजनीतिक सत्ता में उदय (1740-1765)

- कंपनी की राजनीतिक पहचान एंग्लो-फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता के दौरान उभरी, जिसकी परिणति आर्कोट पर कब्ज़ा (1751) और **प्लासी की लड़ाई** (1757) में महत्त्वपूर्ण जीत के रूप में हुई।
- 1765 तक (**बक्सर की लड़ाई** के बाद), **बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी** के अधिग्रहण ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बना दिया।

रिंग फेंस नीति (1765-1813)

- रिंग फेंस नीति, जिसका उदाहरण **मराठों** और **मैसूर के खिलाफ वॉरेन हेस्टिंग के** युद्धों में दिया गया था, का उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की सुरक्षा के लिए **बफर जोन बनाना था।**
- हैदराबाद, अवध और मराठों जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ सहायक संधि ने ब्रिटिश वर्चस्व को मज़बूत किया। **वेलेस्ली की सहायक संधि** की नीति **रिंग फेंस नीति का ही विस्तार** थी।

अधीनस्थ अलगाव नीति (1813-1857)

- इस नीति के तहत **सर्वोपरिता** का सिद्धांत उभरा, जिससे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सरकार के साथ अधीनस्थ रूप से सहयोग करने की आवश्यकता हुई। राज्यों ने आंतरिक संप्रभुता को बरकरार रखते हुए **सभी प्रकार की बाहरी संप्रभुता को त्याग दिया।**
- **1833 के चार्टर अधिनियम ने** कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को समाप्त कर दिया, लेकिन राजनीतिक शक्ति बरकरार रखी, जिससे उत्तराधिकार के मामलों के लिए अनुमोदन माँग ने की प्रथा शुरू हुई।
- वर्ष 1834 में, **निदेशक मंडल ने** विलय का आग्रह किया, जिसके परिणामस्वरूप डलहौजी ने आठ राज्यों पर कब्ज़ा कर लिया, जिनमें सतारा और नागपुर जैसे महत्त्वपूर्ण राज्य भी शामिल थे।

अधीनस्थ संघ का युग (1857-1935)

- वर्ष 1858 में, 1857 के विद्रोह के दौरान राज्य की वफादारी के कारण क्राउन ने सीधे ज़िम्मेदारी संभाली।
- यह नीति विलय से सज़ा या गवाही की ओर स्थानांतरित हो गई, राजनीतिक तूफानों में राज्यों को बाँध (ब्रेकवाटर) के रूप में महत्त्व दिया गया।
- वर्ष 1858 में मुगल बादशाह की सत्ता समाप्त हो गयी; उत्तराधिकार के सभी मामलों में क्राउन की मंज़ूरी की आवश्यकता होती है।
- रानी द्वारा **'कैसर-ए-हिंद' को अपनाने से क्राउन के साथ भारतीय राज्य की समानता के अंत का** संकेत मिला।
- शासकों को उपहार के रूप में 'गद्दी' विरासत में मिली, जो सर्वोपरि सत्ता की अधीनता को उजागर करती थी। सर्वोपरि सर्वोच्चता का तात्पर्य राज्य की अधीनता से है।
- शासकों के कल्याण, लोक कल्याण, ब्रिटिश प्रजा, विदेशियों और समग्र भारतीय हितों के लिए राज्य के मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप।
- रेलवे, टेलीग्राफ आदि के आधुनिक संचार विकास से हस्तक्षेप में वृद्धि हुई है।
- लॉर्ड कर्जन ने शासकों को गवर्नर-जनरल के साथ काम करने वाले सेवकों के रूप में स्थान देने के लिए पुरानी संधियों की व्याख्या की।
- राज्यों और सरकार के बीच संबंधों को आकार देने के लिए **संरक्षण** और **'घुसपैठ निगरानी'** को अपनाना।
- इसका उद्देश्य भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों को एकजुट करते हुए ब्रिटिश सरकार पर एक समान निर्भरता स्थापित करना था।

1905 के बाद के विकास

- **मोंट-फोर्ड सुधार (1921) ने** एक सलाहकार निकाय के रूप में चैंबर ऑफ प्रिंसेस **(नरेंद्र मंडल)** का निर्माण किया। चैंबर के प्रयोजन के लिए, भारतीय राज्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था: प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व और सामंती जोत या जागीर के रूप में मान्यता प्राप्त।
- **बटलर समिति (1927) ने** रियासतों और सरकार के बीच संबंधों की प्रकृति की जाँच की। इसकी सिफारिशों में शामिल हैं: सर्वोच्चता को सर्वोच्च बनाए रखना, राज्य को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलना, और रियासतों की सहमति के बिना राज्यों को भारतीय सरकार को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

[यूपीएससी 2017]

- **भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने** एक संघीय सभा का प्रस्ताव रखा। यह योजना आधी से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले और राज्यों की परिषद की आधी से अधिक सीटों के हकदार राज्यों द्वारा अनुसमर्थन पर निर्भर है। यह कभी अस्तित्व में नहीं आई।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

20 भारत में ब्रिटिश नीतियाँ

वर्ष 1858 के बाद प्रशासनिक नीतियाँ

स्व-शासन के लिए भारत की कथित अक्षमता का हवाला देते हुए, वर्ष 1857 से पहले के आधुनिकीकरण के इरादे से प्रतिक्रियावादी नीतियों की ओर बदलाव देखने को मिलता है।

फूट डालो और राज करो: अंग्रेज़ों ने एकजुट जन-सामूहिक क्रियाओं को अपनी सत्ता को चुनौती देने से रोकने के लिए फूट डालो और राज करो की रणनीति का इस्तेमाल किया।

शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता: उभरते हुए मध्यवर्गीय राष्ट्रवादी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की माँग कर रहे थे। इसलिए, राष्ट्रवादी नेतृत्व के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया था।

> यह सारा अनुभव हमें सिखाता है कि जहाँ एक प्रमुख जाति दूसरे पर शासन करती है, वहाँ सरकार का सबसे नरम रूप निरंकुशता है- **चार्ल्स वुड** (भारत के सेक्रटरी ऑफ स्टेट)।

ज़मींदारों के प्रति रवैया

- अंग्रेज़ों ने अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने के लिए राजकुमारों, ज़मींदारों आदि के साथ गठजोड़ करना चाहा।
- उनका उपयोग राष्ट्रवादी विचारधारा वाले बुद्धिजीवियों के विरुद्ध प्रतिकार के रूप में किया गया। ज़मींदारों और भू-स्वामियों को 'वास्तविक' नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, किसानों के विरुद्ध उनके हितों की रक्षा की गई। वर्ष 1857 से पहले अवध के तालुकदारों की ज़मीनें ज़ब्त कर ली गई थीं।

सामाजिक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण

ब्रिटिशों ने सामाजिक सुधारों के लिए समर्थन वापस ले लिया जिससे रूढ़िवादी विरोध पैदा हुआ। उन्होंने प्रतिक्रियावादी ताकतों की सहायता के लिए जाति और सांप्रदायिक चेतना को प्रोत्साहित किया।

अविकसित सामाजिक सेवाएँ

सेना और नागरिक प्रशासन पर बड़ा खर्च किया गया, जिससे सामाजिक सेवाओं के लिए धन सीमित हो गया। संभ्रांत वर्गों और शहरी क्षेत्रों के लिए सुविधाएँ स्थापित की गईं।

श्रम का विधान

- 19वीं सदी के भारत में कारखानों और बागानों में काम करने की परिस्थिति दयनीय थी। **लंकाशायर कपड़ा पूँजीपतियों की वह पहली लॉबी** थी जिसने कारखाने की स्थितियों के जाँच की माँग की थी।
- **पहला कारखाना अधिनियम (1881)** मुख्य रूप से बाल श्रम के मुद्दे से संबंधित था। इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे: [यूपीएससी 2018]
  - **7 वर्ष से कम उम्र के** बच्चों का रोज़गार निषिद्ध है।
  - बच्चों के लिए काम के घंटे **प्रति दिन 9 घंटे** तक सीमित।
  - **एक महीने में** चार छुट्टियाँ मिलेंगी; और
  - खतरनाक मशीनरी को ठीक से बाड़े-बंद किया जाना चाहिए।
- **भारतीय कारखाना अधिनियम (1891) ने** बच्चों के लिए न्यूनतम आयु 7 से बढ़ाकर 9 वर्ष और अधिकतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी; बच्चों के लिए काम के अधिकतम घंटों को घटाकर प्रतिदिन 7 घंटे कर दिया गया; महिलाओं के लिए डेढ़ घंटे के अंतराल के साथ प्रति दिन 11 घंटे अधिकतम काम के घंटे तय किए गए (पुरुषों के लिए काम के घंटे अनियमित छोड़ दिए गए और सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया)।
  - ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफी बागानों को इन कानूनों से बाहर रखा गया, मज़दूरों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया।

प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध: राष्ट्रवादियों ने जनता की राय को प्रभावित करने और नीतियों की आलोचना करने के लिए उन्नति का उपयोग किया। अतः प्रेस पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए।

श्वेत नस्लवाद: श्वेत श्रेष्ठता को बनाए रखा गया क्योंकि औपनिवेशिक शासकों ने व्यवस्थित रूप से भारतीयों को उच्च पदों और सार्वजनिक स्थानों से बाहर रखा तथा नस्लीय दंभ को प्रदर्शित किया।

> "हम केवल इस तथ्य को बनाए रखते हुए शासन कर सकते हैं कि हम प्रमुख जाति थे - हालाँकि सेवाओं में भारतीयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन एक बिंदु है जहाँ हमें नियंत्रण अपने पास रखना होगा यदि हमें वहाँ बने रहना है।" **- एल्गिन**

ब्रिटिश नीतियों का कृषि प्रभाव

ब्रिटिश द्वारा दीवानी अधिकार (1765) के अधिग्रहण के बाद, कृषि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण हो गई, पहले यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रमुख थी। **नई भूमि पट्टेदारी और राजस्व प्रशासन प्रणालियों** की शुरुआत हुई, जिससे आर्थिक चुनौतियाँ पैदा हुईं और कृषि तथा व्यापार के उत्पादकता में गिरावट आई।

वॉरेन हेस्टिंग की राजस्व प्रणाली (1769-70)

- उसने **इजारेदारी प्रणाली** (जिसे कृषि प्रणाली भी कहा जाता है) को अपनाया।
- बोली प्रणाली के आधार पर चयनित ठेकेदारों को पाँच साल तक राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया। बाद में वर्ष 1777 में इसे वार्षिक कर दिया गया।

https://www.pdfnotes.co/

- ठेकेदारों द्वारा जबरन वसूली और उत्पीड़न का उद्देश्य लाभ पर ध्यान केंद्रित करना तथा किसानों के कल्याण की उपेक्षा करना था। ठेकेदारों की बोलियों में अत्यधिक वादे भूमि की उत्पादन क्षमता से अधिक हो गए।
- पारंपरिक ज़मींदारों को बोली लगाने से हतोत्साहित किया गया। परिणामस्वरूप, कई वंशानुगत ज़मींदार हटा दिए गए।
- भ्रष्टाचार चरम पर था, जिससे सरकार को मिलने वाला राजस्व कम हो गया।

स्थायी बंदोबस्त [यूपीएससी 2011]

फिलिप फ्रांसिस (हेस्टिंग्स काउंसिल के सदस्य) ने वर्ष 1776 में एक स्थायी भूमि राजस्व निपटान का प्रस्ताव रखा। **लॉर्ड कॉर्नवालिस को** ज़मींदारों के साथ स्थायी भूमि राजस्व निपटान के निर्देश के साथ गवर्नर-जनरल के रूप में भेजा गया था। उन्होंने इस मुद्दे की जाँच के लिए स्वयं, सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के साथ एक समिति का गठन किया।

स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएँ

- इसमें ब्रिटिश शासन के तहत लगभग 19% क्षेत्र शामिल था और इसे **बंगाल तथा बिहार में पेश किया गया था** एवं **ओडिशा, बनारस (वाराणसी)** व **उत्तरी मद्रास तक बढ़ाया गया था।**
- ज़मींदारों को उनकी भूमि पर मालिकाना अधिकार दिया गया।
- वर्ष 1790 में, दस-वर्षीय समझौता किया गया, जिसके बाद वर्ष 1793 में स्थायीकरण किया गया।
- भूमि पर लगाया जाने वाला निश्चित कर, जो ज़मींदारों द्वारा कृषकों (रैयतों) से वसूला जाता था।
- ज़मींदारों को **राजस्व** के **दसवें हिस्से से ग्यारहवें हिस्से** के बीच रखने की इजाज़त थी; शेष कंपनी (सरकार) को दे दिया गया।
- ज़मींदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार दिए गए जिससे वे भूमि बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या हस्तांतरित कर सकते थे; विरासत के अधिकार स्थापित किए गए।
- एक **सनसेट उपनियम** ने ज़मींदारी अधिकारों को ज़मींदार द्वारा भुगतान किए गए कर पर सशर्त बना दिया।

स्थायी बंदोबस्त की कमियाँ

- राजस्व की दरें ऊँची तय कि गईं, जिससे कई ज़मींदारों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
- ज़मींदारों ने संपदा को छोटे-छोटे हिस्सों (पटनी तालुक) में विभाजित कर दिया, जिससे उप-संघर्ष हुआ; इससे अनुपस्थिति-ज़मींदारीवाद बढ़ गया।
- ज़मींदार, किसानों को लिखित अनुबंध (पट्टा) प्रदान करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप शोषण और उत्पीड़न हुआ।
- कृषकों को दास प्रथा में बदल दिया गया, साहूकारों के हाथों में सौंप दिया गया।
- ज़मींदारों ने भूमि और कृषि सुधारों की उपेक्षा करते हुए केवल लगान वसूली पर ध्यान केंद्रित किया।
- सरकार कर बढ़ाने में असमर्थ थी, जिससे विस्तारवादी कंपनी के लिए वित्तीय बाधाएँ पैदा हुईं।

रैयतवाड़ी प्रणाली [यूपीएससी 2017]

थॉमस मुनरो और **कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने वर्ष 1792 में मद्रास प्रेसीडेंसी के बारामहल क्षेत्र** में इस प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1820 में रैयतवाड़ी प्रणाली को औपचारिक रूप दिया, जो स्थायी बंदोबस्त के तहत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, मद्रास प्रेसीडेंसी के विभिन्न क्षेत्रों तक विस्तारित हुई। इस प्रणाली को **बिचौलियों के बिना गाँवों से सीधे राजस्व एकत्र करके अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।** उन्होंने कर को सकल उपज का एक तिहाई कर दिया। **डेविड रिकार्डो के** लगान के सिद्धांत सहित उपयोगितावादी विचारों ने इसे प्रभावित किया।

रैयतवाड़ी व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ और दबाव

- किसानों को मनमाने कर जुर्माने का सामना करना पड़ा, जो अक्सर पिछले भुगतानों पर आधारित होता था।
- सकल उपज के एक-तिहाई पर उच्च कर निर्धारित किया जाता है, जो अक्सर आर्थिक किराये के बराबर होता है, जिससे किसानों में गरीबी पैदा होती है। रैयतों ने राजस्व वसूलने के लिए दबाव डाला और यातनाएँ दीं, जिससे वे साहूकारों के बंधन में बंध गए।
- **मद्रास टॉर्चर कमीशन रिपोर्ट** (1855) में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ज़बरदस्ती, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ।

सुधार और कृषि समृद्धि

- एक वैज्ञानिक भूमि सर्वेक्षण (1855) शुरू किया गया और नए सिरे से मूल्यांकन किया गया, जिससे कर का वास्तविक बोझ कम हो गया।
- सुधारित बंदोबस्त (1864) में राजस्व दर तीस वर्षों के लिए उपज के शुद्ध मूल्य का आधा निर्धारित की गई।
- समृद्धि और कृषि विस्तार के कारण वर्ष 1865-66 और 1876-78 में अकाल के बावजूद कृषि समृद्धि हुई।

रैयतवारी प्रणाली का विस्तार

- वर्ष 1818 में पेशवा के क्षेत्र की विजय के बाद, **एल्फिन्स्टन** की देखरेख में बॉम्बे प्रेसीडेंसी तक विस्तारित किया गया।
- एक दोषपूर्ण सर्वेक्षण के आधार पर राज्य की माँग शुद्ध उपज का 55% तय की गई, जिससे अति-मूल्यांकन हुआ।
- **विंगेट** और **गोल्डस्मिथ ने** वर्ष 1836 के आसपास इस प्रणाली में सुधार किया और वर्ष 1865 तक डेक्कन के अधिकांश हिस्से को इसके अंतर्गत लिया गया।
- यह प्रणाली बरार, पूर्वी बंगाल, असम के कुछ हिस्सों और कूर्ग तक विस्तारित थी।

विशेषताएँ [यूपीएससी 2012]

- स्वामित्व **और दखलकारी अधिकार रैयतों** के पास **थे। भूमि स्वामित्व की कोई सीमा नहीं** थी; वे **उप-पट्टे, ट्रांसफर या बेचने के लिए स्वतंत्र** थे।
- यह कंपनी को प्रत्यक्ष कर भुगतान (अनुमानित उत्पादन के आधार पर 45-55%) था।
- यह समय-समय पर संशोधन के साथ एक **अस्थायी समझौता था।**

https://www.pdfnotes.co/

- भूमि खेती के विकल्प सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र थे लेकिन अक्सर बाहरी कारकों से प्रभावित होते थे।
- सरकारी नियंत्रण में बंजर भूमि पर साझा राजस्व की शर्त पर खेती की जा सकती थी।
- भुगतान न करने पर ज़मीन ज़ब्त कर ली गई।

कमियों में राजस्व का अधिक मूल्यांकन, अनम्य संग्रह विधियाँ, यातना शामिल होना, मूल्यांकन प्रक्रिया में बढ़ता भ्रष्टाचार आदि शामिल हैं।

महालवाड़ी व्यवस्था (1819-1822)

होल्ट मैकेंज़ी ने वर्ष 1819 में **उत्तरी भारत** में भूमि राजस्व निपटान के लिए इसकी सिफारिश की। **1922 के विनियमन VII ने** सिफारिश को औपचारिक रूप दिया। जटिल सर्वेक्षण विधियाँ, उच्च राजस्व माँगें और कठोर निस्सारण विधियाँ इस योजना के टूटने का कारण बनती हैं। वर्ष **1828 की कृषि मंदी ने** इसे और अधिक बदतर बना दिया।

1833 का विनियमन

- विलियम बेंटिक ने उत्पादन का आकलन करने की प्रक्रिया को सरल बनाया।
- **मेर्टिंस बर्ड, जिन्हें उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक** के रूप में जाना जाता है, ने नई योजना की देखरेख की।
- राज्य का हिस्सा किराये के मूल्य का 66% तय किया गया था और 30 वर्षों के लिए स्थायित्व किया गया था।

राज्य की माँग में संशोधन और कमी

- वर्ष 1855 में, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की माँग को किराये के मूल्य के 50% तक सीमित करने के निर्देश जारी किए। इस प्रणाली को संशोधित ज़मींदारी प्रणाली के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि गाँव का मुखिया कृषकों और सरकार के बीच की कड़ी था।
- उत्तर-पश्चिमी प्रांत (जिसे 'मौजावर' के नाम से जाना जाता है), मध्य प्रांत (जिसे 'मालगुज़ारी' के नाम से जाना जाता है) और पंजाब सहित कुल ब्रिटिश शासित क्षेत्र के लगभग 30% में लागू किया गया।

विशेषताएँ

- **महाल (गाँव या गाँवों का समूह)** राजस्व निर्धारण का आधार था।
- राजस्व का निर्धारण एक महाल के उत्पादन पर आधारित था।
- ग्राम समुदाय को भूमि का स्वामी माना जाता था, जबकि व्यक्तिगत स्वामित्व कृषक के पास होता था।
- **संग्रह** और भुगतान की ज़िम्मेदारी **ग्राम प्रधान** या समुदाय के नेताओं की होती है।
- बेंटिक के शासन में, राज्य का राजस्व हिस्सा शुरू में 66% था, जिसे बाद में संशोधित कर 50% कर दिया गया।
- मिट्टी की विभिन्न श्रेणियों के लिए औसत किराए की अवधारणा पेश की गई थी।
- महालवाड़ी क्षेत्रों में, **भू-राजस्व को समय-समय पर संशोधित किया गया था।**

कमियाँ

- सभी अधिकारों को दर्ज करने और भूमि के प्रत्येक टुकड़े पर कर तय करने की आवश्यकता अव्यावहारिक थी।
- आधिकारिक गणनाएँ अक्सर ग़लत होती हैं, अनुमान पर आधारित होती हैं और बढ़े हुए राजस्व के लिए हेर-फेर की जाती हैं।
- इस प्रणाली ने अत्यधिक कर निर्धारण से ग्राम समुदायों को बर्बाद कर दिया।
- कर के दरों को पूरा करने में असमर्थता के कारण बड़े पैमाने पर बेदखली हुई जिससे भूमि, साहूकारों और व्यापारियों के पास चली जाती है।
- इस प्रणाली ने उत्तर भारत में कृषक समुदायों की दरिद्रता में योगदान दिया।
- वर्ष 1857 में लोकप्रिय विद्रोहों में आक्रोश और असंतोष व्यक्त किया गया।
- बंदोबस्त प्रणाली को कंपनी के दृष्टिकोण से देखा गया।

कुल मिलाकर, ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणालियों का किसानों, ज़मींदारों और भारतीय गाँवों के सामाजिक ताने-बाने पर हानिकारक प्रभाव पड़ा, जिससे आर्थिक कठिनाइयाँ, असमान भूमि स्वामित्व तथा कृषि का व्यावसायीकरण हुआ।

वर्ष 1813 तक ब्रिटिश सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति

अंग्रेज़ों ने **वर्ष 1813 तक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया।** वर्ष 1813 के बाद के परिवर्तन औद्योगिक क्रांति से प्रभावित थे; इसके बाद बौद्धिक क्रांति हुई, जिससे मन, शिष्टाचार और नैतिकता में नए दृष्टिकोण पैदा हुए; स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के संदेश के साथ फ्राँसीसी क्रांति हुई; बेकन, लॉक, वोल्टेयर, रूसो, कांट, एडम स्मिथ, बेंथम, वर्ड्सवर्थ, बायरन, शेली, डिकिंस जैसे विचारकों के विचार लोकप्रिय हुए।

नए विचार के लक्षण

- बुद्धिवाद, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखना है।
- मानवतावाद ने मनुष्य के प्रेम की वकालत की, जिससे उदारवाद, समाजवाद और व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला।
- तर्कसंगत आधार पर प्रकृति और समाज को फिर से तैयार करने की क्षमता में विश्वास के साथ प्रगति का सिद्धांत।

विचार संप्रदाय

- **रूढ़िवादियों ने** न्यूनतम परिवर्तन की वकालत की थी और भारतीय सभ्यता का सम्मान किया था। प्रारंभिक प्रतिनिधि: वॉरेन हेस्टिंग्स, और एडमंड बर्क।
- **पितृसत्तात्मक साम्राज्यवादी** भारतीय समाज के आलोचक थे और आर्थिक तथा राजनीतिक दासता को उचित ठहराते थे।
- **कट्टरपंथियों** ने भारत को बेहतर बनाने के लिए मानवतावादी और तर्कसंगत सोच का प्रयोग किया था। उन्होंने आधुनिक पश्चिमी विज्ञान, दर्शन और साहित्य की शुरुआत की वकालत की।

भारतीय पुनर्जागरण: राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी. एम. मलाबारी आदि ने सामाजिक सुधार और कानून के लिए काम किया। कानून के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर नियंत्रण एवं उन्मूलन का प्रयास किया गया।

https://www.pdfnotes.co/

औपनिवेशिक आधुनिकीकरण

सरकार को डर था कि अत्यधिक आधुनिकीकरण से उनके हितों के प्रति शत्रुतापूर्ण ताकतें पैदा हो सकती हैं। इस प्रकार आंशिक आधुनिकीकरण का विकल्प चुनना उचित समझा गया; कुछ पहलुओं में इसे लागू करना और कुछ मामलों में इसे रोकना।

ईसाई मिशनरियों की भूमिका

- पश्चिमीकरण के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रसार किया, जिसने देशी संस्कृति और मान्यताओं को कमज़ोर किया।
- उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए कट्टरपंथियों का समर्थन किया।
- अपने प्रचार के लिए कानून व्यवस्था की वकालत की।
- पूँजीवादी समर्थन को आकर्षित किया, ईसाईयों को बेहतर ग्राहक बनाने का वादा किया।

ब्रिटिश वापसी

- वर्ष 1858 के बाद नीति परिवर्तन के कारण झिझक भरे आधुनिकीकरण को धीरे-धीरे त्याग दिया गया।
- भारतीय तेज़ी से अपनी संस्कृति पर ज़ोर देते हुए आधुनिकीकरण की ओर बढ़े।
- अंग्रेज़ों ने जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हुए सामाजिक रूप से रूढ़िवादी तथा रूढ़िवादी उसूलों के साथ खुद को संरेखित किया।

भारत में ब्रिटिश विदेश नीति

- यह राजनीतिक एकीकरण, ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों के विस्तार, आधुनिक संचार और साम्राज्यवादी उद्देश्यों द्वारा निर्देशित था जिसके कारण पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष हुआ।
- इसके कारण भारत की प्राकृतिक सीमाओं के बाहर रूस और फ्राँस के साथ संघर्ष हुआ।
- यह ब्रिटिश हितों की पूर्ति करती थी जबकि खर्च और रक्तपात भारतीयों का होता था।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

21 भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव

अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में **संरचनात्मक परिवर्तन** किए और विभिन्न नीतियों के माध्यम से इसके **धन की निकासी** का मार्ग प्रशस्त किया।

विऔद्योगीकरण, जिसके कारण कारीगर और हस्तशिल्पी बर्बाद हो गए

- वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद ब्रिटिश नागरिकों को **एकतरफ़ा मुक्त व्यापार** से लाभ हुआ।
- भारतीय वस्त्रों को 80% टैरिफ का सामना करना पड़ा जिससे इसने यूरोपीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्धात्मकता खो दी।
- **रेलवे** ने यूरोपीय उत्पादों की आवक को सुगम बनाया तथा भारत **निर्यातक से आयातक** बन गया।
- औद्योगीकरण के बिना पारंपरिक आजीविका समाप्त हो गई।
- भारत का विऔद्योगीकरण यूरोप की तीव्र औद्योगिक क्रांति के विपरीत था।
- कारीगर **राज्य द्वारा संरक्षण** से वंचित हो गए।
- विऔद्योगीकरण के कारण कई शहरों का पतन हो गया।
- कारीगर अब गाँवों में चले गए और कृषि में लग गए। इससे भूमि पर दबाव बढ़ने से कृषि पर अत्यधिक बोझ पड़ा और गाँवों में आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया।

किसान वर्ग की दरिद्रता

- सरकार ने लगान को अधिकतम कर दिया और स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया, जिससे काश्तकारों के लिये असुरक्षा पैदा हो गई।
- ज़मींदारों ने अवैध बकाया की माँग की, काश्तकारों को बेदखल किया और कृषि सुधार के लिए प्रोत्साहन की कमी थी।
- काश्तकारों को साहूकारों से उधार लेने और कम कीमतों पर उपज बेचने के लिए मजबूर किया गया।
- सरकार, ज़मींदार और साहूकार के शोषण के तिहरे बोझ से काश्तकारों की कठिनाइयाँ बढ़ गई।

बिचौलियों का उद्भव, अनुपस्थित ज़मींदारवाद और पुराने ज़मींदारों का विनाश

- व्यापारी और साहूकार ज़मीन हड़प कर नए ज़मींदार बन गए।
- बिचौलियों में वृद्धि के कारण **अनुपस्थित ज़मींदारी** प्रथा को बढ़ावा मिला।
- नए ज़मींदारों ने ब्रिटिश शासन को कायम रखने हेतु राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया।

कृषि में अकर्मण्यता और गिरावट

- कृषकों के पास कृषि निवेश के लिए साधनों और प्रोत्साहनों का अभाव था।
- ज़मींदारों का गाँवों में कोई जुड़ाव नहीं था और कृषि सुधार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था।
- कृषि, तकनीकी या जनशिक्षा पर बहुत कम सरकारी खर्च।

अकाल और गरीबी

औपनिवेशिक ताकतों द्वारा फैलाई गई गरीबी के कारण अकाल पड़ा। वर्ष 1850 से 1900 के बीच अकाल में करीब 2.8 करोड़ लोगों की मौत हुई।

भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण [यूपीएससी 2018]

- 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में, कृषि जीवन शैली से वाणिज्यिक उद्यम में स्थानांतरित हो गई।
- कपास, जूट, मूंगफली और अन्य चीज़ें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के लिए उगाई जाती थीं।
- भारतीय किसानों के प्रति जबरन दवाब के कारण भारी ऋणग्रस्तता, अकाल और कृषि दंगे हुए।
- वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक थे: मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, परंपरा की जगह प्रतिस्पर्धा, एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार, बेहतर संचार और ब्रिटिश वित्त पूँजी।

उद्योग का विनाश एवं आधुनिक उद्योग के विकास में देरी

- अंग्रेज़ों ने भारतीय वस्त्रों के लिए पाउंड में भुगतान करना बंद कर दिया, जिससे भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा नष्ट हो गई।
- ब्रिटिश जहाज़ों को एकाधिकार दे दिया गया, भारतीय जहाज़ों को भारी करों का सामना करना पड़ा एवं नए कानूनों ने भारतीय निर्मित जहाज़ों को प्रतिबंधित कर दिया।
- भारतीय इस्पात आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे ब्रिटिश उपयोग के लिए उच्च मानक उत्पादन को मजबूर होना पड़ा।
- भारतीय व्यापारियों, साहूकारों और बैंकरों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण में भूमिका निभाई।
- आधुनिक मशीन-आधारित उद्योग 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में शुरू हुए, जिनमें ज़्यादातर विदेशी स्वामित्व वाले थे। **पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना (1853) बॉम्बे** में **कोवासजी नानाभॉय** द्वारा की गई थी। इसके अलावा, **पहली जूट मिल** वर्ष 1855 में बंगाल के रिषड़ा में स्थापित की गई थी।

औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादियों द्वारा आलोचना

19वीं सदी के शुरुआती बुद्धिजीवियों ने शुरू में आधुनिकीकरण और पूँजीवादी आर्थिक संगठन के लिए ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। 1860 के दशक के बाद मोहभंग हुआ, क्योंकि राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्तियों ने भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविकता की जाँच शुरू कर दी।

https://www.pdfnotes.co/

आर्थिक समालोचक के रूप में अग्रणी विश्लेषक थे:

- **दादाभाई नौरोजी (पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया), न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त (भारत का आर्थिक इतिहास), गोपाल कृष्ण गोखले, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और पृथ्वीचंद्र रे।**

[यूपीएससी 2015]

धन निकासी का सिद्धांत [यूपीएससी 2012]

- **दादाभाई नौरोजी** ने **"पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया"** में धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
- इन्होंने भारत की उत्पादक पूँजी में कमी की निंदा की, जहाँ भारत के राष्ट्रीय उत्पाद का एक हिस्सा राजनीतिक कारणों से ब्रिटेन चला गया और भारत को अपर्याप्त वापसी मिला।
- निकासी के घटक थे- वेतन, पेंशन, ऋण पर ब्याज, विदेशी निवेश पर लाभ, शिपिंग के लिए भुगतान, बैंकिंग और बीमा सेवाएँ।
- पूँजी निर्माण में प्रतिबन्ध और बाधा, भारत की कीमत पर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का विकास, वित्तीय पूँजी के रूप में अधिशेष का पुन: प्रवेश।
- भारत से धन की निकासी से देश के भीतर आय और रोज़गार की संभावनाएँ बाधित होती हैं।
- राष्ट्रवादियों ने आर्थिक निकास का अनुमान कुल भूमि राजस्व से अधिक, कुल सरकारी राजस्व का आधा या कुल बचत के एक तिहाई लगाया।

ब्रिटिश नीतियाँ और आर्थिक आलोचना

- आलोचकों का तर्क है कि उपनिवेशवाद ने भारत को कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के आपूर्तिकर्ता, ब्रिटिश निर्माताओं के लिए एक बाज़ार और ब्रिटिश पूँजी के लिए एक क्षेत्र में बदल दिया।
- राष्ट्रवादी विश्लेषक **आर्थिक स्वतंत्रता के लिए** बौद्धिक आंदोलन आयोजित करते हैं।
- दावा यह था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत को गरीब बना दिया और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बना।
- गरीबी को एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखा गया, जिसके लिए उत्पादक क्षमता बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास के माध्यम से समाधान की आवश्यकता थी।
- औद्योगीकरण को विकास के समान माना जाना चाहिए, जो विदेशी पूँजी पर नहीं, बल्कि भारतीय पूँजी पर आधारित होना चाहिए।
- विदेशी पूँजी द्वारा भारतीय पूँजी के दमन ने ब्रिटिश नियंत्रण को मज़बूत करके आर्थिक निष्कासन किया।

व्यापार और रेलवे की आलोचना

- विदेशी व्यापार पैटर्न ने तैयार माल के आयात और कच्चे माल के निर्यात का समर्थन किया।
- रेलवे के विकास को भारत की औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ समन्वित नहीं किया गया, जिससे औद्योगिक क्रांति के बजाय वाणिज्यिक क्रांति हुई।
- रेलवे ने विदेशी वस्तुओं को स्वदेशी उत्पादों से अधिक बिकने में सक्षम बनाया, जिससे ब्रिटिश हितों को लाभ हुआ।

एकतरफा मुक्त व्यापार और टैरिफ (सीमा शुल्क) नीति

- एकतरफ़ा मुक्त व्यापार के प्रभाव में असमान और अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय हस्तशिल्प नष्ट हो गए।
- निर्देशित सीमा शुल्क नीति ब्रिटिश पूँजीवादी हितों से प्रभावित थी।
- वित्त और कराधान गरीबों पर बोझ डालते थे तथा ब्रिटिश पूँजीपति और नौकरशाह इससे मुक्त थे।
- भू-राजस्व में कमी, नमक कर की समाप्ति, आयकर लगाना और अमीर मध्यम वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाना शामिल था।

धन निकासी का परिणाम

- धन निकासी के कारण भारत को अपनी उत्पादक पूँजी की कमी का सामना करना पड़ा।
- उस युग के दौरान **राष्ट्रवादी अनुमानों के परिमाण** ने प्रमुख वित्तीय संकेतकों को पार करते हुए व्यापक धन निकासी को उजागर किया जो कुल भू-राजस्व से अधिक या कुल सरकारी राजस्व का आधा या कुल बचत का एक तिहाई (राष्ट्रीय उत्पाद के 8%) के बराबर था।

राष्ट्रीय अशांति के उत्प्रेरक के रूप में आर्थिक मुद्दा

आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस धारणा को चुनौती दी कि विदेशी शासन से भारतीयों को लाभ हुआ। इसने स्वतंत्रता संग्राम (1875-1905) के मध्यम चरण के दौरान बौद्धिक अशांति और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को प्रेरित किया।

उपनिवेशवाद के चरण

आर्थिक समीक्षक होने के नाते **रजनी पाल्मे दत्त** ने भारत में साम्राज्यवादी शासन के इतिहास में तीन अतिव्यापी चरणों का उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैं: [यूपीएससी 2015]

प्रथम चरण

व्यापारिक पूँजी या वाणिज्यवाद का काल (1757–1813)

इसका उद्देश्य भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना और राज्य की सत्ता पर नियंत्रण के माध्यम से सरकारी राजस्व पर अधिकार करना था।

- प्रशासन, न्यायिक प्रणाली, कृषि या औद्योगिक उत्पादन के तरीकों, व्यवसाय प्रबंधन या आर्थिक संगठन के रूपों, शिक्षा या सामाजिक संरचना में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, हालाँकि सैन्य संगठन और शीर्ष स्तर के राजस्व प्रशासन में बदलाव प्रस्तुत किए गए।
- भारत से बड़े पैमाने पर धन का निकास (ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का 2-3%)। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के वित्तपोषण में निकासी से प्राप्त धन ने भूमिका निभाई।
- भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात नहीं हुआ, बल्कि इसका उलटा हुआ, भारतीय वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई।

द्वितीय चरण

मुक्त व्यापार का उपनिवेशवाद

इसकी शुरुआत 1813 के चार्टर एक्ट से हुई और 1860 के दशक तक जारी रही। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटिश पूँजीवादी हितों की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित हो गया था।

विशेषताएँ

- मुक्त व्यापार के माध्यम से भारत को ब्रिटिश और विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया गया।

https://www.pdfnotes.co/

- ब्रिटिश पूँजीपतियों को भारत में विभिन्न गतिविधियों में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। भारत ने ब्रिटिश निर्यात का 10 से 12 प्रतिशत और ब्रिटेन के वस्त्र निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत अवशोषित (आयात) किया।
- कृषिगत पूँजीवादी परिवर्तन के लिए स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई।
- अंदरूनी गाँवों और दूरदराज़ के क्षेत्रों तक पहुँच के लिए व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन।
- व्यापक रूप से विस्तारित प्रशासन को सस्ते कर्मचारी प्रदान करने के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की गई।
- भारतीय सेना का उपयोग एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विस्तार के लिए किया गया।
- आर्थिक प्रभाव के कारण लाभांश और मुनाफे को पूरा करने के लिए कच्चे माल के निर्यात में तेज़ वृद्धि हुई। भारत को अधिक ब्रिटिश वस्तुएँ खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता थी।

तृतीय चरण

विदेशी निवेश का युग (1860 से आगे)

- विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए और ब्रिटिश औद्योगिक वर्चस्व को यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा चुनौती दी गई। इसने वैज्ञानिक प्रगति और अंतरराष्ट्रीय परिवहन में नवाचारों के माध्यम से विश्व बाज़ार के एकीकरण के कारण औद्योगीकरण की गति को बढ़ाया।
- भारत पर नियंत्रण मज़बूत करने के तीव्र प्रयासों के माध्यम से ब्रिटिश नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण; उदारवादी साम्राज्यवादी नीतियों से प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी नीतियों में बदलाव; भारत में रेलवे, ऋण, व्यापार और विभिन्न उद्योगों में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश पूँजी निवेश।
- अंग्रेज़ों के विचार में परिवर्तन आया,जैसे भारतीय लोगों को स्व-शासन के लिए प्रशिक्षण देने की जगह भारतीयों को स्थायी संरक्षण; नस्लीय कारण बताकर भारतीयों को स्थायी रूप से अपरिपक्व, स्वशासन या लोकतंत्र के लिए अयोग्य घोषित करना। साथ ही 'श्वेत अधिभार सिद्धांत' ने ब्रिटिश शासन को बर्बर लोगों को सभ्य बनाने के रूप में उचित ठहराया।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

22 भारतीय प्रेस की ऐतिहासिक यात्रा

परिचय

वर्ष **1780 में, जेम्स ऑगस्टस हिक्की** ने देश के पहले समाचार पत्र **'द बंगाल गजट'** की शुरुआत करके भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत की। सरकार की साहसिक आलोचना के कारण वर्ष 1782 में इसे ज़ब्त कर लिया गया।

- **द बंगाल जर्नल, द कलकत्ता क्रॉनिकल, द मद्रास कूरियर और द बॉम्बे हेराल्ड** सहित समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की एक लहर उभरी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई।
- **राजा राममोहन राय** ने वर्ष 1824 में, प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंधों का विरोध किया। वर्ष 1870 से 1918 तक राष्ट्रवादी आंदोलन ने प्रेस का उपयोग राजनीतिक प्रचार और शिक्षा के लिए किया।
- **द हिंदू, बंगाली और अमृता बाज़ार पत्रिका** जैसे समाचार पत्रों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों को **पुस्तकालय आंदोलन** को प्रोत्साहित करने तथा राजनीतिक शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देकर राष्ट्र की सेवा करने के रूप में देखा गया।
- **जी. सुब्रमण्यम अय्यर, दादाभाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक** जैसे पत्रकारों ने प्रेस की महत्ता में योगदान दिया।
- **धारा 124 A** जैसे कड़े कानूनों के बावजूद, राष्ट्रवादी पत्रकारों ने कानूनी बाधाओं को दूर करने के तरीके खोजे। राष्ट्रीय आंदोलनों ने सरकारी प्रतिरोध जैसे **1878 का वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम** के बावजूद भी लगातार **प्रेस की स्वतंत्रता** की वकालत की।

विनियम और प्रेस का क्रमिक विकास

प्रेस सेंसरशिप अधिनियम, 1799	**लॉर्ड वेलेजली** ने फ्राँसीसी आक्रमण की आशंका से प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए। प्री-सेंसरशिप सहित लगभग युद्धकालीन प्रेस नियम लागू किए गए। बाद में **लॉर्ड हेस्टिंग्स** ने इन प्रतिबंधों में ढील दी और वर्ष **1818** में प्री-सेंसरशिप समाप्त कर दी गई।
लाइसेंसिंग विनियम, 1823	**जॉन एडम्स** (कार्यवाहक गवर्नर जनरल) द्वारा अधिनियमित, इन विनियमों में बिना लाइसेंस के प्रेस शुरू करने या प्रेस का उपयोग करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। शुरुआत में मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों या भारतीयों द्वारा संपादित अखबारों के खिलाफ इसे निर्देशित किया गया था। **राममोहन राय** को **मिरात-उल-अखबार** का प्रकाशन बंद करना पड़ा।
1835 का प्रेस अधिनियम या मेटकाफ अधिनियम	गवर्नर-जनरल के रूप में **मेटकाफ़ ने वर्ष 1823 के अध्यादेश** को निरस्त कर दिया और **"भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता"** की उपाधि अर्जित की। इसने प्रकाशन परिसर के सटीक विवरणों और आवश्यकता पड़ने पर कामकाज बंद करने के विकल्प को अनिवार्य कर दिया।
लाइसेंसिंग अधिनियम, 1857	1857 के विद्रोह के कारण मौजूदा पंजीकरण प्रक्रियाओं के अलावा लाइसेंसिंग प्रतिबंध लागू किए गए। सरकार ने प्रकाशन और वितरण रोकने का अधिकार सुरक्षित रखा।
पंजीकरण अधिनियम, 1867	इसने **मेटकाफ अधिनियम** को बदल दिया और प्रतिबंध के बजाय विनियमन पर ध्यान केंद्रित किया। मुद्रक, प्रकाशक और प्रकाशन के स्थान के नाम छापने के साथ ही किसी पुस्तक के प्रकाशन की तारीख से एक महीने के भीतर स्थानीय सरकार को एक प्रति जमा करना आवश्यक हो गया।

वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम (VPA), 1878

- इसका उद्देश्य **भारतीय भाषाओं के प्रेस** को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना और प्राच्य भाषाओं में प्रकाशनों में **"देशद्रोही लेखन"** पर अंकुश लगाना था।
- इसने **ज़िला मजिस्ट्रेट** को अधिकार दिया- मुद्रकों और प्रकाशकों को बंधपत्र भरने हेतु बाध्य करने का, ऐसी सामग्री को प्रतिबंधित कर सकने का जो असंतोष या विरोध को भड़का सकती थी; ज़िला मजिस्ट्रेट के निर्णय अंतिम थे और उनकी कार्रवाइयाँ **अपील न करने** योग्य थीं अर्थात किसी अदालत में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था**; भारतीय भाषाओं के** समाचार पत्र **सरकारी सेंसरशिप** से सरकारी निरीक्षक अधिकारी को सबूत प्रस्तुत करके छूट की माँग कर सकते थे; मुद्रक और प्रकाशक को सुरक्षा धनराशि जमा करने की भी आवश्यकता हो सकती थी, जिसे नियमों का उल्लंघन होने पर ज़ब्त किया जा सकता था और अपराध दोबारा होने पर प्रेस उपकरण भी ज़ब्त किया जा सकता था।
- इसने अंग्रेज़ी **और भारतीय भाषाओं के प्रेस** के बीच भेदभाव किया, इसलिए इसे **"गैगिंग एक्ट"** कहा गया। गौरतलब है कि VPA के तहत अपील का कोई अधिकार नहीं था।
- विरोध के कारण, सोम प्रकाश, भरत मिहिर, ढाका प्रकाश और समाचार जैसे समाचार पत्रों को VPA के तहत कार्यवाही का सामना करना पड़ा। संयोगवश, VPA से बचने के लिए **अमृत बाज़ार पत्रिका** रातोंरात एक अंग्रेज़ी अखबार में बदल गई।
- बाद में, प्री-सेंसरशिप खंड (धारा) को निरस्त कर दिया गया और प्रेस को प्रामाणिक तथा सटीक समाचार प्रदान करने के लिए एक **प्रेस आयुक्त** नियुक्त किया गया। व्यापक विरोध के कारण वर्ष **1882 में लॉर्ड रिपन ने** इसे रद्द कर दिया।

https://www.pdfnotes.co/

वर्ष 1882 के बाद विकास

- राष्ट्रवादी पत्रकारों के खिलाफ दमन जारी रहा जिसके कारण **सुरेंद्रनाथ बनर्जी (1883)** को कारावास की सज़ा हुई, वे जेल जानेवाले **पहले भारतीय पत्रकार** थे, जिन्होंने बंगाली में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आलोचना की थी। बाद में, **केसरी** में एक कविता, **'शिवाजी के कथन'** के प्रकाशन और शिवाजी उत्सव में तिलक द्वारा दिए गए एक भाषण, जिसमें शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या को उचित ठहराया गया था, के आधार पर तिलक को रैंड की हत्या के बाद कारावास का सामना करना पड़ा।
- **वर्ष 1898** में, सरकार ने **धारा 124ए** में संशोधन किया तथा दंड संहिता में एक और **धारा 153ए** जोड़ दी, जिससे किसी के लिए भी भारत सरकार एवं भारत में अंग्रेज़ों की अवमानना करना या विभिन्न वर्गों के बीच नफरत पैदा करना एक आपराधिक अपराध बन गया।

समाचार पत्र (अपराधों का उत्प्रेरण) अधिनियम, 1908	इसने **चरमपंथी राष्ट्रवादी** गतिविधियों को **लक्षित** किया, इससे मजिस्ट्रेटों को हत्या/हिंसा के कृत्यों के लिए उकसाने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वाली प्रेस संपत्ति को ज़ब्त करने की अनुमति मिल गई।
भारतीय प्रेस अधिनियम, 1910	इसने VPA सुविधाओं को पुनर्जीवित किया, स्थानीय सरकारों को सुरक्षा धनराशि की माँग करने और समाचार पत्रों की प्रतियाँ निःशुल्क जमा करवाने का अधिकार दिया।
भारत रक्षा अधिनियम (प्रथम विश्व युद्ध)	इसे राजनीतिक दमन और आलोचना के लिए लागू किया गया था। **तेज बहादुर सप्रू** की अध्यक्षता में प्रेस समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1908 और 1910 के प्रेस अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया।
भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियाँ) अधिनियम, 1931	इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार को दबाने के लिए **प्रांतीय सरकारों को** व्यापक अधिकार दिए। वर्ष 1932 में इसके दायरे को और अधिक बढ़ाया गया ताकि सरकारी प्राधिकार को कमज़ोर करने वाली सभी गतिविधियों को इसमें शामिल किया जा सके।
भारत रक्षा अधिनियम (द्वितीय विश्व युद्ध)	प्री-सेंसरशिप लागू की गई और **प्रेस आपातकालीन अधिनियम** तथा **आधिकारिक गोपनीय अधिनियम** में संशोधन किया गया। एक समय कांग्रेस एसोसिएशन से संबंधित सभी समाचारों के प्रकाशन को अवैध घोषित कर दिया गया था।

समाचार पत्र/पत्रिकाएँ

बंगाल गजट	1780	कलकत्ता; **जेम्स ऑगस्टस हिक्की** (आयरलैंडवासी) द्वारा शुरू किया गया।
इंडिया गजट (साप्ताहिक)	1787	कलकत्ता;**हेनरी लुई विवियन डेरोजियो** इससे संबंधित थे।
इंडियन हेराल्ड (अंग्रेज़ी में)	1795	मद्रास; **आर. विलियम्स** द्वारा शुरू किया गया।
बंगाल गजट (पहला बंगाली अखबार)	1818	कलकत्ता; **हरिश्चंद्र रॉय** द्वारा।
कलकत्ता जर्नल	1818	**जे.एस. बकिंघम** द्वारा शुरू किया गया।
संवाद कौमुदी (बंगाली में साप्ताहिक)	1821	**राजा राममोहन राय** द्वारा शुरू किया गया।
मिरात-उल-अखबार (फ़ारसी में पहली पत्रिका)	1822	कलकत्ता; **राजा राममोहन राय** द्वारा शुरू किया गया।
बंग-दूत (साप्ताहिक)	1822	कलकत्ता; चार भाषाओं (अंग्रेज़ी, बंगाली, फ़ारसी और हिंदी) में **राममोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, और अन्य** द्वारा।
ईस्ट इन्डियन (दैनिक)	19 वीं सदी	**हेनरी विवियन डेरोजियो** द्वारा शुरू किया गया।
बॉम्बे टाइम्स	1838	**बम्बई;** (वर्ष 1861 से टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है) **रॉबर्ट नाइट** द्वारा स्थापना की गई थी, **थॉमस बेनेट** द्वारा शुरू किया गया।
रास्त गोफ्तार (गुजराती पाक्षिक)	1851	दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया।
हिंदू पैट्रिऑट	1853	कलकत्ता; **गिरीश चंद्र घोष** द्वारा (बाद में, हरीश चंद्र मुखर्जी मालिक-सह-संपादक बने)।
सोम प्रकाश (पहला बंगाली राजनीतिक अखबार)	1858	कलकत्ता; **द्वारकानाथ विद्याभूषण** द्वारा।
इंडियन मिरर (अंग्रेज़ी में पहला भारतीय दैनिक समाचार पत्र)	1862	कलकत्ता; **देवेन्द्रनाथ टैगोर** द्वारा।
बंगाली (पहला भारतीय भाषा का समाचार पत्र)	1862	कलकत्ता; **गिरीश चंद्र घोष** द्वारा (बाद में 1879 में एस.एन. बनर्जी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया)।

https://www.pdfnotes.co/

अमृत बाज़ार पत्रिका (शुरुआत में बांग्ला, बाद में अंग्रेज़ी)	1868	जेसोर ज़िला, **शिशिर कुमार घोष और मोती लाल घोष** द्वारा।
नेशनल पेपर	1865	कलकत्ता; **देवेन्द्रनाथ टैगो**र द्वारा।
बंगदर्शन (बंगाली)	1873	कलकत्ता; **बंकिमचंद्र चटर्जी** द्वारा।
इंडियन स्टेट्समैन	1875	कलकत्ता; **रॉबर्ट नाइट द्वारा** शुरू किया गया।
द हिंदू (अंग्रेज़ी साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ)	1878	मद्रास; **जी.एस. अय्यर, वीरराघवचारी, और सुब्बा राव** द्वारा।

ट्रिब्यून (दैनिक)	वर्ष 1881 में लाहौर में **दयाल सिंह मजीठिया** द्वारा।
केसरी (मराठी दैनिक)	वर्ष 1881 में बम्बई में **तिलक, चिपलूनकर, अगरकर** द्वारा।
स्वदेश मित्रन (तमिल)	मद्रास में **जी.एस.अय्यर** द्वारा।
परिदासक (साप्ताहिक)	वर्ष 1886 में **बिपिन चंद्र पाल** (प्रकाशक) द्वारा।
युगांतर	वर्ष 1906 में बंगाल में **बरिन्द्र कुमार घोष और भूपेन्द्रनाथ दत्त** द्वारा।
संध्या	वर्ष 1906 में बंगाल में **ब्रह्मबांधब उपाध्याय** द्वारा।
इंडियन सोसिआलजिस्ट	लंदन में **श्यामजी कृष्ण वर्मा** द्वारा।
बंदे मातरम्	पेरिस में **मैडम भीकाजी कामा** द्वारा।
तलवार	बर्लिन में **वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय** द्वारा।
फ्री हिंदुस्तान	वैंकूवर में **तारक नाथ दास** द्वारा।
गदर	सैन फ्रांसिस्को में **गदर पार्टी** द्वारा।
बॉम्बे क्रॉनिकल (दैनिक)	वर्ष 1913 में बम्बई में **फ़िरोज़शाह मेहता** द्वारा शुरू किया गया।
हिंदुस्तान टाइम्स	920 में दिल्ली में **के.एम. पणिक्कर द्वारा** अकाली दल आंदोलन के भाग के रूप में।
मिलाप (उर्दू दैनिक)	वर्ष 1923 में लाहौर में **एम.के.चंद** द्वारा।
कीर्ति	वर्ष 1926 में पंजाब में संतोष सिंह द्वारा।
बहिष्कृत भारत (मराठी पाक्षिक)	वर्ष 1927 में **बी.आर. अंबेडकर** द्वारा।
कुड़ी अरासु (तमिल)	वर्ष 1910 में **ई.वी. रामास्वामी नाइकर** (पेरियार) द्वारा
क्रांति	वर्ष 1927 में महाराष्ट्र में **एस.एस. मिराजकर, के.एन. जोगलेकर, एस.वी. घाटे** द्वारा।
लांगल और गणबानी	वर्ष 1927 में बंगाल में **गोपू चक्रवर्ती और धरणी गोस्वामी** द्वारा।
बंदी जीवन	बंगाल में **सचिन्द्रनाथ सान्याल** द्वारा।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

23 औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास

कंपनी नियम और प्रारंभिक शैक्षिक पहल

ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित थी, ने शिक्षा में न्यूनतम रुची दिखाई (1813 तक)। लोगों द्वारा की गई कुछ सीमित पहल इस प्रकार हैं:

[यूपीएससी 2018]

- **कलकत्ता मदरसा (1781):** वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की।
- **संस्कृत कॉलेज (1791):** जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए इसे बनारस में स्थापित किया।
- **फोर्ट विलियम कॉलेज (1800):** वेलेजली ने कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीयों की भाषाओं और रीति-रिवाजों में प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की (वर्ष **1802** में बंद हो गया)। [यूपीएससी 2020]

19वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रबुद्ध भारतीयों तथा मिशनरियों द्वारा आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष एवं पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पाश्चात्य शिक्षा पर ज़ोर दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए की गई पहल इस प्रकार हैं:

1813 का चार्टर अधिनियम: एक साधारण शुरुआत

[यूपीएससी 2018]

- इसमें देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया गया। इसने कंपनी को शिक्षा के लिए एक लाख रुपए का वार्षिक आवंटन मंज़ूर करने का निर्देश दिया। वर्ष 1823 तक धन आवंटन की कमी के कारण कार्यान्वयन में देरी हुई।
- राजा राममोहन राय के प्रयासों के कारण कलकत्ता कॉलेज के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसकी स्थापना वर्ष 1817 में शिक्षित बंगालियों द्वारा की गई थी, जो अंग्रेज़ी भाषा में पाश्चात्य मानविकी और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता था।
- सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में तीन संस्कृत कॉलेज भी स्थापित किए।

प्राच्यवादी-आंग्लवादी विवाद: 19वीं सदी के विवाद

[यूपीएससी 2018]

- आंग्लवादियों ने आधुनिक अध्ययन पर विशेष ध्यान देने की वकालत की, जबकि प्राच्यवादियों ने पारंपरिक भारतीय शिक्षा के विस्तार पर ज़ोर दिया।
- आंग्लवादियों में शिक्षा के माध्यम पर मतभेद था। एक गुट अंग्रेज़ी भाषा को माध्यम बनाने के पक्ष में था, जबकि दूसरा गुट इस उद्देश्य के लिए भारतीय भाषाओं (स्थानीय भाषाओं) के पक्ष में था।

लॉर्ड मैकाले का स्मरण-पत्र (1835)

- लॉर्ड मैकाले का मानना था कि "भारतीय शिक्षा यूरोपीय शिक्षा से कमतर थी"।
- यह आंग्लवादियों के पक्ष में तय हुआ। जन शिक्षा की उपेक्षा करते हुए स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी बन गई तथा सरकारी संसाधनों को पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के लिए समर्पित कर दिया।
- इसने उच्च मध्यम वर्ग के एक छोटे से वर्ग को शिक्षित करने की योजना बनाई जो दुभाषियों के रूप में कार्य करेगा और "रक्त और रंग में भारतीय लेकिन स्वाद, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि में अंग्रेज़ों के समान" होगा। इसे अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत के रूप में जाना जाता था।

थॉमसन की ग्रामीण शिक्षा (1843-53)

- जेम्स थॉमसन (उत्तर-पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर) ने राजस्व और लोक निर्माण विभाग के कर्मियों को व्यावहारिक विषय पढ़ाते हुए, स्थानीय भाषा-आधारित ग्रामीण शिक्षा की शुरुआत की।

वुड्स डिस्पैच (1854): अंग्रेज़ी शिक्षा का मैग्ना कार्टा

[यूपीएससी 2018]

- यह भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना थी। इसने सरकार से जन शिक्षा की ज़िम्मेदारी लेने को कहा। इसने 'अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत' को अस्वीकार कर दिया।
- इसने शिक्षा-व्यवस्था के पदानुक्रम को व्यवस्थित करते हुए सबसे निचले पायदान पर गाँवों में स्थानीय भाषा आधारित प्राथमिक विद्यालयों को, इसके बाद ज़िला स्तर पर स्थानीय-अंग्रेज़ी भाषा आधारित हाई स्कूल और संबद्ध कॉलेज तथा इनके बाद कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास में संबद्ध विश्वविद्यालय को रखा।
- उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेज़ी माध्यम तथा स्कूल स्तर के लिये स्थानीय भाषाएं।
- शिक्षक प्रशिक्षण पर ज़ोर के साथ महिला एवं व्यावसायिक शिक्षा पर ज़ोर।
- सरकारी संस्थानों में शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होगी।
- निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान की अनुशंसा की गई।

वुड डिस्पैच के बाद के घटनाक्रम (19वीं सदी के अंत में)

- कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना (**1857**)।
- जे.ई.डी.बेथ्यून द्वारा वर्ष **1849** में कलकत्ता में **बेथ्यून स्कूल** की स्थापना की गई। बेथ्यून शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे और उनके प्रयास से लड़कियों के विद्यालय को स्थापित किया गया तथा इसे सरकार की सहायता-अनुदान एवं निरीक्षण प्रणाली के तहत लाया गया।

https://www.pdfnotes.co/

- पूसा (बिहार) में कृषि संस्थान और रुड़की में इंजीनियरिंग संस्थान जैसे तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए।
- वुड्स डिस्पैच (**19**वीं शताब्दी) में आदर्शों के प्रभुत्व के कारण यूरोपीयों द्वारा संचालित संस्थानों के साथ शिक्षा प्रणाली का पश्चिमीकरण हुआ।
- इसके अलावा, मिशनरी उद्यम और निजी भारतीय प्रयास धीरे-धीरे उभरे।

औपनिवेशिक भारत पर क्राउन के शासन के बाद, शैक्षिक सुधार की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। इन पहलों ने औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के पथ को आकार दिया।

हंटर शिक्षा आयोग (1882-83)

वर्ष 1882 में, सरकार ने वर्ष 1854 के वुड डिस्पैच के बाद से देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर आयोग का गठन किया। हंटर आयोग ने अपनी सिफारिशें ज़्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रखीं।

- स्थानीय भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर राज्य का विशेष ध्यान देने पर ज़ोर।
- इसने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नव स्थापित ज़िला और नगरपालिका बोर्डों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की।
- माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक (विश्वविद्यालय-उन्मुख) और व्यावसायिक (व्यावसायिक पेशा) में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा।
- विशेषकर प्रेसिडेंसी कस्बों के बाहर महिला शिक्षा और लैंगिक समानता के लिए अपर्याप्त सुविधाओं पर प्रकाश डाला गया।

आने वाले वर्षों में भारतीयों की भागीदारी से माध्यमिक और महाविद्यालयी शिक्षा का तेज़ी से विकास तथा विस्तार हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय (1882) और इलाहाबाद विश्वविद्यालय (1887) जैसे शिक्षण-सह-परीक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किए गए।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम,1904

- रैले आयोग (1902) की स्थापना भारत में विश्वविद्यालयों की स्थितियों और संभावनाओं पर विचार करने तथा उनके गठन एवं कार्यप्रणाली में सुधार के उपाय सुझाने के लिए की गई थी। आयोग ने प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर रिपोर्टिंग को रोक दिया। इसकी सिफ़ारिशें निम्न थी:
- विश्वविद्यालयों को अध्ययन और अनुसंधान को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया।
- विश्वविद्यालय के अध्येताओं की संख्या कम की गई और सरकारी नामांकन बढ़ाया गया। सरकार को वीटो करने और विश्वविद्यालय विनियमों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हुई।
- निजी कॉलेजों की संबद्धता के लिए शर्तें कड़ी कर दी गई।
- उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए धनराशि (5 लाख प्रति वर्ष) स्वीकृत की गई।

कर्ज़न ने गुणवत्ता और दक्षता के नाम पर इन उपायों को उचित ठहराया, लेकिन वास्तव में शिक्षा को प्रतिबंधित करने तथा शिक्षितों को सरकार के प्रति वफादारी के लिए अनुशासित करने का उपाय किया। राष्ट्रवादियों ने इसे साम्राज्यवाद को मज़बूत करने के प्रयास के रूप में देखा। गोखले ने इसे "प्रतिगामी उपाय" बताया।

शिक्षा नीति पर सरकारी संकल्प (1913)

बड़ौदा की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (1906) ने शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय नेताओं को प्रभावित किया। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए गोखले के वर्ष 1910 के संकल्प के साथ निम्न प्रावधान किए गए:

गोखले का वर्ष 1910 का संकल्प

- उन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाएगी जहाँ कम-से-कम 35 प्रतिशत 6-7 वर्ष के लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे हों।
- राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकार शिक्षा की लागत तय करेंगे।
- अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार के अधीन एक अलग शिक्षा विभाग स्थापित करने की आवश्यकता;
- प्रगति की निगरानी करने और बजट रिपोर्ट तैयार करने के लिए शिक्षा सचिव की नियुक्ति की जाएगी।

सरकार के आश्वासन पर उन्होंने प्रस्ताव वापस ले लिया।

- अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष ज़िम्मेदारी से इनकार कर दिया, लेकिन निरक्षरता को दूर करने की नीति को स्वीकार कर लिया। प्रांतों से गरीब और पिछड़े वर्गों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का आग्रह किया।
- निजी प्रयासों को प्रोत्साहित किया और माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार पर ज़ोर दिया।
- प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
- महिला शिक्षा के लिए यह सुझाव दिया गया कि लड़कियों के लिए व्यावहारिक उपयोगिता का पाठ्यक्रम होना चाहिए तथा लड़कियों की परीक्षाओं को अधिक महत्त्व नहीं मिलना चाहिए। हालाँकि, महिला शिक्षकों और निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए।

सैडलर विश्वविद्यालय आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917-19)

इसका गठन माइकल सैडलर की अध्यक्षता में किया गया था।

- इसकी स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए की गई थी, लेकिन इसकी सिफारिशें कमोबेश अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू होती थीं।
- इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक पूरे क्षेत्र की समीक्षा की गई।
- इसका विचार था कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार एक आवश्यक पूर्व शर्त थी। इसकी सिफ़ारिशें निम्न थीं:
- 12 वर्ष के स्कूली पाठ्यक्रम की सिफारिश की गई। छात्रों को विश्वविद्यालय में तीन वर्ष के डिग्री कोर्स के लिए इंटरमीडिएट चरण (मैट्रिक के बजाय) के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश करना अनिवार्य किया गया।
  - यह छात्रों को विश्वविद्यालय चरण के लिए तैयार करने के लिए किया गया था; विश्वविद्यालयों को बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय-मानक से नीचे के छात्रों से छुटकारा दिलाना; और
  - उन लोगों को महाविद्यालयी शिक्षा प्रदान करना जो विश्वविद्यालय स्तर पर जाने की योजना नहीं बना रहे हैं।

https://www.pdfnotes.co/

- माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए एक अलग माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए।
- विश्वविद्यालय के नियम बनाने में कम कठोरता होनी चाहिए।
- स्वायत्त निकायों के रूप में विश्वविद्यालयों के केंद्रीकरण का प्रस्ताव। विश्वविद्यालय के विकास के लिए एक शर्त के रूप में माध्यमिक शिक्षा में सुधार पर ज़ोर दिया गया।
- पेशेवर और व्यावसायिक कॉलेजों सहित महिला शिक्षा, प्रायोगिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण का विस्तार करने की सिफारिश की गई।

सैडलर आयोग का प्रभाव

- वर्ष 1920 में सरकार ने प्रांतीय सरकारों को सैडलर रिपोर्ट की सिफारिश की।
- वर्ष 1916 से 1921 तक सात नए विश्वविद्यालय खुले: मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ, ढाका, लखनऊ और उस्मानी। इसके तुरंत बाद, दिल्ली, आगरा तथा अन्नामलाई (मद्रास में) जैसे और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए।
- शिक्षण विश्वविद्यालयों और आवासीय विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। ऑनर्स पाठ्यक्रमों की शुरुआत के साथ, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों में वृद्धि हुई।
- विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ हुआ। उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए सुविधाएँ भी बनाई गईं।
- विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर का पद सृजित किया गया। कलकत्ता एवं ढाका विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग खोला गया।
- विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन में सुधार हुआ। पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा और अनुसंधान जैसे मामलों से निपटने के लिए शैक्षिक परिषद बनाई गई। इससे विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक मानकों में सुधार करने में मदद मिली।
- वर्ष 1925 में, विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर-विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की गई।
- पहली बार, विश्वविद्यालयों में छात्र कल्याण एक महत्त्वपूर्ण मामला बन गया। प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।

द्वैध शासन के तहत शिक्षा

- सरकार ने शैक्षिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप करना बंद कर दिया और मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के तहत शिक्षा की ज़िम्मेदारी प्रांतीय मंत्रालयों को हस्तांतरित कर दी। इसके अतिरिक्त, सरकारी अनुदान, जिसे वर्ष 1902 से उदारतापूर्वक स्वीकृत किया गया था, बंद कर दिया गया।
- भले ही वित्तीय बाधाओं ने किसी भी महत्त्वपूर्ण विकास में बाधा उत्पन्न की, फिर भी, विशेष रूप से धर्मार्थ पहल के परिणामस्वरूप शिक्षा में वृद्धि हुई।

हार्टोग समिति (1929)

गिरते मानकों को संबोधित करने हेतु फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में शिक्षा मानकों का आकलन करने के लिए हार्टोग समिति का गठन साइमन आयोग द्वारा किया गया। इसकी सिफ़ारिशें निम्न थीं:

प्राथमिक शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में कमियों, अपव्यय और ठहराव की पहचान की गई तथा प्राथमिक विद्यालयों के सरकारी नियंत्रण एवं निरीक्षण की सिफारिश की गई।
- विद्यालय का समय और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उस क्षेत्र के वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुकूल हो। चुने गए विषयों का छात्रों के लिए व्यावहारिक मूल्य होना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए।
- विद्यालय निरीक्षण की संख्या के साथ-साथ कार्यकुशलता भी बढ़नी चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालयों को सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वयस्क शिक्षा, चिकित्सा सहायता और मनोरंजन की सुविधाएँ प्रदान कर सकें।

माध्यमिक विद्यालय शिक्षा: परीक्षा-उन्मुख माध्यमिक शिक्षा की आलोचना की गई। औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों सहित एक विविध पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की गई।

उच्च शिक्षा

- इसमें सुझाव दिया गया कि एकात्मक और आवासीय विश्वविद्यालयों के अलावा संबद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। विश्वविद्यालयी पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार किया जाए, ऑनर्स पाठ्यक्रम खोले जाएँ और छात्रों को योग्यताओं के आधार पर प्रवेश दिया जाए।
- समिति ने विद्वान और उदार विचारधारा वाले व्यक्तियों को विकसित करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया जो ज़िम्मेदारियाँ उठाने में सक्षम होंगे।

महिला शिक्षा

- बालक और बालिकाओं की शिक्षा को समान महत्त्व देने की सिफारिश की गई।
- बालिकाओं के लिए अधिक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए; और
- माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम में स्वच्छता, गृह विज्ञान और संगीत शामिल होना चाहिए।
- शिक्षण कार्य के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ माध्यमिक स्कूली शिक्षा को बढ़ाया और संबद्ध कॉलेजों को भी बढ़ाया।

सार्जेंट शिक्षा योजना (1944)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार सर जॉन सार्जेंट को भारतीय शिक्षा की उन्नति के लिए एक ज्ञापन का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया, जिसे वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को प्रस्तुत किया गया। इसकी सिफारिशें निम्न थीं

- 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की गई। इन स्कूलों में प्रशिक्षित महिलाओं को शिक्षक बनाया जाना चाहिए।
- 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए सार्वभौमिक, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया। सीखने पर शिक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ज़ोर दिया गया।
- 11 वर्ष की आयु से चयनित बच्चों के लिए शैक्षणिक और तकनीकी/व्यावसायिक धाराओं के साथ छह वर्षीय हाई स्कूल शिक्षा की सिफारिश की गई। सभी उच्च विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी जबकि अंग्रेज़ी अनिवार्य दूसरी भाषा होगी। छात्रों को 14 वर्ष की आयु तक स्कूल नहीं छोड़ना था।

https://www.pdfnotes.co/

- उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होना चाहिए। मौजूदा इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम को समाप्त किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा मानक में अवश्य सुधार किया जाना चाहिए और प्रवेश पद्धति को अवश्य बदला जाना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में सक्षम छात्रों को ही दाखिला मिल सके।
- गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाए। शिक्षक सक्षम हों और उनकी सेवा शर्तों में सुधार हो; स्नातकोत्तर अध्ययन तथा शुद्ध व्यावहारिक अनुसंधान में उच्च मानक पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों की गतिविधियों के समन्वय के लिए इंग्लैंड की विश्वविद्यालय अनुदान समिति की तर्ज पर एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जानी चाहिए।
- इसके अलावा 20 वर्षों में वयस्क निरक्षरता को समाप्त करने, वयस्क शिक्षा, स्कूलों में चिकित्सा जाँच और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा, रोज़गार कार्यालय की स्थापना पर भी ज़ोर दिया गया।

बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना (1937)

अक्टूबर 1937 में कांग्रेस द्वारा वर्धा (भारत) में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। जाकिर हुसैन समिति ने वहाँ पारित प्रस्तावों के अनुसार एक व्यापक राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम विकसित किया। इसे **नई तालीम** के नाम से जाना जाने लगा।

- इस योजना के पीछे का सिद्धांत 'गतिविधि के माध्यम से सीखना' था। यह साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में लेखों की एक शृंखला में प्रकाशित गांधी के विचारों पर आधारित था।
- इसने 7 से 14 वर्ष की उम्र के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की।
- पाठ्यक्रम में बुनियादी हस्तकला को शामिल किया गया। स्कूली शिक्षा के पहले सात वर्षों को मुफ़्त और अनिवार्य राष्ट्रव्यापी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाया गया। इसे मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा और हिंदी उन क्षेत्रों में पढ़ाई जाएगी जहाँ यह मातृभाषा नहीं है।
- सेवा के माध्यम से स्कूलों के आसपास सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ विकसित की जाएँगी।
- किसी शिल्प के सामाजिक एवं वैज्ञानिक निहितार्थों का अध्ययन किया जाना था। गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, चित्रकला, संगीत और शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। कोई धार्मिक और नैतिक शिक्षा शामिल नहीं की जानी चाहिए।

द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के कारण इस योजना का विकास सीमित था।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

24 औपनिवेशिक भारत में किसान संघर्ष (1857-1947 ई.)

परिचय

औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय किसानों की दरिद्रता के प्रमुख कारण औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ, हस्तशिल्प में गिरावट, नई भूमि-राजस्व प्रणाली, प्रशासनिक और न्यायिक ढाँचे सहित कारकों की एक जटिल पारस्परिक क्रिया आदि थे।

किसान आंदोलनों के कारण

- किसानों को अत्यधिक लगान, अवैध उगाही और मनमानी बेदखली का सामना करना पड़ा। जमींदारी क्षेत्रों में, अवैतनिक श्रम एक सामान्य घटना थी, जबकि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार द्वारा भारी भू-राजस्व लगाया जाता था।
- अत्यधिक बोझ से दबे किसानों ने स्थानीय साहूकारों से राहत माँगी, जिसके कारण अक्सर भूमि और मवेशी गिरवी रखने पड़ते थे।

किसान आंदोलनों के परिणाम

- इससे वास्तविक कृषक अपनी इच्छानुसार किरायेदार, बटाईदार या भूमिहीन मजदूर बन गए।
- किसानों ने शोषण का विरोध किया, कभी-कभी लूट और डकैती सहित अपराध का सहारा भी लिया।

प्रारंभिक किसान आंदोलनों का सर्वेक्षण

'नील विद्रोह' (1859-60 ई.) [यूपीएससी 2020]

बंगाल में यूरोपीय नील बागान मालिकों ने स्थानीय किसानों का शोषण किया और उन्हें चावल जैसी अधिक लाभदायक फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया। बागान मालिकों ने किसानों को फँसाने के लिए जबरदस्ती की रणनीतियाँ अपनाईं, जैसे अग्रिम रकम देना और धोखाधड़ीपूर्ण अनुबंध करना।

- बागान मालिकों ने किसानों को डराने के लिए कई तरह की हिंसक रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जिसमें अपहरण, कोड़े मारना, गैर-कानूनी हिरासत, महिलाओं और बच्चों पर हमले, मवेशियों को जब्त करना, घर को तोड़ना और जलाना तथा फसल को नष्ट करना शामिल था।
- किसान प्रतिरोध (1859 ई.) का नेतृत्व नादिया जिले के दिगंबर विश्वास और बिष्णु विश्वास ने किया तथा दबाव देकर कारवाई जाने वाली नील की खेती का विरोध किया।
- प्रतिरोध में बागान मालिकों के दबाव का मुकाबला करना, हड़ताल पर जाना, बढ़े हुए लगान का भुगतान करने से इनकार करना और बंगाली बुद्धिजीवियों के समर्थन से हमलों के खिलाफ संगठित होना आदि शामिल था।
- बंगाली बुद्धिजीवियों ने किसानों की शिकायतों को रेखांकित करने वाले ज्ञापनों का मसौदा तैयार करके, बड़े पैमाने पर सभाएँ आयोजित करके, अदालती मामलों में उनका समर्थन करके तथा समाचार पत्र अभियान चलाकर, किसानों के हित को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- सरकार ने एक नील आयोग नियुक्त किया जिससे नवंबर, 1860 ई. में एक अधिसूचना जारी हुई, जिसने किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर होने से बचाया।
- 1860 ई. के अंत तक, कारखाने बंद होने लगे थे और बंगाल में नील की खेती लगभग समाप्त हो गई।

पाबना कृषि लीग

- पूर्वी बंगाल में जमींदारों ने दमनकारी लगान में वृद्धि की और 1859 ई. के अधिनियम X के तहत किरायेदारों को अधिवास अधिकारों से वंचित कर दिया गया।
- उन्होंने जबरन बेदखली, मवेशियों और फसलों की जब्ती तथा लंबे समय तक मुकदमेबाजी जैसी रणनीति अपनाई।
- जमींदारों की माँगों का विरोध करने के लिए किसानों द्वारा पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में एक कृषि लीग का गठन किया। लीग ने बढ़े हुए लगान का भुगतान करने से इनकार करते हुए और जमींदारों को अदालत में चुनौती देते हुए लगान हड़ताल का आयोजन किया।
- किसान कानूनी प्रतिरोध में लगे हुए थे, अदालती मामलों के लिए धन जुटा रहे थे।
- सरकार ने 1885 ई. में बंगाल किरायेदारी अधिनियम के साथ जवाब दिया, जिसमें जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ विधायी सुरक्षा की पेशकश की गई।
- बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.सी.दत्त जैसे युवा भारतीय बुद्धिजीवियों और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन ने किसानों के मुद्दे का समर्थन किया।

दक्कन दंगे (1874 ई.)

- रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत दक्कन क्षेत्र के किसानों को भारी कर का सामना करना पड़ता था। बाहरी साहूकारों, मुख्यतः मारवाड़ी या गुजरातियों ने भी उनका शोषण किया।
- 1864 ई. में अमेरिकी गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद कपास की कीमतों में गिरावट, 1867 ई. में भू-राजस्व में पचास प्रतिशत की वृद्धि करने के सरकार के फैसले और लगातार हुई खराब फसल ने स्थिति को और भी खराब कर दिया था।
- बढ़ते तनाव के कारण बाहरी साहूकारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार और कृषि दंगे (1874 ई.) हुए। नाई, धोबी, मोची उनकी सेवा नहीं करते थे।

https://www.pdfnotes.co/

- यह सामाजिक बहिष्कार तेजी से पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा के गाँवों तक फैल गया। जल्द ही, सामाजिक बहिष्कार साहूकारों के घरों और दुकानों पर व्यवस्थित हमलों के साथ कृषि दंगों में बदल गया। ऋण बॉण्ड और विलेख जब्त कर लिए गए और सार्वजनिक रूप से जला दिए गए।
- सरकार ने आंदोलन का दमन किया और एक सुलह उपाय के रूप में, वर्ष 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया।
- महाराष्ट्र के बुद्धिजीवियों ने भी किसानों के मुद्दे का समर्थन किया।

1857 ई. के बाद किसान आंदोलन

- किसान मुख्य शक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने तात्कालिक शत्रुओं के विरुद्ध आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।
- आंदोलनों के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते थे, जो विशेष शिकायतों के निवारण पर केंद्रित होते थे।
- क्षेत्रीय पहुँच सीमित थी, निरंतरता या दीर्घकालिक संगठन का अभाव था।

कमजोरियाँ

- उपनिवेशवाद और नई विचारधारा की समझ का अभाव।
- वैकल्पिक समाज के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के बिना पुरानी सामाजिक व्यवस्था के भीतर अधिक संघर्ष हुए।

1857 ई. से 1947 ई. की अवधि में, औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलनों ने आर्थिक शिकायतों, स्थानीय प्रतिरोध और विरोध की प्रकृति में क्रमिक विकास को प्रतिबिंबित किया।

20 वीं सदी के भारत में किसान आंदोलन

किसान सभा आंदोलन (1918-1921 ई.)

- 1857 ई. के विद्रोह के बाद, अवध के तालुकदारों ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और किसानों पर ऊँचे लगान और दमनकारी प्रथाएँ लागू कर दीं।
- होमरूल कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं के गठन को प्रोत्साहित किया। फरवरी, 1918 ई. में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय ने भी उनके प्रयासों का समर्थन किया। जून, 1919 तक उत्तर प्रदेश किसान सभा का विस्तार 450 शाखाओं तक हो गया।
- इस आंदोलन से जुड़े अन्य नेताओं में झिंगुरी सिंह, दुर्गपाल सिंह और बाबा रामचन्द्र शामिल हैं। बाबा रामचन्द्र के निमंत्रण के कारण नेहरू ने गाँवों का दौरा किया और ग्रामीणों के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया।

अवध किसान सभा (अक्टूबर, 1920 ई.)

- राष्ट्रवादी पदों में मतभेद के कारण अक्टूबर, 1920 ई. में अवध किसान सभा का गठन हुआ।
- सभा ने किसानों से आग्रह किया कि वे बेदखली-भूमि को जोतने से इनकार कर दें, हरि और बेगार (अवैतनिक श्रम) की पेशकश न करें, आज्ञा न मानने वाले व्यक्तियों का बहिष्कार करें तथा विवादों को पंचायतों के माध्यम से हल करें।
- आंदोलन मुख्य रूप से राय बरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर में बड़ी बैठकों से लूटपाट, झड़प और व्यवधान में बदल गया।
- सरकारी दमन के कारण आंदोलन में गिरावट आई। अवध किराया (संशोधन) अधिनियम ने गिरावट में और योगदान दिया, जिससे आंदोलन अंततः समाप्त हो गया।

एका आंदोलन (1921-1922 ई.)

- वर्ष 1921 के अंत में, संयुक्त किसानों के उत्तरी जिलों (हरदोई, बहराईच और सीतापुर) में उच्च लगान, ठिकानेदार उत्पीड़न और बटाई-किराया प्रथाओं को लेकर असंतोष उभरा।
- किसानों ने प्रतीकात्मक अनुष्ठानों में भाग लिया और समय पर दर्ज लगान का भुगतान करने, बेदखली का विरोध करने, जबरन श्रम से इनकार करने, अपराधियों से दूर रहने और पंचायत के फैसलों का पालन करने का वचन दिया।
- इसका नेतृत्व मदारी पासी और अन्य निम्न जाति के नेताओं ने किया।
- मार्च, 1922 ई. तक आंदोलन को अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन का सामना करना पड़ा और अंततः यह समाप्त हो गया।

मोपला विद्रोह (1921 ई.)

- 19वीं शताब्दी के दौरान मालाबार क्षेत्र में, मोपला के नाम से जाने जाने वाले मुस्लिम किरायेदारों को मुख्य रूप से हिंदू जमींदारों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
- उनका असंतोष असुरक्षित कार्यकाल, उच्च किराए और दमनकारी शुल्क जैसे मुद्दों से उत्पन्न हुआ।
- मोपलाओं को स्थानीय कांग्रेस निकाय में समर्थन मिला, जिसने किरायेदार-मकान मालिक संबंधों को विनियमित करने के लिए सरकारी कानून की वकालत की। इस सैरेखण ने खिलाफत आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए आधार तैयार किया।
- गांधी, शौकत अली और मौलाना आजाद जैसे नेताओं से समर्थन प्राप्त करते हुए, मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ गया।
- राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ़्तारी के साथ, स्थानीय मोपला नेताओं ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और आंदोलन को स्वतंत्र रूप से संचालित किया। अगस्त, 1921 ई. में सम्मानित मौलवी नेता, अली मुसलियार की गिरफ्तारी से व्यापक दंगे भड़क उठे।
- प्रारंभ में, ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक और अलोकप्रिय हिंदू जमींदार प्राथमिक लक्ष्य थे। जैसे ही अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगाया और दमन तेज हो गया, मोपला विद्रोह बदल गया। जिन हिंदुओं को अधिकारियों की सहायता करने वाला माना जाता था, वे निशाना बन गए।
- इस सांप्रदायिक मोड़ ने मोपलाओं को व्यापक खिलाफत-असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया। दिसंबर, 1921 ई. तक सांप्रदायिक तनाव से उत्पन्न विद्रोह रुक गया, जो मोपला प्रतिरोध के अंत का संकेत था।

बारदोली सत्याग्रह (1926-1928 ई.)

राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर गांधी के उद्भव के साथ सूरत जिले के बारदोली तालुका का महत्त्वपूर्ण राजनीतीकरण हुआ।

- जनवरी, 1926 ई. में अधिकारियों ने भू-राजस्व में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा, जिससे असंतोष फैल गया।
- कांग्रेस नेताओं ने विरोध करते हुए जाँच के लिए बारदोली जाँच कमेटी का गठन किया। समिति ने राजस्व वृद्धि को अनुचित माना।

https://www.pdfnotes.co/

- फरवरी, 1926 ई. में वल्लभभाई पटेल ने बारदोली की महिलाओं से 'सरदार' की उपाधि अर्जित करते हुए कार्यभार संभाला।
- किसानों ने तब तक संशोधित मूल्यांकन भुगतान से इनकार करने का फैसला किया जब तक कि एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण नियुक्त नहीं किया जाता या मौजूदा राशि स्वीकार नहीं की जाती।
- पटेल ने आंदोलन के संगठन के लिए तालुका में 13 कार्यकर्ता शिविरों (छावनी) की स्थापना की।
- जनमत एकत्रित करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन किया गया। किरायेदार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक खुफिया विंग की स्थापना की गई और एक सामाजिक बहिष्कार ने आंदोलन विरोधियों को लक्षित किया। महिलाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए संगठित करने पर जोर दिया गया।
- के.एम. मुंशी और लालजी नारनजी ने आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाते हुए बॉम्बे विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया।
- अगस्त, 1928 ई. तक तनाव बढ़ गया और बंबई में संभावित रेलवे हड़तालें होने लगीं। गांधी जी आपातकालीन सहायता के लिए बारदोली पहुँचे। सरकार ने एक सम्मानजनक वापसी की माँग की तथा पहले बढ़े हुए किराए का भुगतान करने की शर्त रखी (वास्तव में भुगतान नहीं किया गया) और फिर इस मुद्दे को देखने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसने 6.03% की वृद्धि की सिफारिश की।
- 1930 के दशक में किसान, महामंदी और सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित थे। विभिन्न क्षेत्रों में नो-रेंट, नो-रेवेन्यू आंदोलन तेजी उभरे। वर्ष 1932 में सक्रिय चरण के आंदोलन के पतन के बाद, नए राजनीतिक प्रवेशकों ने एक आउटलेट के रूप में किसानों को संगठित करने की ओर रुख किया।

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस/सभा (1936-1937 ई.) [यूपीएससी 2019]

- अप्रैल, 1936 ई. में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस/सभा का गठन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं एन. जी. रंगा इसके महासचिव बने।
- किसान घोषणा पत्र जारी किया गया तथा इंदुलाल याग्निक ने एक पत्रिका शुरू की।
- अखिल भारतीय किसान कांग्रेस/सभा और कांग्रेस ने 1936 ई. में फैजपुर में अपने सत्र आयोजित किए। एआईकेएस के एजेंडे का 1937 ई. के प्रांतीय चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र, विशेषकर कृषि नीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

कांग्रेस मंत्रालयों के तहत किसान आंदोलन (1937-1939 ई.):

यह किसान आंदोलन का एक उच्च वॉटरमार्क था और इसकी लामबंदी किसान सम्मेलनों और ग्राम अभियानों के माध्यम से की गई थी।

भारतीय प्रांतों में किसान लामबंदी

केरल

- कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मालाबार क्षेत्र में किसानों को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- अनेक 'कार्यकर्ता संघ' (किसान संगठन) उभरे।
- वर्ष 1938 में, किसानों ने मालाबार काश्तकारी अधिनियम, 1929 में संशोधन के लिए अभियान चलाया।

आंध्र प्रदेश

- कांग्रेसियों द्वारा चुनावी हार के बाद जमींदारों को गिरती प्रतिष्ठा का सामना करना पड़ा।
- प्रांतीय रैयत संघ सक्रिय थे और एन. जी. रंगा ने 1933 ई. में इंडिया पीजेंट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की।
- अर्थशास्त्र और राजनीति के ग्रीष्मकालीन स्कूलों का आयोजन पी. सी. जोशी, अजॉय घोष और आर. डी. भारद्वाज जैसे नेताओं द्वारा किया गया और उन्हें संबोधित किया गया।

बिहार

- सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, जामुन करजीति आदि प्रमुख व्यक्ति थे।
- **वर्ष 1935** में प्रांतीय किसान सम्मेलन ने जमींदारी विरोधी नारा अपनाया। सम्मेलन में 'बकाश्त भूमि' मुद्दे पर कांग्रेस के साथ अनबन हो गई। अगस्त, **1939** ई. तक आंदोलन में गिरावट आई।

पंजाब

- कीर्ति किसान पार्टी, कांग्रेस, पंजाब नौजवान भारत सभा और अकाली दल पंजाब में पिछली किसान लामबंदी के आयोजन के लिए जिम्मेदार थे। वर्ष 1937 में पंजाब किसान समिति ने आंदोलन को नई दिशा दी।
- पश्चिमी पंजाब में संघवादी मंत्रालय को नियंत्रित करने वाले जमींदार, आंदोलन के प्राथमिक लक्ष्य थे।
  - पहले उठाए गए मुद्दों में अमृतसर और लाहौर में भू-राजस्व का स्थानांतरण, साथ ही मोंटगोमरी और मुल्तान की नहर कॉलोनियों में पानी की दरों में बढ़ोतरी थी, जहाँ निजी ठेकेदार सामंती लेवी का अनुरोध कर रहे थे। यहाँ किसानों ने हड़ताल की और आखिरकार रियायतें प्राप्त करने में सफल रहे।
- गतिविधि के प्रमुख केंद्र शेखूपुरा, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर और लायलपुर थे। दक्षिण-पूर्वी पंजाब (आधुनिक हरियाणा) के हिंदू किसान और पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम किरायेदार मुख्य रूप से अप्रभावित रहे।

विश्व युद्ध के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) विभाजन

- कम्युनिस्टों के युद्ध-समर्थक रुख के कारण विभाजन हो गया, सहजानंद, इंदुलाल याग्निक और एन. जी. रंगा जैसे नेताओं ने सभा छोड़ दी।
- विभाजन के बावजूद, किसान सभा ने काम करना जारी रखा और वर्ष 1943 के अकाल के दौरान सहायता प्रदान की।

युद्ध के बाद का चरण

बंगाल में तेभागा आंदोलन [यूपीएससी 2013]

- 1946 ई. में बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने बाढ़ आयोग की सिफारिशों पर **तेभागा** के कार्यान्वयन की वकालत की, जिसका उद्देश्य मौजूदा आधे हिस्से के

https://www.pdfnotes.co/

बजाय फसल का दो-तिहाई हिस्सा बटाईदारों (बरगदार/अध्यार) को आवंटित करना था।

- केंद्रीय नारा, **"निज खमारे धन तोलो"**, ने बटाईदारों को अपनी उपज को अपने खलिहान तक ले जाने पर जोर दिया और इसे जमींदारों तक पहुँचाने की पारंपरिक प्रथा को चुनौती दी।
- शहरी छात्र मिलिशिया सहित कम्युनिस्ट कैडर, किराए की जमीनों पर काम करने वाले बरगादारों को संगठित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गए। आंदोलन को गति मिली क्योंकि कैडरों ने बटाईदारों को सशक्त बनाने और स्थापित कृषि मानदंडों को चुनौती देने की दिशा में काम किया।
- आंदोलन का तूफान केंद्र उत्तरी बंगाल में था, मुख्य रूप से राजबंशियों के बीच, जो एक निम्न जाति का आदिवासी समूह था। बड़ी संख्या में मुसलमानों की भागीदारी ने आंदोलन के विविध समर्थन आधार को प्रदर्शित किया।
- लेकिन लीग मंत्रालय द्वारा बारगार्डरी विधेयक को दी गई छूट, तीव्र दमन, अलग बंगाल के लिए हिंदू महासभा के आंदोलन के लोकप्रिय होने और कलकत्ता में नए सिरे से हुए दंगों के कारण यह नष्ट हो गया।

तेलंगाना आंदोलन

- असफजाही निज़ामों के अधीन हैदराबाद को धार्मिक-भाषाई वर्चस्व और जमींदारों द्वारा अत्यधिक शोषण का सामना करना पड़ा, जिससे मुख्य रूप से हिंदू-तेलुगु, मराठी और कन्नड़ भाषी आबादी में असंतोष फैल गया। देशमुख और जागीरदारों द्वारा जबरन मजदूरी (वेथी) और अवैध वसूली ने असंतोष को बढ़ावा दिया।
- कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले गुरिल्लाओं ने युद्धकालीन वसूली, राशन के दुरुपयोग, अत्यधिक लगान और वेथी जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए, तेलंगाना के गाँवों में एक मजबूत आधार स्थापित किया।
- जुलाई, 1946 ई. में नलगोंडा के जनगाँव तालुका में एक ग्रामीण उग्रवादी की हत्या के बाद विद्रोह भड़क उठा, जो तेजी से वारंगल और खम्मम तक फैल गया। एक ग्रामीण उग्रवादी की हत्या के बाद, यह सभी क्षेत्रों में फैल गया और अगस्त, 1947 ई. और सितंबर, 1948 ई. के बीच तीव्र हो गया।
- कृषि मजदूरी में वृद्धि हुई, अवैध रूप से जब्त की गई भूमि बहाल की गई, और सीमा तय करने और भूमि के पुनर्वितरण के लिए उपाय किए गए। इस आंदोलन से सिंचाई, हैजा की रोकथाम और महिलाओं की स्थिति में ठोस सुधार हुआ।
- एक बार जब भारतीय सुरक्षा बलों ने हैदराबाद पर नियंत्रण कर लिया तो इस आंदोलन ने रजाकारों (निजाम के तूफानी सैनिक) की हार में योगदान दिया।
- भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण परिणाम थी, जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप थी।

विभिन्न किसान आंदोलनों का सारांश

टीटू मीर का आंदोलन	1782-1831 ई. में; पश्चिम बंगाल में मीर नाथर अली या टीटू मीर के द्वारा	फराजियों पर दाढ़ी-टैक्स लगाने वाले हिंदू जमींदारों के खिलाफ।
पागल पंथी आंदोलन	1825-35 ई. में; करम शाह और टीपू शाह मयमसिंह जिले के अंतर्गत, पहले बंगाल में हाजोंग और गारो जनजातियों द्वारा	किराये में बढ़ोतरी के खिलाफ; आंदोलन को हिंसक तरीके से दबा दिया गया।
फड़के का रामोसी विद्रोह	1877-87 ई. में; वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा महाराष्ट्र द्वारा रामोसी किसानों द्वारा	अकाल-विरोधी कदम उठाने में ब्रिटिश विफलता के विरुद्ध।
पबना कृषि विद्रोह	1873 ई. में; पबना जिला, पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश में है, शाह चंद्र रॉय, शंभू पाल, खुदी मोल्ला के नेतृत्व में और बी. सी. चटर्जी और आर. सी. दत्त द्वारा समर्थित।	जमींदारों की नीतियों के विरुद्ध कब्जाधारियों को अधिभोग अधिकार प्राप्त करने से रोकने के लिए बंगाल किरायेदारी अधिनियम, 1885 पारित किया गया।
पंजाब के किसानों का विद्रोह	पंजाब में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान	अपनी जमीन खोने की संभावनाओं के ख़िलाफ़; पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, 1900 पारित किया गया, जिसने भूमि की बिक्री और बंधक तथा राजस्व माँगों पर नियम लागू किए।
चम्पारण सत्याग्रह	1917 ई. में; बिहार, चंपारण के किसानों द्वारा	यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा थोपी गई तीनकठिया प्रणाली के ख़िलाफ़; चंपारण कृषि अधिनियम ने तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
खेड़ा सत्याग्रह	1918 ई. में; गुजरात में गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा के किसानों द्वारा	फसल खराब होने की स्थिति में भू-राजस्व की माफी के लिए नजरअंदाज की गई अपीलों के खिलाफ; आख़िरकार माँगें पूरी हुईं।
बकाश्त आंदोलन	1936 ई. में; बिहार	अधिभोग अधिकारों के संबंध में जमींदारों की नीतियों के विरुद्ध

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

25 भारतीय श्रमिक वर्ग के आंदोलन का विकास

परिचय

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, जिसके बाद सहायक उद्योगों, विशेष रूप से कोयला, कपास और जूट उद्योग का विकास हुआ, जिसने आधुनिक भारतीय श्रमिक वर्ग के उद्भव की आधारशिला रखी।

औद्योगिक शोषण

- भारतीय श्रमिक वर्ग को कम वेतन, काम के अधिक घंटे, खतरनाक कार्य परिस्थितियाँ, बाल श्रम और अपर्याप्त सुविधाओं की आम चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- शोषण ने यूरोप और पश्चिम के औद्योगीकरण के अनुभवों को दोहराया।

औपनिवेशिक प्रभाव

- उपनिवेशवाद के कारण भारतीय श्रमिक वर्ग को साम्राज्यवादी राजनीतिक शासन और विदेशी तथा भारतीय पूँजीपतियों द्वारा आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा।
- यह आंदोलन राष्ट्रीय मुक्ति के लिए व्यापक राजनीतिक संघर्ष बन गया।

प्रारंभिक राष्ट्रवादियों (उदारवादी) के प्रयास और दृष्टिकोण

- उदारवादी, श्रमिकों की समस्याओं के प्रति उदासीन थे।
- उन्होंने भारतीय स्वामित्व वाली तथा ब्रिटिश स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों में श्रमिकों के बीच अंतर स्पष्ट किया।
- उन्होंने श्रम कानून की तुलना में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का समर्थन किया।
- उन्होंने आंदोलन में वर्ग के आधार पर होने वाले विभाजन का विरोध किया।
- उन्होंने 1881 ई. और 1891 ई. के फैक्टरी अधिनियमों का समर्थन नहीं किया।

इसके अलावा, श्रमिकों की स्थिति में सुधार के शुरुआती प्रयास छिटपुट, पृथक और वैयक्तिक थी।

मजदूरों की कार्य परिस्थितियों में सुधार हेतु प्रारंभिक पहल

- **शशिपद बनर्जी (1870 ई.) ने** एक **श्रमिक क्लब की शुरुआत की और भारत श्रमजीवी नामक** समाचार पत्र शुरू किया।
- **सोराबजी शापूरजी बंगाली (1878 ई.) ने** बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए बॉम्बे विधान परिषद में एक विधेयक पारित कराने का प्रयास किया।
- **नारायण मेघाजी लोखंडे (1880 ई.) ने दीनबंधु** समाचार पत्र की स्थापना की और **बॉम्बे मिल** एंड **मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की।** **[यूपीएससी 2018]**
- ग्रेट **इंडियन पेनिन्सुलर रेलवे (1899 ई.) में पहली बार हड़ताल हुई,** जिसे तिलक के **केसरी** और **मराठा** का समर्थन प्राप्त था।

स्वदेशी आंदोलन

स्वदेशी आंदोलन के दौरान व्यापक राजनीतिक मुद्दों में कामगारों की राजनीतिक भागीदारी थी। सरकारी प्रेस, रेलवे और जूट उद्योग में हड़तालों का आह्वान **अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार रॉय चौधरी, प्रेमतोष बोस** और **अपूर्व कुमार घोष द्वारा किया गया था।**

- कामगार संघ बनाने के प्रयासों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और सीमित सफलता मिली।
- **सुब्रमण्यम शिवा** और **चिदंबरम पिल्लई ने तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में** हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी गिरफ्तारियां हुईं।
- तिलक की गिरफ्तारी और मुकदमे के बाद सबसे बड़ी हड़ताल हुई।

श्रमिक वर्ग आंदोलन का विकास

प्रथम विश्व युद्ध और उसके परिणाम

- प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक असमानताएँ उत्पन्न हो गईं, निर्यात और कीमतों के बढ़ने से उद्योगपतियों को लाभ हुआ लेकिन परिणामस्वरूप श्रमिकों का वेतन कम हुआ।
- श्रमिकों के बीच असंतोष ने गांधीजी के नेतृत्व में एक व्यापक आधार वाले राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें श्रमिकों और किसानों के समन्वय पर जोर दिया गया।
- सोवियत संघ में **समाजवादी गणतंत्र** की स्थापना, **कॉमिन्टर्न का गठन और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** की स्थापना **ने** श्रमिक वर्ग के आंदोलन को एक नया आयाम दिया।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना-1920 ई.

- **31 अक्टूबर, 1920** ई. को स्थापित AITUC का उद्देश्य बढ़ते असंतोष के बीच श्रमिकों को संगठित करना था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष **लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बने** उन्होंने पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच संबंध पर जोर दिया। **दीवान चमन लाल को इसके प्रथम महासचिव के** पद पर नियुक्त किया गया।

> "**साम्राज्यवाद** और **सैन्यवाद, पूँजीवाद** की जुड़वा संताने हैं"
>
> – **लाला लाजपत राय**

- **सी. आर. दास ने मजदूरों और किसानों से संबंधित मुद्दों में कांग्रेस की भागीदारी की वकालत की और कांग्रेस के 'गया सम्मेलन' (1922 ई.)** के दौरान AITUC के गठन का स्वागत किया । उन्होंने AITUC के तीसरे और चौथे **सम्मेलन** की अध्यक्षता की।

https://www.pdfnotes.co/

- **नेहरू, सुभाष बोस, सी. एफ. एंड्रयूज, जे. एम. सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, वी. वी. गिरी और सरोजिनी नायडू** जैसे प्रमुख नेताओं ने AITUC के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा।
- अपने प्रारंभिक वर्षों में, AITUC ब्रिटिश लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। बाद में, अहिंसा, ट्रस्टीशिप और वर्ग सहयोग के गांधीवादी दर्शन का आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा।

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

- ट्रेड यूनियनों को कानूनी संघों के रूप में मान्यता दी गई।
- ट्रेड यूनियन गतिविधियों के पंजीकरण और विनियमन के लिए शर्तें निर्धारित की गई।
- राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंधों के साथ, वैध गतिविधियों के लिए नागरिक और दंड प्रक्रिया में छूट प्रदान की गई।

साम्यवाद का प्रभाव और विधायी प्रतिबंध - 1920 के दशक के अंत में

- यह आंदोलन साम्यवाद से काफी प्रभावित था, जिसने इसे एक चरमपंथी और क्रांतिकारी प्रकृति प्रदान की। **गिरनी कामगार संघ ने वर्ष 1928 में बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स** में छह माह की लंबी हड़ताल का नेतृत्व किया ।
- **सोहन सिंह जोशी, पी. सी. जोशी, मुजफ्फर अहमद, एस. ए. डांगे और अन्य** लोगों के नेतृत्व में कई कम्युनिस्ट संगठन स्थापित हुए।
- कट्टरपंथ के कारण ट्रेड यूनियन आंदोलन की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर, सरकार ने विधायी सीमाएं लागू की जिससे व्यापार विवाद अधिनियम (टीडीए), 1929 और सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश (1929) अधिनियमित किया गया।

व्यापार विवाद अधिनियम (टीडीए), 1929 [यूपीएससी 2017]

- इसने औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए जाँच न्यायालयों और परामर्श बोर्डों की नियुक्ति को अनिवार्य बना दिया।
- डाक, रेलवे, पानी और बिजली जैसी जन उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल को निषिद्ध कर दिया, जब तक कि हड़ताल की मंशा रखने वाले प्रत्येक कामगार ने प्रशासन को एक महीने की अग्रिम सूचना नहीं दी हो।
- सहानुभूतिपूर्ण हड़तालों सहित, जबरन या पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों के साथ व्यापार संघों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

मेरठ षड्यंत्र मामला (1929 ई.)

- मार्च, 1929 ई. में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के बाद **मुजफ्फर अहमद, एस. ए. डांगे, जोगलेकर, फिलिप स्प्राट, बेन ब्रैडली, शौकत उस्मानी** और अन्य को दोषी ठहराया गया। हालाँकि, इस मुकदमे ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया लेकिन इसके परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग का आंदोलन कमजोर हो गया।

1931 ई. के बाद (कांग्रेस मंत्रालय)

- **एन. एम. जोशी ने** AITUC **से अलग होकर वर्ष 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की** स्थापना की।
- **1935** ई. में कम्युनिस्ट पुनः AITUC में शामिल हो गए।
- वाम मोर्चे में अब कम्युनिस्ट, कांग्रेस समाजवादी और जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे वामपंथी राष्ट्रवादी शामिल थे।
- वर्ष 1937 के चुनावों में AITUC ने कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया।
- कांग्रेस मंत्रालय आम तौर पर श्रमिकों की माँगों के प्रति सहानुभूति रखते थे और अनुकूल श्रम कानून पारित करते थे।

द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद

- प्रारंभ में, **श्रमिकों ने युद्ध का विरोध किया,** लेकिन रूस की भागीदारी के बाद वामपंथियों का समर्थन मिलने लगा ।
- वामपंथियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया और शांतिपूर्ण औद्योगिक की नीति की वकालत की।
- श्रमिकों ने युद्ध के उपरांत के राष्ट्रीय विद्रोह में भाग लिया तथा 1945 ई. में, बॉम्बे और कलकत्ता के गोदी श्रमिकों ने इंडोनेशिया में युद्धरत सैनिकों के लिए रसद ले जाने वाले जहाजों पर रसद लादने से इनकार कर दिया। वर्ष **1946** में उन्होंने रॉयल सेना के नाविकों के समर्थन में हड़ताल कर दी।

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

26 गवर्नर जनरल और वायसराय

बंगाल के गवर्नर (1773 ई. से पूर्व)

रॉबर्ट क्लाइव (1754-1767 ई.)

- **बंगाल** प्रेसीडेंसी का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर।
- रॉबर्ट क्लाइव **1757-60 ई.** और **1765-67 ई.** तक बंगाल का गवर्नर रहा।
- वह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 'फैक्टर' या कंपनी एजेंट के रूप में काम करने के लिए **1744 ई.** में फोर्ट सेंट जॉर्ज (मद्रास) पहुँचा।
- **आर्कोट की घेराबंदी** में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्होंने अत्यंत प्रसिद्धि और प्रशंसा अर्जित की।
- **प्लासी का युद्ध** (**1757 ई.**) एवं **बक्सर का युद्ध** (**1764 ई.**)।

गवर्नर-जनरल

वॉरेन हेस्टिंग्स (1773-1785 ई.)

- 1773 **ई.** का रेगुलेटिंग एक्ट।
- 1781 **ई.** का अधिनियम, जिसके तहत गवर्नर जनरल तथा काउंसिल और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के बीच क्षेत्राधिकार की शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था।
- 1784 **ई.** का पिट्स इंडिया एक्ट।
- 1774 **ई.** का रोहिल्ला युद्ध।
- 1775- 82 **ई.** में प्रथम मराठा युद्ध और 1782 **ई.** में सालबाई की संधि।
- 1780- 84 ई. में द्वितीय मैसूर युद्ध।
- बनारस के महाराजा चैत सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंध, जिसके कारण बाद में इंग्लैंड में हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया।
- एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल (1784 **ई.**) की स्थापना।

लॉर्ड कार्नवालिस (1786-93 ई.)

- तृतीय मैसूर युद्ध (1790-92 **ई.**) और श्रीरंगपटनम की संधि (1792 **ई.**)।
- कॉर्नवालिस कोड (1793 **ई.**) के अंतर्गत विभिन्न न्यायिक सुधार एवं राजस्व प्रशासन और नागरिक क्षेत्राधिकार का पृथक्करण किया गया।
- बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, 1793 **ई.**।
- प्रशासनिक मशीनरी का यूरोपीयकरण और सिविल सेवाओं का आरंभ।

सर जॉन शोर (1793-98 ई.)

- 1793 **ई.** का चार्टर एक्ट।
- निजाम और मराठों के बीच खर्दा का युद्ध (1795 **ई.**)।

लॉर्ड वेलेजली (1798-1805 ई.)

- सहायक संधि प्रणाली का आरंभ (**1798 ई.**), हैदराबाद के निजाम के साथ प्रथम गठबंधन।
- चतुर्थ मैसूर युद्ध (**1799 ई.**)।
- द्वितीय मराठा युद्ध (**1803-05 ई.**)।
- तंजौर (**1799 ई.**), सूरत (**1800 ई.**) और कर्नाटक (**1801 ई.**) का शासन संभाला।
- बसीन (अब वसई) की संधि (**1802 ई.**)।

सर जॉर्ज बार्लो (1805-07 ई.)

वेल्लोर का सिपाही विद्रोह (**1806 ई.**)।

लॉर्ड मिंटो प्रथम (1807-13 ई.)

रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि (1809 **ई.**)।

लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-23 ई.)

- आंग्ल-नेपाल युद्ध (1814-16 **ई.**) और सुगौली की संधि,1816 **ई.**।
- तृतीय मराठा युद्ध (1817-19 **ई.**) और मराठा संघ का विघटन एवं कंपनी के साम्राज्य में विलय; बॉम्बे प्रेसीडेंसी का निर्माण (1818 **ई.**)।
- पिंडारियों से संघर्ष (1817-18 **ई.**)।
- सिंधिया के साथ संधि (1817 **ई.**)।
- मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा **रैयतवाड़ी** व्यवस्था की स्थापना (1820 **ई.**)।

लॉर्ड एमहर्स्ट (1823-28 ई.)

- प्रथम बर्मा युद्ध (1824-26 **ई.**)।
- भरतपुर पर कब्जा (1826 **ई.**)।

लॉर्ड विलियम बेंटिक (1828-35 ई.)

- सती एवं अन्य कठोर संस्कारों का उन्मूलन (1829 **ई.**)।
- ठगी प्रथा का दमन (1830 **ई.**)।
- 1833 **ई.** का चार्टर एक्ट।
- 1835 **ई.** का संकल्प और शैक्षिक सुधार व अंग्रेजी की आधिकारिक भाषा के रूप में शुरूआत।
- मैसूर (1831 **ई.**), दुर्ग (1834 **ई.**) और मध्य कछार (1834 **ई.**) का विलय।
- रणजीत सिंह के साथ 'निरंतर मित्रता' की संधि।
- कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित अपील और सर्किट प्रांतीय अदालतों को समाप्त करना, राजस्व और सर्किट आयुक्तों की नियुक्ति।

https://www.pdfnotes.co/

लॉर्ड मेटकाफ (1835-36 ई.)

भारत में प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए एक नवीन प्रेस कानून का निर्माण किया।

लॉर्ड ऑकलैंड (1836-42 ई.)

- प्रथम अफगान युद्ध (1838-42 ई.)।
- रणजीत सिंह की मृत्यु (1839 ई.)।

लॉर्ड एलनबरो (1842-44 ई.)

- सिंध का विलय (1843 ई.)।
- ग्वालियर के साथ युद्ध (1843 ई.)।

लॉर्ड हार्डिंग प्रथम (1844-48 ई.)

- प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46 ई.) और लाहौर की संधि (1846 ई.)।
- सामाजिक सुधारों के रूप में **कन्या भ्रूण हत्या** एवं **मानव बलि** का उन्मूलन किया गया।

लॉर्ड डलहौजी (1848-1856 ई.)

- द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49 ई.) और पंजाब पर कब्जा (1849 ई.)।
- निचले बर्मा या पेगू का विलय (1852 ई.)।
- व्यपगत के सिद्धांत का आरंभ जिसके अंतर्गत सतारा (1848 ई.) जैतपुर और संबलपुर (1849 ई.), उदयपुर (1852 ई.), झाँसी (1853 ई.), नागपुर (1854 ई.) व अवध (1856 ई.) का विलय।
- 1854 ई. का "वुड्स (चार्ल्स वुड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष) एजुकेशनल डिस्पैच" और एंग्लो-वर्नाकुलर स्कूलों और सरकारी कॉलेजों का उद्घाटन।
- 1853 ई. में रेलवे माइनूट (स्मरण पत्र); और 1853 ई. में बंबई और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई।
- टेलीग्राफ (कलकत्ता को बॉम्बे, मद्रास और पेशावर से जोड़ने के लिए 4,000 मील की टेलीग्राफ लाइनें) और डाक (डाकघर अधिनियम, 1854) सुधार।
- गंगा नहर को खोल दिया गया (1854 ई.); प्रत्येक प्रांत में एक पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना।
- विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856 ई.)।

लॉर्ड कैनिंग (1856-57 ई.)

- 1857 ई. में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना।
- 1857 ई. का विद्रोह।

वायसराय

लॉर्ड कैनिंग (1858-62 ई.)

- ईस्ट इंडिया कंपनी से राजशाही को सत्ता हस्तांतरण, भारत सरकार अधिनियम, 1858।
- 1859 ई. में यूरोपीय सैनिकों द्वारा 'श्वेत विद्रोह'।
- 1861 ई. का भारत शासन अधिनियम।

लॉर्ड एल्गिन प्रथम (1862-63 ई.)

वहाबी आंदोलन।

लॉर्ड जॉन लॉरेंस (1864-69 ई.)

- भूटान युद्ध (1865 ई.)।
- कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना (1865 ई.)।

लॉर्ड मेयो (1869-72 ई.)

- भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना।
- भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना।
- कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना।
- राज्य रेलवे की शुरुआत।

लॉर्ड नॉर्थब्रुक (1872-76 ई.)

- 1875 ई. में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा।
- बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा।
- पंजाब में कूका आन्दोलन।

लॉर्ड लिटन (1876-80 ई.)

- 1876-78 ई. के अकाल ने मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पंजाब को प्रभावित किया; रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति (1878 ई.)।
- राजकीय उपाधि एक्ट (1876 ई.), रानी विक्टोरिया ने 'कैसर-ए-हिंद' या भारत की महारानी की उपाधि धारण की।
- वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878 ई.)।
- शस्त्र अधिनियम (1878 ई.)।
- द्वितीय अफगान युद्ध (1878-80 ई.)।

लॉर्ड रिपन (1880-84 ई.)

- वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1882 ई.) का निरसन।
- श्रम दशाओं में सुधार हेतु प्रथम कारखाना अधिनियम (1881 ई.)।
- वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति का नियमतीकरण।
- स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प (1882 ई.)।
- सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति (1882 ई.)।
- इल्बर्ट बिल विवाद (1883-84 ई.)।
- मैसूर को पुनर्बहाल करना।

लॉर्ड डफरिन (1884-88 ई.)

- तृतीय बर्मा युद्ध (1885-86 ई.)।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।

लॉर्ड लैंसडाउन (1888-94 ई.)

- कारखाना अधिनियम (1891 ई.)।
- सिविल सेवाओं का शाही, अस्थायी और अधीनस्थ के रूप में वर्गीकरण।
- भारत परिषद अधिनियम (1892 ई.)।
- भारत और अफगानिस्तान (वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच; रेखा का एक छोटा-सा हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत को स्पर्श

https://www.pdfnotes.co/

करता है) के बीच **डूरंड** रेखा के निर्धारण हेतु **डूरंड आयोग** (1893 ई.) की स्थापना।

लॉर्ड एल्गिन द्वितीय (1894-99 ई.)

चापेकर बंधुओं द्वारा दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या (1897 **ई.**) कर दी गई।

लॉर्ड कर्जन (1899-1905 ई.)

- पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर के तहत पुलिस आयोग की नियुक्ति (1902 ई.)।
- विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना (1902 ई.) और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904 ई.) का पारित होना।
- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना।
- कलकत्ता निगम अधिनियम (1899 ई.)।
- प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम (1904 ई.)।
- बंगाल का विभाजन (1905 ई.)।
- कर्जन -किचनर विवाद।
- यंगहसबैंड का तिब्बत मिशन (1904 ई.)।

लॉर्ड मिंटो द्वितीय (1905-10 ई.)

- विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलनों को लोकप्रिय बनाना।
- सूरत में वर्ष 1907 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन।
- आगा खाँ द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना (1906 ई.)।

लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय (1910-16 ई.)

- 1911 **ई.** में बंगाल प्रेसीडेंसी (बॉम्बे और मद्रास की तरह) की स्थापना।
- राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण (1911 ई.)।
- मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना (1915 ई.)।
- दिल्ली में किंग जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा में राज्याभिषेक दरबार (1911 ई.) आयोजित किया गया।

लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916-21 ई.)

- एनी बेसेंट और तिलक द्वारा होम रूल लीग का गठन (1916 ई.)।
- कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन (1916 ई.); कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता (1916 ई.)।
- गांधीजी की वापसी के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना (1916 ई.); चंपारण सत्याग्रह (1916 ई.), खेड़ा सत्याग्रह (1918 ई.) और अहमदाबाद में सत्याग्रह (1918 ई.) का आरंभ।
- मांटेग्यू की अगस्त घोषणा (1917 ई.); भारत सरकार अधिनियम (1919 ई.)।
- रोलेट एक्ट (1919 ई.); जलियांवाला बाग नरसंहार (1919 ई.); असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरूआत।
- पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना (1916 ई.) और शैक्षिक नीति में सुधार हेतु सैडलर आयोग की नियुक्ति (1917 ई.)।
- तिलक की मृत्यु (1 अगस्त, 1920 ई.)।
- बिहार के गवर्नर के रूप में एस.पी. सिन्हा की नियुक्ति (गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय)।

लॉर्ड रीडिंग (1921-26 ई.)

- चौरी-चौरा घटना (5 फरवरी, 1922 ई.) और उसके बाद असहयोग आंदोलन की वापसी।
- केरल में मोपला विद्रोह (1921 ई.)।
- 1910 ई. के प्रेस अधिनियम और 1919 ई. के रोलेट अधिनियम का निरसन।
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और कपास उत्पाद शुल्क का उन्मूलन।
- मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे।
- काकोरी ट्रेन डकैती (1925 ई.)।
- स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या (1926 ई.)।
- सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना (1922 ई.)।
- 1923 ई. से भारतीय सिविल सेवा हेतु दिल्ली और लंदन दोनों जगह एक साथ परीक्षा आयोजित करने का निर्णय।

लॉर्ड इरविन (1926-31 ई.)

- साइमन आयोग का भारत मे आगमन (1928 ई.) और भारतीयों द्वारा आयोग का बहिष्कार।
- भारत के (भावी) संविधान हेतु सुझावों के लिए लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन (1928 ई.) आयोजित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट या नेहरू संविधान कहा गया था।
- हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति (1927 ई.)।
- लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या; दिल्ली के असेंबली हॉल में बम विस्फोट (1929 ई.); लाहौर षड्यन्त्र केस और दीर्घकालिक भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु (1929 ई.) और दिल्ली में ट्रेन में बम दुर्घटना (1929 ई.)।
- कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन (1929 ई.); पूर्ण स्वराज संकल्प।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधीजी द्वारा दांडी मार्च (12 मार्च, 1930 ई.)।
- लॉर्ड इरविन द्वारा 'दीपावली घोषणा' (1929 ई.)।
- प्रथम गोलमेज सम्मेलन (1930 ई.), गांधी-इरविन समझौता (1931 ई.) का बहिष्कार और सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन।

लॉर्ड विलिंगटन (1931-36 ई.)

- द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (1931 ई.) एवं सम्मेलन की विफलता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत।
- सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा (1932 ई.) जिसके तहत पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई।
- यरवदा जेल में गांधीजी द्वारा 'आमरण अनशन', जो पूना संधि (1932 ई.) के बाद खत्म किया गया।
- तृतीय गोलमेज सम्मेलन (1932 ई.)।
- व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का आरंभ (1933 ई.)।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935।
- आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा (1936 ई.) एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (1934 ई.) की स्थापना।
- बर्मा भारत से पृथक हुआ (1935 ई.)।

https://www.pdfnotes.co/

लॉर्ड लिनलिथगो (1936-44 ई.)

- प्रथम आम चुनाव (1936-37 ई.); कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ।
- द्वितीय विश्व युद्ध (1939 ई.) शुरू होने के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा।
- कांग्रेस के 51वें सत्र (1938 ई.) में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया।
- 1939 ई. में बोस का इस्तीफा और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन (1939 ई.)।
- मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव (मार्च, 1940 ई.) में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की माँग की गई।
- वायसराय द्वारा 'अगस्त प्रस्ताव' (1940 ई.); कांग्रेस द्वारा इसकी आलोचना और मुस्लिम लीग द्वारा अनुसमर्थन।
- विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने गए (1940 ई.)।
- सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन (1941 ई.) और आजाद हिंद फौज का गठन।
- भारत को डोमिनियन दर्जा प्रदान करने और एक संविधान सभा के गठन की क्रिप्स मिशन की क्रिप्स योजना; कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया।
- कांग्रेस द्वारा 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' का पारित किया जाना (1942 ई.); 'अगस्त क्रांति' का आरंभ; या राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 1942 ई. का विद्रोह।
- मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन (1944 ई.) में 'बाँटो और वापस जाओ' का नारा दिया गया।

लॉर्ड वेवेल (1944-1947 ई.)

- सी. राजगोपालाचारी का 'सी. आर. फॉर्मूला' (1944 ई.), गांधी जिन्ना वार्ता की विफलता (1944 ई.)।
- वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन (1942 ई.)।
- द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति (1945 ई.)।
- कैबिनेट मिशन (1946 ई.) के प्रस्ताव एवं कांग्रेस द्वारा उसकी स्वीकृति।
- मुस्लिम लीग द्वारा 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' (16 अगस्त, 1946 ई.) मनाया जाना, जिसे 1946 ई. कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है।
- संविधान सभा के चुनाव, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन (सितंबर, 1946 ई.)।
- 20 फरवरी, 1947 ई. को क्लेमेंट एटली (इंग्लैंड के प्रधानमंत्री) द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा।

लॉर्ड माउंटबेटन (1947-1948 ई.)

- 3 जून योजना (3 जून, 1947 ई.) की घोषणा।
- हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाना।
- बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ के अधीन दो सीमा आयोगों की नियुक्ति

❖ ❖ ❖

https://www.pdfnotes.co/

27 महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन

वर्ष	स्थान	अध्यक्ष	विवरण
1885	बंबई	डब्ल्यू. सी. बनर्जी	प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
1886	कलकत्ता	दादाभाई नौरोजी	कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ।
1887	मद्रास	बदरुद्दीन तैयबजी	मुसलमानों से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई।
1888	इलाहाबाद	जॉर्ज यूले	कांग्रेस के प्रथम गैर-भारतीय अध्यक्ष।
1896	कलकत्ता	रहीमतुल्लाह एम. सयानी	राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" पहली बार गाया गया।
1905	बनारस	गोपाल कृष्ण गोखले	बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा, सार्वजनिक बैठकें और जुलूस।
1906	कलकत्ता	दादाभाई नौरोजी	'स्वराज' शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया।
1907	सूरत	रासबिहारी घोष	कांग्रेस का विभाजन, नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच हो गया।
1908	मद्रास	रासबिहारी घोष	कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया।
1909	लाहौर	मदन मोहन मालवीय	धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की अस्वीकृति (भारतीय परिषद अधिनियम, 1909)।
1911	कलकत्ता	बिशन नारायण	राष्ट्रगान, "जन गण मन," पहली बार गाया गया।
1916	लखनऊ	ए.सी. मजूमदार	कांग्रेस में नरमपंथियों और उग्रवादियों का पुनर्मिलन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता, गोखले और फिरोजशाह मेहता की मृत्यु।
1917	कलकत्ता	एनी बेसेंट	कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला।
1919	अमृतसर	मोतीलाल नेहरू	कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई, खिलाफत आंदोलन को मंजूरी दी गई।
1920	कलकत्ता	लाला लाजपत राय	विशेष सत्र- अहसहयोग आंदोलन शुरू हुआ और अपनाया गया।
1920	नागपुर	सी. विजयराघवाचार्य	भाषाई आधार पर कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन।
1922	गया	सी.आर. दास	सी.आर. दास तथा अन्य नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया। सी.आर. दास ने जेल में रहते हुए सत्र की अध्यक्षता की।
1923	दिल्ली	मौलाना आजाद	मौलाना अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने।
1924	बेलगाम	एम.के. गांधी	एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता गांधीजी ने की।
1925	कानपुर	सरोजिनी नायडू	कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष।
1927	मद्रास	एम.ए. अंसारी	मेसोपोटामिया, ईरान और चीन में भारतीय सैनिकों के उपयोग के विरुद्ध संकल्प। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित।
1928	कलकत्ता	मोतीलाल नेहरू	प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन।
1929	लाहौर	जवाहर लाल नेहरू	पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया, कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई।
1931	कराची	वल्लभ भाई पटेल	गांधी इरविन समझौते, मौलिक अधिकारों के संकल्प और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन किया गया।
1934	बंबई	राजेंद्र प्रसाद	कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया।
1936	फैजपुर	जवाहर लाल नेहरू	नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों की ओर अग्रसर होने का आग्रह, किसी गाँव में होने वाला प्रथम अधिवेशन।
1938	हरिपुरा	सुभाष चंद्र बोस	नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति का गठन।
1939	त्रिपुरी	सुभाष चंद्र बोस	सुभाष चंद्र के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष पद संभाला।
1940	रामगढ़	मौलाना अबुल कलाम आजाद	सामूहिक सविनय अवज्ञा शुरू करने पर अंतिम निर्णय लेने का निर्णय महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया था।
1946	मेरठ	आचार्य जे.बी. कृपलानी	आजादी से पहले आखिरी सत्र।

https://www.pdfnotes.co/

UPPSC WALLAH

UPPSC Cohort

UP-PSC 2024
PRE/MAINS-TEST SERIES
(ONLINE/OFFLINE)

PRE – TEST SERIES

SECTIONAL TESTS	FULL-LENGTH TESTS	TOTAL
14	6	20

Start Date- 6 Nov
End Date- 11 March (2024)

MAINS – TEST SERIES

SECTIONAL TESTS	FULL-LENGTH TESTS	TOTAL
17	8	25

Start Date- 30 Nov
End Date- 12 Sept (2024)

BPSC WALLAH

BPSC Cohort

70th BPSC - 2024
PRE/MAINS TEST SERIES
(ONLINE/OFFLINE)

PRE – TEST SERIES

SECTIONAL TESTS	FULL-LENGTH TESTS	TOTAL
18	7	25

Start Date- 6 Nov
End Date- 23 Sep (2024)

MAINS – TEST SERIES

SECTIONAL TESTS	FULL-LENGTH TESTS	TOTAL
17	8	25

Start Date- 30 Nov
End Date- 26 Dec (2024)

https://www.pdfnotes.co/

ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

अन्य पुस्तकें एवं कार्यक्रम

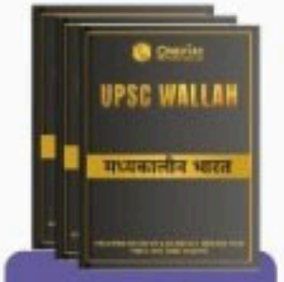

BOOKS

व्यापक कवरेज

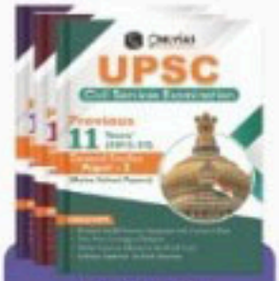

BOOKS

पिछले 11 वर्षों के हल प्रश्न-पत्र (PYQs) (प्रारंभिक+ मुख्य परीक्षा)

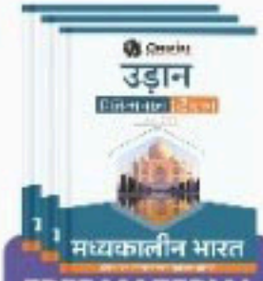

FREE MATERIAL

उड़ान (प्रिलिम्स स्टैटिक रिवीज़न)

FREE MATERIAL

उड़ान प्लस 500 (प्रिलिम्स समसामयिकी रिवीज़न)

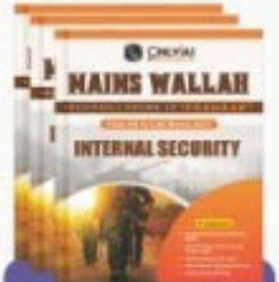

FREE MATERIAL

मेन्स रिवीज़न

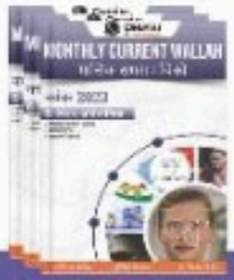

CURRENT AFFAIRS

मासिक समसामयिकी

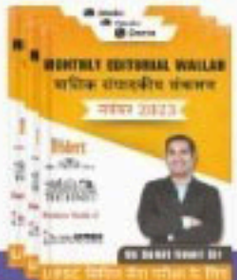

CURRENT AFFAIRS

मासिक संपादकीय संकलन

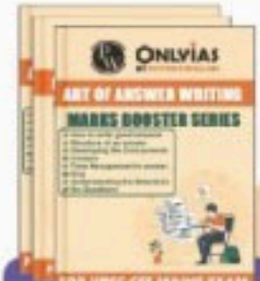

FREE MATERIAL

क्विक रिवीज़न बुकलेट

TEST SERIES

IDMP ईयर लॉन्ग टेस्ट

TEST SERIES

35+ प्रिलिम्स टेस्ट

TEST SERIES

25+ मेन्स टेस्ट

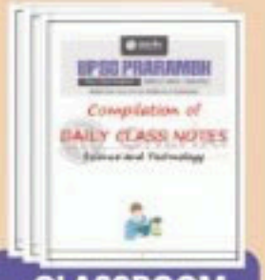

CLASSROOM CONTENT

डेली क्लास नोट्स और अभ्यास प्रश्न

All Content Available in Hindi and English

Karol Bagh Centre: 4B, Pusa Road, New Delhi 110005

₹ 149/-

ISBN 978-93-6034-899-1